15 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

पृष्ठ/ कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	अंतिम	तपसा गगोई	तरूण गगोई
2	29	11.11 म.प.	11.11 म.पू.
3	24	11.13 म.प.	11.13 म.पू.
131	नीचे से चौथी	1382	1348
150	नीचे से दसवीं	मृत्यंजय	मृत्युन्जय

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 7, गुरूवार, 15 दिसम्बर, 1994/24 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		काल
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	121—123	1—2
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21—3
तारांकित प्रश्न संख्या :	124—140	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1254—1399 और 1401—1437	39—23
चीनी आयात के संबंध में ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के बारे में		238—27
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		238—24
श्री विद्या चरण शुक्ल		239—240, 247, 249, 256—257 259, 261—263, 265—267
श्री शरद यादव		243—248
श्री इन्द्रजीत गुप्त		248—251
श्री चन्द्र शेखर		251—253, 257—260
श्री जार्ज फर्नान्डीज		253—256, 259, 260
श्री सैफुद्दीन चौधरी		260—261, 263—264
श्री मणिशंकर अय्यर		263
श्री पी.जी. नारायणन		264—265
श्री हरि किशोर सिंह		265—268
श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे		270
श्री राम विलास पासवान		270—275
राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन मुम्बई स्थित कपड़ा मिलों के कामगारों को मजूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में		
श्री मोहन रावले		275—277
श्री शरद दिघे		277—278
श्री राम नाईक		278
श्री बसुदेव आचार्य		278—279
श्री चित्त बसु		279
श्रीमती सुमित्रा महाजन		279—280
कुमारी ममता बनर्जी		280
श्री सत्यनारायण जटिया		280
श्री ए. चार्ल्स		280
श्री तरित वरण तोपदार		281
प्रो. रासा सिंह रावत		281
श्री पीयूष तीरकी		281
श्री जी. वेंकट स्वामी		281—282

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 की लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

पृष्ठ/ कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(ii)	अंतिम	तपसा गगोई	तरूण गगोई
2	29	11.11 म.प.	11.11 म.पू.
3	24	11.12 म.प.	11.13 म.पू.
131	नीचे से चौथी	1382	1348
150	नीचे से दसवीं	मृत्यंजय	मृत्युन्जय

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 7, गुरूवार, 15 दिसम्बर, 1994/24 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	121—123	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21—39
तारांकित प्रश्न संख्या :	124—140	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1254—1399 और 1401—1437	39—238
चीनी आयात के संबंध में ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के बारे में		238—275
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		238—243
श्री विद्या चरण शुक्ल		239—240, 247, 249, 256—257, 259, 261—263, 265—267
श्री शरद यादव		243—248
श्री इन्द्रजीत गुप्त		248—251
श्री चन्द्र शेखर		251—253, 257—260
श्री जार्ज फर्नान्डीज		253—256, 259, 260
श्री सैफुद्दीन चौधरी		260—261, 263—264
श्री मणिशंकर अय्यर		263
श्री पी.जी. नारायणन		264—265
श्री हरि किशोर सिंह		265—268
श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे		270
श्री राम विलास पासवान		270—275
राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन मुम्बई स्थित कपड़ा मिलों के कामगारों को मजूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में		
श्री मोहन रावले		275—277
श्री शरद दिघे		277—278
श्री राम नाईक		278
श्री बसुदेव आचार्य		278—279
श्री चित्त बसु		279
श्रीमती सुमित्रा महाजन		279—280
कुमारी ममता बनर्जी		280
श्री सत्यनारायण जटिया		280
श्री ए. चार्ल्स		280
श्री तरित वरण तोपदार		281
प्रो. रासा सिंह रावत		281
श्री पीयूष तीरकी		281
श्री जी. वेंकट स्वामी		281—282

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	287—299
राज्य सभा से संदेश	299—300
विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित — **सभा पटल पर रखे गये**	300
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	300
प्राक्कलन समिति	
छियालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	300
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	300
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	301
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
नौवां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	301
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	301
संचार संबंधी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश–**प्रस्तुत**	301—302
गृह कार्य संबंधी समिति	
(एक) बारहवां, तेरहवां तथा चौदहवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखे गये**	302
(दो) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य–**सभा पटल पर रखा गया**	302
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना	
श्री अर्जुन सिंह	302—304
(दो) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ट्रालरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दिए जाने के विरोध में मछुआरों का आंदोलन	
श्री तसपा गगोई	304—306

लोक सभा

गुरूवार, 15 दिसम्बर, 1994/24, अग्रहायण 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एन.टी.सी. के कर्मचारियों को नवम्बर मास का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इसी सदन में पिछले 11 अगस्त को जब चर्चा हुई थी तो उस वक्त सरकार की ओर से कहा गया था कि राष्ट्रीयकरण के लिये बिल लाया जायेगा लेकिन आज मिल–मजदूर भूखे मर रहे हैं। उन्हें वेतन नहीं मिला है। ...**(व्यवधान)**

11.01 म.पू.

(इस समय श्री मोहन रावले सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं आपको अलाउ करूंगा, लेकिन पहले आप अपनी सीट पर जाईए। यदि आप यहां से बोलेंगे तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यहां से कुछ पूछेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको अलाउ करूंगा और जवाब देने के लिये भी कहूंगा लेकिन आप अपनी सीट पर जाईये। ऐसे नहीं होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा, मैं आपको अलाउ करूंगा, आप सुनिये, क्वैश्चन ऑवर के तुरन्त बाद मैं आपको अलाउ करूंगा। ऐसा मत करिये। यदि यहां से आप कुछ बोलेंगे तो वह रिकॉर्ड पर नहीं जायेगा। सही तरीके से बोलेंगे तो रिकॉर्ड पर जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप अपने स्थान से बोलिए। जो आप यहां से बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड मे नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपका एक भी वर्ड रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप बिना वजह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब यदि शून्य काल आरंभ हो ही गया है, तो हमें भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर चर्चा प्रश्न–काल के बाद करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चर्चा करने की अनुमति प्रश्न काल के बाद दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपमें से प्रत्येक सदस्य सभा की कार्यवाही चलाना चाहता है, तो आपकी मर्जी। आखिरकार यह आपकी सभा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कोई भी सदस्य यह नहीं कह रहा कि यह मामला महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्न काल के तत्काल बाद–श्री रावले, यह एक महत्वपूर्ण मामला है– मै आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा। मैं सरकार से भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहूंगा। परन्तु यदि आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। कृपया उस बात का उल्लेख मत दीजिए।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

11.11 म.प.

इस समय श्री रावले वापिस अपनी सीट पर चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका धन्यवाद। अब प्रश्न सं. 121 लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न काल में बाधा उत्पन्न करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन मैं यह स्पष्टीकरण लेने के लिए खड़ा हुआ हूं कि प्रश्न सूची में जिन मंत्रियों को उत्तर देना है, क्या वे अपने पद पर कायम हैं? क्योंकि हमें समाचार मिल रहे हैं कि मंत्री थोक से इस्तीफा दे रहे हैं तो सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्री ए.के. एंटनी ने इस्तीफा दे दिया है तो क्या उन्होंने सदन में वक्तव्य देने की अनुमति मांगी है? उन्होंने सदन के बाहर जो बाते कहीं हैं, उसके आधार पर तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता है।

श्री राम विलास पासवान : सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आपको जानकारी मिली है तो सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी भी आपकी जानकारी से ज्यादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने मंत्रियों के त्यागपत्र की वजह से प्रश्न काल को स्थगित करने का नोटिस दिया है क्योंकि एक संकट उत्पन्न हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने नोटिस दिया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : वास्तव में हो क्या रहा है। एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि वह भी उसमें संलिप्त हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्यारह और मंत्री त्यागपत्र देने जा रहे हैं। इसलिए यह एक गंभीर प्रश्न है जिसपर चर्चा होनी चाहिए और प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। सारा देश असमंजस में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 121 श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति। श्री मूर्ति .....अनुपस्थित। श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या।

11.13. म.प.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

तेल और गैस क्षेत्र

+

*121 **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए निजी कम्पनियों के साथ किन्हीं करारों पर हस्ताक्षर किये है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस समय कितने करार किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कुल कितने करारों पर हस्ताक्षर किए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

सरकार ने गुजरात में हाजिरा, कैम्बे, भंदूत, मतार एवं साबरमती जैसे 5 छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (जी.एस.पी.सी.एल), अहमदाबाद तथा निको रिसोर्सेज, कनाडा के परिसंघ के साथ 23 सितम्बर, 1994 को संविदाओं पर हस्ताक्षर किया है। इन क्षेत्रों को कंपनियों द्वारा भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत स्वयं विकसित किया जाएगा तथा इसमें ओ एन जी सी/आयल इंडिया लि. भाग नहीं लेंगी।

कंपनियों को रायलटी तथा उपकर जैसे सांविधिक उदग्रहणों का भुगतान करना होगा। कंपनी के हिस्से के तेल के लिए भुगतान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पर किया जाएगा।

उपर्युक्त 5 संविदाओं के अतिरिक्त, सरकार ने आठ और छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए संविदाएं देने को अनुमोदन दिया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजी लि., नई दिल्ली	इन्द्रोरा, बकरोल तथा लोहर
लार्सन एण्ड टुब्रो, बम्बई–जोशी टेक्नोलाजीज यू एस ए	धोलका और वैवेल
इंटरलिंक पेट्रोलियम, बड़ौदा	बओला
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन (एच ओ ई सी) बड़ौदा –मासवैचर एनर्जी कंपनी –यू एस ए, पेट्रोडायन इंक, यू एस ए	पी वाय–1
एच.ओ.ई.सी, बडौदा–पेट्रोडायन इंक, यू एस ए जी.एस.पी.सी.एल– अहमदाबाद	असजोल

उपर्युक्त 5 छोटे आकार के क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्यम आकार के क्षेत्र अर्थात कृष्णा–गोदावरी बेसिन में राव्वा क्षेत्र के विकास के लिए भी संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारत सरकार और कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, वीडियोकान पेट्रोलियम, भारत तथा रव्वा आयल (सिंगापुर) पी टी ई, लिमिटेड, सिंगापुर के मध्य है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार उन सभी क्षेत्रों को तेल की खोज के लिए खोलने का है जिन्हें सुरक्षा कारणों से पहले नहीं खोला गया था। यदि हां, तो ऐसे कितने क्षेत्रों को यथाशीघ्र खोले जाने की संभावना है?

एक और बात जो मैं जानना चाहूंगा, वह उन कुओं से संबंधित है जिन्हें खाली कर दिया गया है। क्या सरकार ने नई प्रणालियों को अपनाने की योजना बनाई है जिनसे देश में कच्चे तेल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि होगी। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि तीन वर्ष के अन्दर इसका उत्पादन गत वर्ष से 60 प्रतिशत अधिक बढ़ जाएगा।

मैं यह जानना चाहूंगा कि वह उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। यदि वह इस संबंध में कुछ जानकारी दे सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, हमें अपेक्षित सुरक्षा क्लीयरेंस लेनी होती है और वह सुरक्षा क्लीयरेंस लेने के पश्चात् ही उन क्षेत्रों को, विशेषतः जहां बाह्य निवेशक तथा विदेशी कंपनियां शामिल होती हैं, खोज या उत्पादन के लिए खोला जा सकता है।

प्रश्न का दूसरा भाग है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बाम्बे हाई, जो कि हमारा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, वहां पर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, फिर ई.ओ.आर., अर्थात इनहान्सड आयल रिकवरी प्रपोजल है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। पांच कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई है जिससे बाम्बे हाई में हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इससे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, अन्य तेल क्षेत्रों के लिए भी हम देख रहे हैं कि ई.ओ.आर तकनीक तथा अन्य प्रौद्योगिकी जैसे हारिजन्टल ड्रिलिंग यहां आए जिससे हम यह देख सकें कि हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं।

जहां तक 60 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में प्रश्न के तीसरे भाग का संबंध है, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस वर्ष यह वृद्धि 50 लाख टन की होगी। इसका मतलब है कि पिछले वर्ष के 270 लाख टन के उत्पादन के मुकाबले अगले वर्ष उत्पादन 320 लाख टन तक पहुंच जाएगा। ऐसी संभावना है कि यह वृद्धि 380 लाख टन तक हो जाएगी तथा वर्ष 1997 तक तेल का उत्पादन 445 लाख टन तक पहुंच जाएगा। यह स्थिति है।

पी बोल्ला बुल्ली रामय्या : अध्यक्ष महोदय, आठवीं योजना के अनुसार, मंत्री महोदय के कथानुसार, वर्ष 1997 तक उत्पादन 445 लाख टन पहुंच जाएगा। यदि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सब कुछ हमारे देश के भीतर ही कर रही है अथवा सीमाओं के आसपास के देशों में भी कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और गुजरात में विकास के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000 तक कुल कितनी मात्रा में तेल उत्पादन की संभावना है, कितना हम आयात कर सकेंगे तथा कितने तेल का हम अपने देश में उत्पादन कर सकेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस देश में गोताखोर तकनीशियनों की भारी कमी है। हम विदेशों पर अधिक निर्भर करते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास कोई प्रशिक्षण स्कूल हैं जिससे कि हम उन्हें देश में ही प्रशिक्षण दे सकें।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, तेल की खोज और उत्पादन संबंधी नीति यह है कि भारत को विश्वव्यापी स्तर पर तेल में अपना उचित हिस्सा मिले। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व स्तर पर तेल में भारत को उचित हिस्सा मिलना ही चाहिए। अतः हम देश के भीतर तथा देश के बाहर तेल की खोज कर रहे हैं। हम देश के बाहर तेल का उत्पादन करने के तरीके खोज रहे है और उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में वियतनाम एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां के सीमावर्ती क्षेत्र मे ओ.एन.जी.सी. विदेश ने तेल की खोज का कार्य आरंभ किया। मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वियतनाम में हमें प्राकृतिक गैस मिली है। इस संबंध में इस समय व्यावसायिक दृष्टि से अध्ययन चल रहा है। इसी प्रकार, मिस्र में हमने एक ब्लाक को लिया है। यमन के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अपने देश में तेल और गैस खोजने के अतिरिक्त विदेशों में भी कई स्थानों पर हम तेल की खोज कर रहे हैं ताकि हम इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

आप प्रमुख कंपनियों को देखें, चाहें यह ब्रिटिश पेट्रोलियम हो या ब्रिटिश गैस, विश्व की सभी प्रमुख कंपनियां इसके लिए न केवल अपने क्षेत्र में खोजबीन कर रही हैं परन्तु समूचे विश्व में इसके लिए खोजबीन कर रही हैं। इसलिए बात यह है कि भारत को तेल तथा गैस में यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए हम यह नीति अपना रहे हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : महोदय, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण के सम्बन्ध में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। क्या यह सत्य है कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को दक्षिण तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के पेरूंगुलम गांव में नए गैस क्षेत्र मिले हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को और कुएं खोदने का निदेश देंगे ताकि पता लगाई गई गैस को संचित किया जा सके?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं माननीय सदस्य तथा सभा को यह बताना चाहूंगा कि जहां कहीं और जब कभी हमें हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति का पता चलता है, चाहे यह गैस के रूप में हो या कच्चे तेल के रूप में, अगला उचित कदम यह होता है कि कुएं खोदे जाएं जिससे यह पता लगाने के लिए क्षेत्र का विश्लेषण किया जा सके कि वहां मौजूद गैस तथा तेल की मात्रा कितनी है। जहां कहीं भी ऐसा होता है, यह परियोजना स्वतः शुरू कर दी जाती है। वहां और अधिक कुएं खोदे जाते हैं। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां भण्डार कितना बड़ा है या उस क्षेत्र में कितनी मात्रा उपलब्ध है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यह कार्य जारी रहेगा।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या यह सत्य है कि पेरूंगुलम गांव में गैस का पता चला है?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, तेल निकालने *में विदेशी कंपनियों को शामिल करना कुछ हद तक अपरिहार्य है।* तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने हजारों करोड रुपये निवेश किए हैं तथा खर्च किए हैं, और अनेक वर्षों पश्चात् काफी प्रयासों के बाद कुछ तेल क्षेत्रों तथा कुछ गैस क्षेत्रों की पहचान की गई है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार तथा मंत्रालय द्वारा ऐसे नए क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों को क्यों नहीं आवंटित किया जाता जिनकी अभी खुदाई नहीं की गई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और विभिन्न भारतीय कंपनियां, जनता से इश्यू जारी करके तथा 1:4 के अनुपात में इक्विटी प्राप्त करके तेल निकालने तथा कुओं की खुदाई का कार्य क्यों नहीं करती? इससे तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और अन्य तेल कंपनियां वह तेल निकालने की स्थिति में होंगी जिसका हमने अपने प्रयासों से पता लगाया है। सरकार, तेल के कीमती संसाधनों को जुटाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तेल निकालने का कार्य देने तथा स्वयं को केवल उन नए क्षेत्रों तक सीमित रखने, जिनकी अभी खोज भी नहीं की गई है, की नीति पर पुनर्विचार क्यों नहीं करती है? मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मेरे विचार से माननीय सदस्य पता लगाए गए उन तेल क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिन्हें विगत में हमने भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को दे दिया है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 1992 में जब यह निर्णय लिया गया था, उस समय हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार बहुत कम था या विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी। उनमें से हमारे पास कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका हमने 10 या 12 वर्ष पहले पता लगाया था या खोज की थी और इतने वर्षों तक ये बेकार पड़े रहे। वहां तेल था, परन्तु उसका दोहन नहीं किया जा सका क्योंकि एक तो संसाधनों की कमी थी और दूसरे तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम अपने पास उपलब्ध समस्त पूंजी से दूसरी परियोजनाओं में लगा था जिन्हें वह अधिक महत्वपूर्ण समझता था। इसलिए, चूंकि उस समय देश तेल की कमी का सामना कर रहा था तथा आयात बिल पर स्वदेशी मुद्रा बचाने के लिए, यथासंभव शीघ्र समय में तेल निकालने के लिए यह सुनिश्चित करने के बाद कि (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम 40 प्रतिशत का हिस्सेदार होगा, तथा (ख) हमें ठीक प्रौद्योगिकी मिले और उत्पादन लागत उससे भी कम हो जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को खर्च करनी पड़ती है, हमने इनमें से कुछ क्षेत्रों को देने का निर्णय लिया। इसलिए, इन सभी कारणों पर विचार करने के पश्चात् हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और देश के सर्वाधिक हित में यह शुरूआत की।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : परन्तु हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर खरीदना पड़ा था।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : वाणिज्यिक रूप से देखें तो अब भी ऐसा ही है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हिस्सेदार है, जैसे पुन्ना–मुक्ता, ताप्ती तथा रावा, मैं यह कहूंगा कि जितना निवेश उस समय अपेक्षित था या जितना अब भी अपेक्षित है जब वे इन क्षेत्रों में कार्य करना शुरू करते हैं, एक बिलियन डालर से भी अधिक है। परन्तु हम उन्हें दे क्या रहे हैं? हम उन्हें केवल 10 से 18 प्रतिशत के बीच दे रहे हैं। वही उनका लाभांश है। कुछ मामलों में शेष 90 प्रतिशत या अन्य मामलों में इससे कुछ कम उस कंपनी तथा हमारे देश को संयुक्त मिल रहा है। इसलिए यह हमारे सर्वाधिक हित में है। भारत कोई अकेला देश नहीं है जो ऐसा कर रहा है। यह अर्जेन्टीना, रूस, चीन तथा हर जगह एक नियमित कार्यक्रम के रूप *में किया जा रहा है। यह इन कंपनियों को आकर्षित करने की* योजना का अंग है जो पहले खोजे गए तेल क्षेत्रों में कार्य करेंगी और उसके बाद, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा भविष्य में तेल निकालने वाली परियोजनाओं पर कार्य करेंगी। ऐसा पहले हो चुका है। इनमें से इनसेन; कमाण्ड पेट्रोलियम जैसी कुछ कंपनियां तथा वीडियोकॉन या रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां खोजे गए तेल कार्यक्रम से गवेषणा के कार्यक्रम पर लग गई हैं, जो कि प्रमुख क्षेत्र है और ये वहां काफी मात्रा में निवेश कर रही हैं। भण्डारों से तेल निकालना देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हमें घरेलू कंपनियां भी चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी चाहिए। कुल भण्डार में पता लगाए गए तेल क्षेत्र बहुत सीमित हैं। यह कुल भण्डार का केवल पांच प्रतिशत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निवेश तेल निकालने के क्षेत्र में किया जाए ताकि हमें देश के लिए नया तेल मिल सके, एक दूसरा बाम्बे हाई मिल सके और भण्डारों से अधिक तेल निकाला जा सके । देश के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम इसे इस प्रकार स्पष्ट करेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में 14 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। अब जहां तक मुझे ठीक से याद है, हमने सात बार अन्तर्राष्ट्रीय बोलियां दी थीं जिनमें मैं समझता हूं कि लगभग 50 से 60 तक विभिन्न ब्लाक या क्षेत्र शामिल थे। अब मैं माननीय मंत्री से इस बात के बारे में उत्तर देने में देरी के कारणों के बारे में जानना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में जिन ब्लाकों की हमने पेशकश की थी उसके सम्बन्ध में क्या हुआ क्योंकि इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ भी नहीं बताया।

दूसरे, उन्होंने कहा है कि पहले पांच क्षेत्र उत्पादन में सहभागिता के आधार पर होंगे। परन्तु आठ अन्य अधिक छोटे क्षेत्रों के सम्बन्ध में उन्होंने यह नहीं बताया कि ठेके किस प्रकार के होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह भी उत्पादन में सहभागिता के आधार पर होंगे तथा सर्विस कन्ट्रक्ट नहीं होंगे।

इसलिए, पहले वे क्षेत्र हैं जिनकी हमने पेशकश की है तथा जिसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला है तथा उसके क्या कारण हैं, तथा उन क्षेत्रों से, जिनका अब ठेका दे दिया गया है, कब तेल निकलना शुरू होगा?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने पांचवे और छठे दौर का उल्लेख किया है। वह निरन्तर तेल निकालने के लिए बोली देने का दौर था। यहां जिस विषय पर चर्चा की जा रही है वह तेल निकालने से सम्बन्धित नहीं है। यह मुख्यतया खोजे गए तेल क्षेत्रों पर केन्द्रित है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, जो छोटे क्षेत्रों से सम्बन्धित है, तथा इस बात से सम्बन्धित है कि ठेका किस प्रकार का है हमने उन खोजे गए तेल क्षेत्रों की बजाए जिनके लिए मैंने कहा कि खोजे गए तेल क्षेत्रों के लिए निवेश बिलियन डालर से अधिक है, छोटे क्षेत्रों पर ध्यान दिया है

यहां छोटे क्षेत्र इतने छोटे हैं कि वे वास्तव में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इण्डिया लि. जैसी कंपनियों द्वारा लिए जाने हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। इसीलिए उन्हें स्वयं कार्य करने को छोड़ दिया गया है। गुजरात सरकार की सरकारी क्षेत्र की कंपनी तथा कुछ अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने स्वयं यह कार्य करना है।

इन छोटे क्षेत्रों में मध्यम आकार के क्षेत्रों की तरह संयुक्त सह–भागिता नहीं होती है। ये बहुत छोटे हैं। जोखिम उन कंपनियों को उठाना होगा जो छोटे क्षेत्रों से स्वयं खुद छोटी मात्रा में गैस तथा कच्चा तेल–जहां कहीं हो–उत्पादित करेंगी। मध्यम आकार की उन कंपनियों की तरह, जिनका मैंने उल्लेख किया है जो संयुक्त उद्यम हैं– तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और अन्य कंपनियों के अलावा यह कोई संयुक्त उद्यम नहीं है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

\+

*122 **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे कोयले का कुल उत्पादन और उसकी आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में कोयले की कितनी मांग खुली कोयला खानों से और कितनी भूमिगत कोयला खानों से पूरी होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख). वर्ष 1993–94 के लिए योजना आयोग द्वारा कोयले की कुल मांग (आयात सहित) 268.80 मिलियन टन का मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 1993–94 के दौरान देश में कोयले का वास्तविक उत्पादन 246.04 मिलियन टन हुआ है। देशीय स्रोतों से की गई कोयले की आपूर्ति को नीचे दिया गया है :

देश में ओपनकास्ट खानों से हुआ उत्पादन	169.60 मि.टन
देश में भूमिगत खानों से हुआ उत्पादन	76.44 मि.टन
पिट–हैड स्टाक से निकासी	0.41 मि.टन
देशीय स्रोतों से की गई कोयले की कुल आपूर्ति	246.45 मि.टन

(ग) और (घ). कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए, कोयले का ग्रहीत खनन किए जाने, किसी खान से प्राप्त हुए कोयले की धुलाई करने तथा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य उपयोगों तक ही सीमित है। यह लौह तथा इस्पात के उत्पादन में नियोजित किसी निजी कंपनी द्वारा कोयला खनन की अनुमति दिए जाने के पूर्ववर्ती विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि योजना आयोग द्वारा कोयले की कुल मांग 268.80 मिलियन टन आंकी गई है और इसकी पूर्ति ओपन कास्ट खानों से 169.60 मिलियन टन, देश की भूमिगत खानों से 76.44 मिलियन टन, फिट–हैंड स्टाक से निकासी 0.41 मिलियन टन हुई है। यह देशीय स्रोतों से कोयले की कुल आपूर्ति है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत में जो शेष भाग कोयले का आयात किया जाता है, वह किन–किन देशों से और कितनी मात्रा में किया जाता है? मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, 1993–94 में 1458 करोड़ रुपये की लागत पर 7.39 मिलियन टन आयात किया गया। यह आयात श्री लंका, नार्वे, यू.के., जापान, इंडोनेशिया, पौलेण्ड, चीन, आस्ट्रेलिया, और रूस से किया गया।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कोयला हमारे देश में ऊर्जा का स्रोत है। उद्योगों और विद्युत के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1994–95 में कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया तथा उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या इसकी पूर्ति के लिये हम अपने देश के स्रोतों से उसकी पूर्ति कर सकेंगे? कोयले का विदेशों से आयात न करना पड़े, अतः इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय 1994–95 के लिए लक्ष्य 268.58 मिलियन टन का है जिसमें कोल इण्डिया का हिस्सा 222 मिलियन टन का होगा। कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेषतौर पर भूमिगत कोयला खानों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करने सहित अनेक उपाय किए गए हैं। हम लोग सीधे विद्युत केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि विद्युत आपूर्ति में हमें काफी बाधा हुई है। अनेक प्रकार के अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के ग भाग में यह पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार प्राईवेट सैक्टर में माइनिंग के लिए कोई छूट देने का है? इसका कोई स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं दिया गया है। 1973 के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कैप्टिव माइनिंग किन–किन के लिए किया जायेगा जैसे पावर वाशिंग ऑफ कोल और स्टील एंड

आइरन इंडस्ट्री। मान्यवर, आज देश का कोयला उद्योग प्रमुख उद्योग है, जिसमें अवैध खनन और पुरानी टैक्नोलॉजी है। इसीलिए अब विदेशों से जो कोयले का गुणवत्ता के आधार पर इम्पोर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण यह उद्योग भयंकर संकट में फंस गया है। इस उद्योग में अनिश्चितता की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का क भाग हैं कि क्या सरकार अपनी 1973 की नीति में कोई परिवर्तन करने जा रही है जिसके माध्यम से निजी उद्योगों को कोयले के खनन में लगाने का कोई विचार है और दूसरा, क्या सरकार खानों को यंत्रीकृत करके तेजी से उत्पादन वृद्धि करने के लिए और कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के पहलू को ध्यान में लेते हुए क्या कोई स्पष्ट कोयला नीति बनाने की सरकार की मंशा है जिससे कोयला उद्योग पर पड़े संकट को समाप्त किया जा सके और देश में कोयले का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप हो और विदेशों से हमें कोयला आयात पर निर्भर न रहना पड़े।

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, सभा को स्मरण होगा कि कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में इसी संसद द्वारा संशोधन किया गया था ताकि सरकार विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से रक्षित खानों को निजी क्षेत्रों को दे सके। इसके पहले नीति तथा अधिनियम में सिर्फ इस्पात और लोहे के लिए ही व्यवस्था थी। इसमें विद्युत को शामिल किया गया। परन्तु उस संशोधन विशेष में ऐसा भी उपबंध है कि सरकार रक्षित खानों के लिए किसी भी उद्योग को अधिसूचित कर सकती है जो हमने अब तक नहीं किया है। उसी नीति के तहत हम पहले ही रक्षित खानों के लिए 14 खंडों की पहचान और उसे किसी निजी क्षेत्र को आवंटित कर चुके हैं तथा इन 14 खानों की क्षमता 20 से 22 मिलियन टन है। उस क्षेत्र में हम 2000 करोड़ रु. के निवेश की आशा करते हैं तथा इससे 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाएगी।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपेक्षित गुणवत्ता के कोयले का उत्पादन आवश्यकता से सिर्फ 22.35 मिलियन टन कम करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या देश मे उत्पन्न कोयले की गुणवत्ता और आयातित कोयले की गुणवत्ता में काफी अन्तर है। अपने देश की एक प्रसिद्ध कंपनी से मुझे पता चला है कि वे अपनी सप्लाई से अपेक्षित मात्रा में कोयले की सप्लाई करने को तैयार हैं परन्तु उन्हें कुछ हद तक आयातित कोयले पर भी निर्भर करना पड़ता है क्योंकि कुछ संवेदनशील मशीनों को उनकी शुद्ध गुणवत्ता के कोयले की आवश्यकता होती है।

महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगी कि क्या देशी कोयले के उत्पादन पर कोई प्रतिबंध है।

श्री पी.ए. संगमा : जहां तक आयात का संबंध है आयात का प्रमुख हिस्सा कोकिंग कोल, का होता है जो इस्पात संयंत्रों के लिए जरूरी होता है। हमारे यहां कोकिंग कोल का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है और इसीलिए हमें इसका आयात करना पड़ता है। मै नहीं समझता कि आयातित कोकिंग कोल और देश में उत्पादित कोकिंग कोल में कोई अन्तर है क्योंकि देश में उत्पादित कोकिंग कोल को शोधन प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है।

जहां एक गैर कोकिंग कोल के आयात का संबंध है उसका काफी कम मात्रा में आयात किया जाता है। पिछले वर्ष सिर्फ 0.40 मिलियन टन गैर कोकिंग कोल तमिलनाडु सरकार द्वारा आयात किया गया । आयात की मात्रा काफी कम थी। देश में उत्पादित गैर कोकिंग कोल और आयातित गैर कोकिंग कोल के बीच तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम वास्तव में ऐसा कोयला आयात नहीं करते। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : माइक के लिए दबाना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दबाने की बात नहीं है। मुझे तो पूरे सिस्टम से ही आपत्ति है। ऐसा लग रहा है, जैसे कि हम कोई गन्ने के खेते में, जो सूखा हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं। लोगों के चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको कोई दूसरी व्यवस्था निकालनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : अभी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने दुनिया के कई संसद भवनों को देखा है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताये, यह वर्ल्ड बैंक की कौन सी योजना है, जिसका नाम है कोल सैक्टर रिहैबिलिटेशन, जो इस देश मे आपने लाई है, जिससे 6000 करोड़ रुपए का इन्वैस्टमेंट होना है? इसमें वर्ल्ड बैंक का इन्वैस्टमेंट मात्र 1,280 करोड़ रु. और कोल इंडिया का इन्वैस्टमेंट 3000 करोड़ रु होना है। भारत सरकार को कर्ज के तौर पर लगभग सात–आठ सौ करोड़ और 1700 करोड़ रुपया बाजार में जाकर आपको लेना है। वर्ल्ड बैंक की योजना बन जाती है और वर्ल्ड बैंक के आबजैक्टिव्ज में, जो कि रिफार्म्स से जुड़ा हुआ है, लिखा है –

[अनुवाद]

इनमें से कुछ सुधार, जैसे खान बंद करना तथा खान मजदूरों की छंटनी करना, काफी मंहगे हैं।

[हिन्दी]

यह वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उनका योगदान है 1,200 करोड़ का और बाकी योगदान अपने देश के लोगों का है। माइन्स का करने के लिए वर्ल्ड बैंक का सहारा लेकर आपने निजीकरण का जिक्र किया है और फिर वहां से विदेशीकरण की साजिश है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या यह जानकारी इस सदन को देंगे, क्योंकि यह योजना इसी महीने अमल में आनी है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज में लिखा है?

[अनुवाद]

श्री पी.ए. संगमा : फिलहाल हमारे पास विश्व बैंक की काफी कम परियोजनाएं हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में सोनपुरबजार...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं किसी परियोजना–विशेष के बारे में पूछ रहा हूं। इस परियोजना की संख्या है 8-इन्डपा-394 परियोजना का नाम है– "कोयला क्षेत्र पुनर्वास"। क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया। यह भी उल्लेख

किया जाता है कि कोई भी जो कि अतिरिक्त जानकारी के लिए वर्ल्ड बैंक के पब्लिक इन्फार्मेशन सेन्टर 18–18 एफ 3 स्ट्रीट में वाशिंगटन डीसी को लिख सकता है...

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या पढ़ रहे है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको सब कुछ पता है। यह आपके पास है। मैं इस प्रस्ताव के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं जो 40 खानों से संबंधित है तथा जो अन्य बातों के अलावा इनके बन्द होने और छटनी करने के सम्बन्ध में है।

श्री पी.ए. संगमा : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे आश्चर्य है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। यह परियोजना 8 मार्च 1994 को तैयार की गई थी। संभावित मूल्यांकन की तारीख जुलाई, 1994 थी तथा संभावित बोर्ड की तारीख दिसम्बर 1994 थी और मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें परियोजना की जानकारी नहीं है।

श्री पी.ए. संगमा : मुख्य प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है। वह एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं जिसकी जानकारी मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम सामान्य से विशेष प्रश्न की ओर जा रहे हैं।...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, हां। महोदय, मेरा एक विशेष प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सामान्य है और अनुपूरक प्रश्न विशेष है। मंत्री महोदय माननीय सदस्य को लिखित रूप में उत्तर भेज सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कोल इंडिया की पूंजी 1000 करोड रु. की है। आपकी 4000 करोड रुपये की परियोजना है और वह कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है प्रत्येक परियोजना की जानकारी मंत्री महोदय के पास इस समय उपलब्ध न हो।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह हम लोगों के साथ सदन के साथ और देश के साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि आप मजदूरों को खत्म करने के लिए निकले हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। हम अगले प्रश्न को लेंगे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

+

*123. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) कुल प्राधिकृत पूंजी की तुलना में केन्द्रीय आवंटन कितना है;

(ग) बकाया धनराशि किस प्रकार जुटाई जाएगी;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी तंग्का बालू) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का एक सयुक्त उपक्रम है। केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 125 करोड़ रुपए का आबंटन किया है तथा 1994–95 के दौरान 50 करोड़ रूपए की राशि निगम को उपलब्ध करा दी है। इस निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए है।

शेष शेयरधारण राज्य सरकारों/निगमों तथा अन्य संस्थानों और अल्पसंख्यकों के विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का होगा।

कल्याण मंत्री जी ने 5 प्रतिशत या अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध करते हुए उन्हें पत्र लिखा है कि वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में निवेश करें। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपने–अपने अल्पसंख्यक निगमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की इक्विटी में निवेश के लिए प्राधिकृत करने हेतु सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित किए जा सकने वाले आवधिक ऋण तथा सीमान्त धनराशि ऋण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि माइनोरिटिज डेवेलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन के लिए 500 करोड रुपया रखा गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 125 करोड रुपया सिर्फ देना है बाकी स्टेट गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस को देना है। सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि सिर्फ चार राज्यों ने, जिसमें बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं उन्होंने अपना योगदान देने की स्वीकृति दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने स्वीकृति नहीं दी है तो वहां जो माइनोरिटिज के लोग हैं उनके हित की रक्षा कैसे होगी। बी पार्ट में मुझे यह कहना है कि जब शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवेलपमेंट एंड फाइनेंशियल कार्पोरेशन है और बैकवर्ड क्लासिस फाइनेंशियल कार्पोरेशन भी सरकार ने बनाया है तो शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासिस के लिए पूरे का पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है तो फिर माइनोरिटिज के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है और जो राज्य सरकारें पैसा नहीं देंगी उन राज्यों में माइनोरिटिज के हितों की रक्षा कैसे हो पाएगी, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 125 करोड़ रु. का आबंटन किया है। माननीय सदस्य ने यह ठीक ही पूछा है कि जो राज्य इस निगम को धन नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें राशि मिलेगी या नहीं।

महोदय, सभी राज्य सरकारों से अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया है और इस उपक्रम में चाहे वे कोई योगदान दें या नहीं, उन्हें निश्चित रूप से इस निगम से लाभ मिलेगा।

श्री राम विलास पासवान : कैसे?

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, यह एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है जिसका केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। सबसे पहले चार राज्य सरकारें इस संयुक्त उपक्रम के लिए आगे आईं। हमने सभी अन्य राज्य सरकारों से भी इसमें भाग लेने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ हमने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि वे उसमें भाग लेने के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण और लाभ के लिए अपने प्रस्ताव भेज दें। ज्यों ही राज्य सरकारों के प्रस्ताव हमें प्राप्त होंगे, हम निश्चित रूप से उन चार राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों की सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, अपने बी पार्ट में मैंने यह कहा है कि जब एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड कार्पोरेशन को सरकार फाइनेंस कर रही है पूरा का पूरा पैसा दे रही है तो फिर माइनोरिटिज के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, इस समय केन्द्र ने इस निगम के लिए शेयर पूंजी के रूप में 125 करोड़ रु. आबंटन किया है। केन्द्र सरकार 25 प्रतिशत शेयर पूंजी का योगदान दे रही है और मैं राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें 26 प्रतिशत का योगदान करें।

महोदय, हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी इस संयुक्त उपक्रम बनाने में अल्पसंख्यकों के विकास में अपना योगदान दें। राज्यों का इसमें योगदान बहुत आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप तीसरा बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, वह पहले का ए और बी था। मेरा दूसरा सवाल यह है कि कार्पोरेशन से सेटअप होने के बाद बतला सकते हैं कि अभी तक कितने लोगों को आपने लोन दिया है और क्या यह बात भी सही है कि जो आपका आलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड् ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासिस कार्पोरेशन है उसमें पैसे की इतनी कमी है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है तो क्या उसी तरह की व्यवस्था आप माइनोरिटीज कार्पोरेशन को भी करने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो अभी तक कितने लोगों को...

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निगम तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए निगम वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के संबंध में तीन राज्य निगमों से अभी तक हमें 43 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके नाम हैं– केरल राज्य महिला विकास निगम, दूसरा–आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक और वित्त विकास निगम तीसरा है–कर्नाटक अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। उन्होंने 9.21 करोड़ रु. के 43 प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव लगभग 10,000 लाभार्थियों के लिए दिए हैं। हमें ये प्रस्ताव 12.12.94 को प्राप्त हुए और हम यथाशीघ्र इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी।

डा. मुमताज अंसारी : कृपया, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इस प्रकार पुकारना बन्द करें। आप एक प्रोफेसर हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का स्वागत करती हूं, जो कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। परन्तु प्रश्न यह है कि केवल चार राज्य इस संयुक्त उपक्रम के लिए सहमत हुए है। आप इस बात को समझेंगे कि जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, वे हमारे देश में एक अपेक्षित श्रेणी है। जब उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता तो वे अपमान महसूस करते हैं। सरकार के पास अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधारित राशि का राज्य सरकारों द्वारा उचित उपयोग नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाएंगे ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो राशि केन्द्र द्वारा दी जाती है, उसका उनकी शिक्षा या सामाजिक विकास पर उचित उपयोग किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : एक संयुक्त उपक्रम होने के कारण इसका इस प्रश्न से संबंध है। हम संयुक्त उपक्रम का स्वागत करते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि केवल चार राज्यों ने ही इसमें भाग लिया है। इसी प्रकार सरकार का 15-सूत्रीय कार्यक्रम भी सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक प्रगति करें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाएं ताकि इस संयुक्त उपक्रम में वे भी तत्काल हिस्सा ले सकें।

श्री के.वी. तंग्का बालू : आरम्भ में, केवल चार राज्यों ने पहल करके इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। यह एक नया उपक्रम है। हमने सभी मुख्यमंत्रियों से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि आप इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाने वाले हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : जी हां, महोदय, हम इस मामले को अन्य राज्य सरकारों के साथ उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्सारी, अब मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, परन्तु यदि आप इसी प्रकार बोलते रहेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

डा. मुमताज अन्सारी : महोदय, सत्ताधारी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि राज्य सरकार के पास अनुपयुक्त राशि बची है, यह बात निराधार और झूठी है क्योंकि धन की अत्यन्त कमी है। शुरू में ही प्रधान मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 500 करोड़ रु. का आबंटन किया जाएगा, परन्तु हमें यह देखकर बड़ी हैरानी और निराशा हुई कि इस निगम को केवल 50 करोड़ रु. का ही आंबटन किया गया। इसके अतिरिक्त अभी तक अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम या निदेशक मंडल का गठन नहीं किया गया है। इस निगम के लिए एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र द्वारा आबंटित की गई राशि कहां गई।

दूसरा, ऐसा प्रावधान है कि जिस राज्य में उन अल्पसंख्यक की संख्या 5 प्रतिशत है वहां राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी समयावधि के अन्दर ऐसे सभी राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम स्थापित किए जाएंगे और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, हम अपने वायदे से पीछे नहीं हट रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि प्राधिकृत शेयर पूंजी के रूप में 500 करोड़ रु. की राशि इस निगम को आंबटित की जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 125 करोड़ रु. आंबटित किए हैं।

डा. मुमताज अन्सारी : महोदय, यह तो पुनरावृत्ति है। उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : इस वर्ष में सरकार ने इस निगम को 50 करोड़ रु. आंबटित किए हैं। आने वाले वर्षों में सरकार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए वायदे को निश्चित रूप से पूरा करेगी। उस बात से पीछे नहीं हटेंगे।

जहां तक अन्य राज्य सरकारों का संबंध है, हम उन्हें इस संयुक्त उपक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजी कर रहे हैं, और हम ऐसा करते रहेंगे। हम देखेंगे कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक–आर्थिक विकास में उनका उचित हिस्सा मिले।

डा. मुमताज अन्सारी : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा पंजीकृत या प्राधिकृत पूंजी के बारे में बिल्कुल नहीं थी। वह घोषणा जमा पूंजी के बारे में थी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।...**व्यवधान***

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग ए के उत्तर में कंपोजीशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यह इसके अंदर कमी है। कार्पोरेशन के अंदर और भी कई कमियां हैं, जिनके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन मैं इस समय उसमें नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि जहां पर 5 परसेंट अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए इक्विटी पार्टीसिपेशन की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अन्य जगहों के बारे में क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या सरकार के पास इक्विटी पार्टीसिपेशन के साथ–साथ बांड जारी करने का भी कोई प्रपोजल है?

आपके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि प्लांड पैसे से आपने 50 करोड़ रुपया दिया है। अभी तक आपने नहीं बताया कि कौन सी कोर्पोरेशन, कौन सी सरकार ने कितना पैसा ऐसे जमा किया है, ये फिगर्स आपके पास नहीं है। इस वास्ते अगर केपिटल कोलेक्ट करना है तो क्या आप जनता के पास इक्विटी पार्टीसिपेशन के लिए जा रहे हैं और क्या आप अल्पसंख्यकों और दूसरे वर्गों के लिए कुछ खास बोन्ड निकालेंगे? जैसा प्रधान मंत्री जी ने अभी नारी समृद्धि योजना के लिए 25 प्रतिशत बताया है और आप 25 प्रतिशत ब्याज देकर उनसे ले लें तो थोड़ा पैसा भी इधर आ जायेगा, ऐसा कोई प्रपोजल क्या आपके पास है?

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, यह एक नया स्थापित किया गया निगम है। हमने हाल ही में इस निगम की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केन्द्र सरकार का इसमें 25 प्रतिशत योगदान होगा और राज्य सरकारों का 26 प्रतिशत योगदान होगा। ऐसा प्रावधान भी है कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं जो इस उपक्रम में भाग लेना चाहें, वे इसमें भाग ले सकते हैं। इस समय सरकार का बांड जारी करने का कोई विचार नहीं है। इस समय हम इस निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों की सहायता करने की स्थिति में हैं। हमने राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे अनेक उपक्रमों के लिए अपने प्रस्ताव भेजे और जैसे ही हमें उनके प्रस्ताव प्राप्त होंगे हम उन पर विचार करेंगे। ऐसी कोई सीमा नहीं है कि 5 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले राज्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। हमने ऐसी कोई सीमा नहीं रखी है। इसके साथ ही हम राज्य सरकारों से इसमें भाग लेने के लिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उन राज्यों के लोगों को सहायता मिलेगी। ऐसे राज्य जो इसमें भाग न भी ले रहे हैं, यदि वहां पर अल्पसंख्यक हैं तो हम उनकी सहायता करेंगे।

---

* कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं चाहता था कि माननीय कल्याण मंत्री ो स्वयं इसका जवाब दें। मुझे आश्चर्य है कि जब सवाल आने ला था, तो वे सदन से खिसक गए। यह तो एक आपत्ति है। ापको इसे जानना चाहिए। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि कई ज्यों ने जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक ने जो समें अपनी सहमति दी है वह कब दी थी, उसको कितना समय आ है, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? क्या बिहार सरकार ने सके लिए आपसे अनुदान मांगा था, मांगा था तो कितना मांगा था ार नही मांगा था तो स्पष्ट होना चाहिए। अगर मांगा तो आपने ितना दिया और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, जिद मत कीजिए।

अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, बिहार सरकार ने इस संयुक्त पक्रम में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने केन्द्र रकार को यह आश्वासन भी दिया था कि वे सबसे पहले अवसर ते ही इसमें 5 करोड़ रु. की इक्विटी पूंजी देंगे। परंतु अब तक हार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हमने अल्पसंख्यकों की मदद रने के लिए सभी राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजने को कहा है ार इस पर कार्यवाही जारी है। अब तक सिर्फ तीन राज्य सरकारों प्रस्ताव भेजे हैं। वे है–केरल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक। ज्योंही में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलेंगे हम निश्चित रूप से न्हें स्वीकृत करेंगे।

डा. मुमताज अंसारी : आपकी जानकारी के लिए मैं कहना ाहूंगा कि बिहार सरकार ने अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं रया जाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, यह काफी गंभीर मामला है। ाननीय सदस्य ने कहा है कि बिहार सरकार से अनेक प्रस्ताव आए और मंत्री महोदय कहते हैं कि बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव हीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है। ापको काफी सावधानी बरतनी चाहिए। यह बात मैं श्री अन्सारी को ह रहा हूं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति िकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम और अल्पसंख्यक विकास ागम जैसे संगठन हैं। पैसा जितना भी हो वह राज्यों को दिया जाता । राज्य भी सयुक्त उपक्रम चला रहे हैं। परंतु बैंक ऋण देने के ए आगे नहीं आ रहे हैं।

मै माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं–केन्द्र सरकार ैर राज्य सरकारें भी अपना अंश देती हैं–क्या यह सुनिश्चित करने ा कोई प्रयास किया जा रहा है कि बैंक ऋण देने के लिए आगे ाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों की बजाए नाबार्ड से संबंध स्थापित करेंगे। सरकार से जितना भी ऋण मिल रहा है उसे नाबार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इससे सहमत हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, फिलहाल हमारे बैंक हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। जब कभी भी कोई समस्या आती है हम बैंकों के साथ उसका समाधान कर लेते हैं। अभी कोई समस्या नहीं हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मेरे निवचिन क्षेत्र में बैंक बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस तरह नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या फ्रेम की गयी गाईडलाईन्स राज्यों को भेजी गयी है, यदि हां तो वे गाईडलाईन्स क्या हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मॉनीटरिंग के लिये कोई एजेंसी तैयार की है या नहीं, यदि की है तो वह एजेंसी कौन सी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें मार्गनिर्देशों की एक प्रति भेज सकते हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यदि मुझे सही प्रकार से यदि है, तो यह लगभग एक वर्ष पहले की बात है जब प्रधान मंत्री ने स्वयं लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी कि अल्प–संख्यक समुदायों के विकास के लिए 500 करोड़ रु. दिए जा रहे हैं। परंतु आज स्थिति यह है कि सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और कोई भी राज्य सरकार एक पैसे का भी अंशदान नहीं कर रही हैं। यहां तक कि केन्द्र सरकार ने भी इस निगम के लिए चेयरमैन नियुक्त नहीं किया है।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि पिछले एक वर्ष के दौरान इन सभी प्रयासों के बावजूद आप चेयरमैन नहीं नियुक्त कर सके जबकि पिछली तीन सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिया था, क्या भारत सरकार अधिक आवंटन करने पर पुनर्विचार करेगी ताकि इन योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन किया जा सके।

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, मैंने पहले ही सूचित किया है कि भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 125 करोड़ रु. स्वीकृत किया था और शेष राशि स्वीकृत की जाएगी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या आप अधिक आवंटन कर रहे हैं?

श्री के.वी. तंग्का बालू : हमने देश से जो भी वादा किया है, हम उसे पूरा करेंगे। निगम अब कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह वित्त आयोग अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिये बना है और उसके लिये पैसा देना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीर के अल्पसंख्यक भी इस आयोग में आते हैं या नहीं? देश

* कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

में अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिये सब इन्तजाम हो रहा है और देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, क्या उसी संदर्भ में कश्मीर के अल्पसंख्यक भी इसके हकदार हैं या नहीं? उनके विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है और क्या-क्या किया गया है?

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : इस निगम के माध्यम से कश्मीर सहित हमारे देश में अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझे कि वह क्या पूछ [illegible] वह पूछ रहे हैं कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों को इस योजना [illegible] या नहीं।

श्री [illegible] तंग्का बालू : महोदय, यह कश्मीर सहित पूरे देश में विशेष [illegible] अल्पसंख्यकों से संबंधित है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का अलग अस्तित्व है और हम उनके हितों का ध्यान रखेंगे **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए मंत्री जी से बयान दिलवा दें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया है कि यह योजना देश में अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्हें यह कहने दें कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है या इसी प्रकार की कोई बात कही है। हम उन्हें विशेष तरीके से जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला खानों का बंद होना

***124. श्री हाराधन राय :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लि. की बंद पड़ी कोयला खानों का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला खान-वार कोयले का भंडार कितना है;

(ग) इन खानों के बंद होने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(घ) क्या उन्हें पुनः चालू करने की सरकार की कोई यो[illegible] है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के र[illegible] मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडि[illegible] लि. (को.इं.लि.) के अनुसार, राष्ट्रीयकरण किए जाने के **बाद** उनकी बंद की गई खानों की संख्या 94 है। इस सबध में कंपनी-[illegible] ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.)	[illegible]
भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)	[illegible]
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सें.को.लि.)	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.)	[illegible]
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.ई.को.लि.)	[illegible]
	9[illegible]

(ख) और (ग). 94 बंद पड़ी खानों में से 79 **खानें कोयले** भंडारों/खनन-योग्य भंडारों के समापन के कारण **बंद पड़ी हैं** [illegible] 4 खानों को अब अन्य खानों के साथ मिला दिया गया है। **शेष** [illegible] खानें आग, जलमग्न, सुरक्षा कारणों, अव्यवहार्यता/अलाभ[illegible] परिस्थितियां होने, कठिन भू-खनन परिस्थितियां, आदि होने के का[illegible] बंद कर दी गई हैं/उनमें कार्य स्थायी रूप से लम्बित कर दिया [illegible] है। इन 11 खानों में खनन योग्य सूचित भंडारों के संबंध में जानक[illegible] नीचे दी गई है:

ई.को.लि. (पश्चिम बंगाल)		
1.	कृष्णा नगर	0.40 मि.[illegible]
2.	सीतलपुर	12.00 मि.[illegible]
3.	शंकरपुर	6.00 मि.[illegible]
4.	गिरीमिंट	3.60 मि.[illegible]
5.	न्यू घुसिक	2.00 मि.[illegible]
6.	महाबीर	5.60 मि.[illegible]
7.	कंकरतोला 1 और 2	6.00 मि.[illegible]
8.	तारा (भू.ग.)	1.40 मि.[illegible]
भा.को.को.लि. (पश्चिम बंगाल)		
9.	विक्टोरिया (भू.ग.)	3.10 मि.[illegible]
भा.को.को.लि. (बिहार)		
10.	राजपुर ओ.का.प.	0.30 मि.[illegible]
11.	तसरा ओ.का.प.	2.05 मि.[illegible]

(घ) से (च). ऐसी कोयला खानों को छोड़कर, जहां कि कोयले के भण्डार पहले ही समाप्त हो गए हैं, कोल इंडिया लि. बंद पड़ी खानों को पुनः खोले जाने के संबंध में प्रयास करता रहा है, जहां कि विस्तृत अन्वेषण के परिणाम–स्वरूप वाणिज्यिक संभाव्यताओं का संकेत दिया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस और इसके सिलेंडरों का आयात

***125. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 में, अलग–अलग रसोई गैस की कितनी मांग थी;

(ख) क्या सरकार घरेलू मांग को पूरा करने हेतु रसोई गैस और रसोई गैस सिलेंडरों का आयात भी करती है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान अलग–अलग, कितनी रसोई गैस तथा कितने सिलेंडरों का आयात किया गया;

(घ) प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत मांग घरेलू उत्पादन से पूरी की जा रही है;

(ङ) क्या देश में उत्पादित तथा आयातित रसोई गैस के मूल्यों में भारी अंतर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के मौजूदा ग्राहकों की एल पी जी की मांग, जो स्वदेशी उत्पादन और व्यवहार्य आयातों द्वारा विनियमित होती है, 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान निम्नवत् : रही है:

वर्ष	आंकड़े टी एम टी में एल पी जी खपत
1991–92	2650
1992–93	2866
1993–94 (अनंतिम)	3103

(ख) और (ग). बम्बई और विजाग में, उपलब्ध आयात मूलभूत सुविधाओं के कारण एल पी जी का अयात सीमित है। वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान आयातित एल पी जी की मात्रा निम्नवत् है:

वर्ष	आंकड़े हजार मी.टन में एल पी जी आयात
1991–92	215
1992–93	328
1993–94 (अनंतिम)	410

सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा एल पी जी सिलेंडरों का आयात नहीं किया जाता।

(घ) 1991–92, 1992–93, 1993–94 के दौरान एल पी जी के उत्पादन और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी की गई मांग का प्रतिशत निम्नवत् है:

वर्ष	एल पी जी उत्पादन	आंकड़े टी एम टी में स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी की गई मांग का प्रतिशत
1991–92	2439	92
1992–93	2572	89.7
1993–94	2699(अनंतिम)	87

(ङ) और (च). आयातित थोक एल पी जी. (अक्तूबर, 1994) का सी एण्ड एफ मूल्य 190.88 डालर/एम टी था, जिसकी उतराई लागत (सी वी डी को छोड़कर) लगभग 7065 रुपए प्रति एम टी बैठती है। रिफाइनरियों और फ्रेक्शनेटरों की स्थिति में सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादन की लागत अधिक सस्ती और भिन्न है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा देश में बेची गई एल पी जी का मूल्य समान है, चाहे इसका स्वदेशी उत्पादन किया गया हो और चाहे आयात किया गया हो। देश में एल पी जी (पैक्ड घरेलू) का वर्तमान भण्डारण स्थल तक मूल्य (उत्पाद शुल्क के बिना) 5309.19 रुपए/एम टी है और एल पी जी (थोक अनावश्यक) का 11601.78 रुपए/एम टी है। एल पी जी मूल्य निर्धारण कुल मिलाकर छह श्रेणियां हैं और सभी श्रेणियों का भारित औसत मूल्य लगभग 5822.25/एम टी ठहरता है।

यमुना जल का बंटवारा

***126. श्री नारायण सिंह चौधरी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल के बंटवारे के संबंध में 12 मई, 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में गत चार महीनों के दौरान केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). यमुना जल के बंटवारे के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्रियों द्वारा 12 मई, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। संबंधित राज्यों ने इस समझौता ज्ञापन के विरूद्ध कोई प्रतिकूल विचार व्यक्त नहीं किए हैं और चूंकि इस समझौते पर मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं इसलिए इस समझौते को राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया मान लिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

*127. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखालिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*(क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ष वित्त और विकास निगम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के निगमों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में इस प्रकार के निगमों की स्थापना की गई है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि पिछड़े वर्ग के अधिकतम लोगों को इन निगमों से लाभ मिले?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए आवंटित धनराशि:

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की इक्विटी अंश पूंजी के लिए वर्ष 1993–94 के दौरान 32 करोड़ रुपए और 1994–95 के दौरान 35.9 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

(ख) क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के निगमों की स्थापना की गई है? जी, हां।

(ग) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में इस प्रकार के निगमों की स्थापना की गई है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है:

पिछड़े वर्गों विकास और उनके वित्तपोषण के लिए बारह राज्यों ने अपने–अपने निगम स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम इन निगमों को ऋण मंजूर करता है ताकि वे गरीबी की रेखा के दूने से नीचे जीवनयापन करने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों को ऋण दे सकें। सात राज्यों ने जहां ऐसे निगम नहीं हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु अन्य सरकारी निगमों को माध्यम एजेन्सी के रूप में नामित किया है। कोई भी राज्य माध्यम एजेन्सी के रूप में एक से अधिक निगमों को नामित कर सकता है। इन निगमों और माध्यम एजेन्सियों को 30.11.1994 तक मंजूर की गई ऋण की राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार दिए गए हैं:

जिन राज्यों ने पिछड़ा वर्ग निगम् स्थापित किया है :

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत धनराशि	
		1993–94	1994–95 (30.11.1994 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1219-80	733.63
2.	असम	241.55	–
3.	बिहार	1444.73	–
4.	गोवा	–	9.21
5.	गुजरात	318.00	–
6.	हरियाणा	191.25	64.88
7.	हिमाचल प्रदेश	214.50	–
8.	कर्नाटक	810.14	189.35
9.	मध्य प्रदेश	956.88	232.41
10.	पंजाब	499.00	118.58
11.	तमिलनाडु	469.98	559.60
12.	उत्तर प्रदेश	1510.84	106.25
	कुल	7876.67	2013.91

अलग से पिछड़ा वर्ग निगम की स्थापना न करने वाले किन्तु माध्यम एजेन्सियां नामित करने वाले राज्य

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपए में)	
		1993–94	1994–95 (30.11.94 तक)
1.	जम्मू तथा कश्मीर	21.80	–
2.	केरल	257.99	119.45
3.	महाराष्ट्र	762.99	386.55
4.	उड़ीसा	444.85	32.08
5.	राजस्थान	485.08	–
6.	त्रिपुरा	40.33	–
7.	पश्चिम बंगाल	670.68	–
	कुल	2683.72	538.08
	कुल योग	10580.39	2551.99

(घ) पिछड़े वर्गों के अधिकतम लोगों को इन निगमों को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का उद्देश्य केवल अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक उपाय करने की सलाह देती है।

[अनुवाद]

अश्लील सामग्री

... **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर दिल्ली में, अनेक ऐसी पत्रिकाओं का ... किया जा रहा है, जिनमें नग्न महिलाओं के चित्र तथा ... जनक एवं अश्लील सामग्री होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री वाले कई प्रकाशन/पत्रिकायें ध्यान में आयी हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा 6 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। ये मामले जांच-पडताल/विचारण के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की सप्लाई

*129. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस की निजी कम्पनियों को रसोई गैस का आयात इस शर्त पर करने की अनुमति दी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की सप्लाई करने में सहायता करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों ने इस मामले में कितनी सहातया की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). समानान्तर विपणन पद्धति के अंतर्गत एल पी जी आयात करने और उसका विपणन करने के लिए निजी एजेंसियों को अनुमति देने के निर्णय का उद्धेश्य देश में एल पी जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के प्रयासों की संपूर्ति करना और एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि करना था। निजी एजेंसियां सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण आदि संबंधी वैधानिक शर्तों को पूरा किए जाने की शर्त पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबंध के एल पी जी का आयात कर सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपनी पसन्द के किसी भी बाजार में बाजार आधारित मूल्यों पर अपनी स्वयं की व्यवस्था और वितरण नेटवर्क के अंतर्गत एल पी जी का विपणन कर सकती हैं।

चूंकि निजी एजेंसियां अभी अपनी स्वयं की आयात सुविधाएं और एल पी जी के वितरण और विपणन के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने में संलग्न हैं, इसलिए शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू प्रयोग के लिए एल पी जी का विपणन करने में अभी तक उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है।

[अनुवाद]

तेल सम्बन्धी ड्रिलिंग कार्य

*130. **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में तेल सम्बन्धी ड्रिलिंग कार्यों की गति धीमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). नागालैंड को छोड़कर जहां पर्यावरण समस्याओं के चलते वेधन कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वेधन कार्याकलापों को योजना के अनुरूप जारी रखा जा रहा है।

(ग) 1994-97 की अवधि के लिए अन्वेषण की गति को तीव्र करने हेतु सरकार ने अन्वेषण के वर्द्धित कार्यक्रम (ए पी इ एक्स) को पहले ही आरम्भ कर दिया है। इसमें भारत के परतदर वेसिना में भूकम्पी आंकड़ों का अर्जन तथा अन्वेषण वेधन के लिए अतिरिक्त निवेश शामिल है।

इसके अतिरिक्त, बोली के विभिन्न दौरों के अंतर्गत खोजे गए क्षेत्रों के विकास के लिए तथा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए निजी भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक ब्लाकों के लिए आफर दिया गया था।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चे

*131. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कई शहरों में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के अंत तक इन योजनाओं द्वारा कितने बच्चों के लाभान्वित होने की सम्भावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ङ) क्या सरकार ने इस कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस योजना के अंत तक 39,000 बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(घ) यह योजना 1993–94 के दौरान शुरू की गई थी। निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गई है :

1993–94	1.11 करोड़ रु.
1994–95	1.74 करोड़ रु.
(30.11.94 तक)	

(ङ) और (च). इस योजना के तहत जिन संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा समय–समय पर एक कार्यबल समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष संबंधित राज्य के (समाज कल्याण) सचिव होते हैं। अनुदान की दूसरी किस्त निर्मुक्त करते समय कार्यबल समिति की सिफारिश और साथ ही संगठन के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के अंतर्गत बेसहारा बच्चों की सुरक्षा और विकास तथा देखभाल के लिए गैर सांस्थानिक समुदाय आधारित समेकित मौलिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत मूल प्रयास जोखिम भरे कार्यों में लगे बच्चों को निकालने, उनके दोहन तथा शोषण को कम करने का प्रयास किया जाता है। लड़कियों, पारिवारिक बंधनों से मुक्त बच्चों शोषण और दुरुपयोग के शिकार बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर उन्हें उनके परिवारों के साथ पुर्नस्थापित करने और उन्हें औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में भाग लेने के लिए सुविधायुक्त करने पर बल दिया जाता है। उम्र दराज बच्चों के लिए यह प्रयास किया जाता है कि वे अपनी शिक्षा बढ़ाए और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर व्यस्क जीवन के उत्पादक कौशल से युक्त किया जाए। यह योजना केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा नगर निगमों की सेवाओं की अवसंरचना तथा वर्तमान कार्यक्रमों से सम्बद्ध योजनाओं को भारत के कई नगरों तक पहुंचाने के लिए बेसहारा बच्चों के विकास तथा कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन देने तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1993–94 में आरम्भ की गई है।

इस योजना के तहत प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से यह आशा की जाती है कि 300 बच्चों के लिए परियोजना क्रियान्वित करेंगे। परियोजना व्यय का 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत संबंधित गैर सरकारी संगठन द्वारा वहन किया जाता है। हर परियोजना को आवश्यक कर्मचारी जिनमें व्यवसायिक अर्हता होती है, समर्थन दिया जाता है तथा उन्हें अनुरक्षण, पुनर्वास प्रशिक्षण तथा पाठ्य–सामग्री की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

सभी 23 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा शेष राज्यों की राजधानियों (कुल 37 शहरों) को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा परियोजना के कार्यान्वयन की नगर स्तरीय कार्यबल समिति द्वारा सुक्ष्म मानिटरिंग की जाती है। इस समिति में कल्याण, नगरपालिका तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी और योजना को कार्यान्वित करने वाले प्रत्येक गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। नगरों की एक सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अनुबन्ध

बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित नगरों के नाम

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. एजब
4. भुवनेश्वर
5. भोपाल
6. बम्बई
7. बंगलौर
8. कलकत्ता
9. कोयमबटूर
10. चंडीगढ़
11. दिल्ली
12. गुवाहाटी
13. गंगटोक
14. हैदराबाद
15. इटानगर
16. इंदौर
17. इम्फाल
18. जयपुर
19. कोजीकोड
20. कोहिमा
21. कानपुर
22. लखनऊ
23. लुधियाना
24. मद्रास
25. मादुरी
26. नागपुर
27. पटना
28. पुना
29. पनजी
30. शिमला
31. श्रीनगर/जम्मू
32. शिलांग
33. सूरत
34. वदोदरा
35. विशाखापटनम्
36. वाराणसी
37. त्रिवेन्द्रम

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन

*132. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के संबंध में सरकार की कोई विशेष नीति/मानदण्ड हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण और टेलीकास्ट उक्त समाचार बुलेटिनों द्वारा कवर किए जा रहे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर निर्धारित होता है।

सिंचाई

*133. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1994–95 के केन्द्रीय बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजना परिव्यय में कटौती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कटौती से लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में वृहद एवं मझौलों तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 15.8 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य नियत किया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए वर्ष 1994–95 के बारे संशोधित परिव्यय योजना आयोग द्वारा अभी प्राप्त किया जाना है। केन्द्रीय क्षेत्र में, वर्ष 1994–95 के लिए 275.47 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, 252.71 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय परिव्यय में कमी का मुख्य कारण जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीनरी और उपस्कर खरीदने के लिए रखे गये 25 करोड़ रुपए का उपयोग न किया जाना है क्योंकि भारत सरकार और जापान के बीच विनिमय टिप्पण पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव प्रचार के लिए चैनल

*134. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केवल चुनाव प्रचार और चुनावी मामलों के लिए दूरदर्शन का कोई पृथक चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों और जनशक्ति की बाध्यताओं के कारण।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

*135. **श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इन राज्य सरकारों से वहां भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास ये योजनाएं कब से लम्बित हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गये प्रेक्षणों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट पायी गयी है।

(ख) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों से कुछ प्रस्ताव/योजनाएं प्राप्त हुई

थीं। इन प्रस्तावों/योजनाओं का ब्यौरा तथा इन पर की गयी कार्रवाई निम्नवत है;

(i) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 2828.68 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक प्रस्ताव 5.9.93 को भेजा था जिसमें आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के भीमदेवरपल्ली और हुस्नाबाद क्षेत्रों के भूजल संरक्षण, वृद्धि तथा जलविभाजक प्रबंध की समेकित परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव की जांच की गयी तथा आंध्र प्रदेश सरकार को 10.5.94 को यह सूचित किया गया कि जल संसाधन मंत्रालय का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके तहत करीमनगर जिले में भूजल के संरक्षण, वृद्धि और जल विभाजक प्रबंध की समेकित परियोजना को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा सके। इस योजना के वित्त–पोषण के लिए राज्य सरकार को अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय उपर्युक्त परियोजना के प्रतिपादन/क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित तकनीकी मार्गनिर्देश प्रदान कर सकता है।

(ii) गुजरात सरकार ने उत्तरी गुजरात के अतिदोहन वाले जलभृतों में सतही जल पूनर्भरण बढ़ाने के लिए वाह्य/विश्व बैंक सहायता के वास्ते 25.11.92 को 10.65 करोड़ रूपड की अनुमानित लागत पर एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए सुझावों पर राज्य सरकार का उत्तर जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित परियोजना प्रस्ताव के साथ योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर अपना निर्णय भेज दें। इस मामले में आगे कार्रवाई राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर निर्भर करती है।

(iii) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 24,558.86 लाख रुपए की कुल लागत पर एकीकृत भूजल पुनर्भरण एवं जल संरक्षण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव 17.9.92 को प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद, राज्य सरकार को 3.10.94 को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने भूजल पुनर्भरण में राज्यों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक केंद्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है तथा महाराष्ट्र के कुछ जल विभाजकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

(iv) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में 3257.39 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अपने द्वारा तैयार की गई भूजल पुनर्भरण की परियोजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए 28.9.94 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद, राज्य सरकार को 31.10.94 को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने भूजल के पुनर्भरण में राज्यों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है तथा केंद्रीय योजना अनुमोदित हो जाने के बाद राज्य सरकार की कुछ परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।

(v) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 जिलों में 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अन्वेषणात्मक प्रायोगिक अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते 30.1.93 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की जांच करने के उपरांत, राज्य सरकार को 7.4.94 को सूचित किया गया कि जल संसाधन मंत्रालय में इस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत प्रस्तावित अध्ययनों को निधियां दी जा सकें, इसलिए राज्य सरकार को इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी। यह भी सूचित किया गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों को तकनीकी निदश मुहैया कराता रहेगा।

(vi) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु अंचलों में भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने हेतु सूचना एकत्र करने के लिए जनवरी, 1992 में कार्यवाही शुरू की थी। बोर्ड द्वारा की गयी पहल की अनुक्रिया में, आंध्र प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राज्य के 60 चुनिंदा मंडलों में प्रचलनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू करने के लिए मार्च, 1992 में एक प्रस्ताव भेजा था। तमिलनाडु जल आपूर्ति तथा जल निकास बोर्ड से जनवरी, 1992 में एक पत्र भी प्राप्त हुआ था जिसमें तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 120 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर तिरूवडनाई जलभूत एवं वैगई नदी तल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण योजना की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है। इन राज्य सरकारों से प्राप्त अनुक्रिया के आधार पर और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के पुनर्भरण में राज्यों की सहातया के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की है। इस योजना को व्यय वित्त समिति द्वारा विचार करने के लिए रखे जाने से पहले पूरे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए योजना आयोग के पास भेज दिया गया है।

सिंचाई प्रणाली

*136. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम पूजन पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने सिंचाई प्रणाली में प्रभावी ढंग से सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं

(ग) क्या जल संसाधनों की भारी मात्रा को बचाने के लिए कोई तकनीक विकसित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तकनीक और अन्य आधुनिक सिंचाई प्रौद्यागिकियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सिंचाई प्रणाली में प्रभावी ढंग से सुधार लाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग ने सिंचाई प्रबन्ध नीति का मसौदा तैयार किया है जिसमें उन्नत सिंचाई जल प्रबन्ध के लिए सुझाव और मार्गनिर्देष दिए गए हैं। राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई मसौदा नीति को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की अगली बैठक को कार्यसूची में शामिल किया गया है ताकि इसे अपनाया जा सके। इस नीति में निम्न पर बल दिया गया है; उन्नत प्रचालनात्मक प्रबन्ध और अनुरक्षण, सतही एंव भूजल का संयुक्त प्रयोग, धीरे–धीरे तृतीय स्तरीय प्रणाली को जल प्रयोगकर्ता संघों में बदलना, संशोधित जल दरों के जरिये वित्तीय स्थिति को बनाए रखना तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताएं। अन्य कार्यवाहियों के साथ प्रभावी और उन्नत जल प्रबन्ध तथा, जहां वहां उपयुक्त और लागू हों, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियों के जरिए जल संसाधनों की क्षमता की जा सकेंगी। सिंचाई प्रबन्ध नीति मे नहर प्रणालियों के बेहतर प्रबन्ध, वितरण में ओचित्य तथा तृतीय वितरण में किसान–संघों को शामिल करने पर भी बल दिया गया है, इन सभी से बेहतर जल प्रबन्ध हो सकेगा।

भारत सरकार ड्रिप सिंचाई प्रणालियां लगाने के लिए किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी प्रकार, कमान क्षेत्र विकास तथा उस राष्ट्रीय प्रबन्ध परियोजना, जो नहरों में आन्फार्म प्रबन्ध और जल प्रबन्ध से संबंधित है, के लिए केन्द्रीय सहायता तथा विश्व बैंक सहायता उपलब्ध है। पहले जल और प्रबन्ध संस्थानों के गठन में केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान की जाती थी।

[अनुवाद]

तेल की खोज का कार्यक्रम

*137. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के लिए त्वरित खोज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ;

(ग) इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम में गैर–सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना पूंजी निवेश किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम पर लगभग 6500 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

(ग) कार्यक्रम के मुख्य संघटक निम्नवत है:

(1) गहरे पानी वाले क्षेत्रों में अन्वेषण।

(2) राष्ट्रीय भूकम्पीय कार्यक्रम।

(3) सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण।

(4) विदेश में एकरेज़ का अर्जन

(घ) यथासंभव सीमा तक निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि संभावित निवेश का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

*138. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने और उन्हें अपने उद्योग चलाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं क्या है; और

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रहीं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समूह 'ग' और 'घ' के अभिज्ञात पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों–दृष्टि, वाणी और अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत के लिए आरक्षित की गई हैं।

बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

विकलांग व्यक्तियों को भी पूरे देश में स्थिति 23 विशेष रोजगार कार्यालयों और 55 विशेष सेलों के माध्यम से लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत विकलांगों की शिक्षा, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए 90 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय द्वारा 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं जो विकलांग व्यक्तियों के सामर्थ्य का मूल्यांकन करते हुए उन्हें सम्भावित नियोक्ताओं को प्रायोजित करते हैं। उत्पादन सम्बन्धी कार्यकलाप और स्वरोजगार शुरू करने के लिए डी आर आई योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराए जाते हैं।

(ग) उत्तरः संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कल्याण मंत्रालय की विद्यमान योजनाएं

1. स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना

इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता आवर्ती तथा अनावर्ती जैसे भवन निर्माण, उपकरण खरीद, पत्रिकाओं के प्रकाशन, कर्मचारियों के वेतन और आकस्मिक व्यय इत्यादि सभी मदों के लिए दी जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य 1200 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क तथा जिनकी आय 1200–2500 रु. प्रतिमाह के बीच है, उन्हें 50 प्रतिशत लागत पर सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 3600 रुपए तक की लागत वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा वैशाखियां, कैलिपर्स, कृत्रिम अंग, पहियेदार कुर्सियां, ब्रेल उपकरण, श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं।

3. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त उन स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है जो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए जागरूकता सृजन, प्रारंभिक हस्तक्षेप, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास में लगे हुए हैं।

4. प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मन्दता के क्षेत्र में जनशक्ति विकास हेतु संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिकों को जनशक्ति प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगठनात्मक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करना, प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मन्दता के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों/प्रशिक्षकों जैसेः व्यावसायिक शिक्षकों, पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं, परिचरों, वार्डनों इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए अपेक्षित होस्टल तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना है। आवर्ती तथा अनावर्ती मदों पर 100 प्रतिशत तक व्यय के लिए सहायता दी जाती है।

5. विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास

इस योजना के तहत विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों यथाः अस्थि, श्रवण और वाणी, दृष्टि और मानसिक मन्दता के क्षेत्रों में विशेष स्कूलों की स्थापना करने और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत तक सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों की स्थापना उन जिलों में करने को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अभी विशेष विद्यालय नहीं खोले गए हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार के व्ययों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-II

विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1993–94 के दौरान स्वीकृत धनराशि	सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठन	लाभग्राही (संख्या)
1.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	10.40	315	60,000
2.	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता	10.00	65	70,000
3.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.40	17	1,138
4.	प्रमस्तिष्काघात और मानसिक मंदता के क्षेत्र जनशक्ति विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.31	10	1,02
5.	विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास	0.10	7	2,95

[अनुवाद]

तेल की खोज

*139. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तेल की खोज और उत्पादन हेतु सरकार द्वारा खोल जा रहे विभिन्न क्षेत्रों (ब्लाकों) में अपनी पेशकश देने के लिए कुछ निजी कम्पनियों के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी एक सरकारी संगठन अथवा एक गैर–सरकारी संगठन होगी,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या उक्त संयुक्त उद्यम में हिस्सेदार बनने हेतु निजी कम्पनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलिय कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन है तेल के अन्वेषण और उत्पादन हेतु निजी कम्पनियों के साथ एक गैर–सरकारी/निजी संयुक्त उद्यम बनाने पर विचार कर रही है। इसका ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

प्रेस की स्वतंत्रता

*140. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता पर सुनियोजित रूप से हमला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विचारों की अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार को उत्तर प्रदेश में मीडिया व्यक्तियों पर हमले की प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है। सरकार ने राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता पर सुनियोजित रूप से कोई हमला नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कुछ समाचारपत्रों की प्रतियां जलाए जाने के बारे में कुछ समाचार प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने प्रेस रिपोर्टरों और हॉकरों की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। भारतीय प्रेस परिषद, जिसको अन्य बातों के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गठित किया गया है, को भी इसे मामले की जानकारी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

1254. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस का ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश मे प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार था :

	(एमएमएससीएमडी)
1991–92	50.94
1992–93	49.48
1993–94	50.23

(ख) और (ग). जी, नहीं। अप्रैल–अक्तूबर, 1994 के दौरान गैस का उत्पादन 53.23 एम एम एस सी एम डी था।

(घ) और (ङ). जी, हां। एल–II, एल–III, दक्षिण बेसिन, गंधार, हाजिरा का अतिरिक्त विकास करके तथा एस–1 सैंड, दक्षिण हीरा आदि जैसे नये क्षेत्रों का विकास करके गैस के उत्पादन को बढाया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रत्यायोजित शक्तियां

1255. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली सरकार से पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा भूमि जैसे विषयों पर बजट पारित करने संबंधी प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने अपनी शक्तियों को कम किए जाने के विरूद्ध अपना विरोध जताया है तथा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से कोई विरोध–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विज्ञापनदाताओं हेतु पैकेज

1256. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय कार्यक्रमों में विज्ञापनदाताओं को उनके विज्ञापनों पर कम लागत का विशेष पैकेज देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों पर क्षेत्रवार अनुमानतः कितना विज्ञापन/राजस्व अर्जित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फोकस क्षेत्रीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना अलग से नहीं रखी जाती हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पुलिस बल

1257. श्री एन.जे. राठवा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य में पुलिस बल की संख्या में वृद्धि करने के लिए गुजरात सरकार से मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार को दो इंडिया रिजर्व बटालियने बनाने के बारे में गुजरात सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

1258. कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की लागत कितनी है;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कुछ नेताओं ने इस परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए अनिश्चित–कालीन भूख हड़ताल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1986–87 के मूल्य स्तर पर सरदार सरोवर परियोजना की अनुमोदित लागत 6406.04 करोड़ रुपए है।

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्यक्रम इस प्रकार है :

		(पूरा करने का वर्ष)
1.	बांध	1998
2.	नहर और कमान क्षेत्र विकास	2000 (संशोधित)
3.	जल विद्युत	1999 (संशोधित)

(ग) से (ङ). जी, हां। नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माणाधीन कार्य को बन्द करने की मांग करते हुए 21.11.1994 को भोपाल में अनिश्चित–कालीन अनशन शुरू कर दिया। नर्मदा बचाओ आन्दोलन कार्यकर्त्ताओं/समर्थकों ने अनिश्चित–कालीन अनशन कर रहे कार्यकर्त्ताओं के समर्थन में उसी स्थान पर धरना दिया तथा भूख हड़ताल की। केन्द्र ने मामले में हस्तक्षेप किया और 9.12.94 को कार्यकर्त्ताओं से अनुरोध किया कि वे अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पुलिस बल

1259. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय बलों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार ने इस पर कितना खर्च वहन किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय पुलिस बलों पर 6594 करोड़ रु. की राशि खर्च की गयी।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलों पर खर्च की गयी राशि का कोई हिस्सा वहन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों को (जिन्हें छूट दी गयी है, उन्हें छोड़कर), उनके अनुरोध पर राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए तैनाती प्रभार देना होता है।

[अनुवाद]

बच्चों का अपहरण

1260. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाओं मे भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण किया गया;

(ग) इन मामलों के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) बच्चों के अपहरण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 1.5.94 से 31.10.94 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में बच्चों के अपहरण के 375 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 1.5.93 से 31.10.93 तक की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 268 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) 1.5.94 से 31.10.94 तक की अवधि के दौरान अपहरण के पुष्ट मामलों में 282 बच्चों का अपहरण किया गया।

(ग) उपर्युक्त मामलों में 210 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) बच्चों के अपहरण के अपराध को रोकने के लिए अपहरणकर्त्ताओं तथा आपराधिक इतिहास वाले अन्य अपराधियों पर चौकसी रखी जाती है। आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को भी चुस्त-दुरूस्त किया गया है। मोटर साईकिल गश्त के साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम चौकसी को गहन कर दिया गया। जनता को सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिये गए हैं। जिला स्तर पर, अपराध शाखा में तथा सभी 9 पुलिस जिलों में भी विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, "अपहरण और व्यपहरण के मामलों" की छानबीन करने का काम समर्पित टीम को सौंपा गया है, स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिताओं के लिए सुरक्षा टिप्स तैयार किए गए हैं, और उनको व्यापक रूप से अखबारों में प्रकाशित किया गया और सभी स्कूलों में परिचालित किया गया है।

नेत्र की दृष्टि से विकलांग बच्चे

1261. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नेत्र की दृष्टि से विकलांग बच्चों की संख्या का पता लगाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने बच्चे हैं और इन बच्चों के रहने तथा शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए इस समय शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए इस समय राज्यवार कितने आवसीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ग) नेशनल इन्सीटिट्युट ऑफ विजुअली हैन्डिकैप्ड (एन.आई.वी.एच) के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक रूप से कितने शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने समेकित शिक्षा के द्वारा कम विकलांगता वाले बच्चों की प्रगति के बारे में कोई आकलन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए क्या उपाए करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के 6 अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों में 150 अध्यापकों को प्रशिक्षत किया गया था। चालू वर्ष में 5 और केन्द्र शुरू किए गए हैं जिसमें 125 अतिरिक्त अध्यापक प्रशिक्षत किए जाएंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) शिक्षा विभाग द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा के बाह्य मूल्यांकन की एक परियोजना शुरू की गई थी। प्रथम चरण में इस अध्ययन में हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा और दिल्ली राज्य शामिल किए गए थे। यह अध्ययन नागालैंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान राज्यों में प्रगति पर है।

(च) आयोजित किए गए अध्ययन से पता चलता है कि मानसिक रूप से मन्द छात्रों को छोड़कर विकलांग छात्रों की तुलना में उपलब्धि सामान्य थी। राज्यों में विकलांग कार्यक्रमों के लिए परियोजना समेकित शिक्षा के विस्तार हेतु अध्ययन द्वारा समेकित क्षेत्र दृष्टिकोण की भी सिफारिश की गई थी। तथापि, कल्याण मंत्रालय शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना और उन्नयन की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय दोनों के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समुद्री तट पर दीवार

1262. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार ने समुद्री तट पर दीवार बनाने के लिए केरल सरकार को देने हेतु कितनी राशि निर्धारित की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने समुद्री तटकटाव से तटीय क्षेत्रों को बचाने हेतु कोई दीर्घकालिक नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). तटकटाव से सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता तथा सुरक्षा कार्यों के लिए निधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1972-73 से केरल को केन्द्रीय ऋण सहायता दी है। वर्ष 1991-92 के दौरान 3.07 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। विकेन्द्रीकरण के उपाय के रूप में आठवीं योजना में समुद्र कटावरोधी कार्यों के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता देना बन्द कर दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में संशोधित फामूर्ले के अन्तर्गत उन तटीय क्षेत्रों सहित विशेष विकास समस्याओं की चुनौती से निबटने के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन में 7.5 प्रतिशत तरजीह देना अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें बाह्य वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए कटावरोधी कार्यों की अनुमोदित योजनाओं को प्रस्तुत कर सकती हैं।

अर्द्ध सैनिक बल

1263. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अप्रैल -सितम्बर, 1994 के दौरान विभिन्न अर्द्ध सैनिक बलों में बलवार कितने जवानों की भर्ती की गई;

(ख) इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने-कितने जवान लिये गये;

(ग) भर्ती कार्यालय द्वारा की गई भर्ती का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अवधि के दौरान किन–किन राज्यों में किस–किस स्थान पर भर्ती रैलियां आयोजित की गईं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). संलग्न विवरण–I में सूचना दी गई है।

(ग) केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों द्वारा कोई स्थायी भर्ती कार्यालय गठित नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट इलाकों में भर्ती रैलियां आयोजित करने के लिए भेजे गए भर्ती दलों द्वारा भर्ती की जाती है।

(घ) संलग्न विवरण-II में सूचना दी गई है।

विवरण-I

अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान विभिन्न अर्धसैनिक बलों में भर्ती किए गए जवानों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या

बल का नाम	भर्ती किए गए जवानों की संख्या			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
असम राईफल्स	1682	252	126	–
सीमा सुरक्षा बल	2730	256	254	509
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	5127	785	438	820
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	8615	1443	967	2279
भारत–तिब्बत सीमा पुलिस	30	2	4	–

विवरण-II

उन राज्यों तथा स्थानों के नाम जहां पर अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान भर्ती रैलियां आयोजित की गई थीं

बल का नाम	उन राज्यों तथा स्थानों के नाम जहां पर अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान भर्ती रैलियां आयोजित की गईं	
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थान का नाम
1	2	3
असम राईफल्स	आन्ध्र प्रदेश	– हैदराबाद
	असम	– जोरहाट, दिफू
	बिहार	– रांची
	हिमाचल प्रदेश	– बकलोह, धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, सोलन और सुबाथू
	जम्मू और कश्मीर	– जम्मू, उधमपुर, पुंछ, भद्रवाह
	मणिपुर	– मंत्रिपुखरी
	नागालैंड	– कोहिमा, दीमापुर अमृतसर, कपूरथला
	सिक्किम	– गंगटोक
	पश्चिम बंगाल	– कलिंमपोंग
सीमा सुरक्षा बल	आन्ध्र प्रदेश	– महबूब नगर, गुन्टूर, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, विजयनगर, चित्तूर, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, नलगौंडा, विशाखापत्तनम् कुडप्पा।
	अरूणाचल प्रदेश	– ईटानगर

1	2	3
	असम	– कोकराझाड़
	बिहार	– किशनगंज, हजारीनाग, पुर्णियन, हजारीबाग
	दिल्ली	– छावला
	गोवा	– क्यूपेम, पोंडा, बिचौलिन
	गुजरात	– भुज, पालनपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, खेरा, वड़ौदरा, भड़ौच, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ राजकोट, जामनगर
	हरियाणा	– सोनीपत
	जम्मू और कश्मीर	– पंथाचौक, खनाबल, बुडगाम, हुमामा, पुलवामा, जम्मू, कुलगाम, अनंतनाग, राजौरी, साम्बा, सूरांकोट, पुंछ, सिंघपुरा, बान्दिपुर, कुपवाड़ा
	कर्नाटक	– बेलारी, चित्रदुर्ग, हत्सन, कोडगू, हनसूर।
	केरल	– अलेप्पी, कोटापादि, मानाटवादि, तेलीचेरी, होसबुर्ग
	महाराष्ट्र	– धुले, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, शोलापुर, सांगली
	मध्य प्रदेश	– जब्बलपुर, सागर, भोपाल
	मणिपुर	– सीसी पुर
	मेघालय	– शिलांग
	मिजोरम	– बारापंसुरी, लुंगलेई
	नागालैंड	– सताका
	उड़ीसा	– सुन्दरगढ़, नवापाड़ा गंजाम, कोरापुट, जजपुर, जगतसिंहपुर, गोपालपुर, भवानिपथ, मलखानगिरि, फूलबनी, नयागढ़, बालनगिर
	पांडिचेरी	– पांडिचेरी
	पंजाब	– अमृतसर, गुरदासपुर
	राजस्थान	– भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा
	तमिलनाडु	– वैल्लौर, सेलम, इरोड, मदुराई, डिन्डीगल, धर्मपुत्री, मद्रास
	उत्तर प्रदेश	– बांदा, दिलदारनगर, इटावा, अलीगढ़, मेनपुरी
	पश्चिम बंगाल	– इस्लामपुर, कूचबिहार, दिनहाटा, बंकुरा, कारकेश्वर, बोलापुर, फरक्का, बिरामगांव, बरासार, हुगली, मिदनापुर, खरंगपुर, विष्णुपुर, बर्दमान, कृष्णानगर, बैंकुंठपुर, दार्जिलिंग, रूपनगर, अलीपुरद्वार, पंजीपाड़ा, महेशपुर।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	आन्ध्र प्रदेश	– करीमनगर, नैल्लौर, जहिराबाद, इचेरलि
	असम	– जोरहाट
	बिहार	– बोकारो, कहलगांव
	चण्डीगढ़	– चण्डीगढ़
	दिल्ली	– किंग्जवे केम्प

1	2	3
	गोवा	– निचोलिन
	गुजरात	– सूरत, राजकोट
	जम्मू और कश्मीर	– किश्तवार, बारामूला, पूंछ
	कर्नाटक	– रायचूर, बेलगाम
	मध्य प्रदेश	– मंदसौर, रायसेन, बिलासपुर
	उड़ीसा	– अंगूल, पारादीप, बोकारो
	राजस्थान	– जोधपुर, बाड़मेर, बंसवाड़ा, बीकानेर
	त्रिपुरा	– अगरतला
	उत्तर प्रदेश	– इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच
	पश्चिम बंगाल	– फरक्का, दुर्गापुर, हल्दिया, जलपाईगुड़ी
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	आन्ध्र प्रदेश	– विशाखापत्तनम, कुडप्पा निजामाबाद, विजयवाड़ा, अनंतपुर, वारंगल, ओंगल, महबूब नगर, हैदराबाद, सरिकाकुलम, गुन्दूर, कुरनूल, नैल्लौर
	अरूणाचल प्रदेश	– ईटानगर
	असम	– जोरहाट, गोहाटी, टेंगला (दारागं), कोकराझार, बोंगईगांव
	बिहार	– गया, दरभंगा, हाजिपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, सासाराम
	चण्डीगढ़	– चण्डीगढ़
	दिल्ली	– दिल्ली
	गोवा	– पणजी, वासकोडिगामा
	गुजरात	– भुज, जामनगर, भावनगर, गोधंरा, सुरेन्द्रनगर, पालनपुर, हिम्मतनगर, गांधी नगर, गोधरा, भड़ौच वलसाड़
	हरियाणा	– गुड़गांव, कुरूक्षेत्र, हिसार
	हिमाचल प्रदेश	– चम्बा, कांगड़ा, नहिन
	जम्मू और कश्मीर	– राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, कठुआ, बंतालाब, बारामूला, लेह, श्रीनगर
	कर्नाटक	– मैसूर, बंगलौर, हुबली, बिदर, कारवार, गुलबर्ग, मंगलौर
	केरल	– पल्लीपुरम, मालापुरम, पाथानामथित्ता
	महाराष्ट्र	– कोल्लापुर, सतारा, नासिक, थाणे, पुणे, अकोला, जलगांव, बुलधाना, बिर, मुदखेद, नांदेड़, चन्द्रपुर, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, भूले, बुलताना, जालना, रतनगिरि, सिन्धू–दून–मालवां, सांगली, सतारा, शोलापुर, ओस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरोली, कामंटी
	मध्य प्रदेश	– नीमच, भोपाल, रीवा, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर
	मेधालय	– शिलांग, तूरा,
	मिजोरम	– आईजोल

1	2	3
	नागालैंड	– दीमापुर, खींसा
	उड़ीसा	– पुरी, बलानगिरि, बैरहमपुर, खुराद, संभलपुर, बेलनगिरि, भुवनेश्वर, भद्रक
	पंजाब	– फरीदकोट, जालन्धर, पटियाला
	राजस्थान	– उदयपुर, लालसोत, अजमेर, जयपुर, अखनूर, कठूआ, मोधार, गुर्जर
	सिक्किम	– गंगटोक
	तमिलनाडु	– मालदुथराय, थिरूवनामालि, शिवागंगई, धर्मापुरी, शिधामबरम, कोयम्बटूर, मदुराई, अवादि, नागापट्टिनम, नीलगिरि, रामनाथपुरम, इरोड, थिरूनालवेली
	त्रिपुरा	– पनगई
	उत्तर प्रदेश	– अल्मोड़ा, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जालौन, बस्ती, जोशीमठ, नैनीताल, बरेली, कानपुर, बहराइच, फतेहगढ़, गौंडा, देवरिया, मेरठ।
	पश्चिम बंगाल	– दार्जिलिंग, बलारघाट, कलकत्ता, दुर्गापुर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, बीरभूम।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर और राजौरी

हाई स्पीड डीजल और लूब्रीकैंट्स का विपणन

1264. श्री कालकादास : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाई स्पीड डीजल और लूब्रीकैंट्स के विपर्णन को उदार बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार ने स्नेहकों के विपणन को पहले ही उदार बना दिया है। फिलहाल एच एस डी के विपणन को उदार बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार ने 1992 में स्नेहकों के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया तथा उसके विपणन को उदार बनाया। कोई भी निर्जी पार्टी अब स्नेहकों का आयात कर सकती है तथा बाजार–निर्धारित कीमतों पर इसका विपणन कर सकती है।

लाटरियों पर प्रतिबंध

1265. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्य सरकारों ने लाटरियों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान राज्य सरकारों और अन्य निकायों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों की समस्या पर 30 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित विचार गोष्ठी में दिए गए कुछ सुझावों की ओर गया है;

(ग) क्या विचार गोष्ठी के अधिकांश प्रतिभागियों ने यह सुझाव दिया है कि देश में लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्र सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने अपने–अपने राज्यों में सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने निजी लाटरियों के संचालन पर रोक लगा दी है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि एवं पेंशन लाभ

1266. श्री रवि राय : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के ओलतपुर स्थित एन.आई. आर.टी.ए.आर. के कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेंशन स्वीकृत करने हेतु कुछ वर्षों पहले ही निर्णय ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। कल्याण मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन का विस्तार उन संस्थानों, जो इसमें शामिल नहीं थे, करने के बारे में राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों की समिति की एवं सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। चूंकि निरतार पहले कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एल्मिको) का एक भाग था जो उस समय ई.सी.पी.एफ. योजना के अंतर्गत शामिल था। निरतार को अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि, पेंशन योजना अपनाने से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना था।

(ग) और (घ). निरतार के कुछ कर्मचारी समुदायों के बीच सहमति न होने के कारण कर्मचारियों द्वारा सरकार की ओर से बगैर कोई देयता के स्वेच्छा के आधार पर सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन की योजना को लागू करने हेतु अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(ङ) और (च). सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के समतुल्य सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन योजना लागू करने के लिए निरतार के कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। निरतार द्वारा एक संशोधित सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन योजना तैयार की गई है। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सरकार की ओर से देयता के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय ने सहमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

1267. श्री राजवीर सिंह :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को चालू वर्ष में अब तक विज्ञापनों के प्रसारण से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) विज्ञापनों के प्रसारण हेतु शुल्क के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) किस विज्ञापन कंपनी से तथा किन-किन विज्ञापनों से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(घ) क्या अधिक विज्ञापनों के कारण आधे घंटे की अवधि के धारावाहिकों का प्रसारण मात्र बीस मिनट के लगभग हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे धारावाहिकों को प्रसारण उनकी पूरी निर्धारित अवधि तक करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अर्जित राजस्व का पुनर्मिलान सम्बन्धी कार्य अभी पूरा किया जाना है।

(ख) विभिन्न समय अंचलों के दर्शकगणों की रूपरेखा एवं बाजार की सम्भावना द्वारा दरें निर्धारित की जाती हैं।

(ग) दूरदर्शन द्वारा उत्पादवार अर्जित राजस्व सम्बन्धी आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ). प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र बलों की तैनाती

1268. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सशस्त्र बलों की अन्य राज्यों में तैनाती की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों में इन बलों की नियुक्ति पर हुए व्यय का पुनर्भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन बलों को बुलाने वाले राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का पुनर्भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन बलों को बुलाने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष के भीतर इस राशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई निर्देश दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). चूंकि बल उपलब्ध कराने वाला राज्य, लेखा-परीक्षित व्यय विवरणों के आधार पर, बल लेने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति के दावे सीधे करता है, अतः भारत सरकार को, बल लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा अदा की गयी राशि के बारे में विस्तृत जानकारी सामान्यतः प्राप्त नहीं होती है तथापि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बल लेने वाले प्राधिकारी समय पर व्यय की प्रतिपूर्ति करे, भारत सरकार समय-समय पर उपयुक्त निर्देश जारी करती रही है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का उत्थान

1269. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा लड़कियों के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे संगठनों का ब्यौरा और पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन संगठनों की सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन का नाम	आयोजित कार्यक्रम	वित्तीय सहायता प्रदान की गई			
			1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (14.12.94 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मास एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी अनकापुरू, आंध्र प्रदेश	टेलरिंग ट्रेनिंग	–	75,60	34,600	56,400
2.	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग अभिरूचि संगम कुरोपाह, आंध्र प्रदेश	टेलरिंग टेनिंग	–	1,00,000	1,60,380	1,65,240
3.	प्रकाशन जिला दलाहीरा वरगला कालोनी, वरूला सेवा संगम, ओंगोला आंध्र प्रदेश	टेलरिंग, कढ़ाई तथा टंकण–		93,330	1,79,370	–
4.	शिक्षा कामेखरी कमजोर वर्ग महिला मंडली, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश	टेलरिंग	–	18,112	99,270	74,452
5.	वसावया महिला मंडली, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	टेलरिंग	–	52,875	99,270	74,452
6.	महालक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी विशाखापत्तनम	टंकण, आशु तथा टेलरिंग	–	1,95,408	2,25,317	85,860
7.	श्री शारदा महिला विज्ञान समिति बापतले, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	टेलरिंग तथा कढ़ाई	–	–	56,790	56,250
8.	प्रजा अपूयोदय सेवा समिति	टेलरिंग	–	–	38,610	63,270
9.	काशी महिला उत्थान संघ	टेलरिंग	–	–	22,005	73,754
10.	तरियानी सेवायतन, जिला सीतामढ़ी, बिहार	टेलरिंग	–	–	65,138	1,76,535
11.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैंप, दिल्ली	टंकण और आशुलिपि	26,163	52,326	1,42,200	60,270
12.	शोषण उन्मूलन परिषद	टेलरिंग, कढ़ाई और बुनाई केन्द्र (दिल्ली में 3 और उत्तर प्रदेश में 4)	9,89,820	12,70,450	10,33,120	11,38,023
13.	श्री मुख्तियार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, पूथकलान, दिल्ली	टेलरिंग	–	79,682	2,23,740	73,224
14.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, सुल्तानपुरी, दिल्ली	टेलरिंग व कढ़ाई	1,25,100	1,25,100	1,25,000	62,550

1	2	3	4	5	6	7
15.	कोनारकशिक्षण संस्थान	टेलरिंग	–	81,342	2,27,410	1,13,715
16.	बाबा साहिब डा. अम्बेडकर	टेलरिंग	–	1,84,590	2,20,410	1,13,285
17.	नारी उत्थान समिति	टेलरिंग	49,320	3,34,542	4,86270	2,54,000
18.	सुषमा शिक्षा समिति, नंद नगरी	टेलरिंग	26,865	1,62,738	1,34,740	59,274
19.	समेकित ग्रामीण विकास समिति सेवक पार नजफगढ़, दिल्ली	टेलरिंग	29,475	1,71,774	2,79,450	1,90,566
20.	कमजोर वर्ग कल्याण फाउंडेशन डा. अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली	टेलरिंग व कढ़ाई		96,043	2,76,255	1,30,240
21.	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद रोथेला, दिल्ली	टेलरिंग व कढ़ाई	–	–	58,284	69,534
22.	भारतीय कल्याण समिति–बहादुरगढ़, हरियाणा	टेलरिंग व कढ़ाई	–	–	78,448	1,81,778
23.	ग्रामवन विकास शिक्षा समिति, फरीदाबाद	टेलरिंग व कढ़ाई	–	–	76,009	98,516
24.	जन कल्याण ट्रस्ट, बंगलौर	टेलरिंग	–	–	1,40,877	1,19,860
25.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नागपुर	टेलरिंग	–	–	34,965	34,280
26.	टंकण संस्थान और ग्रामीण विकास समिति, थोनबल, मणिपुर	टंकण व टेलरिंग	–	–	75,068	68,840
27.	समेकित ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान	टंकण, टेलरिंग व कढ़ाई	–	–	68,265	71,595
28.	सुभद्रा महताब सेवा समिति	टेलरिंग	–	20,677	1,43,558	37,800
29.	गुरु महिला युवक संघ, पुरी, उड़ीसा	टेलरिंग व कढ़ाई	–	87,75	49,140	24,570
30.	खत्री विकास समिति, झुनझुन, राजस्थान	टंकण, आशुलिपि व टेलरिंग कढ़ाई और बंधेज	31,880	2,69,621	1,68,120	1,00,980
31.	ग्रामीण शिक्षा और आर्थिक विकास संस्था, मद्रास, तमिलनाडु	जेम कटिंग	–	2,23,650	81,000	40,500
32.	महात्मा गांधी समाज सेवा और शिक्षा संस्था, चेंगई जिला एम.जी.आर., तमिलनाडु	टेलरिंग	–	–	22,387	39,600
33.	अबालमबन, अगरतला	टेलरिंग	95,661	2,10,669	1,85,660	2,09,878
34.	सामाजिक तथा आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	टंकण, आशुलिपि, रेडियो और टेलिविजन मरम्मत	1,08,990	1,35,360	2,21,470	1,97,584
35.	दीवाने लाइट एजूकेशनल एवं कलचर सोसायटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश	टेलरिंग व कढ़ाई	–	1,85,760	1,51,470	1,19,840
36.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद, उ. प्र.	चिकन क्राफ्ट	–	35,730	84,780	4,20,390
37.	मध्यम सत्याकम शिक्षा केन्द्र, गोरखपुर, उ.प्र.	फल परिरक्षण	–	30,420	85,590	73,362
38.	किसान सेवा समिति	टेलरिंग और कढ़ाई	–	–	87,187	1,89,035
39.	रूदयान ग्राम विकास आश्रम, मुरादाबाद	टेलरिंग	–	–	44,739	46,500
40.	बाल एवं महिला कल्याण समिति फतेहपुर, उ.प्र.	टेलरिंग, कढ़ाई और बुनाई	–	–	66,150	66,690
41.	तरूण चेतना, रायबरेली	टेलरिंग	–	–	72,157	1,85,988
42.	मगरेला विकास समिति	टेलरिंग	–	–	48,788	–

1	2	3	4	5	6	7
43.	गढ़वाल सब्जी आपूर्तिकर्त्ता और अनुसूचित जाति बेरोजगार समिति, गोपेश्वर	टेलरिंग	–	–	30,564	42,550
44.	डा. राधाकृष्णन पब्लिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी, उ.प्र.	टेलरिंग	–	–	65,187	1,91,745
45.	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ, नाडिया, प.बं.	टेलरिंग व लैदर बैग	–	77,000	1,87,118	93,550
46.	सिद्ध कानु शिक्षण समाज, तसारारा मिदनोपुर, प.ब.	टेलरिंग	–	63,337	95,848	47,520
47.	नाबारन सेवा निकेतन पुलसाइट हुगली, प.ब.	टेलरिंग	–	29,064	74,694	39,648
48.	सैलीपुर उद्यान क्लब, मिदनापुर, प.ब.	टेलरिंग	–	21,240	73,620	50,639
49.	इन्स्टीचयूट एजूकेशन एग्रीकल्चर्स एवं रूरल वर्क्स, प. बंगाल	टेलरिंग, कढ़ाई, बुनाई	–	–	73,850	–
50.	बरहामपुर सिंघवानी महिला संघ	टेलरिंग	–	–	28,446	61,200

नोट :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महिला व बाल विकास की योजना, सतत आधार पर अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली ग्रमीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अभिप्रेत है। इस योजना का प्रचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान ने रूरल टेक्नोलोजी द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही है।

विवरण-II

अनुसूचित जनजाति की लडकियों के विकास के लिए कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान के ब्यौरे

अवधि	क्र.सं.	संगठन का नाम	स्वीकृति राशि (रुपयों में)	स्वीकृत शैक्षिक परिसरों की संख्या
1	2	3	4	5
1993–94	1.	सामसकर सोसाइटी फार रिहैब्लीटेशन आफ द सोसायटी, निजामाबाद आ. प्र.	5,28,666	1
	2.	सुशीलाबेन मणिलाल सांघवी मैमोरियल ट्रस्ट, कच्छ, गुजरात	6,33,167	1
	3.	ग्राम स्वराज संघ, कच्छ, गुजरात	6,33,167	1
	4.	श्री सर्वोदय आश्रम, बानसकंथा गुजरात	6,33,167	1
	5.	सर्वोदय केन्द्र बनासकंथा गुजरात	6,33,167	1
	6.	केरल साक्षरता समिति, केरल	4,93,833	1
	7	कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम, महारगून	6,33,167	1
	8.	रूरल डेवलेपमेंट सर्विस सोसाइटी, मध्य प्रदेश	6,33,167	1
	9.	शहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए सव्य सांची केन्द्र, सिद्धी, मध्य प्रदेश	6,33,167	1
	10.	एम.पी. सहारिया सेवा संघ, राजगढ़, मध्य प्रदेश	6,33,167	1
	11.	दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, दिल्ली कम्पलैक्स इन सतना जिला, मध्य प्रदेश	4,93,833	1
	12.	नवयुवक कल्याण और ग्राम विकास समिति, पन्ना, मध्य प्रदेश	4,93,833	1
	13.	ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र, थाणे, महाराष्ट्र	6,33,167	1
	14.	कस्तूरबा ग्राम सेवा सेंटर, उड़ीसा	5,98,333	1

1	2	3	4	5
	15.	जनकल्याण समिति, भवनुश्वर, उड़ीसा	6,33,167	1
	16.	अग्रगामी, रायगढ़, उड़ीसा	6,33,167	1
	17.	सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी, रायगढ़, उड़ीसा	5,63,500	1
	18.	सर्वोदय समिति, कोरापुट, उड़ीसा	4,93,833	1
	19.	सेवा समाज गुनूपुर, रायगढ़, उड़ीसा	2,53,267	1
	20.	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, राजस्थान	4,93,833	1
	21.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण प्रतिष्ठान, राजस्थान	4,93,833	1
	22.	ग्रामीण महिला आवास बाल विकास समिति, सावासी माधपीपुर, राजस्थान	4,93,833	1
	23.	जिला युवक मीना समाज संस्थान, राजस्थान	1,34,566	1
1994–95	1.	भील सेवा संघ, मध्य प्रदेश	4,59,000	1
	2.	ओर्गनाइजेशन फार सोशल चेंज एवं रूरल डिवलवमेंट, उड़ीसा	4,59,000	1
	3.	दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीच्युट, मध्य प्रदेश	6,23,384	पुराना संगठन
	4.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर, उड़ीसा	7,38,800	पुराना संगठन
	5.	कस्तूरबा ग्राम सेवा सेंटर, उड़ीसा	1,95,511	पुराना संगठन
	6.	सर्वोदय समिति, उड़ीसा	2,43,200	पुराना संगठन

नोट :– यह योजना 1993–94 के दौरान शुरू की गई थी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

1270. श्री राम निहोर राय : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु व्यापक कार्यपद्धति बनाने और नीति/दिशानिर्देश और लक्ष्य तैयार करने के लिए गठित कार्य दल की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्य दल की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यदल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) छठी तथा सातवीं योजना के दौरान अपनाई गई कार्यनीति जिसमें राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयो की विशेष संघटक योजनाएं शामिल थीं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ़ तथा गतिशील बनाया जाना चाहिए।

(2) केन्द्रीय मत्रालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजना के लिए पर्याप्त आबंटन किया जाना चाहिए। परिव्यय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में होना चाहिए।

(3) अनुसूचित जाति कृषि मजदूरों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(4) भूमिहीन कृषि मजदूरों को व्यावसायिक विविधता तथा भूमि प्रदान करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(5) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(6) अनुसूचित जाति लोगों के विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित की जानी चाहिए।

(7) कार्यक्रम की वितरण प्रणाली प्रभावी होनी चाहिए।

(8) अनुसूचित जाति लोगों के आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास निगमों को समुचित योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित करनी चाहिए।

(9) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए एक प्रमुख समर्थक एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए और कृषि मजदूरों, चमड़ा कर्मचारियों और स्वीपरों/कलीनसों जैसे कुछ व्यवसायिक समूहों के लिए बड़ी परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए।

(10) अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक विकास पर विशेष बल देकर और उन्हें साक्षरता दर तथा शैक्षिक उपलब्धियों में अन्धों के बराबर लाया जाना चाहिए।

(11) अनुसूचित जाति महिलाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(12) शुष्क शौचालयों की सफाई का उन्मूलन करके, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों में पुनर्वासित किया जाना चाहिए।

(13) अनुसूचित जाति लोगों को बेकारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक समुचित प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों पर कार्यदल की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) वर्तमान प्रथा जिसमें प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं के अंतर्गत चाहे उस योजना में आदिवासियों के लिए कुछ संबंध है या नहीं, मात्रा दर्शाता है, की बजाय राज्य योजना में से परिव्यय का कुछ भाग अलग निर्धारित करके उन्हें राज्य के आदिवासी विकास विभाग के पास रखना अधिक अच्छा होगा, जो इसके बदले में उनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं/स्कीमों को देख रहे सैक्टोरल विभागों को आबंटित करेगा।

(2) विद्यमान प्रशासनिक ढांचे को समेकित करके स्थानीय स्तर पर परियोजना अधिकारी/प्रशासक के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। परियोजना अधिकारी/प्रशासन को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा सकती हैं।

(3) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाजुक समूहों की शिक्षा और विकास पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है।

(4) एक राष्ट्रीय, नीति तैयार की जानी चाहिए जो प्रमुख विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास का सुनिश्चित करे और जो इसके साथ उनकी संस्कृतिक एकता को संरक्षण प्रदान करे।

(5) विद्यमान सुरक्षा कानूनों में त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए।

(6) आदिम जनजातियों के लिए आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बल देते हुए सम्यक दृष्टिकोण अपनाकर आदिम जनजातियों के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की जानी चाहिए।

(7) छितराए हुए आदिवासियों का विकास योगज के रूप में दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की निधियों में से जारी रहना चाहिए और छितरे हुए आदिवासियों के लिए राज्य योजना निधियों में से सामान्य प्रवाह जारी रहना चाहिए।

(ग) से (च). आयोग द्वारा कार्य दलों व संचालन समितियों की स्थापना योजना पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय इनकी सिफारिशों पर विचार किया जाता है। इन कार्य दलों व समितियों का गठन योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में योजना आयोग की सहायता देने के लिए एक आतंरिक कार्य के भाग के रूप में किया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93) खंड-2 के अध्याय सोलह में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यनिधियों और कार्यक्रमों की व्यवस्था है। आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रख दी गई हैं।

तथापि, यह भी उल्लेख किया जाता है कि अनुसूचित जातियों पर कार्य दल की रिपोर्ट और अनुसूचित जनजातियों पर कार्य दल की रिपोर्ट को इस आशा के साथ सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था कि वे इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का भाव और भावना को समझकर इनका प्रभावी कार्यान्वयन करेंगे। यह रिपोर्टें योजना आयोग के संचालन समूहों द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। इन दो रिपोर्टों की सिफारिशों को स्वीकार व कार्यान्वयन करने की वास्तविक स्थिति सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल अन्वेषण

1271. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेल अपतटीय क्षेत्र में तेल का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों में केरल क्षेत्र में तेल अन्वेषण संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1994-97 की अवधि के दौरान केरल-कोंकण बेसिन में 1800 एल के 2 डी भूकम्पीय आंकड़ों की अधिप्राप्ति और 5 कूपों के वेधन की योजना बनाई गई है।

उपर्युक्त के अलावा केरल-कोंकण को गहरे पानी वाले क्षेत्रों में 1994-95 के लिए 2100 एल के 2 डी भूकम्पीय आंकड़ों की योजना बनाई गई है।

विज्ञापन एजेंसियों का पंजीकरण और मान्यता

1272. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा द्वारा विज्ञापन एजेंसियों के पंजीकरण और उन्हें मान्यता देने संबंधी नियमों को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नियमों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, हां। दूरदर्शन द्वारा 10.10.1994 से विज्ञापन एजेंसियों के पंजीकरण एवं प्रत्यायन को नियंत्रित करने वाले नियमों को संशोधित कर दिया गया है :–

(1) प्रत्यायित एजेंसियों के मामले में बैंक गारन्टी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गयी है। पंजीकृत एजेंसियों के लिए बैंक गारन्टी 25,000/– रुपये निर्धारित कर दी गयी है।

(2) पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर 25 लाख रुपये की सकल राशि का व्यवसाय करने वाली पंजीकृत एजेंसी को प्रत्यायन स्टैटस प्रदान किया जाएगा। वे पंजीकृत एजेंसियां, जो उक्त राशि का व्यवसाय करने में असमर्थ रहती हैं, उन पर 2 लाख रुपये प्रति मास के औसत व्यवसाय पर आधारित परिकलन लागू होंगे।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों के लिए 5,000/– रुपये का प्रक्रिया शुल्क शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

1273. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्री राम बदन :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नीतीश कुमार :
श्री राम पूजन पटेल :
श्री साइमन मरांडी :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में धर्म के आधार पर संगठित लोगों/जातियों को सरकारी सेवा मे आरक्षण सुविधाएं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मुस्लिम समुदाय के अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों के विकास हेतु कोई विशेष योजना बनायी है

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). संगठित लोगों/जातियों को सरकारी सेवाओं में केवल धर्म के आधार पर आरक्षण की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अनेक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुस्लिमों सहित अनेक अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया है।

(ग) सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विकास योजनाएं शुरू की हैं। कल्याण मंत्रालय की योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

मौलाना आजाद प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, कमजोर वर्गों के लिए (अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर लक्षित) परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना तथा शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए सहायतानुदान योजना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भी निम्नलिखित दो योजनाएं चला रहा है :–

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना, और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी योजना। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं और वक्फों को सहायतानुदान की योजना से मुस्लिमों को लाभ होता है क्योंकि ये संस्थान विशिष्ट रूप से उन्हीं के समुदाय के हैं।

फिल्म सेंसर बोर्ड में मनोनयन

1274. श्री महेश कनोडिया :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड में किसी व्यक्ति को मनोनीत करने के सुनिश्चित दिशा–निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ समय पहले ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं जिनमें बोर्ड में कुछ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत करते समय दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों, जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों, गृहिणियों, और अन्य व्यक्ति जो केन्द्र सरकार की राय में अन्य दर्शकों पर फिल्मों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योग्य होते हैं, की बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं की गयी है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

1275. डा. परशुराम गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश मे किन-किन स्थानो पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में विशेषत: प्रसादपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले मे अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से काशीपुर के मध्य भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी है जो बिजनौर जिले में पडता है। प्रसादपुर, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर के क्षेत्रो सहित उत्तर प्रदेश की परतदार बेसिनों मे दूर संवेदी, वायु चुम्बकीय, भूगर्भीय, गुरुत्व चुम्बकीय तथा भूकंपी सर्वेक्षण किया गया है। भूगर्भीय दृष्टि के चुने हुए क्षेत्रों मे भूरासायिक तथा भू सूक्ष्म जीव विज्ञानी सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणो के आधार पर, उत्तर प्रदेश में 7 कूपों का वेधन किया गया है जिसमें 1 कूप पीलीभीत जिले के प्रसादपुर क्षेत्र में तथा 2 कूप शाहजहांपुर जिले में खोदे गए थे। खोदे गए सभी 7 कूप सूखे थे। इसके अतिरिक्त 6 संरचनात्मक कूपों का भी वेधन किया गया। अन्वेषण के चौथे दौर तथा संभावनात्मक सर्वेक्षण के दौर में कुछ ब्लाकों को आफर किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

1276. श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु तमिलनाडु सरकार को कितनी धनराशि दी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस आबंटन का पूरी तरह उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त एवं तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रयोग की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने कुछ योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक व्यय प्रस्तुत किया है जिसमें मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक और अनुमानित व्यय में कुछ अंतर पाया गया है।

(ग) और (घ). तमिलनाडु सरकार से उन योजनाओं के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिनके लिए उपयोग संबंधी ब्यौरे उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विवरण

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के संबंध में 15.12.94 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1276 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
		प्रदान किया गया	उपयोग किया गया	प्रदान किया गया	उपयोग किया गया	प्रदान किया गया	उपयोग किया गया	प्रदान किया गया	उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	लड़कियों के होस्टल								
	(अ) अनुसूचित जातियां	32.47	–	80.88	–	50.55	–	–	–
	(ब) अनुसूचित जनजातियां	12.25	–	6.12	–	–	–	–	–
2.	लड़को के होस्टल								
	(अ) अनुसूचित जातियां	40.44	–	60.66	–	43.62	–	–	–
	(ब) अनुसूचित जनजातियां	7.58	–	6.74	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल	–	–	24.69	–	34.65	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	कम साक्षर पाकेटों में अनुसूचित जनजाति कन्याओं के लिए शैक्षिक परिसर	–	–	–	–	5.29	–	–	–
5.	विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई								
	(अ) विशेष संघटक योजना	1778.85	1728.00	1911.34	1925.00	1879.11	2540.00	1440.39	–
	(ब) आदिवासी उप योजना	281.77	–	270.72	–	214.05	–	107.03	–
6.	अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 275(1)	19.32	–	38.40	–	72.00	–	31.50	–
7.	अनुसूचित जातियों के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	43.69	–	90.60	–	69.36	–	70.34	–
8.	अनुसूचित जातियों के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	263.32	299.35	458.30	515.75	736.98	646.26	449.60	–
10.	अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	5.16	2.72	19.94	10.58	7.38	19.48	57.28	
11.	अनुसंधान और प्रशिक्षण								
	(अ) अनुसूचित जातियां	–	–	–	–	–	–	–	
	(ब) अनुसूचित जनजातियां	11.54	–	9.44	–	7.39	—	7.11	
12.	अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	–	–	14.78	–	4.73	–	10.05	
13.	अनुसूचित जाति विकास निगम	97.99	–	122.44	–	318.50	–	159.25	
14	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	10.16	10.16	1.50	1.50	29.48	–	15.50	
15.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	4.00	–	2.00	–	2.00	–	–	
16.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन	–	–	–	–	–	–	–	

[हिन्दी]

सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना

1277. श्री राम टहल चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के कारण कितने परिवार प्रभावित/विस्थापित हुए;

(ख) अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया ;

(ग) इससे प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनर्वास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना द्वारा प्रभावित/विस्थापित परिवारों की संख्या निम्नवत है :

(1) चांडिल बांध – 10218

(2) इचा बांध – 2648 (बिहार में)

1551 (उड़ीसा में)

(ख) और (ग). **चांडिल बांध** इस जलाशय के अंतर्गत विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए 22 पुनर्वास स्थलों का चयन किया गया है तथा 11 स्थलों पर कार्य चल रहा है।

नाशय के फेज–I के अंतर्गत 18 गावों को पुनर्वास स्थलों पर स्थानांतरित किया जाना है तथा 12/93 तक निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं;

(1) 4563 विस्थापित परिवारों में से 4339 परिवारों को भूमि और गृह मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। शेष 224 परिवारों का कुछ विवाद है।

(2) सभी परिवारों को विकास पुस्तिका उपलब्ध करा दी गयी है।

(3) 11 पुनर्वास स्थलों में 1642 प्लाट गृह निर्माण के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा 983 परिवारों को गृह भूखंडों के निर्माण के लिए मुआवजे का नकद भुगतान कर दिया गया है जिससे वे अपने स्वयं की पसन्द के स्थल पर निर्माण कर सकते हैं।

(4) 4339 परिवारों को स्थानांतरण प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है।

(5) 2161 प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

इचा जलाशय : इस जलाशय क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए 11 पुनर्वास स्थलों का चयन कर लिया गया है। विस्थापितों को 260 प्लाट पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं तथा 74 विस्थापित परिवार पहले ही इन प्लाटों का कब्जा ले चुके हैं।

(घ) चांडिल बांध पर 3/94 तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों पर 5.2 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

रसोई गैस एजेन्सियां तथा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

1278. श्री राम कृपाल यादव :
श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी रसोई गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया;

(ख) इसमें से कितनी एजेन्सियां/खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति/विकलांग/शिक्षित बेरोजगार/भूतपूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक बल के लोगों को दिये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के बची हुई अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में अधिक संख्या में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस एजेन्सियां खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल–सितम्बर, 1994) के दौरान अनुमोदित विपणन योजना में सम्मिलित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किए गए चयन के श्रेणीवार ब्यौरे नीचे निर्दिष्ट किए जाते हैं :–

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी (रसोई गैस)
अनुसूचित जाति	182	65
अनुसूचित जनजाति	115	47
शारीरिक रूप से विकलांग	76	55
प्रतिरक्षा	61	41
स्वतंत्रता सेनानी	47	28
सामान्य	440	186
योग	921	422

पिछड़े वर्गों, शिक्षित बेरोजगारों, सशस्त्र सेनाओं तथा अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व कार्मिकों के लिए कोई पृथक आरक्षण नहीं हैं। उन्हें विद्यमान श्रेणियों संबंधी विज्ञापनों के प्रति विचारित किया जाता है बशर्ते कि वे अर्हता मानदण्ड पूरा करते हों।

(ग) और (घ). विपणन योजना से में अब तक सम्मिलित 1160 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 633 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तेल चयन बोर्डों के माध्यम से चयन द्वारा आबंटित होने के लिए बाकी हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में "सी" बैंड प्रणाली

1279. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में परिवर्द्धित "सी" बैंड सुविधा की बजाय "सी" बैंड प्रणाली सुविधा प्रदान करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आयल ड्रीलींग

1280. डा. असीम बाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में आयल ड्रीलींग के लिए नए स्थान का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओलीगोसीन तथा अपर इओसीन फार्मेशन में हाइड्रोकार्बन की धारिता का पता लगाने की दृष्टि से नये स्थल पर शांतिपुर–1 नामक कूप की दिनांक 18.10.94 को खुदाई की गयी। निर्धारित गहराई 4300 मीटर है।

(ग) 30.11.94 को यह कूप 1705 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस के मूल्य

1281. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रसोई गैस वितरक महासंघ की ओर से दलाली में वृद्धि किए जाने, दलाली की स्लैब प्रक्रिया समाप्त करने तथा रसोई गैस वितरकों द्वारा सिलैंडर को घर पहुंचाने और गोदाम से ही सिलैंडर जारी करने के अलग–अलग मूल्यों के निर्धारण हेतु कोई ठोस फार्मूला विकसित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार बढ़ाया गया है जो 1.9.1993 से प्रभावी है :–

स्लैब	कमीशन की दर
0–2500 रिफिलों की बिक्री प्रतिमास	रुपये 7.30 प्रति सिलिंडर (14.2 कि.ग्रा.)
2500 से अधिक रीफिलों की बिक्री प्रतिमास	रुपये 6.50 प्रति सिलिंडर (14.2 कि.ग्रा.)

एल पी जी सिलिंडरों की घर पर सुपुर्दगी को डिस्ट्रीब्यूटरों के कार्य का अभिन्न हिस्सा माना गया है। परन्तु उपभोक्ताओं को 2.50 रुपये प्रति सिलैंडर की छूट के साथ सिलैंडर गोदाम/शोरूम से उठाने का विकल्प दिया गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1282. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री मंजय लाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार म्यानमार (वर्मा) में भूतपूर्व इण्डियन नेशनल आर्मी के बच रहे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन/आर्थिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्मा स्थित भूतपूर्व आई.एन.ए. सहायता समिति ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ). स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के तहत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन केवल भारतीय राष्ट्रिकों को ही प्रदान की जाती है। यह पेंशन उन पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रदान की जा सकती है, जो भारत के नागरिक हों लेकिन विदेश में रहते हों तथा भारत में ही पेंशन प्राप्त करने के लिए राजी हों।

सरकार को फरवरी, 1994 में आल बर्मा एक्स आई.एन.ए./ सिविल पर्सनल रिलीफ कमेटी, रंगून, के महा–सचिव से बर्मा में रह रहे 12 आवेदकों को पेंशन प्रदान करने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। यंगोन में भारतीय दूतावास से आवेदकों के संबंध में आवश्यक ब्यौरे, जैसाकि योजना के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। इन ब्यौरों के प्राप्त हो जाने के बाद ही उनके दावों के बारे में कोई निर्णय लेना संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन धारावाहिकों को पुरस्कार

1283. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन धारावाहिक टर्निंग पॉइन्ट को पेरिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा निर्मित धारावाहिकों को राष्ट्रीय स्तर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) दूरदर्शन द्वारा निर्मित और प्रसारित विज्ञान कार्यक्रमों की श्रृंखला "टर्निंग पॉइन्ट" को विशेष उल्लेख के साथ विज्ञान कार्यक्रमों संबंधी नीति हेतु दूरदर्शन को "जुलेस वर्ने ग्रैन्ड प्रिक्स" पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(ख) 30.9.94 से 10.10.94 के बीच पेरिस में आयोजित 11वें अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान टेलीविजन समारोह में भाग लेने वाले 35 देशों में से 5 देशों अर्थात बेल्जियम, स्पैन, पोलेन्ड, कोरिया और भारत को जुलेस वर्ने पुरस्कार हेतु चुना गया। इन देशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियों के पश्चात दूरदर्शन भारत को विज्ञान कार्यक्रमों संबंधी इसकी नीति तथा टर्निंग पॉइन्ट श्रृंखला के जरिए विज्ञान संचार के

प्रति इसके योगदान हेतु "द ग्रैन्ड प्रिक्स जुलेस वर्ने" नामक सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, निम्नलिखित वृत्तचित्रों तथा टेलीफिल्मों ने पुरस्कार जीते हैं :–

	नाम	पुरस्कार
1.	चांदी प्रसाद भट्ट की कहानी	18वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बर्लिन।
2.	रूक्मावती की हवेली	राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1992 में सर्वोत्तम निर्देशक और सर्वोत्तम आडियोग्राफी।
3.	चेलूवी	राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1993 में सर्वोत्तम पर्यावरण फिल्म।
4.	आइंज ऑफ स्नोन	ग्रैन्ड प्रिक्स
5.	सरोठी (असमिया)	राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम क्षेत्रीय भाषा फिल्म।
6.	कडावू (मलयालम)	

मुम्बई दूरदर्शन

1284. श्री शरद दिघे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए कितने समय का आबंटन किया गया है;

(ख) यह समय निर्धारण किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मुम्बई के कुछ संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बम्बई दूरदर्शन पर मराठी धारावाहिकों के लिए समय में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	भाषा का नाम	चैनल–I पर अवधि	चैनल–II पर अवधि
1.	मराठी	85 घंटे 16 मि.	53 घंटे 44 मि.
2.	हिंदी	03 घंटे 24 मि.	06 घंटे 54 मि.
3.	गुजराती	–	04 घंटे 26 मि.
4.	अंग्रेजी	0 घंटे 46 मि.	04 घंटे 01 मि.
5.	सिन्धी	–	01 घंटा 15 मि.
6.	अन्य	13 घंटे 49 मि.	12 घंटे 12 मि.

(ख) महाराष्ट्र/मुम्बई में सम्बन्धित भाषा बोलने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर समय नियत किया जाता है।

(ग) और (घ). दूरदर्शन मुम्बई के चैनल–I और II पर पहले से प्रसारित किए जा रहे मराठी धारावाहिकों के अलावा दूरदर्शन मुम्बई के चैनल–II (सिंगल मैट्रो) पर मराठी प्रायोजित धारावाहिकों हेतु अपराह 12.00 से 1.00 बजे के बीच समय स्लॉट आबंटित करने का प्रस्ताव है।

"हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों का प्रयोग

1285. श्री राम कापसे : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी पत्राचार में "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों के बदले किन नए शब्दो के प्रयोग का अनुदेश दिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत कुछ संगठनों/संघों द्वारा सरकार को यह अभ्यावेदन दिया गया था कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, शासकीय मामलों, व्यवहार आदि में "हरिजन" तथा "गिरिजन" शब्दों का प्रयोग कर रही है। इन संगठनों के अनुसार "हरिजन" तथा "गिरिजन" अनादर सूचक शब्द है और अक्सर सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच खास पहचान के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं।

इस मामले की जांच की गई और इस बात का संकेत देते हुए 16 अगस्त, 1992 को एक परिपत्र जारी किया गया था कि सभी शासकीय लेनदेन, मामलों, व्यवहारों, प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी में सेडयूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न राष्ट्रपति–आदेशों में उन जातियों/आदिवासियों के लिए संदर्भित केवल उनके समुचित अनुवाद के सांविधिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

रसोई गैस पाइप लाइन बिछाना

1286. डा. लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस और पाइप लाइन बिछाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में ये पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पाइप लाइन बिछाने हेतु प्राइवेट कम्पनियों के भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने एच वी जे पाइप लाइन की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। परियोजना में मध्य प्रदेश के विजयपुर से उत्तर प्रदेश के दादरी तक नयी लाइन बिछाना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेन्सियों का आवंटन

1287. श्री आर. जीवरत्नम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तमिलनाडु में कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस एजेन्सियां स्वीकृत की गईं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
1992–93	–	–
1993–94	3	1
1994–95	1	2
	4	3

[हिन्दी]

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984

1288. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 का कार्यान्वयन पूरी तरह से नहीं किया जा सका। केवल धारा 6(डी) और 6(एच) को ही प्रभाव में लाया गया है।

(ख) संशोधन अधिनियम के बारे में मुख्य आपत्तियां इस प्रकार थीं :—

(1) वक्फ आयुक्त को प्रत्यादेश शक्तियां प्रदान की गई हैं.

(2) वक्फ बोर्ड पूर्णतया स्वायत निकाय नहीं थे। सुझाव था कि पूर्णतया या अधिकांशतः निर्वाचित (सभा) बाडी होनी चाहिए।

(3) वक्फ (संशोधन) अधिनियम में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दावली के अर्थ के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं।

(ग) मुस्लिम मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा मुस्लिम समुदाय में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करने के बाद 27 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में एक विधेयक अर्थात वक्फ विधेयक, 1993 पेश किया गया है। इस विधेयक के उपबन्ध वर्तमान वक्फ विधानों को प्रतिस्थापित करेंगे और विचार–विमर्श के दौरान आम सहमति के आधार पर उसकी सीमा तक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का समाधान करेंगे।

रसोई गैस एजेन्सियों और खुदरा पेट्रोल केन्द्र को रद्द करना

1289. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार रसोई गैस एजेन्सियों/खुदरा पेट्रोल केन्द्रों की संख्या कितनी है, जिनके लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एजेन्यिों की संख्या कितनी है, जिनके लाइसेंस फिर से दिए गए हैं; और

(घ) उन एजेन्सियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ अभी जांच चल रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). वर्ष 1991–92 से 1993–94 के दौरान विभिन्न विपणन दिशानिर्देशों के उल्लंघन अथवा डीलरशिप करार आदि के उल्लंघन के संबंध में 37 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 39 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाप्त कर दी गई। इनमें से 6 खुदरा बिक्री डीलरशिपों और 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को दोबारा चालू कर दिया गया है। एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरूद्ध जांच जारी है।

[अनुवाद]

विमानन टर्बाइन ईंधन आयात करने की अनुमति

1290. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और कुछ निजी विमान कंपनियों ने केन्द्र सरकार से विमानन टर्बाइन ईंधन का सीधे आयात करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह की अनुमति प्रदान करने से विदेशी मुद्रा की आय पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार की योजना के तहत सुलभ विशेष आयात लाइसेंस के प्रति उन ए टी एफ आयात की संभाल करने में सहायता देने के लिए इंडियन एअरलाइन्स तथा निजी एअरलाइन्स ने इंडियन आयल कारपोरेशन से अनुरोध किया है। इंडियन आयल कारपोरेशन एअरलाइन्स की ओर से उक्त लाइसेंसों के प्रति वाणिज्यिक शर्तों पर ए टी एफ का आयात करेगा।

सिंचाई परियोजनाएं

1291. श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1994 तक सरकार के पास स्वीकृति के लिए कितनी सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव लम्बित थे;

(ख) परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्र में स्वीकृति के लिए लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण एवं वन दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन मंत्रालय से तथा अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजातीय विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दे पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

विवरण

30.11.94 की स्थिति के अनुसार सिंचाई एवं बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं के नाम व उनकी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वृहद/ मझौली
1	2	3
क.	**निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास परियोजनाएं :**	
	महाराष्ट्र	
1.	वान	वृहद
2.	कोयला कृष्णा लिफ्ट योजना	वृहद
	राजस्थान	
1.	नर्मदा चैनल	वृहद
2.	चौली सिंचाई	मझौली
ख.	**कुछ टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं :**	
	आंध्र प्रदेश	
1.	जूराला परियोजना	वृहद
2.	येल्लेरू जलाशय परियोजना फेज–I	वृहद
3.	वम्सधारा परियोजना चरण–II	वृहद
4.	पालेम वागू	मझौली
5.	पेड्डेरू जलाशय	मझौली
	बिहार	
1.	गंडक परियोजना फेज–II	वृहद
2.	सिकशन (अजाय बराज)	वृहद
3.	सोन केनाल आधुनिकीकरण फेज–I	वृहद
4.	नॉर्थ कोइल सिंचाई परियोजना	वृहद
5.	सुवर्णरेखा बहु–उद्देशीय परियोजना	वृहद
6.	कुंदघाट जलाशय योजना	मझौली
	गुजरात	
1.	मच्छू–I सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	वृहद
	हरियाणा	
1.	सतुलज यमुना संपर्क नहर	वृहद
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई	मझौली
2.	जहांगीर नहर का आधुनिकीकरण	मझौली
	कर्नाटक	
1.	हिप्पारगी परियोजना	वृहद
	केरल	
1.	इदामल्यार सिंचाई परियोजना (संशोधित)	वृहद
	मध्य प्रदेश	
1.	बारगी बहु–उद्देशीय परियोजना	वृहद
2.	कोलार परियोजना	वृहद
3.	ओमकारेश्वार बहु–उद्देशीय परियोजना	वृहद
4.	बाणसागर परियोजना यूनिट–II	वृहद
5.	बारगी दिक् परिवर्तन परियोजना	वृहद
6.	थानवार टैंक परियोजना	वृहद
7.	पेंच दिक् परिवर्तन परियोजना	वृहद
8.	राजघाट नहर परियोजना	वृहद
9.	मेहन परियोजना	वृहद
10.	सिंध नदी परियोजना फेज–II	वृहद

1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	वारना सिंचाई परियोजना	वृहद
2.	लोअर वून्ना परियोजना	वृहद
3.	गोसीखुर्द (इंदिरा सागर)	वृहद
4.	तिल्लारी परियोजना	वृहद
5.	अरूणावती नदी परियोजना	वृहद
6.	संगोला शाखा नहर	वृहद
7.	पूनाद	वृहद
8.	कारवा	वृहद
9.	बावनथाडी	वृहद
10.	पेंटाकली टैंक परियोजना	मझौली
11.	चंद्राभंगा	मझौली
12.	अपर मनार परियोजना	मझौली
13.	शिवा तकली एम आई परियोजना	मझौली
14.	जंघामहाट्टी लिफ्ट	मझौली
15.	सकोल	मझौली
16.	रायमोहन	मझौली
17.	टेमभापुरी	मझौली
18.	मोरना गुरेघार	मझौली
19.	मसालगा एम आई परियोजना	मझौली
20.	हेतवेनी	मझौली
21.	बेनीतुरा (येनीगुर)	मझौली
	मणिपुर	
1.	जीरी सिंचाई	मझौली
	उड़ीसा	
1.	कानपुर सिंचाई	वृहद
2.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	वृहद
3.	मेनजोर	मझौली
4.	रूकुरा सिंचाई	मझौली
5.	बघालाती सिंचाई	मझौली
6.	बाग बराज	मझौली
	राजस्थान	
1.	बीसालपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना	वृहद
2.	बेथावी सिंचाई	मझौली
	तमिलनाडु	
1.	कावेरी डेल्टा फेज'–I का आधुनिकीकरण	वृहद

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	बाणसागर परियोजना	वृहद
2.	जमानिया पंप नहर	वृहद
3.	बेवर फिडर परियोजना	वृहद
4.	मेगा बांध को ऊंचा उठाना	वृहद
5.	बुंदेलखंड क्षेत्र में लाइनिंग चैनल	वृहद
6.	राजघाट नहर परियोजना	वृहद
7.	हिंडन कृष्णीदोआब	मझौली
	पश्चिम बंगाल	
1.	सुवर्णरेखा बराज परियोजना	वृहद
ग.	**सलाहकार समिति द्वारा विचार-विमर्श अस्थगित :**	
	आंध्र प्रदेश	
1.	तेलगु–गंगा परियोजना	वृहद
	बिहार	
1.	तिलैया धाधर	वृहद
2.	कोनार सिंचाई योजना	वृहद
	गुजरात	
1.	वलान सिंचाई योजना	मझौली
	हरियाणा	
1.	हथनी कुंड बराज परियोजना	वृहद
	मध्य प्रदेश	
1.	महानदी जलाशय परियोजना	वृहद
	महाराष्ट्र	
1.	दूध गंगा सिंचाई परियोजना	वृहद
	पंजाब	
1.	सतलुज–यमुना संपर्क नहर भाग–III पंजाब सिंचाई	वृहद
	पश्चिम बंगाल	
1.	कंगसावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	वृहद
(घ)	**परियोजनाएं, जिनके बारे में विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल किए जाने हैं :**	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	के.सी. नहर का आधुनिकीकरण	वृहद
2.	पुली चिन्ताला योजना–	वृहद–
3.	श्रीराम सागर से बाढ़ प्रवाह नहर	वृहद–
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	डजूजा बहुप्रयोजनी परियोजना	वृहद

1	2	3
	असम	
1.	पगलारिया बांध	वृहद
2.	गैरूफेल्ला सिंचाई	वृहद
3.	बुरी–कसुती	मध्यम
	बिहार	
1.	जमनिया पम्प नहर योजना	वृहद
2.	पुन–पुन–धरधा सिंचाई योजना	वृहद
3.	सुखसेनाघाट पम्प नहर	वृहद
4.	कोसी परियोजना फेज–II	वृहद
5.	बुरही जलाशय परियोजना	वृहद
6.	पुनासी जलाशय परियोजना	वृहद
7.	कात्री जलाशय योजना	मध्यम
	गुजरात	
1.	अंड II (गुहाटी सरोवर)	मध्यम
2.	गोमा सिंचाई योजना	मध्यम
3.	महुपाड़ा जलाश्य परियोजना	मध्यम
4.	ओजट II जलाशय परियोजना	मध्यम
5.	लिबाडी भगव II (वडोड) सिंचाई योजना	मध्यम
6.	मिती सिंचाई परियोजना का पुनरूद्धार	मध्यम
	हरियाणा	
1.	नांगल लिफ्ट सिंचाई योजना	वृहद
2.	हरियाणा में जलमार्गों का आधुनिकीकरण	वृहद
3.	हरियाणा में विद्यमान चैनलों का आधुनिकीकरण	वृहद
4.	डब्ल्यू आर सी पी हरियाणा सरकार के पाइनरों का पिस्तार आदि	मध्यम
5.	खेडी, करनाल आदि के लिए डब्ल्यू आर सी पी परियोजना	मध्यम
	हिमाचल प्रदेश	
1.	शाहनहर सिंचाई योजना	वृहद
2.	रेणुका बांध परियोजना	वृहद
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	रनबीर नहर का आधुनिकीकरण	वृहद
2.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम
3.	इगोफोई सिंचाई योजना	मध्यम
4.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम
5.	दाडी नहर का आधुनिकीकरण	मध्यम

1	2	3
	कर्नाटक	
1.	अपर कृष्णा परियोजना चरण–II	वृहद
2.	अपर थुंगा परियोजना	वृहद
3.	वरही	वृहद
4.	रामथेल लिफ्ट सिंचाई	वृहद
	केरल	
1.	नेयार सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	वृहद
2.	कुरियार कुट्टी करापारा बहुउद्देशीय परियोजना	वृहद
3.	मीआचिल नदी घाटी सिंचाई परियोजना	मध्यम
	मध्य प्रदेश	
1.	अरपा परियोजना	वृहद
2.	केलो सिंचाई परियोजना	वृहद
3.	सोतीपट टैंक परियोजना	मध्यम
4.	गेज	मध्यम
5.	महुआर	मध्यम
6.	बारचर	मध्यम
7.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	मध्यम
8.	अपर बेडा	मध्यम
9.	उरीबाग	मध्यम
	महाराष्ट्र	
1.	तुलतुली परियोजना	वृहद
2.	तलंबा सिंचाई परियोजना	वृहद
3.	ह्यूमन नदी परियोजना	वृहद
4.	दारा सिंचाई परियोजना	मध्यम
5.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	मध्यम
6.	कोरडीनल्ला परियोजना	मध्यम
7.	लोअर बनराजा (अक्कलपेडा)	मध्यम
8.	नगन एम आई परियोजना	मध्यम
9.	जाम	मध्यम
10.	कार	मध्यम
11.	बोरडेहेगांव	मध्यम
12.	ब्रहननगांव सिंचाई परियोजना	मध्यम
	मणिपुर	
1.	तिपाईमुख बांध परियोजना	वृहद
	उड़ीसा	
1.	वन डेम परियोजना	वृहद
2.	लोअर सुकटेल	वृहद
3.	लोअर इंदिरा सिंचाई तेलंगीर	वृहद

1	2	3
	पंजाब	
1.	भाखड़ा मुख्य नहर के पक्के भागों को ऊंचा करने का संशोधित प्राक्कलन	वृहद
2.	बुडसाही नहर का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	मध्यम
	राजस्थान	
1.	इंदिरा गांधी नहर चरण (विस्तार, नवीकरण आधुनिकीकरण)	वृहद
2.	गरारदा लिफ्ट सिंचाई	मध्यम
3.	बंडीसुन्दरा	मध्यम
4.	चकन सिंचाई	मध्यम
5.	ओ राडा सिंचाई	मध्यम
6.	साकिली सिंचाई	मध्यम
7.	पिपलेड सिंचाई	मध्यम
	तमिलनाडु	
1.	मद्रास के लिए कृष्णा जल आपूर्ति चरण–I	वृहद
2.	तमिलनाडु जल समेकन परियोजना डब्ल्यू आर सी पी	वृहद
	उत्तर प्रदेश	
1.	चित्तोड़गढ़ जलाशय	वृहद
2.	जुराली पम्प नहर परियोजना	वृहद
3.	मौदाहाबांध परियोजना	वृहद
4.	कनहन सिंचाई योजना	वृहद
5.	घग्घर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	वृहद
	पश्चिम बंगाल	
1.	देलांग जलाशय योजना	वृहद

लिग्नाइट पर रायल्टी

1292. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990–91 के दौरान लिग्नाइट की रायल्टी की दरों को एफ. एन्ड जी. ग्रेड के कोयले के साथ जोड़ दिया गया था;

(ख) क्या हाल ही में कोयले की रायल्टी की दरों में संशोधन करते समय इसे एफ एन्ड जी ग्रेड के कोयले की दरों से अलग कर दिया गया था;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने रायल्टी की उच्च दरों के अपने दावे के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). लिग्नाइट पर रायल्टी प्रथम बार, जुलाई, 1990 में 2.50 रुपए प्रति टन निर्धारित की गई थी। लिग्नाइट को "एफ" एवं "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले सहित ग्रेड "V" कोयले के रूप में वर्गीकृत किया गया।

कोयले पर रायल्टी की दरें पूर्व में अगस्त, 1991 में संशोधित की गई थीं। किन्तु, लिग्नाइट पर रायल्टी की दर इसलिए संशोधित नहीं की गई थी, चूंकि अभी इसके संशोधन की अवधि देय नहीं हुई थी। लिग्नाइट पर रायल्टी की दर 2.50 रुपए प्रति टन ही चल रही है, जबकि कोयले पर रायल्टी की दरों में हाल ही में और संशोधन किया गया है।

विगत, हाल ही में गुजरात सरकार से लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस प्रस्ताव में गुजरात में उत्पादित किए जाने वाले लिग्नाइट पर उच्च रायल्टी की अनुमति दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है। गुजरात सरकार के विचारों को लिग्नाइट की रायल्टी की दरों पर संशोधन करने संबधी निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा।

मैच वैक्स का आबंटन

1293. श्री जंगवीर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैच वेक्स के आबंटन के लिए हरियाणा राज्य सरकार का अनुरोध केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को स्वीकृत करने के मामले में प्रमुख अवरोध क्या है; और

(ग) हरियाणा राज्य की मांग को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). हरियाणा के उद्योग निदेशालय ने पैराफिन मोम टाइप–III (मैच वेक्स) के करीब सात सौ मि. टन प्रतिमाह के नियमित आधार पर आबंटन के लिए अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैराफिन मोम की सभी किस्मों का आबंटन उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है। उत्पाद को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पैराफिन मोम के आयात को 1.4.1992 की प्रभावी तिथि से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

सिंचाई परियोजनाएं

1294. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बड़े तथा मध्यम स्तर की कौन–कौन सी सिंचाई परियोजनाएं अपने निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी मूल्य वृद्धि हुई;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने आठवीं योजना के अन्तर्गत इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के पास वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). उड़ीसा की उन वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं, जो अपने मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा की उन वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा, जो अपने मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं तथा इससे लागत बढ़ने के कारण दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	परियोजना का नाम	पूर्ण करने की लक्ष्यांकित तारीख		अनुमानित लागत	
	शुरू करने का वर्ष	मूल	संशोधित	मूल	संशोधित
	वृहद				
1.	अपर इंद्रावती सिंचाई–1978	1987–88	1996–97	42.74	422.75
2.	अपर कोलाबा सिंचाई–1976	6/1982	7/1998	24.04	204.78
3.	रेंगाली सिंचाई–1978	1991–92	*	233.64	1892.53
4.	पोट्टेरू सिंचाई–1976	6/1982	6/1996	14.81	102.39
	मझौली				
1.	अपर जॉक–1979–80	1986–97	1996-97	12.78	82.13
2.	बदनाला–1982	1987	8वीं योजना	13.86	92.00
3.	हरिहर जोरे–1980	1985	–वही–	7.18	51.19
4.	हरभंगी–1979	1984	–वही–	9.01	96.00
5.	भभुआ चरण–II–1983	1987	–वही–	6.23	39.46

टिप्पण

1. * निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
2. लागत बढ़ोत्तरी के कारण ये हैं :
   (i) निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि।
   (ii) पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना तथा निजी और वन दोनों प्रकार की भूमि के अधिग्रहण में समस्याएं।
   (iii) क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के कार्यक्षेत्र और अभिकल्प में परिवर्तन।
3. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए केंद्र में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की दयनीय दशा

1295. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की दयनीय दशा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता है।

आतंकवाद

1296. श्री दत्ता मेघे :
डा. साक्षीजी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित राज्य सरकारों ने, चालू वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है :–

राज्य का नाम	मांगी गई सहायता
1. हिमाचल प्रदेश	3.50 करोड़ रुपये
2. अरूणाचल प्रदेश	5.00 करोड़ रुपये
3. आन्ध्र प्रदेश	203.20 करोड़ रुपये
4. गुजरात	3.00 करोड़ रुपये
5. गोवा	22.75 लाख रुपये
6. नागालैंड	10.25 करोड़ रुपये
7. मणिपुर	16.30 करोड़ रुपये
8. महाराष्ट्र	3.00 करोड़ रुपये
9. पंजाब	3.77 करोड़ रुपये
10. उत्तर प्रदेश	41.64 करोड़ रुपये

(ख) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन राज्य सरकारों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू वित्त वर्ष 1994-95 के लिए "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना" के अधीन राज्य सरकारों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण (9.12.1994 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	1994–95 के लिए आबंटन	पहली किश्त के अधीन जारी की गई राशि	दूसरी किश्त के रूप में की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र पदेश	209.560	104.780	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	46.670	23.135	23.135
असम	95.430	शून्य	शून्य
बिहार	233.120	116.560	शून्य
गोवा	58.960	शून्य	शून्य
गुजरात	150.180	शून्य	शून्य
हरियाणा	71.710	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	40.690	20.345	शून्य
जम्मू और कश्मीर	81.540	40.770	शून्य
कर्नाटक	150.800	75.400	शून्य
केरल	113.990	56.995	शून्य
महाराष्ट्र	251.290	125.645	शून्य
मध्य प्रदेश	237.820	118.910	118.910
मणिपुर	34.630	17.315	17.315
मेघालय	25.940	12.970	12.970
मिजोरम	43.890	21.945	21.945
नागालैण्ड	38.430	19.215	शून्य
उड़ीसा	104.610	52.305	शून्य
पंजाब	84.650	42.325	शून्य
राजस्थान	154.920	77.460	शून्य
सिक्किम	17.220	8.610	शून्य
तमिलनाडु	196.750	98.375	शून्य
त्रिपुरा	46.530	23.265	शून्य
उत्तर प्रदेश	336.300	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	174.770	87.385	शून्य
योग	3000.00	1143.710	194.275

नोट :- 1993–94 के दौरान जारी की गई राशि के संबंध में 100 प्रतिशत उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद ही दूसरी किश्त जारी की जाती है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखाने

1297. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार पूर्वी तट पर तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने की क्षमता कितनी होगी;

(ग) यह शोधक कारखाना कहां पर लगाया जायेगा; और

(घ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). इंडियन आयल कार्पोरेशन को पूर्वी तट में 6 एम एम टी पी ए संयुक्त रिफाइनरी स्थापित करने

के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्राप्त है। व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान इस रिफाइनरी को दैतारी में स्थापित करने का प्रस्ताव था। परन्तु रिफाइनरी के वास्तविक स्थान का निर्णय फिलहाल की जा रही विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

1298. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस में एक अलग जांच एजेन्सी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक बना दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी में से, दिल्ली पुलिस के सभी 9 जिलों में "विशेष जांच इकाइयां" गठित की गई हैं, प्रत्येक इकाई एक सहायक पुलिस आयुक्त के अधीन है, ताकि जघन्य और महत्वपूर्ण मामलों में तत्काल पेशेवर और सतत जांच-पड़ताल की जा सके। विशेष जांच इकाइयों के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(1) जघन्य और महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त करना।

(2) जांच-पड़ताल की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(3) मामलों को जल्दी पूरा करना और विलम्ब में कमी लाना सुनिश्चित करना।

(4) न्यायालयों में मामलों की पेरवी में सुधार लाना।

(5) शिकायतकर्त्ताओं के प्रति जांच अधिकारियों के रवैए में सुधार लाना।

(6) जनता, विशेषतया शिकायतकर्त्ताओं से बेहतर सम्पर्क बनाना और उनको संतुष्ट करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नौ जिलों में "विशेष जांच इकाइयां" पहले ही गठित कर दी गई हैं।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1299. डा. साक्षीजी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है।

विवरण

(राशि: लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत व्यय	3/94 तक आया व्यय	8वीं योजना परिव्यय	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1.	घग्घर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	2619.54	2226.00	862	4/92	राज्य को केंद्रीय जल आयोग से परामर्श करके जल वैज्ञानिक पहलुओं पर नए अध्याय को अंतिम रूप देने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

वृद्धों का कल्याण

1300. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में जरा विज्ञान के संबंध में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस विचारगोष्ठी में की गई प्रमुख टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वृद्धों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार को अभी तक संगोष्ठी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्र सरकार वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सहायता से वृद्धावस्था

गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों और सचल चिकित्सा एककों की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें वयोवृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन भी प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

डिगबोई तेल शोधनशाला

1301. श्री केशरी लाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डिगबोई स्थित तेल शोधनशाला का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके आधुनिकीकरण के पश्चात् तेल शोधनशाला की क्षमता में कितनी वृद्धि होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). 346.34 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत की डिगबोई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना मई, 1993 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इस रिफाइनरी की क्षमता 0.15 एम एम टी पी ए बढ़ा दी जाएगी। इस परियोजना के अनुमोदन की तारीख से 30 महीनों के भीतर पूरा होने की संभावना है।

पेट्रोलियम क्षेत्र

1302. श्री साइमन मरान्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान वर्तमान तेलशोधक कारखानों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई; और

(घ) देश में चालू वर्ष के दौरान कितने पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन हुआ तथा पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस पर हुए वार्षिक खर्च का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों, गुणवत्ता सुधार आदि के माध्यम से तेल कम्पनियों द्वारा मौजूदा रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने और अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ये उपाय सतत् उपाय हैं और फिलहाल इन प्रयासों के परिणामों का ठीक-ठीक परिमाण निकालना संभव नहीं है।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की वर्तमान रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर व्यय का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 1994-95 के समाप्त होने के बाद ही ज्ञात होगा।

(घ) सूचना निम्नवत है :-

अवधि	पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन (मिलियन टनों में)
1993-94	51.084
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर, 1994)	30.57

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन वृद्धि के बारे में स्थिति और 1994-95 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर हुए व्यय का ब्यौरा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही ज्ञात होगा।

रसोई गैस कनेक्शन

1303. श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री राम निहोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रसोई गैस के मंजूर किए गए कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) प्रतीक्षा सूची के शेष कनेक्शनों का निपटान करने के लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को 1994-95 के दौरान पूरे देश में 20 लाख नए ग्राहकों के नाम दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) विद्यमान स्रोतों से होने वाले अधिक उत्पादन, नए उत्पादन स्रोतों को आरंभ करके तथा आयातों के माध्यम से अधिक उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करके अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र संभव एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्शन जारी करने के अनवरत प्रयास जारी हैं।

विवरण

(आंकड़े "000" से)

क्र.सं.	राज्य	जारी किए गए एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्शनों की संख्या		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.92	65.68	100.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.01	0.77	1.92
3.	असम	13.13	8.66	10.92

1	2	3	4	5
4.	बिहार	36.57	31.89	48.53
5.	गोवा	4.65	3.69	6.73
6.	गुजरात	56.24	42.40	57.66
7.	हरियाणा	34.43	25.41	44.42
8.	हिमाचल प्रदेश	16.91	31.46	52.19
9.	जम्मू और कश्मीर	17.84	23.90	32.33
10.	कर्नाटक	70.00	55.85	87.99
11.	केरल	58.27	44.54	64.97
12.	मध्य प्रदेश	47.73	35.02	52.34
13.	महाराष्ट्र	102.71	97.70	168.55
14.	मणिपुर	0.26	0.41	1.79
15.	मेघालय	0.99	1.20	1.77
16.	मिजोरम	2.10	1.59	2.52
17.	नागालैंड	2.16	1.05	1.23
18.	उड़ीसा	25.91	19.58	22.94
19.	पंजाब	41.33	38.91	52.41
20.	राजस्थान	52.15	39.38	80.65
21.	सिक्किम	2.76	0.97	1.94
22.	तमिलनाडु	59.40	66.05	94.57
23.	त्रिपुरा	0.76	0.86	1.02
24.	उत्तर प्रदेश	141.26	97.15	185.31
25.	पश्चिम प्रदेश	64.48	51.43	72.17
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार	0.87	0.81	2.03
2.	चंडीगढ़	4.60	4.13	7.38
3.	दादर व नगर हवेली	0.42	0.13	0.24
4.	दमन और द्वीव	0.40	0.28	0.40
5.	दिल्ली	61.68	61.30	93.56
6.	लक्षद्वीप	0.28	0.11	0.21
7.	पांडिचेरी	0.44	0.64	0.98

बीना में तेल शोधक कारखाना

1304. श्री आनंद अहिरवार :

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तेल शोधक कारखाने के कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कारखाना कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मध्य भारत में 6 एम एम टी पी ए क्षमता की ग्रासस्ट रिफाइनरी तथा संबंधित क्रास–कन्ट्री क्रूड पाइप लाइन स्थापित करने संबंधी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) को तैयार करने के लिए जनवरी, 1993 में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) को पहले चरण का अनुमोदन दे दिया है। मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने निवेश निर्णय के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् 42 माह के अन्तर्गत रिफाइनरी आरंभ होने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ईसाईयों को लाभ

1305. प्रो. के.वी. थामस : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ईसाईयों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले सारे लाभ दिये जाने हेतु किये जा रहे आन्दोलन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). अनुसूचित जनजाति मूल के ईसाईयों को अनुसूचित जनजाति के लाभ प्रदान करने के लिए विविध संगठनों/संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के मामले में उनका जाति परिवर्तन उन्हें अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावित नहीं करता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन के लिए प्राप्त विविध अभ्यावेदनों को सरकार द्वारा स्थापित एक सलाहकार समिति देख रही है। समिति के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली पुलिस

1306. श्री तेजनारायण सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान अब तक दिल्ली पुलिस के कितने कांस्टेबल और अधिकारियों के विरूद्ध बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इन मामलों में दिल्ली पुलिस के कितने कांस्टेबल और अधिकारियों को इन मामलों के लिए दंडित किया गया है; और

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों ने विरूद्ध मामले न्यायालयों में लम्बित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) कांस्टेबल तथा अन्य अधिकारियों की संख्या, जिनके खिलाफ बलात्कार संबंधी मामले दर्ज किए गए, निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कांस्टेबल	हैड कांस्टेबल	सहायक उप–निरीक्षक	उप–निरीक्षक
1992	1	2	–	–
1993	7	1	1	–
1994 (30.11.94 तक)	3	–	1	–

(ख) 6 कांस्टेबल, एक हैड–कांस्टेबल और एक सहायक उप–निरीक्षक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(ग) 7 कांस्टेबलों, 2 हैड–कांस्टेबलों और एक सहायक उप–निरीक्षक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं।

कोयले का आयात

1307. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उन्नत किस्म के कोयले का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशी कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) इस्पात संयंत्र ही निम्न राख वाले कोकर कोयले की गुणवत्ता में समग्र रूप में सुधार करने के लिए मिश्रण हेतु तथा कोकर कोयले की देशीय उपलब्धता तथा मांग के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात करते हैं।

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी. एस. पी.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कोकर कोयले की मात्रा तथा कीमत नीचे दर्शायी गई है :–

कंपनी का नाम	वर्ष	आयात की मात्रा (मि.टन में)	अनुमानित कीमत (करोड़ रुपये में)	
सेल	1991–92	4.255	672.5	
	1992–93	4.248	779.6	(भाड़ा सहित)
	1993–94	4.754	089.1	
वी.एस.पी.	1991–92	0.989	186.03	
	1992–93	1.658	355.94	भू–तल लागत
	1993–94	1.884	384.71	

(स्रोत : सेल एवं वी. एस. पी.)

(ग) देशीय कोकर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए हैं :–

(1) चालू परियोजनाओं के विकास को तेज किया जाना तथा इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित ग्रेडों के कोयले का उत्पादन किए जाने के लिए नई खानों का खोला जाना।

(2) विद्यमान कोकर कोयला वाशरियों को आधुनिकीकृत किया जाना।

(3) इस्पात संयंत्रों के प्रयोग के लिए कोकर कोयले की धुलाई हेतु नई वाशरियों को स्थापित किया जाना।

(4) देशीय कोयला धुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए कोल इंडिया लि० ने विश्व–व्यापी आधार पर स्व–निर्मित–स्व–चालित योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

[हिन्दी]

निर्धारित वजन से कम वजन के रसोई गैस सिलेंडर

1308. श्री पंकज चौधरी :
डॉ. रमेश चंद तोमर :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को निर्धारित वजन से कम **वजन के रसोई गैस** सिलेंडरों के वितरण तथा पेट्रोलियम उत्पादों **की कालाबाजारी संबंधी** कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे वितरकों के विरूद्ध क्या **कार्यवाही की** गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). 1994–95 **(अप्रैल** से अक्तूबर, 1994 तक) के दौरान डिस्ट्रीब्यूटरों/डीलरों **द्वारा अधिक** राशि वसूल करने तथा कम भार के एल पी जी सिलिंडरों **के स्थापित** मामले के विवरण निम्नानुसार है :

	राज्य	कम भार के सिलिंडर	अधिक राशि वसूल करना
1.	आंध्र प्रदेश	–	2
2.	बिहार	–	5
3.	गुजरात	1	11
4.	हरियाणा	–	2
5.	जम्मू और कश्मीर	1	1
6.	महाराष्ट्र	–	4
7.	पंजाब	–	3
8.	राजस्थान	–	1
9.	तमिलनाडु	–	3
10.	उत्तर प्रदेश	17	13
11.	दिल्ली	4	2
12.	पश्चिम बंगाल	–	1

(ग) जब कभी कम भार/अधिक राशि वसूल करने के संबंध में शिकायतें मिलती हैं तब उनकी जांच की जाती है तथा यदि ये स्थापित हो जाती हैं तो चूककर्त्ता डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें अर्थदंड लगाना, डीलरशिप को स्थगित करना अथवा समाप्त करना शामिल है।

इंदिरा गांधी नहर

1309. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस नहर के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना को समय से पूरा करने हेतु और अधिक धनराशि देने का है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए वर्ष 1994–95 हेतु उपलब्ध किया गया कुल परिव्यय 153 करोड़ रुपए है जिसमें राज्य योजना के अंतर्गत प्रावधान तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता शामिल है।

(ख) अक्तूबर, 1994 के अंत तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगभग 1169 करोड़ रुपए व्यय किया गया है।

(ग) यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण–I पूरा हो गया है। चरण–II के मामले में मुख्य नहर पूरी हो चुकी है तथा वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है।

(घ) से (ड). इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राजस्थान राज्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1992–93 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गयी निर्मुक्तियां 52 करोड़ रुपए थीं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में और 10 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 1993–94 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 52 करोड रुपए निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 1994–95 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन

1310. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं (दैनिक, साप्ताहिक और मासिक) की भाषा–वार संख्या और इनकी प्रसार संख्या कितनी है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं को राज्य/संघ राज्य–वार विज्ञापन हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) विज्ञापनों के प्रकाशन और समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं को नियमित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को उनकी वार्षिक रिपोर्ट "प्रेस इन इंडिया, 1994 को तैयार करने के लिए समाचार संगठनों द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक विवरणों के आधार पर संकलित सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है। कई समाचार–पत्रों ने अपने प्रसार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और इसलिए सभी समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं के प्रसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान समाचार–पत्रों, मैगजीनों को जारी किए गए विज्ञापनों की राशि विवरण–II में दी गई है।

(ग) प्रचार अपेक्षाओं और बजटीय प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए सरकारी विज्ञापन केवल उन्हीं समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं को जारी किए जाते हैं जो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल होते हैं। समाचार–पत्रों के प्रकाशन को समय–समय पर यथासंशोधित प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विभिन्न प्रावधानों की शर्तों के अधीन विनियमित किया जाता है।

विवरण-I

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं (दैनिक, साप्ताहिक और मासिक) की भाषा वार संख्या

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
1	2	3	4
अंग्रेजी	256	637	2161
हिन्दी	1674	6050	2230
असमी	10	51	41
बंगला	80	503	582
गुजराती	78	289	387
कन्नड़	203	289	395
कश्मीरी	–	1	–

1	2	3	4
कोंकणी	–	2	1
मलयालम	184	154	585
मणिपुरी	10	3	3
मराठी	225	579	397
उड़िया	46	84	224
पंजाबी	79	296	204
संस्कृत	3	6	13
सिन्धी	8	31	32
तमिल	297	324	578
तेलुगु	87	206	336
उर्दू	389	1022	437
नेपाली	1	12	7

विवरण-II

1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान समाचार पत्रों /पत्रिकाओं की जारी किए गए विज्ञापनों को राज्य वार राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि रुपयों में)

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7124961	10355692.00	10108306.00
असम	3787446	4807013.00	4528927.00
बिहार	6554367	9049880.00	10194575.00
गुजरात	8936338	11412175.00	12302592.00
हरियाणा	940451	1461677.00	1668025.00
हिमाचल प्रदेश	400138	597577.00	566208.00
जम्मू और कश्मीर	1908294	2778424.00	2946324.00
कर्नाटक	5681744	7376742.00	10466453.00
केरल	10307160	12628539.00	11445867.00
मध्य प्रदेश	10696510	15292636.00	17852438.00
महाराष्ट्र	27652836	31359422.00	31565247.00
मणिपुर	233221	334166.00	338959.00
मेघालय	276908	553636.00	605465.00
नागालैण्ड	91924	181250.00	123385.00
उड़ीसा	3843112	4552367.00	5321998.00
पंजाब	9880545	15569546.00	13577775.00
राजस्थान	9699831	12699567.00	15420567.00
सिक्किम	147155	134699.00	133587.00
तमिलनाडु	9920027	11499163.00	10720452.00
त्रिपुरा	610493	820449.00	854097.00
उत्तर प्रदेश	17977468	23170711.00	26459677.00
पश्चिम बंगाल	17822416	24089196.00	23576128.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37478	31513.00	54862.00
अरूणाचल प्रदेश	143303	224491.00	257333.00
चंडीगढ़	5743572	7617779.00	6848527.00
दिल्ली	70465717	89201848.00	96280801.00
गोवा	477791	608361.00	527536.00
मिजोरम	61601	95736.00	94665.00
पांडिचेरी	105017	122673.00	117481.00
कुल	231507824	298627428.00	314960257.00

कोयला परियोजनाएं

1311. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारत और अमरीका के बीच कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन राज्यों में ये कोयला परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जुलाई, 1994 में सयुक्त राज्य अमरीका के उर्जा सेक्रेटरी के भारत के दौरे के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक संयुक्त आशय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत खनन उर्जा क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा।

(ख) संयुक्त समझौते में सहयोग किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए मुख्य क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र निम्नलिखत हैं : संयुक्त परियोजनाओं का संयुक्त आयोजन सार्वजनिक रूप में उपलब्ध तकनीकी तथा आर्थिक आंकड़ों का विनिमय, जिसमें साफ कोयला की लागत में किफायत तथा कोयला बेड मिथेन निकासी संबंधी आंकड़े शामिल हैं, खनन उर्जा प्रौद्योगिकी पैरामीटर के संयुक्त तकनीकी मूल्यांकन, जिसमें साफ कोयला उपयोगिता पैरामीटर, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण शामिल हैं।

(ग) इस संबंध में विशिष्ट परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किए जाने के बाद ही ब्यौरों की जानकारी मिल सकेगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा कमीशन्ड कार्यक्रम

1312. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा कमीशन्ड कार्यक्रम के तहत निर्माताओं को अधिकार देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने निर्माताओं को अधिकृत किया; और

(ग) इन निर्माताओं द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन की कमीशंड कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावों के विचारार्थ निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जाता है :

(i) दूरदर्शन की आवश्यकता के अनुसार कहानी, विषय–वस्तु अथवा विषय की प्रासंगिकता;

(ii) विषय/कहानी का निरूपण;

(iii) प्रसारण संहिता के प्रति अनुरूपता;

(iv) निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मीदल आदि का ट्रैक रिकार्ड।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरानी फिल्में

1313. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के प्राथमिक चैनल पर रात में दिखाई जाने वाली भारतीय भाषाओं की पुरानी उत्कृष्ट तथा अन्य विशिष्ट फिल्मों का प्रसारण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फिल्मों का प्रसारण पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). जी, नहीं। दूरदर्शन द्वारा शुक्रवार रात्रि को प्रख्यात और ब्लाक बस्टर फिल्में प्रसारित की जा रही हैं। दूरदर्शन द्वारा रविवार की शाम को पुरानी प्रतिष्ठित फिल्मों का प्रसारण करने की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति

1314. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्य–वार पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान मदों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994–95 के दौरान इन मदों के कोटे में वृद्धि किए जाने के लिए किसी राज्य की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा का है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1994 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार सप्लाई की गई मात्रा विवरण–I में दी गई है।

(ख) से (ङ). देश में डीजल और पेट्रोल की मांग संपूर्णतः पूरी की जा रही है। मिट्टी का तेल एक आवंटित उत्पाद है। 1992–93 और 1993–94 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार खपत विवरण–II में दी गई है।

मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के समय समय पर आवेदन प्राप्त होते रहते हैं।

विवरण-I

अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1994 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों को सप्लाई किए गए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा

राज्य/संघ क्षेत्र	पेट्रोल	मिट्टी का तेल	डीजल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	130.24	298.13	1203.62
असम	25.04	128.94	171.73
बिहार	72.29	273.59	690.40
गोवा	13.27	13.65	72.45
गुजरात	154.60	376.37	835.12
जम्मू और कश्मीर	18.77	51.89	81.69
केरल	83.17	134.28	485.52
मध्य प्रदेश	87.94	205.96	734.92
तमिलनाडु	43.04	335.35	1205.00
महाराष्ट्र	302.61	732.76	1469.99
कर्नाटक	132.56	228.17	711.88
उड़ीसा	30.23	102.77	263.12
पंजाब	131.05	165.83	820.50

1	2	3	4
राजस्थान	74.60	141.42	782.53
उत्तर प्रदेश	181.16	492.54	1634.70
पश्चिम बंगाल	72.11	384.94	675.04
हरियाणा	65.02	76.62	566.69
हिमाचल प्रदेश	12.67	13.67	69.22
अरूणाचल प्रदेश	6.42	6.19	23.19
मणिपुर	4.4	11.27	11.17
मेघालय	7.51	7.75	34.88
मिजोरम	2.61	3.48	8.23
नागालैंड	5.03	5.59	11.32
सिक्किम	1.42	2.76	3.18
त्रिपुरा	2.72	11.06	15.45
अंडमान और निकोबर	1.06	2.31	18.66
चंडीगड़	18.53	7.78	22.37
दिल्ली	195.21	110.32	430.52
दादरा और नगर हवेली	1.15	1.52	10.28
दमन और द्वीप	1.10	2.16	2.51
लक्ष्यद्वीप	—	.08	.03
पांडिचेरी	5.03	7.46	43.21
अखिल भारत योग	1982.61	4338.57	13109.09

विवरण-II

1992-93 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार खपत

(आंकड़े टी एम टी में)

राज्य/संघ क्षेत्र	पेट्रोल	मिट्टी का तेल	डीजल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	225.19	581.98	2105.54
असम	52.66	253.09	337.48
बिहार	134.18	471.78	1376.05
गोवा	24.87	26.68	126.23
गुजरात	277.78	788.75	1570.25
जम्मू और कश्मीर	36.13	96.15	166.54
केरल	143.57	266.29	803.08
मध्य प्रदेश	164.43	376.62	1385.67
तमिलनाडु	244.42	662.21	2144.46
महाराष्ट्र	555.29	1502.54	2789.38
कर्नाटक	232.14	452.28	1275.18
उड़ीसा	56.43	156.54	504.37
पंजाब	218.84	328.13	1314.50
राजस्थान	135.53	267.97	1487.35
उत्तर प्रदेश	339.61	928.00	3186.79
पश्चिम बंगाल	142.24	749.58	1423.62
हरियाणा	166.38	153.45	945.39
हिमाचल प्रदेश	23.18	36.66	121.85
मणिपुर	9.21	20.75	22.73
मेघालय	14.77	16.06	74.58
नागालैंड	11.04	11.07	21.76
सिक्किम	2.88	6.04	6.27
त्रिपुरा	5.98	21.58	30.94
अंडमान और निकोबार	2.19	4.10	37.29
अरूणाचल प्रदेश	10.31	12.264	43.45
चंडीगड़	33.18	20.81	40.20
दिल्ली	363.38	236.57	810.19
दादर और नगर हवेली	1.95	4.05	13.15
दमन और द्वीव	1.59	5.07	4.76
लक्ष्यद्वीप		.32	3.71
मिजोरम	5.16	6.62	14.58
पांडिचेरी	8.68	14.24	94.52
योग	3593.07	8472.63	24281.82

विवरण-III

1993-94 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार खपत

(आंकड़े टी एम टी में)

राज्य/संघ क्षेत्र	पेट्रोल	मिट्टी का तेल	डीजल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	241.59	590.76	2191.01
असम	50.76	254.61	346.23
बिहार	136.19	511.11	1329.35
गोवा	26.85	27.28	141.39
गुजरात	310.43	789.82	1771.64
जम्मू और कश्मीर	46.4	103.98	183.55

1	2	3	4
केरल	156.72	270.18	959.69
मध्य प्रदेश	173.75	405.22	1487.00
तमिलनाडु	261.98	606.19	2233.12
महाराष्ट्र	581.81	1523.13	2965.98
कर्नाटक	252.34	452.49	1398.03
उड़ीसा	58.92	174.86	534.11
पंजाब	247.37	326.56	1441.67
राजस्थान	146.25	286.38	1640.35
उत्तर प्रदेश	360.09	976.20	3362.54
पश्चिमी बंगाल	144.18	761.53	1404.01
हरियाणा	122.56	156.98	1076.75
हिमाचल प्रदेश	25.29	87.78	135.80
मणिपुर	8.92	21.51	21.11
मेघालय	15.70	16.53	72.90
नागालैंड	10.03	11.00	22.72
सिक्किम	2.86	5.81	6.21
त्रिपुरा	5.38	21.24	29.15
अंडमान और निकोबार	2.17	4.27	42.66
अरूणाचल प्रदेश	11.61	12.91	51.45
चंडीगढ़	37.15	21.93	44.64
दिल्ली	315.21	238.11	839.54
दादर और नगर हवेली	2.33	3.11	16.64
दमन और द्वीव	2.01	4.85	5.31
लक्ष्यद्वीप	–	.32	2.84
मिजोरम	5.62	6.69	15.28
पांडिचेरी	9.12	14.73	98.14
योग	3831.55	8698.05	25864.80

आन्ध्र प्रदेश से लंबित धारावाहिक

1315. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के द्वारा भेजे गए स्थानीय चैनल पर प्रसारण हेतु मंजुरी प्राप्त करने के लिए धारावाहिकों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या इसके लिए गठित समिति ने इन धारावाहिकों का मूल्यांकन किया है तथा मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो मंजूर किए गए धारावाहिकों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) इनका दूरदर्शन से प्रसारण कब तक शुरू होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). दूरदर्शन ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद को प्रस्तुत किए गए डा. बी.आर. अम्बेडकर पर एक 13 प्रकरणों वाले धारावाहिक हेतु एक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) इस धारावाहिक एवं इसके साथ अनुमोदित अन्य धारावाहिकों के प्रसारण की तारीख जनवरी, 1995 में सुनिश्चित की जाएगी।

दूरदर्शन के चैनल

1316. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन के चैनलों के बारे में 28 जुलाई, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के चैनलों पर राज्य सरकारों की विकास गतिविधियों के प्रसारण के लिए कुल कितना समय दिया गया है;

(ख) इन कार्यक्रमों का प्रसारण समय क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित साफ्टवेयर का प्रयोग इन कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार निजी कम्पनियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की भांति राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रसारण हेतु अनुमति देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). हालांकि समाचार बुलेटिनों के अलावा इस परियोजनार्थ कोई विशिष्ट समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तथापि, इस प्रकार के कार्यक्रम प्रायः सायं 5.30 से 8.30 बजे के बीच प्रसारित किये जाते हैं।

(ग) और (घ). माध्यम के लिए जब कभी भी उचित समझा जाता है तो ऐसे कार्यक्रमों में पम्फलेटों, फिल्म क्लिपों आदि के रूप में साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है।

(ङ) और (च). जी, हां दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को कवर करने वाले इसके दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल

1317. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी बड़े शहरों में मैट्रो चैनल सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाने का विचार है;

(ख) वे कौन–कौन से नगर/शहर हैं जहां इस समय मैट्रो चैनल सेवा उपलब्ध है; और

(ग) मैट्रो चैनल सेवा कब तक अन्य नगरों/शहरों में भी उपलब्ध हो जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). मैट्रो चैनल (डी डी–2) इन्सेट–2 बी के एक ट्रांसपोंडर का उपयोग करते हुए प्रसारण कर रहा है तथा डिश एन्टिना के माध्यम से सारे देश में उपलब्ध है। मैट्रो चैनल अनुबंध–I में दिए गए शहरों में स्थलीय रूप से उपलब्ध है। इसके 8वीं योजना अवधि के भीतर अनुबंध–2 में दिए गए शहरों/कस्बों में स्थलीय रूप से उपलब्ध होने की संभावना है। डी डी–2 सेवा का और आगे विस्तार इस प्रयोजनार्थ संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

मैट्रो चैनल डी डी-2 सेवा के स्थलीय स्थान

1. हैदराबाद
2. गुवाहाटी
3. अहमदाबाद
4. श्री नगर
5. बैंगलूर
6. त्रिवेन्द्रम्
7. भोपाल
8. बम्बई
9. जयपुर
10. कटक
11. भुवनेश्वर
12. जालंधर
13. गंगटोक
14. मद्रास
15. लखनऊ
16. कलकत्ता
17. चंडीगढ़
18. दिल्ली
19. कावारती
20. गांधीनगर

विवरण-II

8वीं योजना अवधि के भीतर उपलब्ध होने की संभावना वाले मैट्रो चैनल (डी. डी. 2) के स्थान

1. उ. श. ट्रां. (डीडी–2)–हैदराबाद में वर्तमान अ. श. ट्रांसमीटर को हटाना
2. अ. श. ट्रां., ईटानगर
3. अ. श. ट्रां., पटना
4. अ. श. ट्रां., पणजी
5. उ. श. ट्रां., (डी. डी. 2), अहमदाबाद में अ. श. ट्रां. को हटानां
6. अ. श. ट्रां., शिमला
7. अ. श. ट्रां., जम्बू
8. अ. श. ट्रां. (डी. डी. 2), बैंगलूर में वर्तमान अ. श. ट्रां. को हटाना
9. अ. श. ट्रां., इम्फाल
10. अ. श. ट्रां., शिलांग
11. अ. श. ट्रां., एजवाल
12. अ. श. ट्रां., कोहिमा
13. अ. श. ट्रां., अगरतला
14. अ. श. ट्रां., पोर्ट–ब्लेयर
15. अ. श. ट्रां., पांडिचेरी
16. अ. श. ट्रां., नागपुर
17. अ. श. ट्रां., कानपुर
18. अ. श. ट्रां., कोचीन
19. अ. श. ट्रां., कालीकट
20. अ. श. ट्रां., लेह
21. अ. श. ट्रां., मुर्शिदाबाद

कोयला परियोजनाएं

1318. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा कोयला परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण को विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किन–किन शीर्षों के अंतर्गत व्यय किया जाना था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को देश की कोयला परियोजनाओ हेतु दिए गए ऋण के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां,. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). 1991–92 से 1993–94 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान विश्व बैंक

सहायता प्राप्त कोयला परियोजनाओं के संबंध में कोल इंडिया लि. को विश्व बैंक द्वारा 70.99 मि. अमरीकी डालर की राशि आवंटित की गई है। ये राशि निम्नलिखित विभिन्न पैकेजों के लिए आवंटित की गई है जिसमें संयंत्र एवं उपकरण, प्रशिक्षण–केन्द्र, वर्कशाप–सुविधाएं, परामर्शदात्री, तकनीकी सहायता, कोयला रख–रखाव संयंत्र आदि शामिल है।

(ग) से (ङ). विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, किन्तु मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की गेवरा ओपनकास्ट परियोजना में विश्व बैंक की ऋण की राशि को विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोजन के अलावा प्रयोग में लाया जा रहा है और विश्व–बैंक ऋण से खरीदे गए कुछ उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कोयला कंपनी ने सूचित किया है कि विश्व–बैंक ऋण का प्रयोग उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और ऐसे ऋण से खरीदे गए उपकरणों का पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल की खोज में लगी निजी कंपनियां

1319. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए निजी तेल कंपनियों को रियायती दर पर ऋण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि ये कंपनियां तेल की खोज में उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तेल की खोज में निजी कंपनियों के सक्रिय और पूर्ण भागीदारी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार कंपनियों द्वारा बोली दिए जाने के लिए पूरे वर्ष अनवरत आधार पर अन्वेषण ब्लाकों को प्रस्तावित कर रही है।

[हिन्दी]

ऊपरी जॉक सिंचाई परियोजना

1320. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को ऊपरी जॉक सिंचाई परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) इस सिंचाई परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) इस परियोजना को वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (घ). मध्य प्रदेश में ऊपर जॉक सिंचाई परियोजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। तथापि, जॉक सिंचाई परियोजना नाम की एक परियोजना का मध्य प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को 4.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1976 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 46.38 करोड़ रुपए है। आठवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 23.85 करोड़ रुपए है। 3/93 तक 22.95 करोड़ रूपए का व्यय हुआ है तथा वर्ष 1993–94 के दौरान प्रत्याशित व्यय एक करोड़ रुपए है। योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1994–95 के लिए 3.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। इस परियोजना के नवीं योजना में आगे लाये जाने की संभावना है।

दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण बंद करना

1321. डा. मुमताज अंसारी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कौन–कौन से धारावाहिकों का प्रसारण सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या सरकार का विचार इन धारावाहिकों को पुनः शुरू करने का है;

(ग यदि हां, तो इनका प्रसारण कब तब शुय कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) प्रायोजित श्रेणी में तीन धारावाहिकों नामतः "बाईबिल की कहानियां, 'उजाले की ओर' तथा "अकबर द ग्रेट", के प्रसारण को सम्बन्धित निर्माताओं के शेष प्रकरणों हेतु प्रायोजकों का प्रबंध करने में असफल रहने के कारण बन्द कर दिया गया था।

(ख) से (घ). इन धारावाहिकों को पुनः शुरू करने का निर्णय निर्माताओं द्वारा उनसे सम्बंधित धारावाहिकों हेतु प्रयोजकता जुटाने में समर्थ होने, कार्यक्रम अपेक्षाओं और समय स्लॉटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

देशों के बीच बच्चों का गोद लिया जाना

1322. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किन–किन देशों को गोद लिए गए बच्चे भेजे गए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन गोद लिए गए बच्चों की संख्या क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). 1994 के दौरान (सितम्बर, 1994 तक) विभिन्न देशों में दत्तकग्रहण के लिए भेजे गए बच्चों की संख्या इस प्रकार है :

देश का नाम	दत्तकग्रहण पर भेजे गए बच्चों की संख्या
अमरीका	172
इटली	108
स्वीडन	76
स्विटजरलैंड	61
बेलजियम	61
फ्रांस	59
डेनमार्ग	52
नीदरलैंड	43
जर्मनी	40
नार्वे	27
आस्ट्रिया	16
आस्ट्रेलिया	12
केनेडा	7
स्पेन	7
आयरलैंड	4
फिनलैंड	3
ब्रिटेन	3
सिंगापुर	3
संयुक्त अरब अमीरात	2
कुल	756

[अनुवाद]

विदेशियों को ग्रीन कार्ड

1323. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी नागरिकों को पहचान के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नही, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द

1324. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अगस्त, 1993 से सितम्बर, 1994 के दौरान कई रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस एजेन्सियां तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री के संबंध में 1995–96 के लिए किए जाने वाले आवंटनों की योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अगस्त, 1993 से सितम्बर, 1994 की अबधि के दौरान 738 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 530 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई थीं।

(ग) तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन किए जाने हेतु 1519 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 623 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू विपणन योजना में सम्मिलित की गई हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए चयन जारी है। विज्ञापन जारी होने के पश्चात् डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए लगभग 6–12 माह लगते हैं।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के लिए मानदंड

1325. श्री के. प्रधानी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ स्थानों/जिलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है जबकि ये स्थान/जिले आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे स्थानों/ऐसे जिलों में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के मानदण्डों में अन्य बातों के साथ–साथ ट्रांसमीटर पद्धति तथा तकनीकी उपयुक्ता ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के परिणामी कवरेज की सीमा, पहाड़ी, पिछड़े आदिवासी, दूरस्थ, संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान, मूल आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारक शामिल हैं, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर टी. वी. कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना निम्नलिखित पैरामीटर द्वारा विनियंत्रित होती है :

1. प्रत्येक राज्य की राजधानी।
2. सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थान।
3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुने हुए रिले केन्द्रों पर।

(ख) से (घ). देश के विभिन्न भागों में मौजूद नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उपर बताए गए मानदण्डों के अनुसार आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। अब तक आकाशवाणी ने देश की 97.1 प्रतिशत जनसंख्या और 89.7 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया है जबकि दूरदर्शन ने 84.9 प्रतिशत जनसंख्या और 67.5 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया है। आठवीं योजना के दौरान चालू स्कीमों के पूरा होने पर देश में आकाशवाणी की कवरेज जनसंख्यावार 97.5 प्रतिशत और क्षेत्रवार 91 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है, दूरदर्शन की कवरेज जनसंख्या वार 91.8 प्रतिशत तथा क्षेत्रवार 81.4 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है।

कोयले की चोरी

1326. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1994–95 के दौरान कोयले की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक कम्पनी वार ब्योरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस तरह की चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान इसी तरह चोरी के किन्हीं मामलों का समाधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. के अनुसार, 1994–95 के दौरान कोल इंडिया लि. की किसी कोयला कंपनी में अभी तक कोयले के चोरी/उठाईगिरी के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) ऐसी चोरी/उठाईगिरी को रोके जाने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम नीचे दिए गए हैं :

(1) स्थानीय पुलिस के सहयोग से अचानक छापे मारा जाना।

(2) आसूचना का संग्रहण।

(3) दिन–रात गश्त लगाया जाना।

(4) कांटेदार तार के साथ बाह्य दीवार को ढकना तथा कोयले के स्टाक डिपों की चार–दिवारी किया जाना।

(5) वाकी–टाकी सैटों तथा लंबी दूरी के रेडियो सेटों को मुहैया करके संचार नेटवर्क में सुधार तथा उचित रोशनी की व्यवस्था किया जाना।

(6) वॉच टावरों की सायरनों, आदि के साथ स्थापना किया जाना।

(7) स्थानीय पुलिस के सहयोग से कोयला क्षेत्रों में अचानक छापे मारा जाना।

(8) अपराध/चोरी की समीक्षा किए जाने के लिए जिला पुलिस/जिला प्रशासन के साथ बैठकें आयोजित करना और चोरी रोकने के लिए बाद की कार्रवाई किया जाना।

(9) सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों में समीक्षा करना और चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए उनके सुझावों को क्रियान्वित करना।

(ङ) और (च). प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के साथ दर्ज किए गए मामलों पर, अभी कार्रवाई पूरी होने में समयावधि लगेगी किन्तु चोरी हुए कोयले की काफी मात्रा को वसूल कर लिया गया है।

तमिलनाडु में लिग्नाइट परियोजना

1327. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या तमिलनाडु में जायमकोंडम में लिग्नाइट परियोजना शुरू हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग).भारत सरकार कोयला मंत्रालय ने नवम्बर, 1992 में इस परियोजना के लिए सिद्धांत रूप में अपना अनुमोदन दे दिया था और विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने भी अब सिद्धांत रूप में इसके वित्तीय रूप–रेखा को अनुमोदित कर दिया है। मेसर्स जयमकोंडम लिग्नाइट विद्युत निगम लिमिटेड, जोकि इस परियोजना के प्रवर्तक हैं, से सभी सांविधिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की सलाह दी गई है। इसके संतोषजनक रूप में पूरा किया जाने पर परियोजना का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

जेलों का आधुनिकीकरण

1328. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण के लिए केंन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव/अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने, नवम्बर, 1993 में "जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण" की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। उनमें, हाल ही में मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित की गई "जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण" की योजना, के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक गैस की खोज

1329. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं;

(ख) राज्य में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपस्थिति का पता चला है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश के बेसिन वाले क्षेत्र के बड़े भाग में भूगर्भीय, गुरुत्व-चुम्बकीय तथा भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर 10 गहरे अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया है जिसमें से केवल एक कूप अर्थात् ज्वालामुखी-1 में गैर वाणिज्यिक प्रकृति के गैस अथले संचयन का पता चला है।

फिलहाल 2 भूभौतिकीय दल राज्य में भूकम्पी आंकड़ों के अर्जन में लगे हैं। वर्ष 1994-97 के लिए अन्वेषण के वर्द्धित कार्यक्रम (ए पी ई एक्स) के अंतर्गत, 2400 एस एल के द्वि-आयामी आंकड़ों का अर्जन परिकल्पित है। 7वें दौर की बोली के दौरान हिमाचल प्रदेश में पी वी-ओ एन/4 नामक ब्लाक को अनवेषण के लिए निजी पार्टियों को आफर किया गया था। यद्यपि इस ब्लाक के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

31.3.1994 तक हिमाचल प्रदेश में अन्वेषण कर कुल 142.17 करोड़ रुपए का व्यय उपगत हुआ है।

[अनुवाद]

खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का आवंटन

1330. श्री अन्ना जोशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय मंत्री द्वारा स्वविवेक आधारित कोटे से सितम्बर, 1993 से अगस्त 1994 के बीच कई खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सितम्बर, 1993 से अगस्त, 1994 की अवधि के दौरान दिल्ली में 22 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें अनुकम्पा आधार पर सरकार के विवेकाधिकार के तहत आवंटित की गई थीं।

विस्फोटक पदार्थों का जब्त किया जाना

1331. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने महाराष्ट्र के मुम्बई तथा अन्य स्थानों में विस्फोटकों को जब्त करने के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). महाराष्ट्र में बम्बई और अन्य स्थानों से विस्फोटकों को जब्त करने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अलग से कोई जांच-पड़ताल आरंभ नहीं की गई है। तथापि, बम्बई बम विस्फोट से संबंधित मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल कर रही है। बम्बई बम बिस्फोटों में उनकी अन्तर्ग्रस्तता के लिए अब तक पहचान किए गए कुल 194 व्यक्तियों में से अब तक 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 38 व्यक्ति फरार हैं। फरार हुए अभियुक्तों को भारत में और विदेश में पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्तों के खिलाफ बम्बई में पदनामित न्यायालय, में आरोपपत्र फाइल किया गया है तथा 14.7.94 से मामले पर विचारण शुरू हो गया है।

रावा तेल क्षेत्र

1332. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी वेंक्टेश्वर राव :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में रावा तेल क्षेत्र के विकास हेतु कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). राव्वा क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार, ओ एन जी सी और कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया, वीडियोकोन पेट्रोलियम, भारत और राव्वा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर के बीच एक ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ). राव्वा क्षेत्र देने के संबंध में सरकार द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं।

(ङ) और (च). विभिन्न अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों में क्षेत्र के विकास पर ओ एन जी सी द्वारा पहले से खर्च की गई धनराशी, ओ एन जी सी द्वारा पहले व्यय की गई लागतों की प्रतिपूर्ति क्षेत्र में पहले से ही नियोजित कर्मचारियों की छंटनी, निजी कंपनी द्वारा ठेके की समाप्ति और रिजर्वेयर से तेल के इष्टतम निकर्षण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि इस ठेके के कार्यान्वयन के दौरान देश और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

1333. **श्री काशीराम राणा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कौन–कौन सी बड़ी और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इन परियोजनाओं को आठवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). उन वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं, जो अपने मूल कार्यक्रम से पिछड़ गई हैं, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (ङ). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माणाधीन वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विश्व बैंक समूह सहातया से सरदार सरोवर परियोजना के अलग हो जाने के कारण इसे पूरा करने के लिए 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की सहमति हो गई है।

विवरण

गुजरात की उन निर्माणाधीन वृहद, मझौली तथा विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं जो कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं, का ब्यौरा तथा विलंब के कारण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित		पूरा करने की मूल लक्ष्यांकित तिथि	1992 में दर्शायी गई लागत	लागत में वृद्धि
		वर्ष	लागत			
1	2	3	4	5	6	7
क.	**वृहद परियोजनाएं**					
1.	दमनगंगा (संघ राज्य क्षेत्र सहित)	1972	24.40	1986	196.27	171.87
2.	पनाम	1971	10.67	1992	70.32	59.65
3.	साबरमती	1971	17.59	1984	105.44	87.85
4.	माही बजाज सागर	1971	31.36	–	73.08	41.72
5.	सूखी	1977	23.11	1984	91.23	68.12
6.	करजान	1977	37.20	1987	187.58	150.38
7.	सीपू	1980	18.80	1988	95.71	76.91
8.	वटरक	1992	43.70	1984	56.16	12.46
			206.83			668.96

1	2	3	4	5	6	7
ख.	**मझौली परियोजनाएं**					
1.	हीरन–II	1973	3.05	उपलब्ध नहीं	12.20	9.15
2.	सूखबहादर	1977	2.25	उपलब्ध नहीं	18.98	16.73
3.	मचेंद्री–II	1974	1.73	उपलब्ध नहीं	18.02	16.29
4.	कलूभर	1977	3.13	उपलब्ध नहीं	17.60	14.47
5.	मच्छनल्ला	1974	0.90	उपलब्ध नहीं	14.43	13.51
6.	अमली (वेर–II)	1974	0.28	उपलब्ध नहीं	19.59	19.31
7.	देव	1974	1.04	उपलब्ध नहीं	44.14	43.10
8.	वेणु–II	1978	3.25	उपलब्ध नहीं	19.26	16.01
9.	उन्द (जीवपुर)	1976	3.87	उपलब्ध नहीं	50.72	46.85
10.	भादर (पंचमहल)	1981	13.11	उपलब्ध नहीं	33.96	20.85
11.	माजम	1982	10.99	उपलब्ध नहीं	28.00	17.01
12.	हादफ	–	–	–	–	
13.	गुहाई	1981	6.78	उपलब्ध नहीं	21.53	14.75
14.	केलिया	1980	9.13	उपलब्ध नहीं	47.04	37.91
15.	हरनाव–II	1988	2.84	उपलब्ध नहीं	16.11	13.27
16.	सानी	1981	3.49	उपलब्ध नहीं	7.38	3.89
17.	अमिपुर	1977	2.79	उपलब्ध नहीं	7.69	4.90
18.	अजी–II	1981	6.22	उपलब्ध नहीं	12.22	6.00
19.	अजी–III	1981	13.23	उपलब्ध नहीं	28.60	15.37
20.	झुझ	1980	5.36	उपलब्ध नहीं	31.30	25.94
21.	उबेन	1992	12.49	उपलब्ध नहीं	11.81	–
			107.69			363.29
ग.	**विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं**					
1.	खारीकुट आधुनिकीकरण	1992	8.10	उपलब्ध नहीं	7.21	–
2.	फतेहवाड़ी आधुनिकीकरण	1992	24.76	उपलब्ध नहीं	29.33	4.57
3.	दांतिवारा आधुनिकीकरण	1992	34.88	उपलब्ध नहीं	41.16	6.28
4.	शतरुंजी आधुनिकीकरण	1992	26.68	उपलब्ध नहीं	24.42	–
5.	भादर (एस) आधुनिकीकरण	1992	18.60	उपलब्ध नहीं	20.23	1.63
			113.02			12.48

टिप्पण : लागत वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं;

(i) निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि।

(ii) पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना तथा निजी एवं वन दोनों प्रकार की भूमि के अधिग्रहण में समस्यायें।

(iii) क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के कार्यक्षेत्र और अभिकल्प में परिवर्तन।

[अनुवाद]

गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. तथा ब्रिटिश गैस कंपनी के बीच सहयोग

1334. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गै.अ.ई.लि.) और ब्रिटिश गैस कम्पनी ने हाल ही में मुंबई में प्राकृतिक गैस नैटवर्क की स्थापना के लिए समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम परियोजना में होने वाले अनुमानित व्यय, इसके पूरा होने की अवधि, प्रयोग में लाई जाने वाली प्रोद्योगिकी, इसके अन्तर्गत लाये जाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, भावी विस्तार कार्यक्रम आदि के साथ–साथ इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में अपेक्षित आधार भूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया का ब्रिटिश गैस कम्पनी के सहयोग से मुम्बई में आप्टिक फाइबर नेटवर्क तथा शहरी गैस वितरण परियोजना की स्थापना करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना खर्च होगा तथा इससे विशेष रूप से दूर संचार के क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में मुम्बई में और इसके आसपास 6.2 लाख घरों, 4500 वाणिज्यिक यूनिटों और औद्योगिक यूनिटों को पाइपलाइनों के माध्यम से गैस की सप्लाई की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 443 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8–10 वर्षों में पूरी की जानी है।

(ग) आधार भूत सुविधाओं में सिटीगेट स्टेशन, बेसिक ग्रिड, वितरण लाइने आदि शामिल हैं।

(घ) से (च). गैस अथारिटी आफ इंडिया से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सेवानिवृत्ति की आयु

1335. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.आर.पी.एफ. और असम राइफल्स में कांस्टेबल से कमान्डेन्ट तक के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है जबकि अन्य सभी अर्द्धसैनिक बलों में यह 58 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बलों के लिए एक समान सेवा शर्तें लागू करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कांस्टेबल से कमांडेंट रैंक तक के कर्मियों के लिए अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है जबकि असम राईफल्स और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में यह आयु 58 वर्ष है।

(ख) अधिवर्षिता पर सेवा–निवृत्ति की आयु प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1336. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रसोई गैस नियंत्रण आदेश को संशोधित करने के 2 वर्ष पश्चात् भी निजी क्षेत्र में रसोई गैस विक्रेताओं को बाजार में अपना स्थान अभी बनाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रसोई गैस कनेक्शन के लिए 10 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1984 के बाद पंजीकृत आवेदनों को निपटाने में भारतीय तेल निगम को कितना समय लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां। समानान्तर विपणनकर्ता अब तक उल्लेखनीय ढंग से घरेलू उपभोक्ताओं एल पी जी सप्लाई करने योग्य नहीं बन पाए हैं।

(ख) आयात सुविधाओं की कमी समानान्तर विपणन पद्धति के अंतर्गत एल पी जी के विपणन की प्रगति में कठिनाई है। यथा संभव समानान्तर विपणनकारों को वाणिज्यिक पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसी सुविधाएं उप गई हैं। परन्तु कुछ निजी पार्टियों ने अपनी स्वयं की आयात सुविधाएं विकसित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) जी हां।

(घ) जबकि यह बताना संभव नहीं है कि राजधानी में यमुना पार के क्षेत्रों में अन्य बकाया कनैक्शनों का कार्य किस तारीख तक संपूर्णतः पूरा कर लिया जाएगा। तो भी अधिक से अधिक संख्या में आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी केनक्शन को और अधिकाधिक उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्रोतों से वर्धित उत्पादन, नए उत्पादन स्रोतों और आयातों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयले पर रायल्टी

1337. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल में सभी राष्ट्रीयकृत कोयला खानों ने राज्य सरकार को निकाले और प्रेषित किए गए कोयले की मात्रा को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड से रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि की मांग की गई और अशोध्य किराये की राशि कितनी है और इस संबंध में ई.सी.एल. ने कितनी राशि का भुगतान किया;

(घ) क्या इस बकाया राशि की निपटान में कोई कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(च) क्या ई.सी.एल. द्वारा कोयले की रायल्टी की छूट मांगी जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस मामले के निपटारे के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने सूचित किया है कि उत्पादित तथा प्रेषित किए गए कोयले की मात्रा को दर्शाने वाली तिमाही की विवरणिकाओं को पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रायल्टी तथा अशोध्य किराए के रूप में तथा उक्त के एवज में दी गई राशि के संबंध में उनसे राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपए में)

	रायल्टी	अशोध्य किराया
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा की गई मांग	29.84	0.6769
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा की गई अदायगी	29.61	0.5360

(घ) और (ङ). ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने सूचित किया है कि रायल्टी के एवज में 0.23 करोड़ रु. की देय बकाया राशि समायोजन, आदि के कारण लम्बित हैं। 0.14 करोड़ रुपए की अशोध्य किराए की देय राशि की अदायगी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(च) और (छ). यह सूचना मिली है कि ई.को.लि. ने इस मामले को निम्न कारणों से रायल्टी की छूट दिए जाने के लिए राज्य सरकार के साथ उठाया है :–

(1) गैर–उत्पादक युनिटों द्वारा कोयले का घरेलू उपभोग।

(2) स्टाक समायोजन।

(3) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कर्मचारियों के लिए समग्र रूप से घरेलू उपभोग के लिए प्रतिपूर्ति और न की यह व्यक्तिगत खानों में श्रमशक्ति के आधार पर किया जाए।

(ज) इस मामले को निपटाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास

1338. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए कितने छात्रावास कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितने लड़के तथा लड़कियों को फायदा हुआ और 1994–95 से अंत तक इनसे कितने लड़के तथा लड़कियों को फायदा होगा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का वर्षबार ब्यौरा इस प्रकार है:–

(रुपए लाख में)

	1991–92	1992–93	1993–94
उत्तर प्रदेश			
अनुसूचित जाति लड़कियां	51.35	76.36	15.77
अनुसूचित जाति लड़के	75.83	101.10	60.66
अनुसूचित जनजाति लड़कियां	–	6.12	3.65
अनुसूचित जनजाति लड़के	–	15.16	3.65
महाराष्ट्र			
अनुसूचित जाति लड़कियां	16.18	–	56.43
अनुसूचित जाति लड़के	24.35	–	68.24
अनुसूचित जनजाति लड़कियां	32.50	–	–
अनूसूचित जनजाति लड़के	39.75	–	–

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

प्राकृतिक गैस का आवंटन

1339. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद–आगरा, गाजियाबाद, खुर्जा और नोयडा क्षेत्रों की वितरण प्रणाली के लिए प्राकृतिक गैस आबंटित करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लि. को निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). इससे संबंधित निर्देश वर्ष 1989 में जारी किए गए थे। तथापि प्रस्तावित आबंटन को दृढ वचनबद्धताओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला।

कोयले की आवश्यकता

1340. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित कोयला घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की मांग आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले का वर्तमान उत्पादन देश में स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त ताप विद्युत संयंत्र की आवश्यकता को पूरा कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति/कम लागत/दुलाई के संबंध में अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) निम्न राख वाले कोकिंग कोयले और उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले को छोड़कर कोयले का देशीय उत्पादन घरेलू कोयला की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त है।

(ख) कोयले की कुल मांग (जिसमें आयात शामिल है), योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार तथा पिछले प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के दौरान की गई आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है:–

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1991–92	245.00	229.64
1992–93	258.10	241.00
1993–94	268.80	253.03

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान ही पूर्ण होने वाले सभी तापीय विद्युत गृहों की कोयले की आवश्यकताओं को सहबद्ध कर लिया गया है।

(घ) और (ङ). मेसर्स राइट्स ने दक्षिणीय तापीय विद्युत गृहों को कोयले का संचलन किए जाने के संबंध में जिसमें केरल राज्य में स्थित कायमकुलम तापीय विद्युत गृह शामिल है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से एक अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जून, 1980 में प्रस्तुत की है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि कायमकुलम तापीय विद्युत गृह के लिए रेल–सह–समुद्री मार्ग द्वारा कोयले का संचलन किया जानां एक न्यूनतम लागत विकल्प के रूप में होगा।

हाईड्रोकार्बन सेक्टर

1341. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के उद्धारीकरण और हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर से नियंत्रण समाप्त होने की अपेक्षा के साथ उनके मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम प्रतिस्पर्धी बाजार में मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि., भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को मूल रूप से सौंपे गए कार्यकलापों के पारम्परिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तेल क्षेत्र कम्पनीयों नामतः आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का विपणन के संबंध में तेल क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा लिया गया ऋण

1342. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल ही के महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से कम दरों पर अल्पावधि ऋण लेने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ऋण किन–किन स्रोतों और संस्थाओं से लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). इंडियन आयल कारपोरेशन लिबर + 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से लिबर + 0.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर क्रूड आयल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के वित्त पोषण के लिए 180 दिन के टेनर से अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण लेता रहा है। हाल के महीनों में इंडियन आयल कारपोरेशन ने लिबर + 0.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष से लिबर + 0.375 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ऐसे ऋण प्राप्त किए हैं।

(ग) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सीधे संवितरित करने के लिए इन ऋणों की विदेशी स्त्रोतों से व्यवस्था की जाती है। ऋणों की ए बी आमरों बैंक, क्रेडिएट बैंक, आई एन जी बैंक, हांगकांग बैंक, यूनियन बैंक आफ स्वीटजरलैंड, प्यूजी बैंक, डैवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर, बैंक आफ अमेरिका, बैंक इंडोस्वेज, क्रेडिट स्वीसे, बैंक आफ इंडिया, ए एन जैड बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया इत्यादि जैसी विविध बैंकों की स्वदेशी शाखाओं के माध्यम से संवितरित किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय भू-क्षेत्र पर बांग्लादेश राइफल्स का कब्जा

1343. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1994 के दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" में 200 बीघा भारतीय क्षेत्र पर बांग्लादेश राइफल का कब्जा शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट को देखा है।

(ख) और (ग). खोवाई नदी क्षेत्र में भारत–बंगलादेश सीमा के साथ–साथ बंगलादेश राईफल्स द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा करने की कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है। अक्तूबर, 1994 में बंगलादेश राईफल्स ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 गज की दूरी पर खोवाई नदी पर पैदल चलने वालों के लिए बांस का एक अस्थाई पुल निर्मित किया जिसका उद्देश्य संभवतः भारती गांव दुर्गा नगर के निकट के क्षेत्र में भूमि पर अपने राष्ट्रिकों द्वारा खेती–बाडी करवाना था। इसका सीमा सुरक्षा बल द्वारा विरोध किया गया और इस मामले को बंगलादेश राईफल्स के साथ फ्लैग मीटिंग में उठाया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में बंगलादेश के राष्ट्रिकों द्वारा किसी प्रकार खेती–बाड़ी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बल

1344. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध–सैनिक बलों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को शामिल करने के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न अर्द्ध–सैनिक बलों में विभिन्न पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के कितने प्रतिशत अधिकारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना अर्द्ध–सैनिक बलों को सभी संवर्गों से अधिकारी शामिल करके गठित करने की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों में महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक के पदों पर आई पी एस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक के रैंक में 80 प्रतिशत पद, आई पी एस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरे जाते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में महानिरीक्षक के पद, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सैन्य अधिकारियों को छोड़कर आई पी एस अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं।

उप महानिरीक्षक स्तर पर आई पी एस अधिकारियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत के. रि. पु. बल में 45 प्रतिशत, सी.सु. बल में 40 प्रतिशत, के.औ.सु. बल में 60 प्रतिशत और भा.ति.सी.पु. में 50 प्रतिशत है। कमांडेंट के स्तर पर, आई पी एस अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत के.रि.पु. बल के मामले में आई पी एस अधिकारियों को उप कमांडेंटों के रूप में भी लिया जा सकता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों को राज्य पुलिस के निकट सहयोग के साथ जटिल वातावरण में कार्य करना पड़ता है। आई पी एस अधिकारियों की विशेषतया उच्च स्तरों पर, उपस्थिति से उन्हें अबाध एवं कारगर ढंग से कार्य करने में सहूलियत मिलती है।

कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा हिंसा

1345. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी आतंकवादी हिंसा और तोड़फोड़ की कार्यवाही करने के लिए देश के विभिन्न भागों के नाजुक क्षेत्रों में फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जम्मू एवं कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में विध्वंसक गतिविधियां चलाने वाले कश्मीरी उग्रवादी ध्यान में आए हैं। कश्मीरी उग्रवादियों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशील क्षेत्रों में हिंसा तथा तोड़–फोड़ करवाने की पाकिस्तानी आई एस आई की योजनाओं का संकेत देने वाली रिपोर्टें उपलब्ध हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा किए गए रहस्योंद्घाटनों से, देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा फैलाने की कश्मीरी उग्रवादियों की गुप्त योजनाओं की पुष्टि हुई है।

(ग) सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और इस संबंध में सभी जरूरी उपाय कर रही है जिसमें शामिल हैं – आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, केन्द्र और राज्य की एजेंसियों द्वारा आसूचना के आदान–प्रदान सहित समन्वित कार्रवाई करना, नाजुक क्षेत्रों में अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती के साथ–साथ सघन गश्त लगाना।

तेल के कुएं

1346. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को तेल के कोई नए कुएं दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। बोली के पांचवे दौर के अंतर्गत भारत सरकार ने छह ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए ठेके देने का अनुमोदन हाल ही में किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परिसंघ/कम्पनी का नाम	ब्लाक
वीडियोकोन इंटरनेशनल, भारत और कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया का परिसंघ	के जी–ओ एस/6
रेक्सवुड ओकलैंड संयुक्त उधम, संयुक्त राज्य अमेरिका	जी के–ओ एस/5
एस्सार आयल लि., भारत	बीबी–ओ एस/5
	आर जे–ओ एन–90/4,
	आर जे–ओ एन–90/5
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं. भारत, पेट्रोडाइन, भारत और वाल्को एनर्जी संयुक्तराज्य अमेरिका का परिसंघ	सी वाई–ओ–एस/2

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पाद

1347. श्री महेश कनोडिया :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री रामपाल सिंह :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री अशोक आनंदराव देशमुख :
श्री विजय एन. पाटिल :
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 की तुलना में 1993–94 में देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1993–94 के दौरान कितने पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ;

(ग) 1994–95 के दौरान कितने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1994-95 के दौरान इनके उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(च) उत्पादन में वृद्धि के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल पी जी (रसोई गैस तथा प्राकृतिक गैस) से उत्पादित एन जी एल सहित देश में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान क्रमशः लगभग 52927 टी एम टी तथा 53800 टी एम टी थी।

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान लगभग 12.08 एम एम टी पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए गए थे।

(ग) सरकार ने वर्ष 1994–95 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के 14.773 एम एम टी के आयात को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) से (च). सरकार ने स्वदेशी क्रूड आयल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें नए तेल एवं गैस क्षेत्रों का विकास तथा कतिपय विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास सम्मिलित है।

जबकि चालू वर्ष के दौरान क्रूड आयल उत्पादन का लक्ष्य 32.30 मिलियन टन है, गत वर्ष 1993–94 के दौरान वास्तविक उत्पादन 27.02 मिलियन टन था। इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान क्रूड आयल का स्वदेशी उत्पादन गत वर्ष से लगभग 53 मिलियन टन अधिक होना प्रत्याशित है। चालू योजना अवधि की अंतिम दो वर्षों अर्थात् 1995–96 तथा 1996–97 के लिए प्रत्याशित उत्पादन क्रमशः लगभग 38.39 मिलियन टन तथा 44.45 मिलियन टन है।

सरकार ने तेल शोधन क्षेत्र के अन्तर्गत निजी निवेश के लिए अनुमति दे दी है। 5540 एम एम टी पी ए वर्तमान शोधन क्षमता के प्रति निर्गत आशय पत्रों के मुताबिक देश में कुल उत्पादन क्षमता समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वित किए जाने के पश्चात लगभग 135 एम एम टी. पी ए होना प्रत्याशित है। यह क्षमता भविष्य में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी जिसकी मांग के वर्ष 2001–2002 में लगभग 102 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है। 1994–95 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 51750 टी एम टी के लिए अनुमानित है। फ्रेक्टनेटर्स से एल पी जी (रसोई गैस) तथा एन जी एल समेत उत्पादन वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा संबंधी बचत विविध पहलुओं पर निर्भर करती है जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत/मांग तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड आयल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य। तथापि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई स्वदेशी उपलब्धता के कारण आयात में अपेक्षाकृत कमी होगी।

[अनुवाद]

विकलांग बालिकाओं हेतु केन्द्र

1382. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विकलांग बालिकाओं हेतु कुछ केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक इन केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सूची अनुबन्ध में दी गई है। एक संगठन "अन्ध कन्या प्रकाश गृह", अहमदाबाद है जो अनन्य रूप से विकलांग बालिकाओं के पुनर्वास के लिए चल रहा है। अन्य केन्द्रों द्वारा लड़कों तथा बालिकाओं दोनों को पुनर्वास प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ). संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

विकलागों के पुनर्वास के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान पिछले तीन वर्ष तथा 1994-95 के दौरान प्राप्त अनुदान

(रुपये लाख में)

	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
संगठन का नाम				
1. सोसायटी फार द मैंटली रिटायर्ड पो.आ. मालविया कालेज कैम्प्स राजकोट–360004	1.03	4.74	2.06	1.19
2. श्री के.एल. इन्स्टीच्यूट फार द डीफ 51, विद्या नगर, भावनगर, गुजरात	1.08	1.21	1.76	.89
3. ब्लाइंड मैनस एसोसिएशन, डा. विक्रम साराभाई रोड, वसतरापुर, अहमदाबाद	8.28	8.03	8.27	4.12
4. श्री डी.एस. पारख डीफ एवं डम्ब स्कूल नियर नई जैन क्लिनिक सुरेन्द्रनगर	1.15	0.40	0.41	0.20
5. मेडीकल केयर सेंटर ट्रस्ट, चिल्ड्रन होस्पिटल, बरोदरा, गुजरात	0.90	1.28	1.94	0.97
6. अन्धाजन विवाधलाक्सी केन्द्र, एरोड्राम रोड, जाम नगर, गुजरात	4.83	3.95	4.28	1.89
7. अन्ध कन्या प्रकाश गृह, अहमदाबाद	2.57	1.76	2.33	1.42
8. अन्ध अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद	0.18	0.47	0.53	0.26
9. अन्ध कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद	0.47	–	0.25	–
10. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट	–	2.08	–	1.04

[हिन्दी]

कच्चे तेल का आयात

1349. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कच्चे तेल का आयात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क की 1.3.94 से प्रभावी दरें निम्नानुसार है :–

(I) क्रूड	35 प्रतिशत
(II) मिट्टी का तेल	शून्य
(III) नेफथा	शून्य
(IV) एल पी जी	15 प्रतिशत
(V) अन्य सभी उत्पाद	30 प्रतिशत

यथा मूल्य आधार पर सभी पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाया जाने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निम्नानुसार है :–

1. मोटर स्पिरिट व कोल तार	20 प्रतिशत
2. सामान्य प्रयोग हेतु नेफथा सहित सभी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	10 प्रतिशत
3. उर्वरक निर्माण के लिए प्रयुक्त नेफथा	5.50 रुपए/कि.मी.

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा निम्नानुसार है :–

(मात्रा एम एम टी में)

1992–93	29.247
1993–94 (अनंतिम)	30.822

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर व्यय की गई राशि निम्नवत है :–

(करोड़ रुपए में)

	1992–93	1993–94 (अनंतिम)
उत्पाद शुल्क	2873	3095
सीमा शुल्क	5280	6536

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

1350. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतें संबंधित प्राधिकारियों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दी जाती है। सम्बद्ध प्राधिकारियों से टिप्पणी प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आयोग आवश्यकता पड़ने पर रिकार्डों एवं आगे सूचना की मांग करता है और इन रिकार्डों की सूचना की जांच करने के बाद यह संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त सिफारिशें करता है। उन मामलों, जिनमें आयोग की सिफारिशें संबंधित प्राधिकारेयों द्वारा नहीं स्वीकार की गई है, आयोग उनका उल्लेख राष्ट्रपति को दी जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कर सकता है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को परेशान किए जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 1713 की दर्शाने वाला विवरण। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	202
2.	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
3.	असम	16
4.	बिहार	69
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	97
7.	हरियाणा	79
8.	हिमाचल प्रदेश	45
9.	जम्मू और कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	24
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	101
13.	महाराष्ट्र	167
14.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	276
19.	पंजाब	24
20.	राजस्थान	162
21.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
22.	तमिलनाडु	23
23.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	383
25.	पश्चिम बंगाल	29
	कुल	1713

[अनुवाद]

ताप्ती गैस क्षेत्र

1351. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप्ती गैस क्षेत्र में गैस को पुनः प्राप्त करने योग्य अद्यतन अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) इन गैस क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार ने किस एजेंसी को चुना है; और

(ग) गुजरात में उपभोक्ताओं/उद्योगों को ताप्ती गैस क्षेत्र से कितनी मात्रा में गैस अंतरित किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ताप्ती गैस क्षेत्रों के अन्तर्गत नवीनतम अनुमानित वसूलीय भंडार 31526 एम एम^3 हैं।

(ख) मैसर्स रिलायंस इंडिया एवं एनरोन, यू एस ए के परिसंघ को ताप्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए संविदा एवार्ड की गई है।

(ग) हजीरा पर तथा एच बी जे पाइपलाइन के साथ विद्यमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए ताप्ती गैस को हजीरा ले जाने के लिए निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड का घाटा

1352. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ख) इस घाटे को कम करने हेतु क्या प्रयास किए गये हैं/किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के अन्त में कोल इंडिया लि. को हुए घाटे को नीचे दर्शाया गया है :–

1991–92	रु. 2353.99 करोड़
1992–93	रु. 2094.53 करोड़
1993–94	रु. 1767.86 करोड़

(ख) को.इं.लि. द्वारा घाटे को कम किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(1) श्रमिक आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमिकों की पुनः तैनाती तथा प्राकृतिक अवशिष्टता के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों के एवज में नए कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से बढ़ती हुई श्रमशक्ति पर नियंत्रण रखना।

(3) "आल–मैन–आल–जॉब" की संकल्पना की शुरूआत करना।

(4) पर्याप्त वर्क–शाप सहायता आदि मुहैया करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार किया जाना।

(5) विद्यमान भूमिगत खानों से भूमिगत उत्पादन पर विशेष बल दिया जाना।

1984 के दंगे

1353. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों ने दोषी लोगों को सजा देने की मांग के संबंध में सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). दिल्ली में 1984 के दंगों पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जहां तक सरकार की ओर से अनुवर्ती कार्रवाई का सवाल है, दिल्ली पुलिस ने नवम्बर, 1984 के दंगों के तुरन्त बाद अपनी ओर से 225 मामले दर्ज किए थे। इतना ही नहीं, जैन–अग्रवाल समिति की सिफारिशों पर 142 मामले दर्ज किए गए। 11 मामलों के संबंध में कुल 36 शपथ–पत्रों की जांच की जा रही है।

मामलों की तेजी से जांच कराने के लिए, दिल्ली पुलिस ने एक "दंगा प्रकोष्ठ" गठित किया है। 1984 के दंगों संबंधी मामलों के निपटान की गति तेज करने के लिए ऊपर सत्र न्यायाधीश के स्तर पर एक अनन्य न्यायालय की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

आई बी पी में आरक्षित पद

1354. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई बी पी कं. लि. में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) इन पदों कों नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). आई बी पी कंपनी में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 23 पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 19 पद रिक्त पड़े हैं। बैकलाग को पूरा करने के लिए कार्रवाई पूरी तरह इसलिए नहीं की जा सकी, क्योंकि संगठन में अधिशेष जनशक्ति की पुनः तैनाती की प्रक्रिया में कंपनी के होने के कारण भर्ती अस्थायी रूप से रखी गई थी।

प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन

1355. श्री लाल बाबू राय :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा गत एक वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न कोटों से कुल कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किये गये;

(ख) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन को इस अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के संबंध में भेजे गए पत्रों के रास्ते में ही गुम हो जाने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने संबंधी क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान आई ओ सी ने विभिन्न कोटों के अंतर्गत 94756 इंडेन कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता वाउचर न मिलने की शिकायतों को रोकने हेतु एक विशेष प्राथमिकता वाउचर प्रणाली आरंभ की गई है। माननीय संसद सदस्यों को विशेष प्राथमिकता वाउचर निजी तौर पर तिमाही आधार पर वितरित किए जाते हैं। तेल कंपनियों द्वारा रजिस्टर्ड ए डी द्वारा भेजे गए प्राथमिकता वाउचरों के न मिलने की कुछ शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में रिकार्डों का सत्यापन किया जाता है। रजिस्टर्ड ए डी द्वारा भेजा गया प्राथमिकता वाउचर यदि अधूरे पते के कारण तेल कंपनी को लौटा दिया जाता है, तो नया पत्र जारी करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। यदि पत्र पार्टी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता अथवा तेल कंपनी को नहीं लौटाया जाता तो आवश्यक निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद एक डुप्लीकेट प्राथमिकता वाउचर जारी कर दिया जाता है। मार्ग में डाक के दौरान प्राथमिकता वाउचरों के खो जाने की समस्या की ओर डाक तार विभाग के अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

विदेशी मिशनरी

1356. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में विशेषरूप से मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विदेशी मिसनरियों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या ये आतंकवादी बाहर से हथियार खरीदने के लिए विदेशी मिशनरियों से धनराशि प्राप्त करते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही ग्रुपों द्वारा पड़ोसी देशों से प्राप्त की जा रही सहायता संबंधी रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि, सरकार के ध्यान में हथियारों आदि की खरीद के लिए पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों को विदेशी मिशनरियों से प्रत्यक्ष सहायता मिलने के बारे में कोई निष्कर्षात्मक सबूत नहीं आया है।

(घ) और (ङ). पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसकी समीक्षा सतत् रूप से की जाती है। नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 19 जुलाई, 1994 को हुई एक बैठक में गृह मंत्री द्वारा इसकी व्यापक समीक्षा की गई थी। 28.10.94 को शिलोंग में आयोजित एक बैठक में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने भी सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा की थी। अधिकारिक स्तर पर स्थिति की समीक्षा, शिलोंग में 28.10.94 को आयोजित "पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय सम्मेलन" की चौथी बैठक में की गई। इन समीक्षाओं में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद अनेक निर्णय लिए गए जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, शामिल हैं–राज्य पुलिस बल को मजबूत बनाना, विद्रोह–विरोधी अभियानों का अधिक कारगर समन्वय, आसूचना एकत्र करने और उसका आदान–प्रदान करने की स्थिति में सुधार लाना और उसका उन्नयन करना आदि। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं–कुछ राज्यों/क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित बनाए रखना, विद्रोही ग्रुपों को "गैर कानूनी संगठन" घोषित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती आदि।

1984 के दंगे

1357. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1984 के दंगों के पीड़ितों ने उनको प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सहायता पर ब्याज को माफ कर देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). 1984 के दंगा पीड़ितों को दी गयी राहत और पुनर्वास सहायता पर ब्याज को माफ करने का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में लम्बित नहीं पड़ा है। तथापि बैंक ऋणों पर ब्याज माफ करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अन्य बातों के साथ–साथ, 1984 के दंगा पीड़ितों द्वारा बैंक से लिए गए ऋणों पर ब्याज माफ करने के मामले की जांच करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की सिफरिशों के आधार पर सरकार ने 25,000 रु. तक मूलधन वाले सभी बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालने, 31 मार्च, 1992 तक बाकी

रह गए ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर 1 प्रतिशत करने और शेष राशि का भुगतान, सामान्य ब्याज दर पर 5 साल तक करने की सहूलियत देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे।

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

1358. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने रसोई गैस कनेक्शन मंजूर किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में और रसोई गैस एजेंसियां खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.10.94 की स्थिति के अनुसार, बिहार में 165 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही हैं।

(ख) 1992–93 और 1993–94 के दौरान बिहार में क्रमशः 31905 और 48535 एल पी जी कनेक्शन जारी किए गए।

(ग) और (घ). बिहार के लिए वर्तमान एल पी जी विपणन योजना 1992–94 में 29 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के प्रस्ताव शामिल कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

1359. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की मूल और अद्यतन अनुमानित लागत कितनी–कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(च) किन–किन परियोजनाओं का कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पिपावाव विद्युत परियोजना के लिए गैस

1360. श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री काशीराम राणा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने ताप्ती हाई से पिपावाव विद्युत परियोजना के लिए गैस की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) राज्य को कब तक गैस की आपूर्ति की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). हजीरा तथा एच बी जे पाइप लाइन मार्ग के लिए विद्यमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए ताप्ती गैस को हजीरा ले जाने का निर्णय लिया गया है।

सीमा पर कंटीले तार लगाना

1361. श्री गुमान मल लोढा :
श्री हरिन पाठक :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न देशों के साथ लगने वाली सीमाओं पर कंटीले तार लगाने तथा सड़कों के निर्माण का जो कार्य पूरा हो गया है और जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में हुई प्रगति का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत कितनी है और उन पर अब तक कितना खर्च किया गया है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) ये निर्माण कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारत–बंगलादेश सीमा और भारत–पाक सीमा पर इस संबंध में

स्थिति निम्न प्रकार से है :

कार्य पूरा किया गया

	भारत–बंगलादेश सीमा			भारत–पाक सीमा	
सेक्टर	सड़क (कि.मी. में)	बाड़	सैक्टर	सड़क (कि.मी. में)	बाड
असम	109	120	पंजाब	–	451
मेघालय	152	164	राजस्थान	–	333
पश्चिम बंगाल	467	52			
त्रिपुरा	160	–			
मिजोरम	28	–			
अभी पूरा किया जाने वाला कार्य					
असम	83	38	पंजाब	–	–
मेघालय	56	67	राजस्थान	1501	387
पं.बंगाल	1303	455			
त्रिपुरा	354	–			
मिजोरम	72	–			

(ख) चालू वर्ष के दौरान सेक्टर–वार प्रगति निम्न प्रकार से है:–

असम	5	9	पंजाब	–	–
मेघालय	1	10	राजस्थान	76.50	50
पं. बंगाल	86	47			
त्रिपुरा	1	–			
मिजोरम	0.40	–			

(ग) अनुमानित लागत 831.17 करोड़ रु. की तुलना में 368.90 करोड़ रु. खर्च किए गए। अनुमानित लागत 243.36 करोड़ रु. की तुलना में 178.03 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(घ) चालू वर्ष के दौरान सैक्टर–वार आवंटित राशि निम्न प्रकार से है :–

	भारत–बंगलादेश सीमा		भारत–पाक सीमा	
सैक्टर	राशि (रु. करोड़ों में)	सेक्टर	सड़क (कि.मी.)	बाड़
			(रु. करोड़ों में)	
असम	13.20	पंजाब	–	–
मेघालय	8.62	राजस्थान	9.00	30.05
पं. बंगाल	70.94			
त्रिपुरा	40.45			
मिजोरम	4.00			

(ङ) जब भारत–बंगलादेश सीमा पर निर्माण कार्य के चरणों पर पहली बार विचार किया गया था तो यह अनुमान था कि पूरा कार्य मार्च 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, परियोजना के महत्व और इसके शीघ्र पूरा किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के कार्यान्वयन के कार्य का प्रबोधन करने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने यह अनुमोदित किया था कि परियोजना मार्च 1996 तक पूरी कर दी जाए। तदनुसार सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदेश दिए गए थे। तथापि, उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा कुछ दिन पहले की गयी अंतिम समीक्षा में, यह आंकलन किया गया कि सम्पूर्ण कार्य पूरा करने की अवधि कार्य 1998 तक बढ़ा दी जाए। भारत–पाक सीमा पर काम पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख दिसम्बर 1996 है।

[अनुवाद]

प्रचार, संगीत और नाटक इकाइयां

1362. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उनके मंत्रालय के अधीन प्रचार विभाग के कार्यालयों/इकाइयों का स्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र स्थित संगीत तथा नाटक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान अब तक इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए; और

(घ) इन इकाइयों पर हो रहे वार्षिक खर्च का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में क्षेत्रीय निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पुणे के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य कर रही इसकी (डी.एफ. पी.) निम्न क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां हैं :–

1. पूना
2. अहमदनगर
3. अमरावती
4. औरंगाबाद
5. बम्बई
6. चन्द्रपुर
7. जलगांव
8. कोलापुर
9. नागपुर
10. रत्नागिरी
11. सतारा
12. शोलापुर
13. वर्धा
14. नासिक
15. नान्देड़

महाराष्ट्र के पुणे में इस मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग (एस. एण्ड डी.डी) का एक क्षेत्रीय केन्द्र है।

(ग) सूचना निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	गीत एवं नाटक प्रभाग
1993–94	8678	1544
1994–95	5091	777

(घ) वर्ष 1993–94 के दौरान क्रमशः क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए 41.03 लाख और 23.26 रु. व्यय किया गया था।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1363. श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशों में भेजे गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र

1364. श्री दत्ता मेघे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को विदेशों में भेजा गया;

(ख) सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए इन छात्रों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की और कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की उच्च अध्ययन के लिए डा. अम्बेडकर समुद्रपारीय फैलोशिप के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति में छात्रों के लिए यह व्यवस्था है :

(1) मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के लिए 5940 अमरीकी डालर प्रति निर्धारित पाठ्यक्रमों में मास्टर डिग्री/पी.एच.डी. के लिए 6600 अमरीकी डालर प्रति वर्ष पोस्ट डाक्टेरल अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए 7700 अमरीकी डालर प्रति वर्ष।

(2) ट्यूशन तथा अन्य अनिवार्य विश्वविद्यालयी फीस और चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यदि कोई हो।

(3) पुस्तकों/अनिवार्य उपकरणों, अध्ययन दौरे/शोध कार्य के टंकण व जिल्दसाजी के लिए 385 अमरीकी डालर तक आकस्मिक भत्ता।

(4) उपस्कर भत्ता 1100 रुपये तथा भारत से जाने और वापसी के लिए रियायती श्रेणी में हवाई यात्रा व्यय।

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान समुद्रपारीय फैलोशिप योजना के अंतर्गत अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विधि और संवैधानिक अध्ययनों में पी.एच.डी. और पोस्ट डाक्टरल कार्य कर रहे उम्मीदवारों को उनकी जाति, रंग–भेद, धर्म के भेदभाव के बिना, प्रति वर्ष 8400 अमरीकी डालर अनुरक्षण भत्ता, विदेश में विश्वविद्यालय को देय पूरी ट्यूशन फीस व अन्य अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति, 1200 अमरीकी डालर प्रति वर्ष आकस्मिक भत्ता और रियायती दर की श्रेणी से भारत से जाने व वापसी पर हवाई यात्रा व्यय प्रदान किया जाता है।

(ग) विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 30 छात्रवृत्तियां; अनुसूचित जाति–17 अनुसूचित जनजाति–9, अधिसूचित, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जन जाति–1, अन्य धर्मों में परिवर्तित अनुसूचित जाति –2 और भूमिहीन कृषि मजदूर तथा परम्परागत शिल्पकार–1, प्रदान की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार छात्रवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या विवरण–II में है।

(ङ) इस योजना पर व्यय विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि और व्यय इस प्रकार है :–

वर्ष	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1991–92	59.00 लाख रुपये	59.00 लाख रुपये
1992–93	69.00 लाख रुपये	69.00 लाख रुपये
1993–94	260.00 लाख रुपये	260.00 लाख रुपये

(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के छात्रों के उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना एक गैर योजना स्कीम है जिसके लिए समग्र रूप से योजना अवधि में राशि निर्धारित नहीं की जाती है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991–92	92–93	93–94	94–95	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4	1	3	3	11
2.	असम	1	–	–	1	2
3.	जम्मू और कश्मीर	–	–	1	–	1
4.	कर्नाटक	1	2	–	–	3
5.	केरल	–	–	2	–	2
6.	मध्य प्रदेश	1	–	–	–	1
7.	महाराष्ट्र	–	1	3	1	5
8.	मणिपुर	1	1	–	–	2
9.	मेघालय	1	–	–	–	1
10.	नागालैंड	–	1	–	–	1
11.	उड़ीसा	–	1*	–	–	1
12.	पंजाब	–	2	–1	1	4
13.	तमिलनाडु	4	5	5	2	16
14.	त्रिपुरा	–	1	–	–	1
15.	उत्तर प्रदेश	1	–	1	1	3
16.	पश्चिम बंगाल	–	–	1	2	3
17.	दिल्ली	1	2	–	–	3
	कुल	15	17	17	11	60

* अम्बेडकर प्रतिष्ठान फैलोशिप के अंतर्गत विदेश गए हुए हैं।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991–92 तथा 1992–93					1993–94				
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति (प)	डी.एन.एस.टी.	एलीं एल.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति (प)	डी.एन.एस.टी.	एल.ए.एल.
1.	आन्ध्र प्रदेश	05	02	01	01	–	04	–	01	–	01
2.	असम	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	जैम्मू और कश्मीर	–	02	–	–	–	–	01	–	–	–
5.	कर्नाटक	02	–	–	–	–	02	03	–	–	
6.	केरल	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	मध्य प्रदेश	03	–	–	–	–	–	–	–	–	
8.	महाराष्ट्र	07	01	–	–	–	03	–	01	01	
9.	मणिपुर	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
10	मेघालय	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	नागालैंड	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	उड़ीसा	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	तमिलनाडु	15	03	01	01	–	06	02	01	–	–
14.	उत्तर प्रदेश	01	01	–	–	–	02	–	–	–	–
15.	पं. बंगाल	03	–	–	–	–	02	–	–	–	–
16.	दिल्ली	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–
	कुल	42	14	02	02	–	20	06	02	01	01

टिप्पणी : अनु. जाति — अनुसूचित जाति
अनु. जन. जा. — अनुसूचित जनजाति
अनु.जा. (प.) — अन्य धर्म परिवर्तित अनुसूचित जातियां
डी.एन एस.डी — अनाधिकृत, खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश जनजाति
एल.ए.एल — भूमिहीन कृषि श्रमिक और परम्परागत शिल्पकार

[हिन्दी]

जल का बंटवारा

1365. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार से जल बंटवारे संबंधी कितने मामले केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं और प्रत्येक मामले के लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) शून्य।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जाति प्रमाण पत्र

1366. श्री मृत्यंजय नायक :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जाली/जाति प्रमाणपत्र करने के विरूद्ध हाल ही में दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पास अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन संबंधी कितने मामले भेजे गए; और

(च) इस संबंध में की गई छानबीन का क्या परिणाम रहा और अभी आयोग में कितने ऐसे मामले लम्बित हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त जाली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान कार्यालयों में प्रवेश/नियुक्ति के लिए निर्धारित सही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थान पर गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के दावे को रोकने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 1994 के आपराधिक अपील सं. 5854 दिनांक 2.9.94 के निर्णय में सामाजिक स्तर प्रमाण–पत्रों को जारी करने, उनकी जांच तथा उनके अनुमोदन एक समिति द्वारा कराने की प्रक्रिया सुदृढ़ करने की जरूरत महसूस की है और प्रमाण–पत्र जारी करने, जांच करने तथा सामाजिक स्तर प्रमाण–पत्र के अनुमोदन की प्रक्रिया का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ). व्यापक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के परामर्श से उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च). 1994 में प्राप्त 79 शिकायतों में से आयोग ने 48 मामलों में जांच शुरू कर दी है, जिनके सत्यापन का मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। उपरोक्त किसी भी मामले में जांच कार्य पूरा नहीं हुआ है।

गेवरा परियोजना

1367. श्री साइमन मरांडी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गेवरा परियोजना में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). यह बात सही नहीं है कि गेवरा परियोजना में भ्रष्टाचार प्रचलन में है। 5 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद

1368. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 11 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

11.8.94 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के भाग (क) से (घ). तक का उत्तर

(क)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग*	
8015	3505	680	*अब तक घोषित केवल 14 राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची

(ख) जी, हां।

(ग)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग*
1331	856	89

(घ) शीघ्र भर्ती करने के लिए विभिन्न भर्ती एजेंसियों को पुनः सूचित किया जाता है।

दिल्ली में मंद बुद्धि वाले बच्चों के विद्यालय

1369. श्री मंजय लाल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए चलाये जा रहे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसे बच्चों को सवारी प्रभार का भुगतान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाभ का उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सवारी प्रभार का भुगतान करते समय प्रत्येक माह बच्चों की परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाता है; और

(ङ) ऐसे विद्यालयों में बच्चों के कल्याण हेतु प्रदान की जा रही निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) मानसिक मन्दता वाले बच्चों का विद्यालय चलाने वाले तथा इस मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सूची अनुबंध–I पर है।

(ख) और (ग). जी, हां। अनुबंध–I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विकलांग बच्चों के परिवहन के लिए संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) यात्रा व्यय स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाते हैं, बच्चों को सीधे नहीं दिए जाते।

(ङ) सहायता अनुदान प्रतिवर्ष दिल्ली सरकार की सिफारिशों पर दिए जाते हैं।

विवरण

	संगठन का नाम और डाक पता	बच्चों की संख्या जिन्होंने 1993–94 के दौरान वाहन सुविधाओं का उपयोग किया	1993–94 के दौरान परिवहन प्रभार के रूप में दी गई धनराशि (रु. में)
1.	बलवन्त मेहता विद्या भवन, मसजिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली–110048	116	144625
2.	फेडरेशन फार वेलफेयर आफ एम.आर. चिल्ड्रन (इन्डिया), शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली –110057	97	121250
3.	तमन्ना सोसायटी, डी–6, स्ट्रीट वसन्त विहार, नई दिल्ली	125	155750
4.	एसोशिएसन फॉर एडवांसमेन्ट हैंडीकैप्ड, 224 बसन्त विहार, नई दिल्ली	38	4625
5.	दिल्ली सोसायटी फार द वेलफेयर ऑफ मेन्टली रिटायर्ड चिल्ड्रन, ओखला सेन्टर, ओखला मार्ग	271	335000
6.	इस्लात सोसायटी, 16 ई/33, ईस्ट पेटल नगर, नई दिल्ली	58	75500
7.	एसोशिएशन आफ नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेलफेयर, कमरा नं. 21–21 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	–	–
8.	संजीवनी सोसायटी, ए–6 सतसंग विहार मार्ग, इन्ड्रस्टीयल एरिया, नई दिल्ली –67	–	–
9.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जामिया नगर, नई दिल्ली		

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र

1370. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र में "गोल्डन हैंड शेक स्कीम/पैकज" को लागू करने और ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक के साथ जिन शर्तों पर सहमति हुई है उनका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए एक संभावित ऋण प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श चल रहा है। प्रस्तावित ऋण का उद्देश्य कई नई/विस्तार कोयला परियोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उत्पादन का अनुरक्षण करने के लिए कई ओपेनकास्ट खानों में उपकरण की प्रतिस्थापना किया जाना है। इस संबंध में विषयगत ऋण की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1371. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों को मानवाधिकार आयोगों का गठन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों ने अब तक मानवाधिकार आयोग का गठन किया है;

(घ) अन्य राज्य अपने मानवाधिकार आयोगों का गठन कब तक कर लेंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार मानवाधिकारों के क्षेत्र का विस्तार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) फरवरी, 1994 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासकों तथा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है उन राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखा है जिसमें आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को राज्य मानवाधिकार आयोग को शीघ्र गठित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा विश्वास है कि "इस प्रकार से गठित राज्य आयोग मानव अधिकारों के सम्मान के विस्तार के लिए भारी प्रेरक का कार्य कर सकते हैं।"

(ग) और (घ). अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधान के अनुसार मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य में मौजूदा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनः अभिमुखीकरण करके, पुनः पदनामित करके, कार्य परिधि का दायरा बढाकर एक मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने के प्रश्न उनके विचाराधीन हैं। असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने के बारे में सिद्धान्त रूप में फैसला पहले ही लिया चुका है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे राज्य मानवाधिकार आयोग को गठित करने के लिए कदम उठा रही है। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ने सूचित किया है कि वे अभी राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करना आवश्यक नहीं समझते हैं। गोवा राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के प्रशासनों ने सूचित किया है कि वे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(ङ) से (छ). "मानवाधिकार" शब्द को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) में पहले ही विस्तार से परिभाषित किया गया है। मानवाधिकार की परिभाषा में किसी प्रकार का संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला खनन

1372. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बलराज पासी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी के बीच कोयला खनन के क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय सहयोग के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब से लागू किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन के अनुसार कोयला पर एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई है जिसकी भारत–जर्मन सहयोग परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा तथा सहयोग के लिए शुरू किए जाने वाले नए प्रस्तावों पर नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित होती हैं। कोयला उद्योगों में निम्नलिखित परियोजनाएं वर्तमान में जर्मनी की सहायता से क्रियान्वयनाधीन हैं :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त/संभावित सहायता (डच मार्क में)	परियोजना की स्थिति
1.	रामागुंडम ओ.का.–II परियोजना, सिं.को. कं.लि.	172.388 मिलियन	13.7.95 तक पूरी की जानी है।
2.	बीना डेशलिंग संयंत्र, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	4.00 मिलियन	अभी हाल ही में पूरी हुई।
3.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में भूमिगत गड्ढों का विनिर्दिष्टीकरण	0.17 मिलियन	जर्मन विशेषज्ञ शीघ्र पहुंच रहे हैं।

[अनुवाद]

आरक्षण

1373. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी नौकरियों और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में आरक्षण के कुल लाभन्वितों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त उन सामाजिक ग्रुपों जिन्हें मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियां घोषित किया है अथवा जो मंडल सूची और राज्य सूची दोनों में शामिल हैं और इसलिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण के हकदार हैं, के आंकलन के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछड़े वर्ग की सूची में राज्य–वार मुसलमानों की किन–किन उपजातियों को शामिल किया गया है;

(च) राज्य की कुल जनसंख्या में इन मुसलमान उपजातियों का राज्य–वार कितना प्रतिशत है; और

(छ) किन–किन राज्यों में पूरे मुसलमान समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है और आरक्षण योजना में शामिल किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) राज्य सेवाओं में आरक्षण का वर्तमान स्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) चूंकि आरक्षण का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, केन्द्र सरकार लाभग्राही–वार आरक्षण का रिकार्ड नहीं रखती।

(ग) और (घ). वर्ष 1981 तक जातियों या सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) के अनुसार जनसंख्या विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल जनसंख्या 52 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था।

(ङ) उन उप–समुदायों की एक सूची जिसके बारे में उनकी मंडल सूचियों और राज्य सरकार की सूचियों में मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने का विशिष्ट संकेत है, और जिन्हें बाद में भारत सरकार के अंतर्गत सिविल सेवाओं और पदों में आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचियों में शामिल किया गया था, संलग्न विवरण–II है।

(च) अन्य पिछड़े वर्गों में मुस्लिम उप समुदायों की प्रतिशतता के लिए अलग से विवरण नहीं रखा जाता।

(छ) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन के लिए कर्नाटक व केरल की राज्य सरकारों ने सभी मुस्लिमों को अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित किया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत

क्र.स.	राज्य का नाम	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछडे वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15	6	25	46
2.	असम	7	मैदानी 10	15	32
			पहाड़ी 5		27
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	80	–	80
4.	बिहार	14	10	26	50
5.	गोवा	15 (A & B)	7.5	2	24.5
		2 (C & D)			
6.	गुजरात	7	14	27	48
7.	हरियाणा	20	–	10	30
8.	हिमाचल प्रदेश	15 (A & B)	7.5	10	32.5
		22 (C & D)	7.5	10	39.5
9.	जम्मू और कश्मीर	8	–	–	8
10.	कर्नाटक	18	5	50	73*
11.	केरल	8	2	40	50
12.	मध्य प्रदेश	15 (A & B)	18 (A & B)	14	47
		16 (C & D)	20 (C & D)		50
13.	महाराष्ट्र	13	7		अघोषित घुमन्तू
				11	अनुसूचित जनजाति
				–19	50
14.	मिजोरम	2	31	–	33
15.	मेघालय	–	80	–	80
16.	मिजोरम	–	45	–	45
17.	नागालैंड	–	100 गैर तकनीकी	–	100
			80 अन्य	–	80
18.	उड़ीसा	15	23	27	65
19.	पंजाब	25	–	5	30
20.	राजस्थान	16	12	22	50

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	कोई आरक्षण नहीं			
22.	तमिलनाडु	18	1	50	69
23.	त्रिपुरा	16	31	–	47
24.	उत्तर प्रदेश	21	2	27	50
25.	पश्चिम बंगाल	22	6	5	33
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	7.5	–	22.5
2.	चंडीगढ़	15	7.5	–	22.5
3.	दादर और नगर हवेली	15	7.5	5	27.5
4.	दिल्ली	15	7.5	–	22.5
5.	दमन और द्वीव	15	7.5	27	49.5
6.	लक्षद्वीप	15	7.5	–	22.5
7.	पांडिचेरी	15	7.5	–	22.5

*उच्चतम न्यायलय ने 73 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश को आस्थगित कर दिया है।

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए गये मुस्लिम समुदायों के नाम

प्रविष्टि सं.	मुस्लिम समुदायों के नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
37.	मेथार (मुस्लिम)
	असम
13	मणिपुरी मुस्लिम
27	मैनराल (मुस्लिम मछुआरा)
	बिहार
5	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
38	चीक (मुस्लिम)
42	चुड़ीहार (मुस्लिम)
46	डफली (मुस्लिम)
57	धाबी (मुस्लिम)
58	धुनिया (मुस्लिम)
63	नट (मुस्लिम)
67	नलबद (मुस्लिम)
68.	पनेरिया (मुस्लिम)
84.	मथेरा (मुस्लिम)
91.	मदारी (मुस्लिम)
92.	मेहतर, लालबेगी, हलखार, भगी, (मुस्लिम)
93.	मिरियासिन (मुस्लिम)
99.	मुकरी (मुखेरी) (मुस्लिम)
102.	मीर शिकार (मुस्लिम)
103.	मोमिन (मुस्लिम)
109.	रंगरेज (मुस्लिम)
111.	राइन या, कुंजड़ा (मुस्लिम)
116.	साई (मुस्लिम)
119.	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
	गुजरात
3.	बफान (मुस्लिम)
17.	डफर (मुस्लिम)
19.	फकीर या फकीर (मुस्लिम)
20.	गधारे (मुस्लिम)
22.	गलियारिया (मुस्लिम)
23.	घंछी (मुस्लिम)
26.	हिंगोरा (मुस्लिम)
27.	जूलाया, गराना, तारिया, तथा तारी (सभी मुस्लिम)
28.	जाट (मुस्लिम)
32.	खटकी या कसाई, चमडिया खटकी, हलारी खटकी (सभी मुस्लिम)
40.	मीर, धाधी, रंघा, मीरासी, (सभी मुस्लिम)
43.	मजोढ़ी कुभार, दरबार या दरबान मजोढी (सभी मुस्लिम)
44.	मकरानी (मुस्लिम)

1	2
45.	मतवा या मतवा कुरेशी (सभी मुस्लिम)
49.	मीयां, मीयाना (मुस्लिम)
54.	पिंजारा, गांधी–पिंजारा, मन्सूरी–पिंजारा (सभी मुस्लिम)
59.	सान्धी (मुस्लिम)
65.	सिपाया पाथी, जमात या टर्क जमात (सभी मुस्लिम)
70.	थेबा (मुसलमान)
73.	हजाम (मुस्लिम) खलीफा (मुस्लिम)
76.	डांग्सजित वन्जारा (मुस्लिम) केवल
78.	वाघेर (मुस्लिम)
	कर्नाटक
13.	छप्पारबान्द (मुस्लिम)
	तमिलनाडु
26.	देक्कनी (मुस्लिम)
	राजस्थान
23.	जुलाहा (मुस्लिम)
	उत्तर प्रदेश
11.	कुन्जरा या रायीन
17.	चिकवा (कासव)
21.	दफाली
42.	मोमिन (अन्सार)
44.	मुस्लिम क्यास्थ
45.	नदाफ (धुनिया)
53.	हज्जाम
	दादर और नगर हवेली
9.	मकराना (मुस्लिम)

कोयला परियोजनाएं

1374. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी नई अतिरिक्त कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं से कोककारी तथा गैर–कोककारी कोयले का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की (1985–86) से शुरू की अवधि से 1993–94 के अंत तक कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. ने प्रत्येक दो करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 232 नई कोयला खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। वर्ष –वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष		नई स्वीकृत की गई कोयला खनन परियोजनाओं की संख्या
1985–86	7वीं योजना	21
1986–87		24
1987–88		42
1988–89		27
1989–90		30
1990–91	वार्षिक योजना	33
1991–92		20
1992–93	आठवीं योजना के प्रथम दो वर्ष	24
1993–94		11

(ख) इन परियोजनाओं से वर्ष 1993–94 के दौरान कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में 79.38 मि.टन कोयले का उत्पादन हुआ।

(ग) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर प्रगामी निवेश 5994 करोड़ रुपए (अनंतिम) की राशि का हुआ।

जनजाति के लोगों का पुनर्वास

1375. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पोलावरम परियोजना से निष्कासित जनजाति के लोगों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने के बारे मे आंध्र प्रदेश सरकार को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा सरकार को सलाह दी गयी है कि वह पोलावरम परियोजना के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहलुओं पर कार्य योजना तैयार करे तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करे।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पोलावरम परियोजना के जनजातीय विस्थापितों के पुनर्वास एव पुनर्स्थापन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

गेवरा परियोजना

1376. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक उच्च स्तरीय दल नें दक्षिण–पूर्व कोयला क्षेत्र की गेवरा परियोजना का हाल ही में निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक परियोजना के निरीक्षण के बाद पूरी तरह से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). एक विश्व बैंक दल ने जुलाई, 1994 में गेवरा परियोजना तथा गांव "विजयनगर" के पुनर्वास स्थल का दौरा किया था। कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि इस दौरे के संबंध में विश्व बैंक दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

महिलाओं के लिए अस्थायी जेल

1377. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में महिला कैदियों, किशोर और विचाराधीन कैदियों के लिए अस्थायी जेल का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस एजेंसियों पर छापे

1378. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस कनेक्शन देने के फर्जी प्राथमिकता वाले वाउचरों का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों पर कितने छापे मारे गए,

(ख) संबंधित रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इन छापों के फलस्वरूप कितने रसोई गैस कनेक्शन रद्द किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कोई छापा नहीं मारा गया। तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों के दौरान जाली प्राथमिकता वाउचरों पर दिए गए एल पी जी कनेक्शनों की भी जांच की गई थी। अनियमितता साबित हुए मामलों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1379. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विशेषतः राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में आयल इंडिया लि., तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य भारतीय तेल कंपनियों ने किन–किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की;

(ख) इस समय किन–किन स्थानों पर खोज कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में रिंगें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अपेक्षित रिंगें कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओ एन जी सी लि. ने गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल तथा डांग जिले के जनजातीय क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है। पद्रा के दक्षिण, हजीरन–खंबल–बचराजी, ललवा–बलाल–मधेंरा, लिंच नंदासन, गमीज, गांधीनगर के दक्षिण पूर्व, पंसार, पलियाड, तथा गंधार गोलाड्रा में भूकंपी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

गुजरात में अहमदाबाद, गमीज, गंधार कलाल, लंघनाज, लिंच, मेवाड़, नंदार पड्रा, पश्वासन, सानंद सोभासन तथा एस विरज संरचनाओं में अन्वेषण वेध किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। 1994–95 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार अन्वेषण वेधन के लिए रिंगों को उपलब्ध कराया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिशुओं में विकलांगता

1380. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिशुओं में विकलांगता के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की विकलांगता को रोकने और इन विकलांग शिशुओं की सहायता और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) शिशु विकलांगता की वृद्धि बताने वाला तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकलांगों के प्रतिशत को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में सहायक नर्सों, दाइयों (महिला स्वास्थ कार्यकर्ताओं) को प्रशिक्षण, माता तथा बच्चों में पौषणिक एनीमिया के विरूद्ध रोग निरोधन, बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण अन्धता के विरूद्ध रोग निरोधन, सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम, आहार तथा गर्भवती माताओं के लिए अन्य सहायक कार्यक्रम शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त विकलांगों का शीघ्र पता लगाने, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुर्नवास के लिए "विकलांगों के संगठनों को सहायता की योजना" के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है।

उड़ीसा में विकास परियोजनाएं

1381. श्री के. प्रधानी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने "चुकतिया ब्रुंजिया" जाति को आदिम जनजाति घोषित किए जाने और इस जाति के विकास के लिए एक लघु परियोजना स्थापित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना इस समय किस चरण में है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से गंजम जिले में एक नए क्लस्टर पाकेट की स्थापना, फूलबनी जिले में "एम. ए.डी.ए. पाकेट का चयन करने और सुन्दरगढ़ जिले में "पौदी भूयन्स" हेतु लघु परियोजना बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी प्रत्येक परियोजना के बारे में क्या कदम उठाए हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा चूंकि "चुकतियां ब्रुंजिया" जनजाति आदिम जनजाति के लिए निर्धारित मानदण्ड को पूरा करती है, अतः अगस्त, 1994 में इस पर सहमति हुई थी कि इसे उड़ीसा के आदिम जनजाति समूह में शामिल किया जाए। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कार्रवाई योजना तथा आठवीं योजना अवधि की शेष बची परियोजना रिपोर्ट, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा है, तैयार करें।

(ग) से (च). जी, हां। राज्य सरकार की गंजम जिले में क्लस्टर पाकेट की स्थापना तथा फूलबनी जिले में माडा पाकेट के चयन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी क्योंकि यह प्रस्ताव क्लस्टर तथा माड़ा के अधीन पाकेटों की घोषणा के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं थे। इस संबंध में मंत्रालय के निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। "पौदी भुयन्स" में एक लघु परियोजना तैयार करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और इसके गुणाव गुण के आधार पर शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नल कूप लगाया जाना

1382. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को नल कूप लगाने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को विशेष रूप से नल कूप लगाने के लिए निधियों का आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, योजना आयोग ने वित्तीय वर्ष 1994–95 के लिए राज्यों को योजना सहायता के अन्तर्गत उन लघु सिंचाई योजनाओं के वास्ते हिमाचल प्रदेश को 23.26 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

1383. श्री अन्ना जोशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे द्वारा भूमि के अधिग्रहण के विरोध में पुणे के किसानों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पुणे के किसानों ने अपने ज्ञापन में बताया है कि केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने अधिकांशतः अर्जित भूमि का

अब तक उपयोग नहीं किया है। किसानों का यह कथन सही नहीं है क्योंकि केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा अर्जित भूमि का उपयोग हो रहा है। जहां तक केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा अतिरिक्त भूमि के अर्जन को छोड़ने के सम्बन्ध में उनकी मांग का संबंध है, मामले की गहराई से जांच की गई है और यह पाया गया कि उनकी मांग को मान लेना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र के विस्तार के लिए प्रश्नाधीन भूमि का अर्जन आवश्यक है। केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र के लिए भूमि अर्जन की मूल मांग 90 हेक्टेयर की है। तथापि, किसानों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, भूमि अर्जन की प्रस्तावित 90 हेक्टेयर की मांग को न्यूनतम 49.7 हेक्टेयर तक कम कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). अब तक अर्जित भूमि की लागत राज्य प्राधिकारियों को पहले से ही दे दी गई है।

रामेश्वरम के नजदीक गैस का पता लगना

1384. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रामेश्वरम के नजदीक गैस का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो खोज के दौरान यहां गैस की कितनी मात्रा होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कूप के आरंभिक उत्पादन जांच के दौरान, 2080–2078 मी. तथा 2074–2067 मी. के अंतराल से 24500 मनमोकर प्रति दिन की दर से मुक्त गैस का उत्पादन हुआ।

[हिन्दी]

गोवारी और माना जनजातियां

1385. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महराष्ट्र के गोवारी और माना जनजातियों के नेता के शिष्टमंडल ने हाल ही में प्रधान मंत्री से भेंट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) महाराष्ट्र के गोवारी तथा माना समुदाय को कोई शिष्टमंडल प्रधान मंत्री से नहीं मिला था।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औरैया गैस क्रेकर परियोजना

1386. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औरैया गैस क्रेकर परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के लिए कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के 2941.48 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले गैस अथारिटी पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स का अनुमोदनत अक्तूबर, 1992 में किया था। यह परियोजना दिसम्बर, 1996 में पूरी की जानी है।

[हिन्दी]

विदेशी अभिदाय

1387. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को अधिक प्रभावशाली और कठोर बनाने हेतु इसमें संशोधन करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अधिनियम कब तक पेश कर दिया जाएगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने संगठनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है; और

(ङ) दानकर्त्ता देशों के नाम के साथ अभिदाय का वर्ष–वार अलग अलग ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संबंध में एक विधेयक, यथाशीघ्र संसद में रखे जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

*वर्ष	उन संगठनों की संख्या, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना दी है।
1990	9316
1991–92	9012
1992–93	10201

* वर्ष 1990 तक, कलेन्डर वर्ष आधार पर सूचना रखी जा रही थी और इसलिए वर्ष 1990 की सूचना कलेन्डर–वर्ष के लिए है।

1990 के दौरान प्राप्त देश-वार अभिदाय

क्र.सं.	देश	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	152
2.	अल्जीरिया	82
3.	एनटीगुआ और बरबूदा	193
4.	अर्जेन्टाइना	281
5.	आस्ट्रेलिया	162692
6.	आस्ट्रिया	99718
7.	बहामा	8
8.	बहरीन	3452
9.	बांग्लादेश	254
10.	बारबादोस	190
11.	बेल्जियम	138089
12.	भूटान	1527
13.	बोट्सवाना	8
14.	ब्राजील	2898
15.	बेमेन (हमबर्ग राज्य)	1904
16.	ब्रुनेई	344
17.	बल्गारिया	184
18.	बर्मा	72
19.	केमरून	76
20.	कनाडा	366815
21.	चिली	562
22.	चीन	204
23.	कोलम्बिया	142
24.	कोस्टारिका	3
25.	क्यूबा	81
26.	साइप्रस (गणतंत्र)	62
27.	डेनमार्क	56302
28.	डोमीनिका	2
29.	जिबौती	50
30.	मिस्र	574
31.	अल इक्वेडोर	2
32.	इथियोपिया	92
33.	फीजी	411
34.	फिनलैण्ड	14518
35.	फ्रांस	202960
36.	जर्मनी–जी.डी.आर.	1000
37.	जर्मनी–एफ.आर.जी.	2259609
38.	घाना	1421
39.	यूनान	2117
40.	ग्रेनाडा	24
41.	ग्वाटेमाला	10
42.	गिनी	48
43.	हेस्सें	31
44.	होली सी	215
45.	हांगकांग	37904
46.	हंगरी	36
47.	आइसलैण्ड	653
48.	इन्डोनेशिया	10499
49.	इरान	146
50.	ईराक	26
51.	आयरलैण्ड	31023
52.	इस्राइल	179
53.	इटली	704053
54.	जमैंका	102
55.	जापान	58135
56.	जोर्डन	282
57.	कम्पूचिया	7
58.	केन्या	2830
59.	कोरिया–उत्तरी(डी.पी.आर)	616
60.	कोरिया दक्षिणी (गणतंत्र)	2747
61.	कुवैत	23936
62.	लाओस	4
63.	लेबनान	24322
64.	लेसोथो	5
65.	लाइबीरिया	184
66.	लीबिया	18
67.	लोअंर सेक्सोय	4
68.	लक्सेमबर्ग	9691
69.	मलावी	141
70.	मलेशिया	3698
71.	मालद्वीव	64
72.	माली	52
73.	माल्टा	10558
74.	मारीशस	335
75.	मैक्सिको	2231
76.	मोरक्को	90
77.	मोजाम्बीक	37

1	2	3
78.	नाउर (गणतंत्र)	29
79.	नेपाल	6557
80.	नीदरलैण्ड्स	601252
81.	न्यूजीलैण्ड	31361
82.	नाइगर (गणतंत्र)	116
83.	नाइजीरिया	1521
84.	नार्वे	61963
85.	ओमान (सल्तनत)	5222
86.	पाकिस्तान	174
87.	पनामा	297
88.	पापुआ न्यू गुआनी	15
89.	पेरू	11
90.	फिलीपींस	13548
91.	पोलैण्ड	97
92.	पुर्तगाल	1938
93.	कतर	4626
94.	रोमानिया	1072
95.	रवांडा	102
96.	सऊदी अरब	37628
97.	सिसली	403
98.	सिंगापुर	22320
99.	सोलोमन द्वीपसमूह	312
100.	सोमालिया	125
101.	स्पेन	167396
102.	श्रीलंका	729
103.	सेंटलूसिया	147
104.	सूडान	125
105.	स्वाजीलैण्ड	138
106.	स्वीडन	244969
107.	स्विट्जरलैण्ड	527721
108.	सीरिया (अरब गंणतंत्र)	127
109.	ताइवान	198
110.	तंजानिया	34
111.	थाईलैण्ड	3880
112.	टोगो	57
113.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगा	161
114.	ट्यूनीशिया	236
115.	तुर्की	78
116.	तुर्क एवं साइकोस द्वीपसमूह	429
117.	सयुक्त अरब अमीरात	31535
118.	यूनाइटिड किगंडम	1181177
119.	यू.एस.ए	2038441
120.	यू.एस.एस.आर.	150
121.	वेनेजुएला	1641
122.	यमन अरब गणतंत्र	20
123.	यमन–जी.डी.आर	7
124.	यूगोस्लाविया	65
125.	जाइरे	34
126.	जाम्बिया	144
127.	जिम्बाब्वे	250
128.	छोटे–छोटे दानदाता	220217

1991-92 के दौरान देश-वार प्राप्त अभिदाय

क्र.सं.	देश का नाम	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	323
2.	अल्जीरिया	134
3.	एन्टीगुआ और बारबूडा	3
4.	अर्जेन्टीना	356
5.	आस्ट्रेलिया	222964
6.	आस्ट्रिया	144666
7.	बाहमास	121
8.	बहरीन	5614
9.	बंगला देश	411
10.	बेल्जियम	253912
11.	बेलाईज	31
12.	भूटान	2417
13.	बोत्सवाना	137
14.	ब्राज़ील	737
15.	ब्रूनी	560
16.	बल्गारिया	42
17.	बर्किन फासो	430
18.	बर्मा	32
19.	कनाड़ा	543408

1	2	3
20.	चिली	335
21.	चीन	1474
22.	कोलम्बिया	232
23.	कोस्टारिका	11
24.	साईप्रस(गणराज्य)	81
25.	चेकोस्लावाकिया	121
26.	डेनमार्क	73317
27.	इक्वाटोरियल गुनिया (गणराज्य)	219
28.	मिश्र	215
29.	एल इक्वाडोर	2
30.	इथियोपिया	318
31.	फिजी	216
32.	फिनलैंड	21445
33.	फ्रांस	351873
34.	गरबान	401
35.	गाम्बिया	853
36.	जर्मनी (ग.परि)	3324282
37.	घाना	261
38.	ग्रीस	242
39.	ग्रेनाडा	25
40.	गुआटेमाला	2
41.	गिनि	3
42.	होली सी	1181
43.	हांग–कांग	34195
44.	हंगरी	328
45.	आईसलैंड	607
46.	इण्डोनेशिया	3755
47.	ईराक	1233
48.	आयरलैंड	51155
49.	इजरायल	193
50.	इटली	1130869
51.	जमैका	69
52.	जापान	56137
53.	जोर्डन	33
54.	कम्पूचिया	115
55.	केन्या	3001
56.	कीरीबती	3
57.	कोरिया–उत्तरी(डीपीआर)	3316
58.	कोरिया–द. (गणराज्य)	4360
59.	कुवैत	33452
60.	लाओस	99
61.	लेबनान	44
62.	लाइबेरिया	32
62.	लीबिया	276
64.	त्योअर सैकसोय	65
65.	लक्समबर्ग	15432
66.	मकाऊ	1
67.	मालावी	537
68.	मलेशिया	9707
69.	मालदीव	133
70.	माली	60
71.	माल्टा	15488
72.	मौरिटानिया	2
73.	मौरिशस	728
74.	मैक्सिको	1162
75.	मोजाम्बिक	120
76.	नौरू(गणराज्य)	589
77.	नेपाल	8197
78.	नीदरलैंडस	815991
79.	नीदरलैंडस एण्टिलिज	237
80.	न्यू कैलेडोनिया	2237
81.	न्यूजीलैंड	28198
82.	निकारागुआ	25
83.	नाईजर (गणराज्य)	341
84.	नाईजीरिया	2372
85.	नौरवे	88016
86.	ओमान(सल्तनत)	5776
87.	पाकिस्तान	1319
88.	पनामा	2295
89.	पुपुआ न्यू गिनिया	8
90.	पेरू	5
91.	फिलीपीन्स	26461
92.	पोलैंड	366
93.	पुर्तगाल	2077

1	2	3
94.	कतर	6872
95.	रिहनलैंड फैंज	330
96.	रोमानिया	1344
97.	खाण्डा	6
98.	सऊदी अरब	72912
99.	सेनेगल	13
100.	सिशिल्स	360
101.	सिंगापुर	32004
102.	स्पेन	285902
103.	श्रीलंका	2635
104.	सैंट विसेट एण्ड द ग्रीनाडाईन्स	355
105.	सैंट लोसिया	6
106.	सूडान	12
107.	स्वाजीलैंड	358
108.	स्वीडन	276537
109.	स्वीटज़रलैंड	742742
110.	सीरिया (अरब)	514
111.	ताईवान	2292
112.	तन्जानिया	1022
113.	थाईलैंड	9635
114.	टोगो	978
115.	त्रिनिदाद और टोबेगो	415
116.	तुनीशिया	160
117.	तुर्की	209
118.	युगांडा	190
119.	यूनाइटेड अरब अमीरात	57341
120.	यूनाइटेड किंगडम	1279981
121.	यू.एस.ए.	3600581
122.	यू.एस.एस.आर.	6334
123.	उरूग्वे	64
124.	वेनेज़ुएला	1037
125.	यमन अरब गणराज्य	80
126.	यमन--पी.डी.आर	17
127.	युगोस्लाविया	398
128.	जाय	13
129.	जाम्बिया	76
130.	जिम्बाब्वे	45
131.	स्माल डोनर्स	422952

1992-93 के दौरान देश-वार प्राप्त अभिदाय

क्र.सं.	देश	राशि (हजार रूपयों में)
1	2	3
1.	अंगोला	3
2.	एंटीगुआ और बारबुडा	208
3.	अर्जेंटीना	1815
4.	आस्ट्रेलिया	291506
5.	आस्ट्रिया	190671
6.	बेहमास	92
7.	बहराइन	8840
8.	बंगलादेश	3733
9.	बारबेडोस	60
10.	बेल्ज़ियम	249684
11.	भूटान	4478
12.	बोत्सवाना	151
13.	ब्राज़ील	215
14.	बरूनी	9
15	बुल्गेरिया	165
16.	बर्मा	51
17.	कनाडा	517299
18.	केप वर्डे आईलैंड	5
19.	चिली	1081
20.	चीन	325
21.	कोलम्बिया	571
22.	कोस्टारिका	6
23.	साइप्रस (रिपब्लिक आफ)	58
24.	चेकोस्लावाकिया	6
25.	डेनमार्क	108330
26.	इजिप्ट	172
27.	इथियोपिया	3523
28.	फिज़ी	2470
29.	फिनलैण्ड,	17859
30.	फ्रांस	338807
31.	जर्मनी	3452940
32.	यूनान	264
33.	गिनी	143
34.	गुयाना	18
35.	हैसेन	608
36.	होली सी	56

1	2	3
37.	हांगकांग	45879
38.	हंगरी	368
39.	आइसलैण्ड	961
40.	इन्डोनेशिया	3620
41.	ईरान	254
42.	आयरलैण्ड	41869
43.	इज़राइल	370
44.	इटली	1184818
45.	जमैका	164
46.	जापान	124776
47.	जोर्डन	783
48.	कम्पूचिया	4
49.	केन्या	5434
50.	कोरिया–उत्तरी (डी.पी.आर.)	1143
51.	कोरिया–दक्षिणी (गणतंत्र)	3925
52.	कुवैत	71259
53.	लाओस	1
54.	लेबनान	69
55.	लिबिया	310
56.	लग्जमबर्ग	19294
57.	मलावी	263
58.	मलेशिया	10663
59.	मालदीव	15
60.	माली	40
61.	माल्टा	17242
62.	मारीतानिया	5
63.	मारीशस	380
64.	मैक्सिको	979
65.	मोजाम्बिक	34
66.	नेपाल	9375
67.	नीदरलैण्ड	1157637
68.	न्यूजीलैण्ड	16810
69.	नाईजर(गणतंत्र)	10
70.	नाईजीरिया	899
71.	नार्वे	117741
72.	ओमान (सल्तनत)	13243
73.	पाकिस्तान	1256
74.	पनामा	199
75.	पापुआ न्यू गिनी	117
76.	फिलीपीन्स	28627
77.	पौलेण्ड	169
78.	पुर्तगाल	2867
79.	कतर	9713
80.	रोमानिया	330
81.	सबारलैण्ड	60
82.	सऊदी अरब	101535
83.	सिंगापुर	46095
84.	स्पेन	363532
85.	श्रीलंका	1942
86.	सेन्ट विन्सेट तथा द ग्रेनेडीनीज	170
87.	स्वाजीलैण्ड	2303
88.	स्वीडन	240901
89.	स्विट्जरलैण्ड	915147
90.	सीरिया (अरब गणतंत्र)	785
91.	ताईवान	4381
92.	तंजानिया	1586
93.	थाईलैण्ड	8517
94.	टोगो	1026
95.	टोंगा(किंगडम)	30
96.	त्रिनिदाद तथा टोबेगो	2891
97.	ट्यूनिसिया	373
98.	तुर्की	24
99.	ट्डर्स तथा साइकोस आइलैण्ड्स	552
100.	युगांडा	82
101.	संयुक्त अरब अमीरात	66133
102.	यूनाईटेड किंगडम	1753387
103.	संयुक्त राज्य अमेरिका	3597313
104.	रूस	1
105.	उरूग्वे	72
106.	वेनुती	64
107.	वेनेजुएला	402
108.	वियतनाम(समाजवादी गणतंत्र)	171
109.	पश्चिमी सोमोआ	42
110.	यमन अरब गणतंत्र	70
111.	यमन–पी.डी.आर.	12
112.	युगोस्लाविया	154
113.	जाम्बिया	107
114.	जिम्बाब्वे	922
115.	छोटे दान दाता	642073

[अनुवाद]

न्यायालय के विचाराधीन विदेशी राष्ट्रिक

1388. श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तक देश में कितने विदेशी राष्ट्रिक नजरबंद थे;

(ख) उनमें से कितनों को सजा दी गई है;

(ग) कितने न्यायालय के विचाराधीन हैं;

(घ) कितनों की जांच की जा रही हैं;

(ङ) इन नजरबंद नागरिकों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन विचाराधीन विदेशी राष्ट्रिकों पर मुकदमा चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(छ) यदि हां, तो इन न्यायालयों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1389. श्री हाराधन राय :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को खनन कार्य हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए जिला अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) चूंकि भूमि को कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चनन प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया गया है, अतः भूमि को परिवर्तित किए जाने के मामले में किसी तरह की अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

कोयले की दुलाई

1390. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की दुलाई में कुछ अनियमितता बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. के अनुसार, विभिन्न सहायक कंपनियों की खानों में कोयले का परिवहन किए जाने अथवा कोयले के परिवहन में ठेका दिए जाने के मामले में अंतिम रूप दिए जाने में कोई अनियमितताएं नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा को सहायता

1391. श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में विद्रोह की स्थितियों और विदेशी घुसपैठ से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शिलांग में हाल ही में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों और गृह मंत्रियों की बैठक में त्रिपुरा से संबंधित किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). उग्रवादी गतिविधियों, जातीय तनाव तथा सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए, त्रिपुरा सरकार ने 3.55 करोड़ रुपए की विशेष सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस सहायता को, राज्य पुलिस बल के लिए, वाहन, वायर लैस उपकरण तथा शस्त्र आदि की खरीद के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है।

गृह राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) ने दिनांक 28.10.1994 को शिलांग में, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की। त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधि ने, राज्य सरकार द्वारा, विद्रोही गिरोहों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। इस संबंध में, उन्होंने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, आत्मसमपर्ण करने वालों के लिए पुनर्वास सहायता आदि के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर, भारत सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, त्रिपुरा के लिए, 46.530 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी थी। इसमें से, पहली किश्त के रूप में 23.265 लाख रुपये की राशि अब तक दी जा चुकी है। आगे धन राशि रिलीज करने के लिए यह शर्त है कि पहले ही दी जा चुकी धन राशि के बारे में पहले उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष सहायता के प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की गई और त्रिपुरा सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह बताएं कि अगले तीन वर्षों के लिए उन्हें कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्रों में प्रदूषण

1392. श्री लाल बाबू राय :
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के कोयला क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना बनायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). कोयला खनन क्रियाकलापों (जिसमें बिहार के कोयला क्षेत्र शामिल हैं), विशेषकर ओपनकास्ट क्रियाकलापों से भूमि, वायु तथा जल प्रदूषण में गिरावट आ जाने के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु, खनन क्रियाकलापों के कारण पड़े प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों को क्रियान्वित करके कार्रवाई की जाती है।

पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं (ई.एम.पी.), जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपाय शामिल हैं, कोयला परियोजनाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में हैं। इन ई.एम.पी. में सुधार किए जाने वाले उपाय भी समाहित हैं, जैसे भूमि सुधार वनरोपण और वायु तथा जल प्रदूषण पर नियंत्रण आदि। इन ई.एम.पी. के क्रियान्वयन पर कोयला कंपनियों तथा सरकार द्वारा भी निगरानी रखी जाती है।

पुरानी उत्खनित की गई खानों में भूमि सुदृढ़ीकृत करने तथा पर्यावरणीय क्रियान्वयन उपायों को आठवीं योजना अवधि के दौरान इसे एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से झरिया कोयला क्षेत्र की आगों से निपटने के लिए एक नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

कोयला परियोजना

1393. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खण्डूरी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन्हीं परियोजनाओं पर भारी खर्च करके उसे छोड दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कोल इंडिया लि. को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. की परियोजनाओं का उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन निराशाजनक रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कोल इंडिया लि. ने अपनी परियोजनाओं की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(च) कोल इंडिया लि. को विभिन्न कोयला खानों में आग लगने के कारण कितना घाटा हुआ; और

(छ) आग बुझाने वाली पुरानी प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. की 47 स्वीकृत कोयला उत्पादन परियोजनाएं निम्न कारणों से वापस ले ली गईं/शुरू नहीं की गईं जैसे–भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की समस्या, प्रतिकूल भू–खनन परिस्थितियां, कोयले की निकासी किए जाने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संबंधी पहलु और निधियों की अनुपलब्धता। किन्तु चालू वर्ष के दौरान ऐसी 9 परियोजनाओं में कार्य शुरू हो गया है और ऐसी वापस ली गई, जिनमें कार्य शुरू नहीं किया गया था, उनकी संख्या अब 38 है। इन परियोजनाओं पर व्यय की गई कुल 40.23 करोड़ रु. की राशि में से 27.59 करोड़ रु. की राशि "हैम" मशीनों की खरीद पर खर्च की गई। इन उपकरणों को अन्य परियोजनाओं में स्थानान्तरित कर दिया गया और उन्हें पूरी तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है।

(घ) और (ङ). सितम्बर, 1994 के अंत में कोल इंडिया लि. में 62 परियोजनाओं में से (जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की है), जो कि क्रियान्वयनाधीन हैं, उनमें से 42 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर चल रही हैं। शेष परियोजनाओं में निम्न कारणों से विलंब हुआ है जैसे–भूमि के अधिग्रहण में विलंब, उपकरण की आपूर्ति में विलंब, प्रतिकूल भू–खनन परिस्थितियां और निधियों की कमी। वर्ष 1993–94 के दौरान 20 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की (पूरी हुई तथा चालू दोनों तरह की परियोजनाएं) कोल इंडिया लि. द्वारा किए गए 216.10 मिलियन टन के कुल उत्पादन में 113.81 मिलियन टन (अनंतिम) उत्पादन का योगदान दिया गया है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं:–

(1) लम्बित भूमि संबंधी मामलों में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किया जाना।

(2) उपकरणों की समय से आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चय किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के खनन उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती बैठकों का आयोजन किया जाना।

(3) अति आधुनिक भू–गर्भीय तथा भू–भौतिकी अन्वेषण तकनीक और भू–खनन परिस्थितियों का अग्रिम रूप में पूर्व अनुमान लगाए जाने के लिए परिभाषित यंत्रीकरण को अपनाया जाना।

(4) प्रत्येक कंपनी में परियोजना की सीधी जिम्मेदारी सौंपने के लिए साथ निदेशक (परियोजना) की तैनाती किया जाना।

(5) कोयला मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन तथा अनुश्रवण के लिए जारी विस्तृत मार्ग–दर्शी सिद्धांत।

(6) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की निगरानी पद्धति का स्तरीयकरण।

(च) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1992 तथा वर्ष 1993 की पिछले दो वर्ष की अवधि के दौरान 21 खानों में आग लगने की सूचना मिली है। इन आगों के लगने के कारण उत्पादन की कुल 4.43 लाख टन की हानि हुई है।

(छ) झरिया कोयला क्षेत्र की आगों से निपटने के लिए एक दीर्घावधि समाधान का पता लगाए जाने के उद्देश्य से झरिया खान आग नियंत्रण तकनीक सहायता परियोजना के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है, जिसके लिए 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता अनुमोदित कर दी गई है।

बांधों और नहरों का निर्माण

1394. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने बांधों और नहरों का निर्माण एक साथ शुरू किया गया और ऐसे कितने मामले हैं, जहां नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परंतु बांध अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन बांधों का निर्माण कार्य पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बांधों का निर्माण कार्य पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन बांधों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(ङ) इन बांधों का निर्माण हो जाने के बाद कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). निर्माणाधीन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं योजना के प्रारंभ में निर्माणाधीन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		चरम सिंचाई क्षमता हजार हेक्टेयर	
		वृहद	मझौली	वृहद	मझौली
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	18	1948	142
2	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	5	6	166	46
4.	बिहार	16	20	1198	108
5.	गोवा	1	1	46	11
6.	गुजरात	9	25	2117	134
7.	हरियाणा	4	–	567	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	27	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	11	68	39
10.	कर्नाटक	12	12	1650	68
11.	केरल	10	2	440	1

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	19	34	2313	245
13.	महाराष्ट्र	32	53	1895	270
14.	मणिपुर	2	1	45	4
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	5	10	1017	111
19.	पंजाब	–	1	130	–
20.	राजस्थान	8	7	1809	47
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	2	–	7
23.	त्रिपुरा	–	3	–	26
24.	उत्तर प्रदेश	18	2	4448	6
25.	पश्चिम बंगाल	3	16	1451	37
	संघ शासित क्षेत्र	–	–	10	–
	कुल	158	226	21345	1324

टिप्पणी

1. केंद्रीय जल आयोग को केवल चुनिन्दा परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य सौंपा गया है तथा प्रबोधन की गई परियोजनाओं में से ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां नहरें पूरी हो गई हैं तथा बांध पूरा नहीं हुआ है।
2. उन सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जाता है, केंद्र में नहीं रखा जाता है।

सरदार सरोवर परियोजना

1395. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना में शामिल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों द्वारा गुजरात को दी जाने वाली लागत के हिस्सों की कोई राशि बकाया रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

लाभ प्राप्त करने वाले राज्य	अक्तूबर, 94 तक देय हिस्सा	अक्तूबर, 94 तक प्राप्त किया गया हिस्सा	अक्तूबर, 94 तक देय शेष राशि	विवादास्पद हिस्सा	10/94 तक देय अविवादास्पद हिस्सा
1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	592.72	313.20	279.52	51.74	27.78
महाराष्ट्र	280.77	202.41	78.36	24.51	53.85
राजस्थान	147.76	12.50	135.26	9.50	125.76
कुल	1021.25	528.11	493.14	85.75	407.39

(ग) अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना पर अंश लागत का भुगतान करने संबंधी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में चर्चा की गई है तथा बकाया देय राशि का गुजरात सरकार को तत्काल निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को अवगत करा दिया गया है। इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षण समिति द्वारा भी विचार किया गया था, जिसमें बकाया वाले राज्य गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के जरिए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सहमत हो गए हैं। राज्यों से आठवीं योजना की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता को एक ही बार में अंतिम रूप देने के लिए भी अनुरोध किया गया ताकि वर्ष 1994–95 के लिए परियोजना के निर्माण कार्य से मेल खा सके।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

1396. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इन छात्रों के संरक्षकों/माता–पिता की आय की अधिकतम सीमा भी बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (घ). अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों और पात्रता के लिए माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1397. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री हरिन पाठक :
श्री के.वी.आर. चौधरी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार की वित्तीय सहायता हेतु देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) सरकार ने इनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी है और राज्य–वार/संघ राज्य–क्षेत्रवार कितनी सहायता प्रदान की है;

(ग) कितने आवदेन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित है;

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन संगठनों द्वारा किए गये कार्य का कोई सर्वेक्षण कराया गया है/कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

(घ) वित्तीय सहायता के लिए लम्बित आवेदनों पर यदि वे सही पाए जाते हैं, तो राज्य सरकारों में रिपोर्ट तथा/अथवा संगठनों से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण मिल जाने पर निधि की उपलब्धता पर विचार किया जाता है।

(ङ) और (च). विभिन्न क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन का सर्वेक्षण करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर अंतिम नजरिया अभी तय नहीं हुआ है।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों से वर्षवार प्राप्त आवेदन पत्रों और उन्हें दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष के शुरू में लम्बित आवदेन पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल	अनुमोदित आवेदन पत्र	मंजूर की गई सहायता की धनराशि	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष लम्बित
				1991-92				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	52	58	41	109.69	13	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	5	5	4	33.41	–	1
3.	असम	–	6	6	5	28.78	–	1
4.	बिहार	8.	44	52	26	63.29	4	22
5.	गोवा	–	2	2	2	2.08	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गुजरात	–	28	28	26	53.90	1	1
7.	हरियाणा	7	16	23	16	26.12	5	2
8.	हिमाचल प्रदेश	–	4	4	1	2.90	3	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	5	5	5	8.44	–	–
10.	कर्नाटक	3	32	35	32	65.24	1	2
11.	केरल	3	37	40	34	20.97	3	3
12.	मध्य प्रदेश	7	17	24	13	24.39	2	9
13.	महाराष्ट्र	2	64	66	58	170.75	8	–
14.	मणिपुर	7	28	35	17	38.08	–	18
15.	मेघालय	1	4	5	5	37.76	–	–
16.	मिजोरम	–	12	12	3	6.30	–	9
17.	नागालैंड	–	3	3	2	1.76	–	1
18.	उड़ीसा	2	28	30	25	37.92	1	4
19.	पंजाब	8	5	13	5	98.81	–	8
20.	राजस्थान	2	25	27	22	88.20	1	4
21.	सिक्किम	–	1	1	–	–	–	1
22.	तमिलनाडु	3	51	54	49	76.46	–	5
23.	त्रिपुरा	2	7	9	5	5.88	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	7	73	80	47	552.69	15	18
25.	पश्चिम बंगाल	33	71	74	58	192.48	4	12
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	चंडीगढ़	–	5	5	3	2.09	–	2
27.	दिल्ली	5	77	82	61	267.90	3	18
28.	पांडिचेरी	–	1	1	1	0.78	–	–
				1992-93				
1.	आंध्र प्रदेश	4	113	117	69	172.97	6	42
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	5	6	5	57.87	–	1
3.	असम	1	10	11	7	22.62	–	4
4.	बिहार	22	97	119	30	96.56	12	77
5	गोवा	–	2	2	2	1.61	–	–
6.	गुजरात	1	46	47	26	44.49	10	11
7.	हरियाणा	2	27	29	13	21.11	2	14
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1	1	0.15	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	3	3	2	5.00	–	1
10	कर्नाटक	2	79	81	51	166.43	12	18
11	केरल	3	69	72	41	111.18	20	11
12	मध्य प्रदेश	9	20	29	14	31.37	1	14
13	महाराष्ट्र	–	90	90	62	151.96	7	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	18	28	46	19	46.20	6	21
15.	मेघालय	–	5	5	4	36.86	–	1
16.	मिजोरम	9	4	13	1	0.64	—	12
17.	नागालैंड	1	3	4	3	10.72	–	1
18.	उड़ीसा	4	61	65	44	92.16	4	17
19.	पंजाब	8	15	23	12	17.79	2	9
20.	राजस्थान	4	23	27	19	98.73	1	7
21.	सिक्किम	1	1	2	–	–	–	2
22.	तमिलनाडु	5	92	97	70	110.23	2	25
23.	त्रिपुरा	3	7	10	5	14.75	–	5
24.	उत्तर प्रदेश	18	154	172	76	600.48	21	75
25.	पश्चिम बंगाल	12	131	143	82	218.01	8	53
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	चंडीगढ़	2	5	7	6	38.12	–	1
27.	दिल्ली	15	87	102	49	172.08	–	53
28.	पांडिचेरी	–	1	1	1	1.96	–	–
				1993-94				
1.	आंध्र प्रदेश	42	312	354	109	281.25	4	241
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	6	7	6	73.89	–	1
3.	असम	4	19	23	14	27.24	–	9
4.	बिहार	77	73	150	36	129.26	2	112
5.	गोवा	–	3	3	3	5.37	–	–
6.	गुजरात	11	63	74	26	56.97	23	25
7.	हरियाणा	14	22	36	17	29.21	–	19
8.	हिमाचल प्रदेश	–	4	4	2	2.81	–	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1	4	5	2	3.48	–	3
10.	कर्नाटक	18	91	109	55	187.99	5	49
11.	केरल	11	61	72	49	97.69	4	19
12.	मध्य प्रदेश	14	34	48	17	42.39	1	30
13.	महाराष्ट्र	21	92	113	65	191.19	1	47
14.	मणिपुर	21	50	71	18	44.39	–	53
15.	मेघालय	2	6	8	5	55.32	–	3
16.	मिजोरम	12	3	15	–	–	–	15
17.	नागालैंड	7	6	7	1	1.09	–	6
18.	उड़ीसा	17	108	125	50	189.96	12	63
19.	पंजाब	7	13	20	9	8.77	–	11
20.	राजस्थान	7	34	41	15	169.52	3	23
21.	सिक्किम	2	1	3	1	0.63	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	25	179	204	104	190.11	1	99
23.	त्रिपुरा	5	6	11	5	10.38	–	6
24.	उत्तर प्रदेश	74	351	425	129	733.72	34	262
25.	पश्चिम बंगाल	53	186	239	88	313.70	4	147
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	चंडीगढ़	1	5	6	5	34.01	–	1
27.	दिल्ली	53	91	144	54	92.27	4	86
28.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
				1994-95				
1.	आंध्र प्रदेश	241	314	555	113	206.36	5	437
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	6	7	5	36.97	–	2
3.	असम	8	19	27	11	24.71	3	13
4.	बिहार	112	121	233	21	47.21	51	161
5.	गोवा	–	3	3	3	2.19	–	–
6.	गुजरात	25	32	57	28	26.92	–	29
7.	हरियाणा	19	14	33	6	13.55	–	27
8.	हिमाचल प्रदेश	2	4	6	1	0.36	–	5
9.	जम्मू और कश्मीर	3	5	8	2	1.74	–	6
10.	कर्नाटक	49	49	98	39	85.73	1	58
11.	केरल	19	46	65	25	51.54	10	30
12.	मध्य प्रदेश	30	30	60	15	26.27	–	45
13.	महाराष्ट्र	47	91	138	32	97.39	4	102
14.	मणिपुर	53	52	105	20	27.04	1	84
15.	मेघालय	3	4	7	2	18.27	–	85
16.	मिजोरम	–	1	1	–	–	–	1
17.	नागालैंड	6	1	7	–	–	–	7
18.	उड़ीसा	57	103	160	40	68.07	1	119
19.	पंजाब	11	9	20	7	5.40	1	12
20.	राजस्थान	23	16	39	12	236.26	2	25
21.	सिक्किम	2	1	3	–	–	–	3
22.	तमिलनाडु	99	205	304	142	141.26	8	154
23.	त्रिपुरा	6	7	13	6	10.93	–	7
24.	उत्तर प्रदेश	236	298	534	129	374.88	39	366
25.	पश्चिम बंगाल	147	160	307	105	243.51	3	199
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	चंडीगढ़	1	4	5	3	15.55	–	2
27.	दिल्ली	86	76	162	41	107.86	–	121
28.	पांडिचेरी	–	1	1	1	0.62	–	–

[अनुवाद]

मराठी टेलीफिल्में

1398. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्वीकृति हेतु लम्बित मराठी टेलीफिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृत दे दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्तमान में दो टेलीफिल्मों हेतु अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(ख) क्योंकि धारावाहिकों का चयन, कार्यक्रम अपेक्षाओं और समय स्लॉटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है इसलिए कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को आवंटन

1399. श्री मंजय लाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई, और

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत इस निदेशालय द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रचार के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को आवंटित की गयी धनराशि एवं पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में प्रचार पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किया गया खर्च निम्नानुसार है :–

वर्ष	सरकार द्वारा आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किया गया खर्च (लाख रुपयों में)
1992–93	3017.50	3014.05
1993–94	2893.15	2888.46
1994–95	3023.57	2028.41 (31.10.94 तक)

सार्वजनिक जानकारी विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के सभी प्रचार क्रियाकलापों का एक अनिवार्य हिस्सा है। अतः विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचार पर किए गए संपूर्ण व्यय का सार्वजनिक जानकारी पर सीधे प्रभाव पड़ता है।

[अनुवाद]

अमरीकी निर्यात-आयात बैंक द्वारा भारतीय तेल निगम को ऋण

1401. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को बैंक ऑफ अमेरिका के प्रयासों से अमरीकी निर्यात–आयात बैंक का पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय ऋण मिला है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की अन्य बातों के साथ प्राप्त ऋण की कुल धनराशि भुगतान की जाने वाली ब्याज दर, अवधि अधिस्थगन, यदि कोई है, इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण की राशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा;

(घ) क्या ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय बैंक या वित्तीय संस्था ने कोई गारंटी दी है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो अमरीकी निर्यात–आयात बैंक द्वारा गारंटी ने मांगने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आई ओ सी ने यू एस एक्जिम बैंक से बैंक ऑफ अमेरिका, द्वारा प्रबंधित 8 मिलियन अमेरिकी डालर तक की धनराशि के विदेशी मुद्रा ऋण को अंतिम रूप दिया है।

(ख) इस ऋण का प्रबंध जनवरी, 1997 से 10 समान क्रमिक अर्ध–वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किया गया है।

(ग) यह ऋण पानीपत रिफाइनरी परियोजना के लिए कैटालिस्ट के आयात के वित्त पोषण के प्रयोजन हेतु है।

(घ) जी, नहीं।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यू एस एग्जिम बैंक ने किसी भारतीय बैंक ने किसी भारतीय बैंक/वित्तीय संस्थान से किसी गारंटी के लिए जोर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

भोजपुरी फिल्में

1402. श्री पंकज चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल पर कितनी भोजपुरी फिल्में प्रसारित की गई हैं; और

(ख) सरकार ने भोजपुरी फिल्मों के निर्माण को और बढ़ावा देने के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठानें का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) तीन, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. आलेख/प्रस्ताव के गुण-अवगुण पर निर्णय करते हुए, भोजपुरी सहित विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता देना

1403. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सामाजिक समूहों ने अपने को पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दिलाने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आयोग ने कोई प्रश्नावली तैयार की है;

(ग) क्या प्रश्नावली में ऐसी सूचनाएं मांगी गई हैं जो जनसामान्य की जानकारी में नहीं हैं तथा जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है;

(घ) क्या आयोग ने केन्द्र सरकार से सम्बद्ध आंकड़े मांगे हैं जिससे कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नावली में दी गई आंकड़ों की जांच की जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय आयोग ने इन आवेदनों को स्वीकृत या अस्विकृत करने के लिए वैकल्पिक कार्य-विधि तैयार की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध करने वाले प्रत्येक विशिष्ट सामाजिक समूह आयोग द्वारा ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए निर्धारित किए गए निदेशों को पूरा करते हैं या नहीं। इसकी जांच में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावलियां सूचना प्रकाश में लाना चाहती हैं।

(घ) प्रश्नावलियों का एक भाग जिसका संबंध केन्द्र सरकार की सेवाओं में प्रतिनिधित्व से है, सरकार को मिल गया है।

(ङ) प्रश्नावली के उत्तर में विभिन्न स्रोतों द्वारा दी गई सूचना में जहां कहीं परस्पर विरोधी, अन्तर अथवा असंगतियां हों उन मामलों में विशेषज्ञ निकायों, अनुसंधान संस्थानों आदि सरीखे किसी भी संस्था के लिखने में आयोग को कार्य प्रणाली में अनुमति है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विभिन्न राज्यों के पिछड़े वर्गों के लिए गठित संबंधित राज्य आयोगों द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र सूचना का भी लाभ होगा।

विवरण

दिल्ली नगर निगम को प्राप्त उन जातियों/समुदायों/उपजातियों के नाम, जिन्हें सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है तथा पूरी तरह से शामिल न किए गये नाम, जिन्हें सही करने के लिए कहा गया है और/अथवा जिन्हें बदलने तथा उन जैसे मिलते-जुलते क्षेत्रीय या स्थानीय नामों को जोड़ने का अनुरोध किया गया है

उत्तर प्रदेश

1. अघरारिया वंश
2. आतिशबाज (मुस्लिम)
3. बनिया
4. बिसमाली
5. भिस्ती (अभासी) (मुस्लिम)
6. बोट
7. धोबी (मुस्लिम)
8. गफी (मुस्लिम)
9. घोसी (मुस्लिम)
10. गूजर (मुस्लिम)
11. हम्माल (मुस्लिम)
12. जैसवाल
13. कसेरा (ठठेरा)
14. कमालपुरी वैश्य
15. कलईगर (मुस्लिम)
16. बानू (कान्दू)
17. कोष्ठा
18. मौर्य
19. मेवारी (मुस्लिम)
20. मोची (मुस्लिम)
21. मदारी (मुस्लिम)
22. मुस्लिम तवायफ (मुस्लिम)
23. मुस्लिम जाट (मुस्लिम)
24. नाई (हिन्दू)
25. नबाटा, तेली (मुस्लिम)
26. नलबन्द (मुस्लिम)
27. पटवा
28. पेमदी (मुस्लिम)
39. रंगवा
30. रोनियार वेश
31. रोर

32. सलमानी या सैनी
33. तादवी (मुस्लिम)
34 विष्ठापीठ राजपूत (लोनिया, नोनिया)
35 योगी (मुस्लिम)
36 हलखोर
37. हेला, लालबेगी
38. कुंजरा/रायीन
39. प्रजापति
40. सैनी
42. चकवा/चाक
43. मनसूरी

आंध्र प्रदेश

1. भावसारा क्षत्रिय
2. मंगाली
3. मुस्लिम
4. बुरगाना कलिंगा
5. थिया/एझावा
6. कापु
8. कुराकुला
9. नीलि
10. वीरसैवा लिंमायत/लिंग बलिजा
11: बराला/थोगरा/भोला/बलिजा
12. कासी कपुड़ी
15. थुलुवा वेलथाला सहित अग्मुदियार
14. सिस्टाकरानम
15. सोरोलु (सोमवंश क्षत्रिय)
16. पोडारा
17. अय्यारका
18. बलिजा के सभी वर्ग
19. वनिया कुल क्षत्रिय
20. लोढ/लोढा/लोधी
21. जेट्टी
22. करूनीगार
23. अदि वेलामा
24. बोन्दली (राजपूत)
25. देवथिलकुल
26. सालिवाहन
27. अग्निकुल क्षत्रिय
28. पाला–एकारी
29. मुदिराज
30. जायसवाल
31. नय्याला
32. पल्लीरेड्डी
33. चुन्दुवल्लु
34. मोंडेपट्टा
35. मोंडेपट्टा
36. नोकार
37. यता
38. ओड्डे, ओडिडसु
39. वाड्डी, वाडेलु
40. गंडला, तेलिकुला
41. काइकोलन
42. करनाभथ्तुतु
43. पेरिकें बलिजा
44. थोगटा सालि
45. वाडला
46. कृष्णाबलिजा
47. छत्तदसरीवैष्णव
48. गमाला
49. दसारी

कर्नाटक

1. करूनीका (कनक पिल्लई)
2. कम्मा
3. बलिजा की सदृश जातियां
   (i) बनाजिगा
   (ii) सेट्रटी बनाजिगा
   (iii) तेलुगु बनाजिगा
   (iv) बाले बनाजिगा
   (v) मुन्नुर कायु
4. दसा बनाजिगारा
5. परियाला
6. कुम्बारा (लिंगायत की उपजाति)
7. लिंगायत
8. निम्नलिखित नाम वाले सामवंशी क्षत्रिय :
   (i) सारिजे
   (ii) जिनागर

(iii) बडागी
(iv) चित्रिगार
(v) थनबटा
(vi) चित्तारी
(vii) गाडिलोहार
(viii) नालबन्दा
(ix) बन्नागारा

9. "उप्पारा" जाति की निम्नलिखित सदृश जातियां :
(i) कल्लि गुटिगा उप्पारा
(ii) लोआनारी
(iii) मेलु सेक्करयावुर
(iv) नमाडा उप्पारा
(v) पाडिथ
(vi) पाडि
(vii) सुन्नागरा
(viii) सुन्ना उप्पारा
(ix) उप्पालिगा
(x) यक्कालारा
(xi) यक्काली
(xii) लिंगायत उपारी (उप्पारा से परिवर्तित)

10. नामधारी नगारथा
11. गालाडा कोंकनी
12. कोटेगर/कोटेकर
14. सालापारू
15. वैश्य ब्राह्मण/वैश्य वनी/वनी
16. राम क्षत्रिय की निम्नलिखित सदृश जातियां :
(i) रामराज क्षत्रिय
(ii) कोटेयावारू
(iii) कोटेशरूमारा
(iv) कोटेगर (कोटेयार)
(v) कोटेगार
(vi) सेरेगार
(vii) सेरेगर
(viii) सेरेंगारा
(ix) सेरूमारा
17. सोम क्षत्रिय
18. कुमार क्षत्रिय
19. माला हेगडे
20. सविथा
21. पोलाडावारू
22. बालायाया
23. कोठारी
24. कोठारी
25. पंडति
26. कोयार पन्थ/कुमार पन्थ
27. कुंचटिगा
28. मराठा
29. मुस्लिम
30. छप्परबन्द और छप्परबन्दा
31. कुंचि
32. पिचुगुटाला
33. मेडारा
34. कंसर
35. कुरूबा
36. मुधर
37. मुकुवन
38. वोक्कालिगा
39. सप्पलिंगा

केरल

1. परकावकुलम
2. वेल्लाला
3. वीरसेव की निम्नलिखित सदृश जातियां :
(i) जंगल भेरवी
(ii) वैरागी
(iii) मातापथि
(iv) गुरूक्कल
(v) योगी गुरूक्कल
(vi) पूजारी
(vii) अम्बालक्करम
(viii) पंडारम
(ix) पंडारम लिंगायत
(x) जंगम
(xi) कुरूक्कल
4. मुस्लिम (माप्पिला को छोड़कर)
5. मारन
6. सारस्वत गैर ब्राह्मण

7. नायर
8. आर्य वैश्य
9. कुम्भारन
10. मुखारी/मुवारी
11. नाद ईसाई (एस. आई. यू. सी. आर लैटिन कैथोलिकों में शामिल को छोड़कर)
12. पेरूकाडा चिदिटज
13. साधु चेट्टीज
14. 24–जन्नोई चेट्टीज
15. वालान्स
16. वालिंजियर
17. पेनिआकाल
18. बोवि मुकायार
19. कल्थाचन
20. कामसाला
21. कन्नन
22. थाचन
23. नुलायन
24. थैचर
25. मुकाया और मोगावीरा
26. बोयन
27. देवदिगा
28. गनिका
29. पंडिथट्टन
30. पेरूमकोल्लन
31. कन्नडियन
32. कबुडियारू
33. कोटेयार
34. वीरसेव
35. विलाक्किथ्लवन

गोवा

1. भंडारी
2. ईसाई चमार
3. ईसाई महार
4. धोबी
5. धोर
6. गोडा
7. गोसाबी
8. कोलि
9. कुम्बारन
10. नाथ जोगी
11. नहावी
12. वेलिप

हरियाणा

1. रोर
2. गुजर
3. सलयानी अथवा सैन
4. मेव
5. अहीर
6. यादव

पश्चिम बंगाल

1. नाथ जोगी
2. थामि
3. गोरखा
4. सलमानी अथवा सैन

बिहार

1. बरनवाल
2. कमला पुरी वैश्य
3. कुरमी
4. कलाल (मुस्लिम कलावर)
5. नागर
6. अदरखी
7. पोद्दार
8. नेवार
9. मुसहर
10. मल्लाह (मरवाड़ी)
11. वाथम वैश्य
12. बंगाली बनिया
13. कुलहिया (मुस्लिम)
14. तिली
15. डांगी
16. सैफी
17. जायसवाल
18. कराधन
19. तोमर
20. रस्तोगी

21. लोहानी
22. [illegible]थल
23. अयोध्यावासी
24. [illegible] वैश्य
25. [illegible] वैश्य
26. [illegible] वैश्य
27. [illegible]भीस वैश्य

मध्य प्रदेश

1. घोसी
2. शैक्या
3. कोयरी
4. मुरई
5. सोनकर
6. माली (तानी)
7. पनारा
8. भरूर
9. कमला पुरी वैश्य
10. माझी
11. निषाद
12. यदुवंशी
13. पाटिदार
14. कुल्भी (कुलम्बी)
15. उस्मानी
16. महापात्र
17. कौरव–कवारे
18. कुरमी
19. सैफी
20. ब्रादरी
21. मेव
22. अधरिया
23. रायीन
24. गौडी
25. पिजारा (हिन्दु)
26. सौंधी, सुन्दी सौदिक शोंदी
27. साहु
28. कुरैश
29. मिराजा
30. पेमांडी
31. कालैगर
32. मोहबिया
33. कुन्बी

पंजाब

1. सैफी

असम

1. सैफी

उड़ीसा

1. कालिन्दी वैष्णव
2. अल्पसंख्यक मुस्लिम
3. उड़ीसा की रेड्डी जाति
4. हरिजन ईसाई
5. पानो ईसाई
6. राजश्री बालासी (अथवा बलासे)
7. पुराली बनिया
8. गोडा, गोपा, यादव, सोलंकडी, गोड पुराना, कुरमी
9. ओडा प्रधान
10. सुनारी बनिक
11. सराकास (अल्पसंख्यक बोद्ध)
12. हांसी
13. कुरमी (कुडुमी, कुरमी क्षत्रिय, कुडुम कुरमाकुला, कुरमा चासा)
14. सुनारी बनिया (सुवर्ण बनिक, स्वर्णकार)
15. गांडुनिया
16. चिनिरा
17. अस्ट्रालोही कर्मकार
18. रंगानी
19. कमिला
20. खंडायत
21. एकादश तेली
22. मुस्लिम तेली (मलिक, समानी, रोगनागार)
23. कछारा/कछेरा
24. पटारा
25. सुन्दी के स्थान पर सुन्धी
26. कुबार से कुबेरा
27. ज्योतिका ब्राह्मण (ज्योतिषा, ग्रह विप्रा, सकलद्वीपी, साक्वद्वीपी, गृह ब्राह्मण)
28. नागसुद्रा

महाराष्ट्र

1. चौहान
2. अंसारी
3. कुम्भार
4. लोधी
5. पवार
6. माली
7. कुरेशी
8. कुजुर (कुन्बी मुख्य जाति)
9. अग्रहारी वैश्य
10. मराठाज
11. कोलि (विभिन्न कोलि समुदाय)
12. तेली
13. असाति

गुजरात

1. वंजा
2. दरजी
3. तेली (साहु, राठोड़, राढ़ौड, जायसवाल, जैसवार, गुप्ता, चौधारी, तैलिक)
4. मालि (कांची, कछिया, सैनी, कुशवाहा)

तमिलनाडु

1. पानिसैवन (वीरकोडि वैल्लालर सहित)
2. रेड्डी (गंजाम)
3. ओ.पी.एस. वेल्लालर
4. थिया
5. सेनगुंथा मुदलियर
6. लोथर
7. देवेन्द्रकुल वेल्लालर
8. सैव वेल्लालर
9. वेल्लालर
10. थमिब्राएग्ल/थाम्बिरन
11. पीरमलाई कल्लर
12. 24 मनाई तेलगु चेट्टी
13. कुंजरा
14. भट्टाचर

चंडीगढ़

1. कम्बोज

दिल्ली

1. कुम्हार (प्रजापति)
2. कन्दर वर्ग
3. बैनी
4. रोनियार वैश्य
5. मध्य देशिया वैश्य, कानु (कांडु)
6. राजकुमार राष्ट्रीय
7. अखिल भारतीय जमात–ए इस्लामी (नाई समुदाय)
8. अखिल भारतीय जमेत्वल कासर (मुस्लिम धोबी)
9. कायस्थ
10. विश्वकर्मा मैथिल ब्राह्मण

राजस्थान

1. मिरासी (मुस्लिम)
2. गुर्जर
3. कलाल (टाक सोमवंशी जायसवाल, अहलुवालिया)
4. बावन गोत्री क्षत्रिय (भुन, भारभुन्जा, चौहान पवार परिहारखण, मल्लाह रब्बी)
5. मनिहार
6. थेथरा (कासारा)
7. पिंजरा मुस्लिम
8. बारी
9. अन्दर कोटियान अन्दर कोट
10. सीरव/सिरवी
11. तेली
12. राना राजपूत
13. धोबी
14. आदि गौर ब्राह्मण
15. लोधा, लोध, लोधी
16. शाह, सिलावत, कुराजर, मोमन, मोमिन, भटियारे, शेख, गूजर, कुरेशी, नायक, लोहार तथा तसगिर — मुस्लिम
17. और
18. कुंजरान (मेवा फरोश/रेन/शब्बी फरोश)
19. वचेट पालिवाल
20. नाई (मुस्लिम)
21. कुम्हार (कुमावत, प्रजापति, चैजारा और कुमार)
22. खरोदी अथवा खैरादी (हिन्इ और मुस्लिम)
23. माली सैनी
24. भरवा
25. धोबी (मुस्लिम)
26. सैफी

भारत कोकिंग कोल लि. में पूंजी निवेश

1404. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्षेत्र–वार भारत कोकिंग कोल लि. की खानों में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भूमिगत खानों में कितना पूंजी निवेश किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की खानों में किए गए निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपए में)

1991–92	17000.01
1992–93	28625.51
1993–94	18239.64

क्षेत्र–वार निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भूमिगत खानों में निवेश की गई राशि को नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपए में)

1991–92	8110.79
1992–93	18127.97
1993–94	11774.50

विवरण

(लाख रुपए में)

क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4
बरोरा	708.58	601.14	908.67
होहुदा	359.27	470.29	427.70
गोविंदपुर	1687.82	1405.99	648.47
कटरास	825.52	1139.50	938.07
बिजुआ	885.56	815.48	900.94
कसन्दा	795.98	1713.00	528.81
कस्तोरे	545.17	546.25	490.82
बस्ताकोला	1051.66	1009.33	613.06
लोदना	1833.63	2259.68	1265.84
भंवरा	1247.65	404.10	4483.27
चंच–विक्टोरिया	634.19	141.20	218.15
सुदामडीह	498.60	434.24	283.55
मूनीडीह	849.20	3026.63	1207.24
ब्लाक–II	1420.86	1464.43	1595.22
कटरास परियोजना	420.26	603.28	378.16
भालगोरा	604.06	410.79	687.40
पुटकी भालगोरा	1069.79	10489.41	1863.46
सी.सी.डब्लू.ओ.	349.90	913.26	355.71
रज्जुमार्ग	105.88	82.37	41.30
खान बचाव गृह	83.03	71.24	80.20
मुख्यालय	1023.40	623.85	323.60
जोड़	17000.01	28625.51	18239.64

डंकुनी कोयला कम्पलैक्स

1405. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डंकुनी कोयला कम्पलैक्स को बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डंकुनी कोयला कम्पलैक्स में भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डंकुनी कोयला कम्पलैक्स की क्षमता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ). वर्ष 1991–92 से 1993–94 की विगत की तीन वर्ष की अवधि के दौरान दानकुनी में स्थित निम्न तापीय कार्बनीकरण (एलटीसी) संयंत्र द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि का घाटा उठाया गया है। इस संबंध में उठाए गए भारी घाटे का मुख्य कारण संयंत्र की कम उपयोगिता होना है जोकि संयोजित उपभोक्ता ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन द्वारा संयंत्र से सहमत मात्रा से कम मात्रा में गैस प्राप्त किया जाना है।

(ङ) संयंत्र के कार्य–निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जोकि मुख्यतः विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए रूपरेखा तथा उनकी कीमतों से संबंधित हैं और यह योजना क्रियान्वयन अधीन है। इस योजना के अंतर्गत की जा रही कुछ कार्रवाई नीचे दर्शायी गई है :–

(1) सिल–कोक, कोक फाइन तथा गैस के लिए नई विपणन का अन्वेषण किया जाना।

(2) निम्न फास्फोरस कोक का उत्पादन तथा फैरो–अलाय उद्योग में विपणन किया जाना।

(3) विकल्प ईंधन के रूप में हल्के तेल का विपणन किया जाना।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यालय

1406. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं। चालू वर्ष में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केबल आपरेटरों का पंजीकरण

1407. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केबल आपरेटरों के पंजीकरण हेतु राज्य–वार डाकघर नाम निर्दिष्ट करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अध्यादेश, 1994 के भाग–2 के खण्ड (ज) के तहत पंजीकरण केबल आपरेटरों के लिए देश में स्थित मुख्य डाकघर कार्यालयों के मुख्य डाकपालों को पंजीकरण प्राधिकारी अधिसूचित किया है।

सिंचाई प्रबंधन

1408. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय राज्यों को समय–समय पर सलाह देता रहा है कि वे सिंचाई के लिए जल के प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। वर्ष 1987 में सभी राज्यों को इस विषय पर मार्गनिर्देश परिचालित कर दिए गए थे। जल प्रयोगकर्ताओं के संघ बनाने की वांछनीयता और कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी पर संगोष्ठियां और कार्यशालाएं पहले भी आयोजित की गई हैं।

कृषक संघों को पहले दो वर्षों के लिए 100 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा तीसरे वर्ष के लिए 75 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रबन्ध आर्थिक सहायता भी स्वीकार्य है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर–बराबर बांटा जाता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

1409. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दूरदर्शन के अधिकारियों की एक बैठक में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय इस बात पर सहमत हैं कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की दृष्टि से जहां भी सम्भव हो दूरदर्शन और दूरसंचार विभाग एक दूसरे के आधारभूत ढांचे का उपयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी, थानेदार और पालमपुर में अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु दूरदर्शन दूरसंचार विभाग के आधारभूत ढांचे का उपयोग कर रहा है।

गैस पाइपलाइन

1410. श्री साइंमन मरांडी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में गैस पाइपलाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग), नुमाली गढ रिफाइनरी की गैस की आपूर्ति हेतु असम में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाने के

लिए गेल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने 2376 करोड़ रुपए की लागत पर एच बी जे पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना को अनुमोदित किया है। परियोजना में मध्य प्रदेश के बीजापुर से उत्तर प्रदेश में दादरी तक एक पाइपलाइन बिछाना शामिल है। एच बी जे विस्तार परियोजना के जुलाई, 1997 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

थाईलैंड के साथ समझौता

1411. श्री के. प्रधानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने थाईलैंड के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा दोनों देश किन-किन क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा थाईलैण्ड के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है। तथापि, आतंकवाद तथा अन्य नकारात्मक गतिविधियों के खिलाफ लड़ने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

1412. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को आगाह किया है कि मानवाधिकार के उल्लंघनों से निपटने में विलम्ब से पंजाब में पुनः उग्रवाद और आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों के मुद्दे पर कई सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सिफारिशों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने पंजाब के दौरे की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में आयोग के साथ भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडलों का विचार था कि आतंकवाद पर केवल काबू पाया गया है और उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है। आयोग ने आगे यह नोट किया कि प्रतिनिधि मंडलों के अनुसार, सुरक्षा बलों अथवा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों के अलावा आंदोलन के प्रारम्भिक वर्षों में आतंकवादी जिन मुद्दों को प्रकाश में लाए थे, उन्हें अविलम्ब हल किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आयोग ने पाया कि इन मुद्दों को निपटाने में किसी भी प्रकार के विलम्ब से राज्य में उग्रवाद और आतंकवाद के पुनः भड़कने की संभावना है, तथा इसके फलस्वरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन किए जाने की शिकायतों का प्रकोप पुनः फैल सकता है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ऊपरी लिखित रिपोर्ट पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उसे पंजाब राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार करता है तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं पर स्वतः ध्यान देता है और, जहां कहीं उचित समझा जाता है, केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन संबंधित प्राधिकरणों/एजेंसियों से सीधे, अथवा जैसा भी मामला हो, उचित सिफारिशें करता है।

(घ) और (ङ). जब कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने के मामलों में सिफारिशें/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनकी तुरन्त जांच पड़ताल करने और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने की कार्रवाई, आरम्भ की जाती है।

एच बी जे पाइपलाइन का विस्तार

1413. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एच बी जे पाइपलाइन का गोरखपुर और बांदा तक विस्तार किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या एच बी जे पाइपलाइन को बरौनी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). गैस की उपलब्धता तथा पहले ही की गई वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, एच बी जे पाइपलाइन विस्तार का प्रस्ताव फिलहाल साध्य नहीं है।

बरौनी से हल्दिया तक पाइपलाइन का निर्माण

1414. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल के पाइपलाइन के निर्माण को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). हल्दिया से बरानी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाने हेतु आई ओ सी ने सरकार को एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी है और आवश्यक निवेश अनुमोदन

प्राप्त करने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है। आई ओ सी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जून, 1994 के मूल्य स्तर पर लगभग 902.39 करोड़ रुपए की लागत पर पाइपलाइन की लंबाई 515 किलोमीटर होगी।

पुनर्वास पैकेज

1415. श्री हाराधन राय :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 1990 को जारी किए गए सरकारी आदेश सं. 49019/4/86–सी.पी./एल.एस.डब्लू में यथानिर्दिष्ट पुनर्वास पैकेज के प्रावधान कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिए गए पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन कोयला खानों में ये पैकेज दिए गए हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) खान–वार लाभर्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रावधानों को अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोयला परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के मामले में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कोयला विभाग ने अक्तूबर, 1990 में एक परिपत्र जारी करके सभी कोयला एवं लिग्नाइट परियोजनाओं के संबंध में, सोनपुर बाजारी ओपेनकास्ट परियोजना (पश्चिम बंगाल) द्वारा विस्थापित किए गए परिवारों के लिए स्वीकृत किए गए पुनर्वास पैकेज के लाभों को बढ़ा दिया है।

(ख) बाद में संशोधित किए गए पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) अकुशल तथा अर्द्ध–कुशल श्रेणियों में परियोजना में सृजित होने वाले नए रोजगार के अवसरों की सीमा तक, उक्त रोजगारों को पूर्णतः भू–वंचित व्यक्तियों के परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(2) परियोजनाओं में, तरजीह के आधार पर, अन्य श्रेणियों में रोजगार के लिए कुशलता का उन्नयन किए जाने के लिए भू–वंचित व्यक्तियों को उपयुक्त रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जाएंगी।

(3) भू–वंचित परिवारों के लिए उपयुक्त संरचनात्मक ढांचों के साथ वैकल्पिक आवास–स्थल मुहैया किए जाएंगे। प्रत्येक भू–वंचित परिवार को 2000/–रु. की राशि स्थानान्तरण भत्ते के रूप में और 5000/– रु. की एकमुश्त राशि आवासीय अनुदान के रूप में दी जाएगी।

(4) अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए नकद मुआवजे की राशि को अग्रिम रूप में जिला प्रशासन के पास जमा कर दिया जाएगा ताकि भूमि से विस्थापित परिवारों को मुआवजे की अदायगी किए जाने में कोई विलंब न हो।

(5) ऐसे परिवार, जिन्हें उनके किसी सदस्य को रोजगार प्राप्त किए जाने का लाभ नहीं मिला है, उन्हें यथानुपात आधार पर प्रति एकड़ 300/–रु. प्रतिमाह की दर से 20 वर्ष की अवधि के लिए जीवन–निर्वाह भत्ते की अदायगी की जाएगी, जोकि अधिकतम 1000/– रु. प्रतिमाह तथा प्रति परिवार 100/– रु. प्रतिमाह की अनुग्रह राशि के अधीन होगी।

जीवन–निर्वाह भत्ते की राशि, जैसाकि उपरोक्त दरों के संबंध में उल्लेख किया गया है, को 20 वर्ष के आधार पर पूंजीकृत कर दिया जाएगा और इसे भू–वंचित व्यक्तियों से वितरित किए जाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जाएंगा।

(ग) से (ङ). उन खानों के नाम जिनमें इस पैकेज को क्रियान्वित किया गया है, लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा इससे संबंधित अन्य ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और इस बारे में सूचना यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विशेष संघटक योजना

1416. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष संघटक योजना का निर्माण किया गया है जो परिव्यय तथा लाभ को एक रास्ते द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की योजना के सामान्य क्षेत्र के लिए पैसा उपलब्ध करा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में इस योजना को लागू किया जा रहा है;

(घ) 1994–95 के दौरान इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने लोग लाभान्वित हुए और आठवीं योजना के अंत तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग लाभान्वित होंगे?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष संघटक योजना का निर्माण अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं को

सामान्य क्षेत्र से लाभ तथा परिव्यय के प्रवाह को चैनलाइज करने के लिए कम से कम उनकी जनसंख्या वास्तविक तथा वित्तीय दोनों की पूर्ति के अनुपात में किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के विकास की नीति प्राथमिक तौर पर आदिवासी उप योजना दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के दो उद्देश्य हैं। अर्थात् (1) आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को सुधारना तथा कानूनी सहायता के द्वारा शोषण के उन्मूलन के लिए संरक्षणात्मक उपाय, तथा (2) जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्लान योजनाओं के माध्यम से विकासात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना।

विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को तैयार कर लिए जाने के बारे में निम्नलिखित ग्रंथालयों/विभागों अर्थात श्रम, मानव संसाधन विकास, उद्योग, वस्त्र, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वाणिज्य और ग्रामीण विकास तथा बायोटेक्नोलॉजी, महिला और बाल विकास और उवर्रक विभागों ने सूचना दी है।

विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु विशिष्ट क्षेत्रीय योजनाओं के लिए परिव्यय मुख्यतः कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन और डेयरी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, शिक्षा और आवास आदि के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) 23 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी विशेष संघटक योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित की हैं। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी हैं।

आदिवासी उपयोजना 1974–75 से 18 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में हैं। आदिवासी उपयोजना नीति 194 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से, 250 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पाकेटों तथा 77 आदिवासी सघन समूहों और 74 आदिम आदिवासी समूहों के लिए माइक्रो परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता तथा आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। अभी तक विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति विवरण–I तथा II में दी गई है।

(ड) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1125.00 करोड़ रुपये तथा आदिवासी उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1250 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र (क) तथा (ख) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या संलग्न विवरण–III तथा IV में दी गई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभन्वित होने वाले परिवारों की संख्या 133.00 लाख (अनुसूचित जाति) तथा 46.5 लाख (अनुसूचित जनजाति) है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण–I

1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता

रुपए (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95 में प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (नवम्बर 94 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1017.90
2.	असम	163.40
3.	बिहार	–
4.	गुजरात	277.14
5.	गोवा	3.28
6.	हरियाणा	383.39
7.	हिमाचल प्रदेश	163.94
8.	जम्मू और कश्मीर	60.24
9.	केरल	286.72
10.	कर्नाटक	692.02
11.	मध्य प्रदेश	1694.19
12.	महाराष्ट्र	1036.92
13.	मणिपुर	3.84
14.	उड़ीसा	509.36
15.	पंजाब	670.76
16.	राजस्थान	243.27
17.	सिक्किम	2.46
18.	त्रिपुरा	58.78
19.	तमिलनाडु	1440.39
20.	उत्तर प्रदेश	4041.70
21.	पश्चिम बंगाल	2153.83
22.	चंडीगढ़	10.95
23.	दिल्ली	204.86
24.	पांडिचेरी	11.23
		15180.71

विवरण–II

कल्याण मंत्रालय द्वारा 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी उपयोजना हेतु प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता

रुपए (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	796.61
2.	असम	543.78
3.	बिहार	1748.70
4.	गुजरात	1117.39
5.	हिमाचल प्रदेश	177.75
6.	जम्मू और कश्मीर	513.50
7.	कर्नाटक	219.88
8.	केरल	76.13
9.	मध्य प्रदेश	3558.83
10.	महाराष्ट्र	1117.17
11.	मणिपुर	208.56
12.	उड़ीसा	3493.94
13.	राजस्थान	1047.34
14.	सिक्किम	36.84
15.	तमिलनाडु	107.03
16.	त्रिपुरा	186.18
17.	उत्तर प्रदेश	34.61
18.	प.बंगाल	659.53
19.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	38.61
20.	दमन और दीव	14.15
	कुल	15696.93

विवरण–III

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम, 1986 के सूत्र 11-क के अंतर्गत गरीबी की रेखा पार करने के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को दी गई सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि 1991–92	उपलब्धि 1992–93	उपलब्धि 1993–94	लक्ष्य 1994–95
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,33,670	3,43,407	4,75,080	3,81,000
2.	असम	24,442	11,102	23,796	43,000
3.	बिहार	1,37,377	1,63,189	1,79,385	2,40,000
4.	गोवा	760	604	355	2,000
5.	गुजरात	56,069	58,999	61,316	53,000
6.	हरियाणा	36,539	38,238	40,047	68,000
7.	हिमाचल प्रदेश	19,742	24,616	17,220	30,000
8.	जम्मू और कश्मीर	1,351	784	800	4,000
9.	कर्नाटक	1,19,426	1,30,290	1,57,105	1,68,000
10.	केरल	60,733	52,056	57,970	63,000
11.	मध्य प्रदेश	2,26,816	2,00,000	2,23,638	2,53,000
12.	महाराष्ट्र	1,25,594	1,18,301	1,27,222	1,53,000
13.	मणिपुर	0	545	354	1,000
14.	उड़ीसा	52,011	53,955	73,653	66,000
15.	पंजाब	48,344	45,181	55,000	72,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	राजस्थान	1,44,616	1,35,200	1,37,130	1,81,000
17.	सिक्किम	1,948	1,700	1,401	2,000
18.	तमिलनाडु	2,57,994	2,53,421	2,66,831	3,33,000
19.	त्रिपुरा	5,647	5,124	3,376	12,000
20.	उत्तर प्रदेश	3,48,703	3,15,738	3,44,248	4,20,000
21.	प. बंगाल	1,28,574	1,05,345	67,244	1,15,000
22.	चंडीगढ़	567	445	311	1,000
23.	दिल्ली	4,439	5,252	4,656	9,000
24.	पांडिचेरी	2,474	2,495	2,584	3,000
	कुल	21,87,836	20,65,987	23,23,722	26,78,000

विवरण–IV

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता की राज्यवार उपलब्धि

क्रं.स.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि		
		1991–92	1992–93	1993–94
1.	आंध्र प्रदेश	95,530	99,760	1,66,750
2.	असम	37,645	14,286	26,969
3.	बिहार	1,30,911	1,33,267	1,51,309
4.	गुजरात	90,146	92,638	82,642
5.	हिमाचल प्रदेश	2,472	2,623	2,831
6.	जम्मू और कश्मीर	1,000	62	175
7.	कर्नाटक	8,645	9,661	9,768
8.	केरल	8,353	3,235	5,561
9.	मध्य प्रदेश	2,23,662	2,27,533	2,58,273
10.	महाराष्ट्र	1,00,061	1,00,470	98,924
11.	मणिपुर	5,186	2,146	5,483
12.	उड़ीसा	74,382	80,528	1,06,815
13.	राजस्थान	72,249	72,158	69,334
14.	सिक्किम	2,951	3,058	6,675
15.	तमिलनाडु	8,450	8,759	10,382
16.	त्रिपुरा	10,049	8,827	10,795
17.	उत्तर–प्रदेश	4,251	3,878	4,207
18.	प. बंगाल	37,601	24,530	23,766
19.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	496	476	886
20.	दमन और दीव	678	563	583
	कुल	9,14,768	8,88,458	1,04,212

जेलों कि स्थिति

1417. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में जेलों की बिगड़ती स्थिति और मामलों के निपटारे में विलम्ब पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई पहली रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अधिकांश जेलें भीड़-भाड़, स्वच्छता की कमी तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं घटिया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस रिपोर्ट में अन्य कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसमें की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). जी, हां श्रीमान्।

(ग) से (ङ). "जेल" चूंकि राज्य का विषय है अतः उनके नियमों, विनियमों, प्रक्रिया तथा जेल मैनुअल के उपबन्धों के अनुसार जेलों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले से निपटना राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, देश की जेलों में संतोषजनक से कम स्तर की स्थिति का बने रहना केन्द्र सरकार के लिए निरन्तर चिंता का कारण बना हुआ है। जेलों में रहन-सहन, स्वास्थ्य और सफाई, तथा सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार ने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना 1987 के दौरान आरम्भ की थी तथा इसके लिए 1987-92 की अवधि के दौरान 45 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की थी। इस योजना को अब आठवीं योजना की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है तथा इस अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

1418. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री छेदी पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थानों में गैस एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक दी जायेंगी/आवंटित कर दी जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उत्पाद उपलब्धता और आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पर 20,000 और अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर खोली जाती हैं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान विपणन योजना 1992-94 में 72 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में विज्ञापन की तारीख से लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों के लिए लाइसेंस

1419. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महानगरों में बाटलिंग संयंत्रों के लिए कितनी निजी कंपनियां/रसोई गैस कंपनियों को लाइसेंस दिए गए और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये कंपनियां पंजीकृत व्यक्तियों को किस दर पर और कब तक रसोई गैस उपलब्ध करायेंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) समानान्तर विपणन प्रणाली के अन्तर्गत निजी एजेंसियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि (जो लागू हो) के संबंध में संबंधित अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत उन्हें आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने होते हैं। मुख्य विस्फोटक नियंत्रण, नागपुर से उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1993 से सितम्बर, 1994 तक इस योजना के अंतर्गत 22 भरण संयंत्रों को लाइसेंस दिए गए हैं और इनमें से कोई भी महानगर में नहीं था।

(ख) अपनी स्वयं की सुविधाओं के विकास के बाद अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर, समानान्तर विपणनकर्ताओं से अपने क्रियाकलाप आरंभ करने की अपेक्षा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उत्पाद बाजार निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

तेल की खोज

1420 श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज के क्षेत्र के लिए बोली के आठवें दौर में 34 ब्लाक, 19 तटीय और 15 अपतटीय रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों को कौन-कौन से ब्लाक दिए गए हैं;

(ग) कितनी विदेशी कंपनियां तेल की खोज करने पर सहमत हुई हैं; और

(घ) देश में तेल की खोज करने के लिए विदेशी कंपनियों को कुल कितना क्षेत्र दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बोलियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 1994 है।

कोयला खनन परियोजनाएं

1421. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. को कोयला खनन परियाजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण के उपयोग के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ऋण कब तक प्राप्त हो जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए संभावित ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। वर्तमान प्रस्ताव में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा 19 विद्यमान खानों/परियोजनाओं की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की प्रतिस्थापना करने तथा 17 नई/विस्तार परियोजनाएं शामिल हैं। कोल इंडिया लि. द्वारा लगभग 2480 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की सहायता की मांग की गई है।

नदियों द्वारा कटाव

1422. श्री हाराधन राय :
डा. असीम बाला :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री अनिल बसु :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलकर उन्हें राज्य में नदियों के तटकटाव से हो रहे नुकसान के बारे में अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई मांगों का मुख्य रूप से ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई और जलमार्ग मंत्री जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 8 सितम्बर, 1992 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिला था, जिसने एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें लगभग 356 करोड़ रुपए की लागत के गंगा/पद्मा और भागीरथी/हुगली प्रणाली में कटाव सुरक्षा कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं और केन्द्र द्वारा 50 : 50 के आधार पर इस योजना के वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) कटावरोधी योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र की उनकी स्वयं को योजना निधियों से तथा उनको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र उन कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है जो तकनीकी, उत्प्रेरक और संवर्धक स्वरूप के होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के पास राज्य सरकारों को निर्मुक्त करने के लिए बाढ़ नियंत्रण सीमित निधियां होती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत भू–सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के आधार पर अलग–अलग विस्तृत योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नबादविप–मायापुर क्षेत्र में कटावरोधी कार्यों के लिए वर्ष 1993–94 के दौरान एक करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

रक्षा से संबंधित गुप्त सूचनाएं

1423. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवंबर, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाओं के लीक होने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक आयोग

1424. श्री रामचन्द वीरप्पा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कर्मचारियों की कमी के कारण, ये दोनों संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). आयोग के निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों के अतिरिक्त 73 पद मंजूर किए गए हैं जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य–सचिव के पदों के अतिरिक्त 49 पद मंजूर किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए सदस्य–सचिव, संयुक्त सचिव तथा उप सचिव पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। अन्य पदों पर नियुक्तियां स्वयं आयोग द्वारा की जाएंगी।

जब कभी भी उपर्युक्त किसी आयोग से इस मंत्रालय में अतिरिक्त स्टाफ के लिए कोई प्रस्ताव होता है तो ऐसे प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा आन्तरिक वित्त/वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जम्मू और कश्मीर की यात्रा

1425. श्री मृत्युंजय नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की 4 से 8 जून, 1994 की कश्मीर यात्रा पर कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने 4से 8 जून, 1994 तक श्रीनगर एवं जम्मू का दौरा किया है ताकि राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में एक सामान्य आकलन किया जा सके। इस दौरे की रिपोर्ट अभी आयोग द्वारा तैयार की जा रही है।

मानवाधिकार

1426. श्री मंजय लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1994 के "जनसत्ता" में "आयोग भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन से चिन्तित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ङ) सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्। 26 सितम्बर, 1994 को "जनसत्ता" में "आयोग भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन से चिन्तित" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें यह सूचना थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर अपनी चिंता व्यक्त की।

(ख) सरकार, मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता के प्रति गंभीरतापूर्वक सजग है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षोपायों की समय–समय पर समीक्षा किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर बल देने के अलावा जब भी संबंधित प्राधिकरण/एजेंसी के ध्यान में लाए गए आरोप सही पाए गए हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 2(घ) में मानवाधिकारों को इस प्रकार से स्पष्टतः परिभाषित किया गया है– "मानवाधिकारों का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मर्यादा संबंधी अधिकारों से है जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है या जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में शामिल हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।" उपर्युक्त अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं को भी धारा 2 (च) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है :–

"अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से तात्पर्य, सिविल और राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से है जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकृत किए गए थे।"

(ङ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12(झ) स्पष्ट रूप से आयोग को अधिकृत करती है कि वह "मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करें।" तदनुसार आयोग, बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों(एन.जी.ओ.) भारतीय और विदेशी दोनों ही, के साथ मिलकर कार्य करता रहा है। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों का एक उपयुक्त राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रयास कर रहा है। आयोग, विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के साथ भी मिलकर कार्य करता रहा है। आयोग विशेष रूप से निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों में से कुछ पर कार्य करने में लगा हुआ है :–

(1) समूचे देश में शैक्षणिक पाठयक्रम में मानवाधिकारों को एक विषय के रूप में शामिल कराना।

(2) बाल श्रमिकों पर अध्ययन।

(3) बंधुआ मजदूरों पर अध्ययन।

(4) जेल सुधार।

(5) महिलाओं के अधिकारों और उनकी मर्यादा से संबंधित कानूनों में संशोधन।

शिकायतों पर विचार करने के दौरान जहां भी आवश्यक होता है, आयोग, पूछताछ/जांच के लिए सरकारी एजेंसियों और मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करता है।

[अनुवाद]

उर्वरक एककों के लिए गैस

1427. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक एककों के लिए एच.बी.जे. पाइपलाइन सहित प्राकृतिक गैस के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें 1993 की तुलना में 1994 में कितनी वृद्धि की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या का मामला

1428. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले का संदर्भ सरकार को वापस लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने विवादग्रस्त स्थल पर मंदिर या मस्जिद या दोनों के निर्माण के संबंध मे कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ड). "अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश/अधिनियम, 1993" की वैधता और राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद विवाद पर "विशेष निर्देश" के औचित्य से संबंधित कार्यवाही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने 24 अक्तूबर, 1994 के निर्णय के द्वारा उस "निर्देश" पर कोई मत प्रकट किए बिना उसे लौटा दिया। परन्तु उच्चतम न्यायलय ने इस अधिनियम की धारा 4(3) को छोड़कर सभी उपबंधों को सही ठहराया। उन्होंने यह मत भी प्रकट किया कि विवादित क्षेत्र जिसमें राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद ढांचा (ऐसे ढांचें के भीतरी और बाहरी कोर्टयार्ड के परिसरों सहित) खड़ा था, से जुड़े सभी लंबित मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियां, तत्संबंधी विवाद के न्याय निर्णयन के लिए पुनर्जीवित हो गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह मत भी प्रकट किया कि विवादित क्षेत्र की सुपुर्दगी के बारे में, केन्द्र सरकार की भूमिका सांविधिक रिसीवर के रूप में सीमित है और उसका कार्य, इसका प्रबंध और प्रशासन चलाना, उसमें यथा स्थिति बनाए रखना (अधिनियम के उपबंधों के अनुसार) और मुकदमों में किए गए न्यायनिर्णयन के अनुसार उसे सौंपना हैं।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

1429. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश में अलग–अलग कितने और किस किस्म के कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या अच्छे किस्म के कोयले को घटिया किस्म के कोयले की दर पर बेचा गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ड) ऐसी घटनाओं की पुरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) 1993–94 के दौरान राज्यवार कोयले के उत्पादन से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. की बिहार में स्थित खानों तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की आंध्र प्रदेश में स्थित खानों द्वारा वर्ष 1993–94 के दौरान किए गए कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :–

बिहार	–	68.82 मिलियन टन
आंध्र प्रदेश	–	25.20 मिलियन टन

इन राज्यों में उत्पादित ग्रेड का कोयला नीचे दर्शाया गया है:

बिहार

कोककर कोयला

इस्पात ग्रेड I और II
वाशरी ग्रेड I,II,III और IV
एस.एल.वी.(विशेष निम्न ज्वलनशील)

अ-कोककर कोयला

ग्रेड ए,बी,सी,डी,ई और एफ

आंध्र प्रदेश

अ-कोककर

ग्रेड सी.डी,ई,एफ और जी

(ख) कोल इंडिया लि. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जोकि रिकार्ड पर आधारित है, अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले को निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की दरों पर नहीं बेचा गया है। उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति संयुक्त नमूना व्यवस्था के अंतर्गत समझौता कीमत अथवा अधिसूचित कीमत के आधार पर की जाती है।

(ग) से (ड). प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) कोयले पर रायल्टी, उपकर तथा बिक्री कर के रूप में 1993–94 के दौरान सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा कमाए गए राजस्व

की राशि नीचे दर्शायी गई है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	रायल्टी	उपकर	बिक्री कर	जोड़
पश्चिम बंगाल	10.63	193.00	29.89	233.52
बिहार	555.05	–	36.54	591.59
उड़ीसा	72.82	–	13.65	86.47
महाराष्ट्र	111.09	–	34.88	145.97
मध्य प्रदेश	369.56	–	51.91	421.47
उत्तर प्रदेश	70.59	–	17.82	88.41
असम	0.44	–	1.00	1.44
आंध्र प्रदेश	169.20	–	46.43	215.63

[अनुवाद]

बाटलिंग प्लांट

1430. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए रसोई गैस बाटलिंग प्लांटों का ब्यौरा क्या है और ये प्लांट कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	राज्य	स्थान	तेल कं.	क्षमता (टीएमटीपीए में)
1.	असम	गोहाटी	आईओसी	22
2.	आन्ध्र प्रदेश	कडापा	आईओसी	44
3.	गुजरात	अहमदाबाद	बीपीसी	34
4.	गुजरात	अहमदाबाद	आईओसी	32
5.	गुजरात	भावनगर	आईओसी	44
6.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	मदनपुर खादर	आईओसी	44
		गाजियाबाद के समीप	आईओसी	44
7.	केरल	क्यूलोन	आईओसी	22
8.	मणिपुर		आईओसी	10
9.	मिजोरम	–	आईओसी	5
10.	सिक्किम	रंगबोई	आईओसी	5
11.	महाराष्ट्र	अकोला	आईओसी	44
12.	पंजाब	पटियाला	आईओसी	34
13.	राजस्थान	बीकानेर	आईओओ	22
14.	तमिलनाडु	मद्रास	आईओसी	66
15.	तमिलनाडु	मदुरई	आईओसी	22
16.	तमिलनाडु	त्रिची	आईओसी	22
17.	तमिलनाडु	मद्रास	बीपीसी	44
18.	तमिलनाडु	मद्रास	एचपीसी	22
19.	त्रिपुरा	–	आईओसी	5
20.	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद	आईओसी	22
21.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	बीपीसी	44
22.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	आईओसी	44
23.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	बीपीसी	44

कोयले की आपूर्ति

1431. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान अब तक गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुल कितनी मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया;

(ख) क्या कोयले की आपूर्ति और मांग में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात के लिए केन्द्रीय पूल से वार्षिक आवंटन की जाने वाली कोयले की मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां,. तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पूरे देश के लिए कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उद्योग/क्षेत्र–वार किया जाता है। इसका मूल्यांकन राज्य–वार नहीं किया जाता है। को.इं. लि. कोयले की आपूर्ति संबद्ध प्रायोजक पदाधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजनों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के आधार पर करता है। विद्युत तथा सीमेंट यूनिटों की आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति (एस.एल.सी.) द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजनों के आधार पर की जाती है। कोल इंडिया लि. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल से सितम्बर, 1994 की अवधि के दौरान गुजरात के विभिन्न उपभोक्ताओं को प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा कुल 8.38 मि.टन मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया है।

(ख) प्रायोजन मात्रा/मांग के एवज में कोयले की आपूर्ति 7.53 मि.टन की गई। इस तरह से मांग की आपूर्ति 90 प्रतिशत तक की गई और चालू वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान 0.85 मि.टन का अंतराल रह गया।

(ग) इस संबंध में कम आपूर्ति किए जाने के कारण नीचे दिए गए हैं :–

(1) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बी.सी.सी.एल. के कोयले को लागत के आधार पर स्वीकार न किए जाने की इच्छा व्यक्त किए जाने के कारण वानकबोरी तापीय विद्युत गृह को कोयले का संचलन न होना।

(2) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोयले की बिक्री की देय राशि के संबंध में विवाद होने के कारण इस विद्युत गृह को नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. से कोयले का कम संचलन किया जाना।

(3) गुजरात राज्य में स्थित सीमेंट संयंत्रों द्वारा वैध कार्यक्रमों को लंबित किया जाना।

(4) विद्युत ग्रहों को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति।

इसके अलावा, गुजरात के गैर–महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ता कोयले का संचलन किए जाने के मामले में केवल विशिष्ट स्रोतों को ही तरजीह देते हैं। यदि वे कोयला कंपनियों द्वारा पेशकश किए गए अन्य स्रोतों से कोयले का संचलन करते तो गैर–महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती।

(घ) राज्य–वार आवंटन किए जाने के मामले में कोई केन्द्रीय पूल विद्यमान नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) और (छ). कोयला/कोक के अतिरिक्त आवंटन किए जाने के संबंध में किसी तरह के अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार/समीक्षा की जाती है। कोल इंडिया लि. वर्तमान में साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर गुजरात की गैर–कोककर कोयला की सम्पूर्ण मांग पूरा किए जाने की स्थिति में है। इसके अलावा, उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कई कोलियरियों से कोयले की आपूर्ति की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रायोजन के आधार पर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दो व्यापारियों तथा लघु व्यापारियों को भी आपूर्ति की जा रही है जोकि लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानें

1432. श्री राजबीर सिंह : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वाणिज्यिक आधार पर इस्तेमाल की जाने वाली कोयला खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन खानों में कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा 1993-94 वर्ष के दौरान राज्य–वार उल्लखित की गई कोयले की खानों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :–

कोल इंडिया लि.	खानों की संख्या
1. पश्चिम बंगाल	111
2. मध्य प्रदेश	125
3. बिहार	189
4. उत्तर प्रदेश	4
5. महाराष्ट्र	39
6. उड़ीसा	21
7. असम	5
जोड़	494
सिं.को.कं. लि.	
8. आंध्र प्रदेश	66

असंदिग्ध है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करके अपने त्यागपत्र की सूचना दी है। त्यागपत्र इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर दिया गया है जो कल यहां लिखित प्रश्नों में था, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। मैं सबसे पहले श्री एंटनी को बधाई देना चाहता हूं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने त्यागपत्र देकर अपना नैतिक दायित्व स्वीकार किया है, अंतरात्मा की आवाज को सुना है। हम आशा करते हैं कि और जो दोषी मंत्री हैं उनकी अंतरात्मा भी जागेगी। अन्य मंत्री भी श्री एंटनी से प्रेरणा लेंगे। श्री एंटनी केरल का प्रतिनिधित्व करते थे। आंध्र और कर्नाटक के चुनाव परिणाम, उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से ही सत्तापक्ष के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। अब दक्षिण के एक राज्य केरल में और प्रामाणिकता के सवाल पर, सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता के सवाल पर और नैतिक दायित्व को स्वीकार करने की तैयारी पर श्री एंटनी का त्यागपत्र, यह लोकतंत्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना रहेगी। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है और कल प्रश्न के उत्तर में इस सदन में जो कुछ कहा गया, अध्यक्ष महोदय, उससे प्रतिपक्ष की ओर से शक्कर के घोटाले के बारे में जो आरोप लगाये जाते थे, वे आरोप शत–प्रतिशत साबित हो गये। हमारा यह आरोप था कि चीनी के आयाता में देर की गई और आयात का फैसला लीक कर दिया गया।

आप उस समय के हमारे भाषण देखिये तो हमने इस बात पर लगातार बल दिया है और कल के उत्तर में ये माना गया, बड़े तरीके से मानने की कोशिश की गई है।

[अनुवाद]

"चीनी के आयात के निर्णय में गोपनीयता का अभाव....."

[हिन्दी]

चीनी का आयात करने में जो गुप्तता होनी चाहिए थी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : श्री एंटनी ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने इस सत्य की नैतिक जिम्मेदारी ली है।.....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने ऐसा कहा है **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उन्होंने ऐसा कहा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा है। प्रेस कान्फ्रेंस में दिया गया साक्षात्कार, यदि आप इसे, पढ़ें।

[हिन्दी]

उन्होंने जो वक्तव्य प्रेस कान्फ्रेंस में दिया है, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं या आप कह रहे हैं। मोरल रिस्पोन्सिबिलिटी के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसी बात नहीं कही है।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उन्होंने कहा कि जवाब उल्टा है, वह निर्दोष है और प्रधान मंत्री दोषी हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर एंटनी के त्यागपत्र के बाद भी सत्ता पक्ष का यह रवैया है, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लिए कोई आशा नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रवैये का सवाल नहीं है। यह आपने गलत बात कही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने यह कहा या नहीं कहा—"जो कुछ जवाब दिया गया उसके बाद मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि मैं मंत्रिमंडल में बना रहूं।"

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठा चार्ज लगाया गया है। मतलब सीधा चार्ज प्रधान मंत्री के ऊपर है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्होंने यह नहीं कहा।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने यह कहा है। आप पढ़िए। उन्होंने सीधा चार्ज प्रधान मंत्री के ऊपर लगाया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप गलत कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में ये शब्दों के खिलवाड़ का वक्त नहीं है। शुक्ला जी, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी सरकार इस समय किस संकट में फंसी है, और इससे बचने की कोशिश मत करिए।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, सदन में यह मांग हो रही है कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सदन को दिखाई जाए। सरकार रखने के लिए तैयार नहीं है। टैक्निकल कारण पर रखने के लिए तैयार नहीं है। मगर उस रिपोर्ट के आधार पर जो कल जवाब दिया गया है, वह सारी सरकार की निन्दा का एक वक्तव्य है और सचमुच में वह चार्जशीट है। वह जवाब नहीं है, चार्जशीट है आपकी सरकार के खिलाफ। मैं उसका एक उद्धरण उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"चीनी उत्पादन के अविश्वसनीय और बढ़चढ़ाकर दिए गए अनुमान..."

[हिन्दी]

आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में कितना उत्पादन होता है यह भी आप आंकड़े सही देने को तैयार नहीं हैं और अगर शुगर के बारे में ऐसा हो रहा है तो और वस्तुओं के उत्पादन के बारे में आपकी विश्वसनीयता को क्या आंच नहीं आती? यहां रिलायेंबल आंकड़े क्यों नहीं दिये गए? किसके स्वार्थ की सिद्धि के लिए इनफ्लेटेड ऐस्टिमेट दिए गए? फिर जो स्टॉक उपलब्ध था देश के भीतर, उसको बांटने में मिसमैनेजमेंट किया गया। बाहर से चीनी मंगाने में देर की गई और इतना ही नहीं, मंगाने का फैसला देर से किया गया और उसे देर से इंप्लीमेंट किया गया, और इस बीच में क्या हुआ! यह कैसा निकम्मापन है! फैसला हो गया कि चीनी मंगानी है और ज्ञान प्रकाश कमेटी कहती है कि उस फैसले को भी

[अनुवाद]

"चीनी आयात करने के इस निर्णय के क्रियान्वयन में देरी – समन्वय ठीक न होना"

[हिन्दी]

आपकी **सरकार** इस बात के लिए प्रसिद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चल रही है या नहीं चल रही है। क्या कोई सरकार संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकारे बिना चल सकती है? मगर जो ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का एक टुकड़ा हमें दिया गया है, गलत तरह से जो जवाब दिया गया है, मंत्रालयों में तालमेल नहीं है। हर डिपार्टमेंट संकुचित दृष्टि से चल रहा है–क्या मतलब है ऐसा कहने का संकुचित दृष्टि से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमण्डल की कोई नीति नहीं है और जो जिसके मन में आ रहा है, वह कर रहा है। क्या सरकार चलाने का यही तरीका है?

कहा गया है–

[अनुवाद]

"चीनी के आयात के बारे में मूल्यों के संबंध में मंत्रिमण्डल समिति के निर्णयों में स्पष्टता का अभाव"

[हिन्दी]

यानी प्राईसेज के बारे में एक कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। मुझे पता नहीं कि उसके कौन–कौन सदस्य हैं लेकिन हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस कमेटी की भी भर्त्सना की गयी है कि उसने जो निर्णय लिया उसमें स्पष्टता नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी–क्या सोच–समझकर क्लैरिटी नहीं थी या क्लैरिटी न हो, ऐसा फैसला लेने की एक आदत पड़ी हुई है, इस ढर्रे पर सरकार चल रही है। इस तरह वह कहां पहुंचेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन यह पूरी कैबिनेट कमेटी के लिए एक लांछन की बात है।

इसका मैं उल्लेख कर चुका हूं–

[अनुवाद]

"विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा संकुचित विभागीय दृष्टिकोण अपनाना..."

[हिन्दी]

"फिर मंत्रिमण्डल में संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कहां रही।

[अनुवाद]

"...मूल्यों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति सहित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की असफलता, खाद्य मंत्री..."

[हिन्दी]

फूड मिनिस्टर कहां हैं, यहां विराजमान हैं। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, एन्टनी साहब को यही चीज खली है।

[अनुवाद]

"...और मंत्रिमण्डल सचिव यह मामला मंत्रिमण्डल/प्रधान मंत्री के ध्यान में नहीं लाए...

[हिन्दी]

... यानी मंत्रिमंडल को पता नहीं कि क्या हो रहा है। इन कमेटियों में जरूर कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होंगे, उन्होंने भी सूचना नहीं दी। पी.एम.ओ. खुद नजर नहीं रखता कि किस मंत्रालय में क्या हो रहा है, देश में कौन सी आवश्यक वस्तु की कमी होने वाली है। क्या उसकी कोई निगरानी नहीं है?

आज कहा जा रहा है कि मंत्रिमण्डल को खबर नहीं दी गयी–किसने खबर नहीं दी, कौन इसके लिये दोषी है? फिर कहा गया कि एंटनी साहब को उन्होंने इसमें शामिल किया है और उनके त्यागपत्र का कारण वह है।

[अनुवाद]

"...खाद्य मंत्री तथा खाद्य सचिव के बीच खराब संबंध..."

[हिन्दी]

ये संबंध कब से दुर्बल थे। मैं "पुअर" शब्द का ठीक तरह से अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं। मंत्री और सचिव में खराब संबंध कब से चल रहे थे। और ऐसा क्यों चलने दिया गया। क्या सचिव को हटाया नहीं जा सकता था या मंत्री की छुट्टी नहीं की जा सकती? यह भी एक कारण है।

इसमें आगे लिखा है –

[अनुवाद]

"..जिससे मंत्रालय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा"

[हिन्दी]

और फिर बाहर से चीनी मंगाने का फैसला लीक कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस आरोप की पुष्टि हो गयी है कि देश में जान–बूझकर उद्योगपतियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये..

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : और कुछ पोलिटीशियन्स को भी..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसमें राजनैतिक नेता जरूर होंगे, जो ऐसा कर रहे हैं, वे राजनैतिक नेता हैं और ऐसा मत समझिये कि वे उसमें से लाभ नहीं उठा रहे हों मगर यह बात साफ हो गयी। उत्पादन को कम आंकना, जो स्टॉक था उसको ठीक तरह से उपयोग में न लाना, उसका ठीक तरह से वितरण न करना, तालमेल का अभाव, विदेशी चीनी मंगाने में विलम्ब, विलम्ब से लिये गये फैसले को अमल में लाने में भी विलम्ब और फिर विदेश में उसे लीक कर दिया गया जिससे भाव बढ़ गये, अन्तर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गये, एक टन पर 100 डॉलर का फर्क पड़ गया, इसलिये ढ़ाई हजार करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ है, ऐसी चर्चा की जाती है और इससे हमारे आरोप की पुष्टि हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो कल रात हमारे नोटिस में आयी है। ब्राजील से जो चीनी मंगायी गयी है, जिसे लोगों को

असंदिग्ध है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करके अपने त्यागपत्र की सूचना दी है। त्यागपत्र इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर दिया गया है जो कल यहां लिखित प्रश्नों में था, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। मैं सबसे पहले श्री एंटनी को बधाई देना चाहता हूं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने त्यागपत्र देकर अपना नैतिक दायित्व स्वीकार किया है, अंतरात्मा की आवाज को सुना है। हम आशा करते हैं कि और जो दोषी मंत्री हैं उनकी अंतरात्मा भी जागेगी। अन्य मंत्री भी श्री एंटनी से प्रेरणा लेंगे। श्री एंटनी केरल का प्रतिनिधित्व करते थे। आंध्र और कर्नाटक के चुनाव परिणाम, उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से ही सत्तापक्ष के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। अब दक्षिण के एक राज्य केरल में और प्रामाणिकता के सवाल पर, सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता के सवाल पर और नैतिक दायित्व को स्वीकार करने की तैयारी पर श्री एंटनी का त्यागपत्र, यह लोकतंत्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना रहेगी। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है और कल प्रश्न के उत्तर में इस सदन में जो कुछ कहा गया, अध्यक्ष महोदय, उससे प्रतिपक्ष की ओर से शक्कर के घोटाले के बारे में जो आरोप लगाये जाते थे, वे आरोप शत-प्रतिशत साबित हो गये। हमारा यह आरोप था कि चीनी के आयाता में देर की गई और आयात का फैसला लीक कर दिया गया।

आप उस समय के हमारे भाषण देखिये तो हमने इस बात पर लगातार बल दिया है और कल के उत्तर में ये माना गया, बड़े तरीके से मानने की कोशिश की गई है।

[अनुवाद]

"चीनी के आयात के निर्णय में गोपनीयता का अभाव....."

[हिन्दी]

चीनी का आयात करने में जो गुप्तता होनी चाहिए थी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : श्री एंटनी ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने इस सत्य की नैतिक जिम्मेदारी ली है।.....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने ऐसा कहा है **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उन्होंने ऐसा कहा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा है। प्रेस कान्फ्रेंस में दिया गया साक्षात्कार, यदि आप इसे, पढ़ें।

[हिन्दी]

उन्होंने जो वक्तव्य प्रेस कान्फ्रेंस में दिया है, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं या आप कह रहे हैं। मोरल रिस्पोन्सिबिलिटी के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसी बात नहीं कही है।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उन्होंने कहा कि जवाब उल्टा है, वह निर्दोष है और प्रधान मंत्री दोषी हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर एंटनी के त्यागपत्र के बाद भी सत्ता पक्ष का यह रवैया है, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लिए कोई आशा नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रवैये का सवाल नहीं है। यह आपने गलत बात कही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने यह कहा या नहीं कहा—"जो कुछ जवाब दिया गया उसके बाद मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि मैं मंत्रिमंडल में बना रहूं।"

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठा चार्ज लगाया गया है। मतलब सीधा चार्ज प्रधान मंत्री के ऊपर है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्होंने यह नहीं कहा।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने यह कहा है। आप पढ़िए। उन्होंने सीधा चार्ज प्रधान मंत्री के ऊपर लगाया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप गलत कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में ये शब्दों के खिलवाड़ का वक्त नहीं है। शुक्ला जी, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी सरकार इस समय किस संकट में फंसी है, और इससे बचने की कोशिश मत करिए।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, सदन में यह मांग हो रही है कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सदन को दिखाई जाए। सरकार रखने के लिए तैयार नहीं है। टैक्निकल कारण पर रखने के लिए तैयार नहीं है। मगर उस रिपोर्ट के आधार पर जो कल जवाब दिया गया है, वह सारी सरकार की निन्दा का एक वक्तव्य है और सचमुच में वह चार्जशीट है। वह जवाब नहीं है, चार्जशीट है आपकी सरकार के खिलाफ। मैं उसका एक उद्धरण उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"चीनी उत्पादन के अविश्वसनीय और बढ़चढ़ाकर दिए गए अनुमान..."

[हिन्दी]

आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में कितना उत्पादन होता है यह भी आप आंकड़े सही देने को तैयार नहीं हैं और अगर शुगर के बारे में ऐसा हो रहा है तो और वस्तुओं के उत्पादन के बारे में आपकी विश्वसनीयता को क्या आंच नहीं आती? यहां रिलायेबल आंकड़े क्यों नहीं दिये गए? किसके स्वार्थ की सिद्धि के लिए इनफ्लेटेड ऐस्टिमेट दिए गए? फिर जो स्टॉक उपलब्ध था देश के भीतर, उसको बांटने में मिसमैनेजमेंट किया गया। बाहर से चीनी मंगाने में देर की गई और इतना ही नहीं, मंगाने का फैसला देर से किया गया और उसे देर से इंप्लीमेंट किया गया, और इस बीच में क्या हुआ! यह कैसा निकम्मापन है! फैसला हो गया कि चीनी मंगानी है और ज्ञान प्रकाश कमेटी कहती है कि उस फैसले को भी

[अनुवाद]

"चीनी आयात करने के इस निर्णय के क्रियान्वयन में देरी – समन्वय ठीक न होना"

[हिन्दी]

आपकी **सरकार** इस बात के लिए प्रसिद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चल रही है या नहीं चल रही है। क्या कोई सरकार संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकारे बिना चल सकती है? मगर जो ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का एक टुकड़ा हमें दिया गया है, गलत तरह से जो जवाब दिया गया है, मंत्रालयों में तालमेल नहीं है। हर डिपार्टमेंट संकुचित दृष्टि से चल रहा है–क्या मतलब है ऐसा कहने का संकुचित दृष्टि से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमण्डल की कोई नीति नहीं है और जो जिसके मन में आ रहा है, वह कर रहा है। क्या सरकार चलाने का यही तरीका है?

कहा गया है–

[अनुवाद]

"चीनी के आयात के बारे में मूल्यों के संबंध में मंत्रिमण्डल समिति के निर्णयों में स्पष्टता का अभाव"

[हिन्दी]

यानी प्राईसेज के बारे में एक कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। मुझे पता नहीं कि उसके कौन–कौन सदस्य हैं लेकिन हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस कमेटी की भी भर्त्सना की गयी है कि उसने जो निर्णय लिया उसमें स्पष्टता नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी–क्या सोच–समझकर क्लैरिटी नहीं थी या क्लैरिटी न हो, ऐसा फैसला लेने की एक आदत पड़ी हुई है, इस ढर्रे पर सरकार चल रही है। इस तरह वह कहां पहुंचेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन यह पूरी कैबिनेट कमेटी के लिए एक लांछन की बात है।

इसका मैं उल्लेख कर चुका हूं–

[अनुवाद]

"विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा संकुचित विभागीय दृष्टिकोण अपनाना..."

[हिन्दी]

"फिर मंत्रिमण्डल में संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कहां रही।

[अनुवाद]

"...मूल्यों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति सहित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की असफलता, खाद्य मंत्री..."

[हिन्दी]

फूड मिनिस्टर कहां हैं, यहां विराजमान हैं। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, एन्टनी साहब को यही चीज खली है।

[अनुवाद]

"...और मंत्रिमण्डल सचिव यह मामला मंत्रिमण्डल/प्रधान मंत्री के ध्यान में नहीं लाए...

[हिन्दी]

... यानी मंत्रिमंडल को पता नहीं कि क्या हो रहा है। इन कमेटियों में जरूर कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होंगे, उन्होंने भी सूचना नहीं दी। पी.एम.ओ. खुद नजर नहीं रखता कि किस मंत्रालय में क्या हो रहा है, देश में कौन सी आवश्यक वस्तु की कमी होने वाली है। क्या उसकी कोई निगरानी नहीं है?

आज कहा जा रहा है कि मंत्रिमण्डल को खबर नहीं दी गयी–किसने खबर नहीं दी, कौन इसके लिये दोषी है? फिर कहा गया कि एंटनी साहब को उन्होंने इसमें शामिल किया है और उनके त्यागपत्र का कारण वह है।

[अनुवाद]

"...खाद्य मंत्री तथा खाद्य सचिव के बीच खराब संबंध..."

[हिन्दी]

ये संबंध कब से दुर्बल थे। मैं "पुअर" शब्द का ठीक तरह से अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं। मंत्री और सचिव में खराब संबंध कब से चल रहे थे। और ऐसा क्यों चलने दिया गया। क्या सचिव को हटाया नहीं जा सकता था या मंत्री की छुट्टी नहीं की जा सकती? यह भी एक कारण है।

इसमें आगे लिखा है –

[अनुवाद]

"..जिससे मंत्रालय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा"

[हिन्दी]

और फिर बाहर से चीनी मंगाने का फैसला लीक कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस आरोप की पुष्टि हो गयी है कि देश में जान–बूझकर उद्योगपतियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये..

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : और कुछ पोलिटीशियन्स को भी..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसमें राजनैतिक नेता जरूर होंगे, जो ऐसा कर रहे हैं, वे राजनैतिक नेता हैं और ऐसा मत समझिये कि वे उसमें से लाभ नहीं उठा रहे हों मगर यह बात साफ हो गयी। उत्पादन को कम आंकना, जो स्टॉक था उसको ठीक तरह से उपयोग में न लाना, उसका ठीक तरह से वितरण न करना, तालमेल का अभाव, विदेशी चीनी मंगाने में विलम्ब, विलम्ब से लिये गये फैसले को अमल में लाने में भी विलम्ब और फिर विदेश में उसे लीक कर दिया गया जिससे भाव बढ़ गये, अन्तर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गये, एक टन पर 100 डॉलर का फर्क पड़ गया, इसलिये ढ़ाई हजार करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ है, ऐसी चर्चा की जाती है और इससे हमारे आरोप की पुष्टि हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो कल रात हमारे नोटिस में आयी है। ब्राजील से जो चीनी मंगायी गयी है, जिसे लोगों को

खाने के लिये दिया जा रहा है, उस चीनी में मरे हुए कीड़े और जीवित कीड़े पाये गये हैं। एक लैबोरेटरी से उसका परीक्षण किया गया, उस परीक्षण की रिपोर्ट हमारे पास है। उसमें एक किलो में कितने कीड़े हैं, उसकी गिनती दी है।

यह गोल–माल एक नया मोड़ ले रहा है और इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मैं रिपोर्ट का एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, तो मैं इसको टेबल पर रख सकता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं उद्धृत करूंगा, तो आप कहेंगे कि टेबल पर रखिए। मैं पहले से ही तैयार हूं। मैं कीड़ों को तो नहीं रख सकता। मगर इस मामले में जो कूड़ा है, उस पर से पर्दा हटाना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"340 ग्राम के नमूने [illegible] मरे कीड़े मिले। प्रति किग्रा के नमूने में नौ जीवित तथा 73 मरे कीड़े मिले।"

[हिन्दी]

चीनी किस तरह से मंगाई गई? क्या इस तरह की चीनी मंगाई गई है। यह बांटी जा रही है। लोग खा रहे हैं। यह सारे घोटाले को एक नया आयाम देने वाली चीज है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं, आप सदन को चर्चा करने का तो मौका देंगे, और अब श्री विद्याचरण शुक्ल जी को इस बात पर अड़ना नहीं चाहिए कि हम रिपोर्ट दिखाएंगे नहीं, हम सबको दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो कमरे में दिखाएंगे, हम सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाएंगे। श्री शुक्ल ने जो कल उत्तर दिया है और उत्तर के बाद जिस तरह श्री एंटनी को इस्तीफा देना पड़ा है उसके बाद अन्य मंत्रियों को जाना होगा। अगर प्रधान मंत्री सरकार का इसी तरह से संचालन कर रहे हैं, तो प्रधान मंत्री को भी जाना चाहिए। प्रधान मंत्री अपने पद पर बने रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है।

अब यह छोटा मसला रह गया है कि आप रिपोर्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। इस सदन के सामने और इस लोक तंत्र के सामने अब बड़े गंभीर मसले आ गए हैं और अगर शासन इस तरह से चलेगा, इस तरह से गोल–माल का शिकार होगा, इस तरह से आम आदमी के साथ उसकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में धोखा किया जाएगा, उसके साथ दगा किया जाएगा, तो इस सरकार को जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस्तीफा दे और अपने स्थान से हट जाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, कल, दो दिन से जो चीनी का घोटाला हुआ है, उसकी बाबत चर्चा चली और दो दिन से यह सदन नहीं चल पाया। अचानक रात को एंटोनी साहब के इस्तीफे का जब समाचार आया, तो उस समाचार ने पूरे देश और सदन को झकझोरा है और कल सरकार की तरफ से ज्ञान प्रकाश कमेटी की बाबत जो सफाई आई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि खाद्य मंत्रालय और आपूर्ति मंत्रालय में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। एंटोनी साहब, जिनको इस देश की राजनीति में, अध्यक्ष जी, एक सच्चे और ईमानदार आदमी और इस सरकार में जो कुछ चेहरे ठीक दिखते हैं जिन्हें देखकर विश्वास होता है कि देश में कोई रास्ता बनेगा और ठीक रहेगा, उनमें से एक हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने जो बयान और वक्तव्य अखबारों में दिया है, उस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने लगातार चीनी की कमी के बारे में बताया है और इस बाबत कहते रहे हैं और जितनी भी कमेटियां हैं उनमें जितनी भी कैबिनेट कमेटियां हैं, चाहे वह प्राइसेस के बारे में हैं, या किसी और के बारे में, जब उनको बुलाया गया, उन्होंने सरकार को आगाह किया, बाकायदा सूचित किया कि यह घाटा होने वाला है और कमी पड़ने वाली है। इसके बावजूद भी यह कहा गया कि उनकी सूचना सरकार के पास नहीं पहुंची।

यह ज्ञान प्रकाश कमेटी, जिसके ऊपर दो दिन से झंझट चला हुआ है और पूरा सदन और हम सब लोग एक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर है कि...* और उसकी जो भी रिपोर्ट है, वह ऊपर–ऊपर पत्तों पर तो जाती है, जल की तरफ उसका कोई हिस्सा नहीं आता। इस कमेटी ने जानबूझकर ऐसे सवाल खड़े किये हैं जिससे असली आदमी छुप जाये। मेरा मतलब जैसे राम के आसपास बाली, मारीच, कैकेयी व मंथरा थे। उनको मारो ठोकर, गोली मारो और बाकी काम निपटाओ। इस ज्ञान प्रकाश कमेटी में....* इस ज्ञानी आदमी की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि एंटनी जैसे आदमी इसमें गुनाहगार हो जाते हैं और सैफुल्ला, जो कैबिनेट सैक्रेटरी थे। वे टी.वी. पर बोलते हैं कि 2500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। कैबिनेट सैक्रेटरी बोलता है कि मैंने प्रधान मंत्री को हर कमेटी की लिखित रिपोर्ट दी है। यहां खाद्य मंत्री श्री कल्प नाथ राय जी बैठे हैं, वह यह कहते रहे हैं कि चीनी में कोई कमी नहीं होगी। इन्होंने एक काम किया कि जो चीनी आयात करने वाले आदमी थे, उनको इन्होंने बर्खास्त कर दिया। यह काम उनका अच्छा है या बुरा, यह अभी साबित होना है। यह यहां पर दो–तीन दिन से चुप बैठे हुए हैं, न हिलते हैं न दुलते हैं। यह बेचारे संकट में हैं कि कहीं हम ही न सटक जायें, पत्ते न सटक जाये और जो पेड़ हैं, जो ढाल हैं, वह ज्यों की त्यों लटकती रहे। आप अपनी रिपोर्ट को दो दिन से परम्पराओं का नाम लेकर, सिकरेसी का नाम लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को नहीं रखा जाता आदि कहकर टाल रहे थे लेकिन एंटनी साहब के इस्तीफे के बाद उनके इस्तीफे का सीधा मतलब तो यह है कि आत्मा की आवाज तो हरेक कहता है लेकिन यह आत्मा कभी किसी को नहीं मिली। जो कान्शस है, वह नहीं है बल्कि उसके पीछे की आवाज ही असली है। एंटनी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने तकलीफों के चलते हुए अपना इस्तीफा इसलिए दिया कि जब मेरे जैसा आदमी इस बात का आगाह करता रहा, ठीक काम करता रहा, कोई भी मेरी बात को सुनने वाला नहीं। जिन्होंने गड़बड़ की, उनको यह ज्ञान प्रकाश कमेटी अपनी बुद्धि से पकड़ नहीं पायी और चारों तरफ जाल फैलाकर यह कह रहे हैं कि कोओर्डिनेशन की कमी थी। यह किसकी कमी है? यह जो सरकार है, वह कांग्रेस की सरकार है। इसके प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव जी हैं और कोओर्डिनेशन की कमी की जो गलती है, वह मेरे ख्याल से प्रधान मंत्री जी पर पड़ती है। हम इसलिए इस ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को रखवाना

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

चाहते हैं। इस रिपोर्ट से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट से हम सही आदमी को सही तरीके से पकड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस देश के खासकर कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ही हैं और उन्हीं की सारी कमेटियां हैं। चाहे वे प्राइसेस को तय करने वाली हों या स्केयरसिटी को तय करने वाली हों और उनके अन्तर्गत रहने वाले जो सैक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप सभी तारीख देख लीजिए। मैंने लगातार प्रधान मंत्री जी को सूचित किया है कि स्केयरसिटी होने वाली है और एस.टी.सी. के जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं पर शुगर इम्पोर्ट करने की सारी जिम्मेदारी थी। कैबिनेट सैक्रेटरी लगातार प्रधान मंत्री जी को सूचना देते रहे। एंटनी साहब भी उनको सूचित करते रहे कि हिन्दुस्तान में स्केयरसिटी होने वाली है लेकिन उसके बाद भी यह बात क्यों डिले की गयी? इस रिपोर्ट में क्यों डिले हुई? इसे जिन लोगों ने भी आयात किया है, ऊंचे दाम पर आयात किया है।

मेरे ख्याल से यह लगता है कि इन्होंने यहां डिले करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ाने का काम किया है, बाकायदा यहां से खबरें लीक करने का काम किया है। इस तरह से जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी फंक्शन्स हो रहे हैं, वे सब ऐसे थे जो संदिग्ध हैं, शक पैदा करते हैं। यह सब मिलजुल कर ऐसी कुश्ती हुई है जिससे कि हिन्दुस्तान की जनता का व सरकार का 2500 करोड़ रूपये डूबा है और डूबेगा। एंटोनी जी ने कहा कि उन्होंने बार-बार कहा। जहां तक कोओर्डिनेशन की बात है, मैं एंटोनी जी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, मैं उनको सिर्फ दूर से जानता हूं लेकिन एक अच्छे आदमी के नाम से जानता हूं। उन्होंने जो बात कही है, उसमें सब चीज साफ है। ज्ञान प्रकाश ने सही रिपोर्ट नहीं दी है, उसने रिपोर्ट को डाईवर्ट किया है। उसी ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य के चलतें उन्हें धक्का लगा कि सच्चाई की तरफ कोई बात नहीं की जा रही है, गलती की ओर धकेला जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि वे यहां वक्तव्य देना चाहते हैं या नहीं? देश अंधेरे में है। हम कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रख दो लेकिन आपने दो दिन से नहीं रखा। दो दिन में बहुत सी बातें साफ हो जातीं हो सकता था कि एंटोनी जैसे व्यक्ति को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता, हमने किसी सही दोषी व्यक्ति को इस्तीफा दिलाने का काम किया होता। क्या सरकार बताएगी कि एंटोनी जी अपने इस्तीफे पर बयान देंगे या नहीं, क्योंकि वे अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, राज्य सभा के सदस्य हैं। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, सरकार को भी इस बात की सफाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, सारे विपक्ष ने कल शाम को आपको एक बात कही थी कि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट हमें दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में सहायता देगी। 25 सौ करोड़ रुपये के घपले को हम उभार सकेंगे ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको फिर से पढ़वाकर बताऊंगा कि

[अनुवाद]

अध्यक्ष को दबाव डालने का हक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपके जरिए सरकार से कह रहा हूं कि आपके सामने ही हम एक स्टैप नीचे आ गए। हमने कहा था कि उसे सभा पटल पर रख दो तो शुक्ला जी ने कहा कि 2-3 रास्ते हैं जिसमें से उन्होंने एक रास्ता लाईब्रेरी का बताया था। इसपर समूचे विपक्ष ने यह कहा कि हम मानते हैं, आप लाईब्रेरी में उस रिपोर्ट को रख दें।....* उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। ...* जिसके चलते उसे यहां बैठाया गया और यह जॉब दिया गया कि ऐसा काम करो कि जो असली है, जो सब उपद्रव की मेहतारी है, व न हो, बाकी सारी चीजों को ऐसे डाईवर्ट करो कि लोग समझे कि रिपोर्ट भी आ गई, दोषी भी हो गए और 1-2 लोग शहीद हो जाएं।

अब कल्प नाथ जी यहां बैठकर हमारी या किसी की बात पर सिर हिलाते रहते हैं। राजनीति में साख बहुत बड़ी चीज होती है। यदि साख चली जाए तो फिर कोई चीज नहीं रहती। इतने दिनों से बन्द कमरे में बहस हो रही है, ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट नहीं आ रही है, पूरी बहस नहीं हो पा रही है। अकेले एंटोनी ही नहीं हैं, आप पर भी दोष है कि आपने कोओर्डिनेशन नहीं किया। लेकिन आप डटे हुए हैं, ऐसे डटे हुए हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं और इस पद पर बैठे हुए हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : कल्प नाथ राय इसी सदन में पहले कह चुके हैं कि मैं निर्दोष हूं।...**(व्यवधान)** शरद जी जो कह रहे हैं कि दोष साबित हो रहा है, ये कह चुके हैं कि ये निर्दोष हैं तो फिर दोषी कौन है, वह बताने का काम करें।

श्री शरद यादव : मैंने कहा ही नहीं। कल्प नाथ जी हमारे पुराने साथी हैं, मैं चाहता हूं कि ये बच जाएं। ये मंत्री रहें या न रहें लेकिन इनकी साख बहुत बड़ी चीज है, ये अपनी साख बचाएं जैसे एंटोनी जी ने अपनी साख बचाने का काम किया। अब सदन में एंटोनी जी तो है नहीं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : है क्यों नहीं। अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, वे अभी सदन में हैं।

श्री शरद यादव : लेकिन वे ऐसे आदमी नहीं है, वे डिटरमिन्ड हैं। ...**(व्यवधान)** यानि आपका कहना है कि यदि वे आ सकतें हैं तो ठीक है।...**(व्यवधान)** लेकिन आप तो इस सदन के परमानेंट सदस्य हैं, कल्प नाथ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बड़ी मुश्किल से उधर पहुंचे हैं, आप तो यहीं से लड़ रहे थे, इधर का कुछ संस्कार बचा है या नहीं।...**(व्यवधान)**

आप इतने चुप क्यों हैं, जैसे आपको काठ मार गया हो, मैंने यह पहले कभी देखा ही नहीं कि आप कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई भी यह कहने का साहस नहीं है कि यह सत्य नहीं है तो हर बार मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं।

(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमें इन मामलों में प्रासंगिक होना चाहिए। हम श्री कल्प नाथ राय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक अतारांकित प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर की चर्चा कर रहे हैं और उस उत्तर में माननीय श्री वाजपेयी द्वारा कतिपय प्रश्न उठाए गए हैं। श्री शरद यादव ये प्रश्न उठाने के लिए पूरी तरह हकदार हैं। परन्तु इस प्रकार वाद–विवाद करना और इस तरह लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करना मैं नहीं समझता कि यह सभा की गरिमा के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। इस सभा में इस प्रकार के तर्क नहीं दिए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं शुक्ला जी से कहना चाहता हूं कि वह कोई बच्चे नहीं है कि मेरी बात से प्रोवोक हो जायेंगे। वह समझदार आदमी हैं लेकिन जब आपने भी शुक्ला जी की बात पर हां भर दी है तो मैं इसको यहीं पर बन्द करता हूं। मुझे कल्प नाथ राय जी से जो कुछ बात करनी थी, वह मैं बाद में बाहर कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि अगर उन्होंने उठकर बोलना शुरू कर दिया तो आपका भी बचाव नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव : यह अच्छा है कि आपने मेरी इच्छा समझ ली। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय देश भर में चर्चा में आ चुकी है। उसकी चर्चा और मजबूत इसलिए हो गई, उसमें इसलिए और मजबूती आ गई कि आपकी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का यह जो इस्तीफा है, यह उसी संदर्भ में है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बस और। हम उस भद्रपुरुष की आलोचना कर रहे हैं जिसने इसकी जांच की है और वह स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि क्या ठीक है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मेरा निश्चित मत है, मेरा कहना है कि ज्ञान प्रकाश की जो रपट है, उसमें हमारी जो मांग थी, वह आज जस्टीफाइड हो गई। बात की ठीक से और सच्चाई से पूरे सदन को, पूरे देश को जानकारी मिल सके, इसलिए मैं शुक्ला जी और सरकार से फिर से यह कहना चाहता हूं कि आप जो चैम्बर में रिपोर्ट रखने को तैयार थे, उसमें अब इतनी सी बात बची है कि उसको आप लाइब्रेरी में रख दें। हम भी चाहते हैं कि बहस जल्दी से जल्दी हो जाये, जिससे अकेले जो पत्तों–पत्तों पर जांच गई है, वह जड़ तक पहुंच जाये और हकीकत में जगह पर पहुंच जाये।

इसमें कैबिनेट सैक्रेटरी कुछ कह रहे हैं, एंटोनी साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी बात का तो हम विश्वास करते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को लाइब्रेरी में रखना चाहिए और सरकार इस रिपोर्ट को रखकर हिन्दुस्तान में जो इतना बड़ा घपला हुआ है, उसको पकड़ने में अब आगे आने का, आड़े आने काम न करे।

इन्हीं बातों के साथ मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट को लाईब्रेरी में रखने का काम करे। यही समूचे विपक्ष की मांग है, जिससे कि सच्चाई पूरे देश के सामने आ सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, मैं आपके मुद्दे के लिए अनुमति देने जा रहा हूं। मैं इसके पूरे होने तक सभा को स्थगित नहीं करूंगा। इसे जारी रखा जाए तथा पूरा किया जाए। अब श्री इंद्रजीत गुप्त बोलें।

[हिन्दी]

मैं दूसरों को बोलने दूंगा। फिर बाद में आपको मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से विपक्ष ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने या सभा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार तथा संसदीय कार्य मंत्री को मनाने का प्रयास करता रहा है, जिसमें वह अब तक असफल रहा है। मैं श्री एंटोनी द्वारा उठाए गए कदम के लिए उनका आभारी, बल्कि कृतज्ञ हूं, केवल इसलिए नहीं कि वे सम्माननीय व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं तथा सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं बल्कि इसलिए कि इन परिस्थितियों में उनके त्यागपत्र से हमें इस मामले को वास्तविक सच्चाई जानने को मिली है तथा आपको और सारे देश को सच्चाई जानने में सहायता मिलेगी।

अब हमारे सामने एक कठिनाई है। हमारे सामने दो अलग–अलग बातें हैं।

हमारे पास एक प्रतिवेदन है जिसका सार अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है या बिलकुल स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि माननीय नागरिक पूर्ति मंत्री कर्तव्य की अवहेलना के दोषी हैं क्योंकि वे प्रधान मंत्री या प्रधान मंत्री कार्यालय को चीनी आयात, चीनी की कीमतों आदि के बारे में नियमित रूप से अवगत नहीं कराते रहे थे और दूसरी ओर श्री एंटोनी–जो कल तक मंत्रिमण्डल के सदस्य थे–द्वारा दिए गए एक वक्तव्य में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह झूठा दोषारोपण है और यह झूठा आरोप है और प्रश्न के उस उत्तर को जो कुछ वहां दिया गया है, उसे पढ़कर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बिलकुल स्पष्ट यह कहा कहा है कि वह इन मामलों के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराते रहते थे, जो कि ऐसा करना उनका कर्तव्य था। अब इनमें से दोनों की बात जो वे कर रहे हैं सच नहीं हो सकती है। या तो श्री ज्ञान प्रकाश ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है, यदि प्रश्न के उत्तर में इसका सही तरीके से सार दिया गया है–वह सही है या जो कुछ श्री एंटनी कह रहे हैं, तथा जिसके आधार पर उन्होंने त्याग पत्र तक दे दिया, वह सही है।

महोदय, हमें अब क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि यह आपका काम नहीं है, श्री शुक्ल के कहने का यही अर्थ है कि यह प्रशासनिक मामला है। प्रशासनिक प्रतिवेदन का अर्थ है कि सरकार

में जो कुछ हो रहा है, मंत्रियों, विभागों अधिकारियों, सचिवों द्वारा सरकार के अन्दर जो कार्यवाही की जाती है। इन सभी मामलों को "प्रशासनिक मामले "नामक संक्षिप्त शीर्षक के अन्तर्गत समेट दिया गया है और यह समिति इन्हीं मामलों को देखती है और इसलिए प्रतिवेदन सभापटल पर नहीं रखा जा सकता है।

हमें यह भी बताया गया था कि प्रतिवेदन देने में कुछ कठिनाई है क्योंकि कतिपय अधिकारी तथा व्यक्ति, जिन्होंने साक्ष्य दिया था, अपने नाम तथा अपनी पहचान सार्वजनिक किया जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब, जो कल हुआ उसके बाद जब हम पुनः इस प्रश्न के उत्तर में श्री भुवनेश चतर्वेदी ने कहा उसे देखते और सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बिलकुल भिन्न हुआ है और इसमें कोई शंका नहीं कि श्री शुक्ल उत्तर की उस विषय-वस्तु से अवगत थे जो इस प्रश्न के उत्तर में दी जानी थी। मैं यह नहीं मान सकता कि वह इससे अनभिज्ञ थे। वह जानते थे कि इसके उत्तर में यह कहा जाने वाला है और यह बिलकुल स्पष्ट है कि एक मंत्री जिसे गलत बताया गया है जिसपर गलत आरोप लगाए गए हैं, जिसे गलत अभियुक्त ठहराया गया है, यदि वह सिद्धांतों को मानता है और सम्मानित व्यक्ति है तो वह चुप नहीं रह सकता। इसलिए जैसाकि श्री एंटनी ने कहा है कि उन्होंने अपने अंतःकरण के आधार पर तथा सच्चाई उजागर करने के कारण त्याग-पत्र दिया।

अब, हम क्या करें? इस ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट की क्या विश्वसनीयता रह गई है? मैं यह जानना चाहूंगा। यदि वह इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं जो कि महोदय मैं समझता हूं आप सहमत होंगे कि अब झूठे आरोप कहे जा सकते हैं, जिनके कारण एक प्रख्यात मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। यदि रिपोर्ट में ऐसी बात हो सकती है तो रिपोर्ट में अन्य जो बाते हैं उनपर क्या विश्वास किया जा सकता है? यदि इतना बड़ा झूठ इसमें बोला जा सकता है, तो रिपोर्ट में अन्य सी बातें हो सकती हैं। हमने रिपोर्ट नहीं देखी है, हम नहीं जानते कि इसमें क्या है। लेकिन अन्य लोगों अन्य मंत्रियों, अन्य सचिवों और अधिकारियों के बारें में अनेक बातें हैं, वे भी ठीक नहीं है, सच नहीं हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि शुक्ल जी इस रिपोर्ट को गुप्त क्यों रखना चाहते हैं वे इसे प्रकट क्यों नहीं करते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं इस रिपोर्ट को गुप्त रखना चाहता हूं। मेरे बारे में भरी सभा में गलत कहा गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं इस रिपोर्ट को गुप्त रखना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो दिन से जो चल रहा है, वह क्या है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बात केवल यह है कि हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पर चर्चा हो। माननीय नेता, जो अपने दल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके इस प्रतिवेदन को देखने के बाद और सरकार द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसे गुप्त रखने और दबाए रखने वाली कोई बात नहीं है। यह प्रक्रिया का मामला है। मैं किसी प्रक्रिया का सुझाव दे रहा हूं और माननीय सदस्य किसी अन्य प्रक्रिया का सुझाव दे रहे हैं। केवल यहीं अंतर है और कोई विवाद नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अन्य मामले जो रिपोर्ट से ध्यान में आए हैं जिनमें से कुछ के बारे में श्री वाजपेयी जी ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार सरकार कार्य कर रही थी अथवा नहीं कर रही थी और.....मैं उनसे सहमत हूं...इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि सरकार दोषी है। वास्तव में इससे देश में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा यदि उन्हें यह मालूम हो जाए कि सरकार ऐसी अतिसंवेदनशील और अनिवार्य वस्तु के मामले में इस प्रकार कार्यवाही कर रही है जो लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में इतनी आवश्यक है। यदि सरकार इस प्रकार कार्य करती है जिसमें पूर्ण समन्वय का अभाव है, जहां कार्य करने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसका विभिन्न जिम्मेदार विभागों द्वारा अनुपालन किया जाए। प्रत्येक का अपना अलग दृष्टिकोण है और अपना संकीर्ण विभागीय तौर-तरीका है, जो गलत और बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े देकर लोगों को बहकाते हैं उनमें गलत भावना पैदा करके उनका विश्वास उठाते हैं और सुस्ती का इजहार करते हैं। मैं समझता हूं यह आपराधिक है। यह काफी है। यह सरकार के खिलाफ एक आरोप-पत्र है, यदि सरकार का कार्य करने का यह ढंग है तो वास्तव में यह सरकार के विरूद्ध आरोप--पत्र है। अतः यदि हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है-मुझे ज्ञात नहीं कि यह हमें प्राप्त होगी अथवा नहीं-लेकिन इस रिपोर्ट से निश्चय ही सरकार के गलत रवैये का पता चलता है जो कि सरकार ने इस दिशा में अपनाया है जिससे वर्तमान संकट पैदा हुआ है। जब तक इन चीजों में सुधार नहीं किया जाता, मौलिक रूप में सुधार नहीं किया जाता ऐसे संकट बार-बार आएंगे। मैं इसे संकट कहूंगा। आप देखेंगे आजकल किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है। लोग इसके आदी हो गए हैं, किसी को इस बात की चिंता नहीं है। महोदय, इसलिए जनता को इसे भुगतना पड़ेगा, गरीब अदमी को इसे भुगतान पड़ा, वह इसे अभी तक भुगत रहा है। चीनी के मूल्य जो एक बार बढ़ जाते हैं वह कभी नीचे नहीं आते, इस संकट को देश पर लाद दिया गया। इसलिए इससे किसको लाभ हुआ? किसी को लाभ हुआ है? हमें मालूम होना चाहिए कि इससे किसको लाभ हुआ। चाहे वह बड़े चीनी मिल मालिक हों अथवा थोक चीनी ब्रिकी के व्यापारी हों अथवा कुछ राजनैतिक संरक्षक हों जिन्होंने इसका लाभ उठाया, क्या लोगों को इसका पता नहीं लगना चाहिए? देश को इसका पता नहीं लगना चाहिए?

अतः मैं समझता हूं कि श्री एंटोनी ने ऐसा कदम उठाया है जो न केवल उनके सम्मान और वैयक्तिगत ईमानदारी का परिचायक है बल्कि यह हमें यह देखने और वस्तुपरक ढंग से यह जानने में हमारी मदद करेगा कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट का क्या महत्व है।

महोदय, मैं बैठने से पहले श्री शुक्ल जी से केवल एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि भलाई के लिए कृपया इस प्रकार का रवैया त्याग दें, मैं इसे क्या कहूं समझ नहीं आती यह अड़ियलपना भी नहीं है, यह कहना एक प्रकार से टाल-मटोल वाली बात है कि-"मैं इसे आपके कक्ष में रख सकता हूं। मैं इसे पुस्तकालय में रख सकता हूं लेकिन मैं इसे यहां नहीं रखूंगा। पहले नेतागण इसे देख सकते

हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो सभी सदस्य इसे जाकर देख सकते हैं। यदि इसे पुस्तकालय में रखा जाता है तो आप क्या चाल चलने का प्रयत्न कर रहे हैं? मैं यह समझने में असमर्थ हूं। क्या संसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए?

अब जो बात सामने आई है, रिपोर्ट किसी भी रूप में जिसमें आप चाहते, उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा? प्रतियां बांटी जा सकती हैं अथवा इसे सभा–पटल पर रखा जा सकता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें रिपोर्ट देखने की पूरी अनुमति होनी चाहिए और इसपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। 'हम' से हमारा अभिप्राय केवल इस सभा के सदस्यों से नहीं है, इसका अभिप्राय जनता से भी है। जनता के हितों को अत्यधिक नुकसान हुआ है और जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है? अब भी यदि आपको सभी नामों और अन्य बातें बताने में कोई आपत्ति हैं तो आप इस बारे में सोच सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम इसपर विचार करेंगे क्योंकि इस समय हमारे लिए इस बात पर सहमत होना बहुत कठिन है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है, उनके नाम गुप्त रखे जाएं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : गुप्त रखने वाली कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री भी यहां हों। क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी को श्री एन्टनी की ईमानदारी, तथा उनकी सच्चाई का अत्यधिक आदर करते हैं और निश्चित रूप से मैं नहीं जानता कि वह इससे प्रसन्न होंगे कि मंत्री परिषद् के सभी मंत्रियों में से केवल उसी व्यक्ति ने त्याग–पत्र दिया है। वह महसूस करते हैं कि त्यागपत्र देना इनकी नैतिक अन्तरआत्मा को आवाज है तथा उनका कर्तव्य है। बाकी सभी वहीं हैं जहां वह थे। इसके बारे में किसी और को कोई ख्याल नहीं है। यदि वहां इस प्रकार के लोग हैं, ऐसी मोटी चमड़ी के लोग वहां हैं, तो यह केवल प्रधान मंत्री, जो कि दल के नेता हैं उनपर निर्भर करता है कि वह क्या कार्यवाही करें। लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, महोदय हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह रिपोर्ट पूर्णरूप में, अपने वास्तविक सभा में इस सभा के सभी सदस्यों को अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाया है उस पर जो शरद यादव जी का दृष्टिकोण है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उनकी भाषा दूसरी है वह भाषा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन इसमें दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो एंटनी साहब का इस्तीफा, जो उन्होंने अभी यह कहा है, उनके बारे में जो कहा गया है वह सही नहीं है। उन्होंने बार–बार कैबिनेट, मंत्रिमंडल को बताया है कि चीनी की क्या स्थिति है, कितनी कमी है। दूसरा, पिछली बार जब माननीय कल्प नाथ राय जी ने यहां भाषण दिया तब उन्होंने भी यही कहा कि हमने बराबर यह खबर कैबिनेट को दी कि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चीनी की कमी होगी और हमें चीनी मंगाने की जरूरत होगी इसलिए चीनी मंगाई जाए। तीसरा, अभी जो अटल जी ने कहा और कैबिनेट सैक्रेटरी ने यह कहा कि मैंने प्रधान मंत्री जी को बार–बार कहा कि चीनी की कमी होगी, ऐसे तीन बयान हैं। दूसरी तरफ वह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि कोऑर्डीनेशन नहीं था, मंत्रिमंडल को मालूम नहीं था तथा प्रधान मंत्री जी को मालूम नहीं था। यह भी कहा गया कि जो कीमतों के ऊपर कैबिनेट की कमेटी है उसमें इस पर चर्चा हो।

महोदय, हम लोगों को जो थोड़ी बहुत संसदीय प्रणाली की जानकारी है कि अगर कैबिनेट की कोई कमेटी कोई रपट देती है या कोई विचार करती है तो इस मंत्रिमंडल में सारी केबिनेट को न बताया जाता हो लेकिन प्रधान मंत्री जी को तो उसकी रिपोर्ट होती ही होगी? यह कहना कि प्रधान मंत्री जो को इसका ज्ञान नहीं था, यह बात कुछ समझ में नही आती है। इसीलिए जो बात शरद यादव जी ने कही तो वह संदेह ज्यादा गंभीर हो जाता है कि किसी व्यक्ति को, जो इसकी जड़ में है, जो सारी परिस्थिति पर पर्दा डालना चाहता है उसको इस रिपोर्ट में बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने से पूर्व वर्तमान कैबिनेट सचिव जो अभी मंत्रिमंडल सचिवालय में है, हमारे खुराक मंत्री, सिविल सप्लाई मिनिस्टर है, इन तीनों का बयान है, जो ज्ञान प्रकाश कमेटी की राय है उससे कुछ भिन्न मालूम पड़ता है। इसलिए आपने सही सवाल उठाया है उनकी हम आलोचना नहीं करते लेकिन कहीं–कहीं उनके मन में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से वह सही बात तक नहीं पहुंचते।

महादय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर इसी सदन में एक मंत्री ने बयान दिया है या प्रश्न का उत्तर दिया है।..... **(व्यवधान)** उस अनस्टार्ड प्रश्न से उस रिपोर्ट को सदन से छिपाने का क्या औचित्य है और अगर उस रिपोर्ट को छिपाएंगे तो वह कब तक छिपेगी, आज नहीं तो कल कोई मेम्बर लाकर इसी सदन के सामने उस रिपोर्ट को रखना चाहेगा तो सदन कैसे रोक सकता है या उसको कोई ले करके प्रेस में जा करके ऑथेंटिकेट करके, प्रेस कांफ्रेन्स करेगा तो क्या होगा। मैं अपने मंत्री महोदय, अपने परम मित्र विद्याचरण शुक्ल जी से कहूंगा कि बहुत हो चुका, कितने दिनों तक अपनी दुर्दशा कराओगे और संसदीय प्रणाली की दुर्दशा कराओगे। उस समिति की रिपोर्ट को अगर आप रख देंगे तो कम से कम बहुत से लोगों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हां, अगर कहीं ऐसा है कि सबको साथ ही इस्तीफा देने का डर हो तो जरूर आप छिपा सकते हैं। एक ही कारण उस रिपोर्ट को इस सदन में नहीं रखने का होगा कि कहीं इशारा उस तरफ न हो जिस तरफ से सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ सकता है और मैं जब यह कहता हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि प्राइसिस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगर प्रधान मंत्री का सचिवालय कहे और प्रधान मंत्री जी कहें कि उनको ज्ञान नहीं था तो यह बात न दुनियां में कोई मानेगा, न इस देश में कोई मानेगा। इसलिए महोदय, मामला ज्यादा गंभीर है, या तो उस गंभीरता को लेते हुए हम उसके अनुसार कार्यवाही करें या नहीं, एक दिन, दो दिन ऐसे ही सदन को चलाते रहें और छिछालेदार होगी। समिति की रिपोर्ट भी आएगी, पर्दाफाश भी होगा। आप लोगों के मुंह पर और कालिक लगेगी, आपके मुंह पर कालिक लगे इसकी कोई चिन्ता नहीं है लेकिन संसदीय प्रणाली

के ऊपर जो यह गहरा आघात लगने वाला है, अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसमें कुछ हमारी मदद कर सकें तो इस आघात को लगने से बचाइए, यह मामला अब छिप नहीं सकता। जैसे इन्द्रजीत जी ने कहा है कि मामले तो अब सामने आने वाले हैं, जितनी देर करेंगे उतनी ही ज्यादा छिछालेदार होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री ए.के. एंटनी साहब को बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह नहीं मालूम कि और कौन–कौन से मंत्री इस्तीफा देंगे, लेकिन यह रिपोर्ट अगर हम लोगों के सामने नहीं आती है तो हो सकता है कि कुछ निर्दोष मंत्री भी हमको दोषी नजर आएं और असल में जो लोग दोषी हैं, वे अपने को बचाने में कामयाब हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि सरकार इस मामले में इस सदन को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश अभी तक कर रही है, इस कोशिश को सरकार अभी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल एक प्रश्न के उत्तर के कुछ मुद्दों की तरफ माननीय नेता, विरोधी दल ने ध्यान दिलाया है, जिसका आखिरी वाक्य है–

[अनुवाद]

"रिपोर्ट को सभापटल पर रखना आवश्यक नहीं है।"

इसके पहले का वाक्य है–

> ज्ञान प्रकाश द्वारा की गई सिफारिशों की जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। उस समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1994 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।"

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथ में रिपोर्ट है, सारी नौकरशाही इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है, नौकरशाहों के हाथों में रिपोर्ट जाने से न गुनहगारों को परेशानी होनी है, न इस समूचे कांड से जुड़े हुए लोगों की बदनामी होनी है, लेकिन देश की इस सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों के हाथों में अगर वह रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर उससे कुछ लोगों को खतरा है और कुछ लोगों की बदनामी होनी है। यह जो सरकार का तर्क है, इससे बढ़कर इस सदन का अपमान दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष जी, जब यह मामला आपके हाथों में भी किसी ने किसी रूप में है ही और कितना भी आप इसके बारे में कहें .....।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं कानूनी मुद्दा बिलकुल स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि इसे बार–बार न दोहराया जाए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उस मायने में नहीं कह रहा हूं, सदन की गरिमा की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल आप यहां नहीं थे। मैंने इसे बिलकुल स्पष्ट किया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उस मुद्दे पर नहीं हूं, मैं केवल यहां तक हूं कि सदन की गरिमा बचाए रखने का काम आपके हाथ में है, जब इस सदन के सदस्यों को यह कहा जा रहा है कि नौकरशाही जो चीज देख सकती है, उसको देखने के लायक आप नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, विनिर्णय यह है तथापि यदि कोई मंत्री इस आधार पर इसे सभा पटल पर रखने में इन्कार करता है कि यह जनता के हित में नहीं होगा तो अध्यक्ष मंत्री महोदय को इसे सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।"

मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट किया था।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि यह जनता के हित में है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री जी ने कहा है कि हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में बहस कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मगर जब सदन की गरिमा का सवाल है, वह आपके हाथ मे है, उस पर जो फैसला लेना है, वह आप लीजिएगा, लेकिन जब मंत्री एक तरफ जबानी तौर पर कहते हैं कि हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ जो बात सदन की गरिमा से जुड़ी हुई है, वह यह कि नेताओं को तो हम रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदस्यों को दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या इस सदन में नेताओं और सदस्यों की स्थिति में अंतर है?

श्री शरद यादव : स्पीकर साहब के चैबर में सबको दिखाने के लिए कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आप सरकार को एक बार स्पष्ट कहें कि रिपोर्ट को सदन के सामने पेश करना चाहिए, फिर आपकी बात मानी जाए या न मानी जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ऐसा कहना होगा तो कहूंगा, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि आपको ऐसा कहना चाहिए।

[अनुवाद]

मुझे अपने स्व–विवेक का इस्तेमाल करने दीजिए। मैं आपके स्व–विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपसे आग्रह तो कर सकता हूं, यह तो मेरा अधिकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी एक प्रक्रिया है, नियम है। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और आप दो दिन से बिना जानकारी प्राप्त किए सभा की कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं। यदि आप नियमों का पालन करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, अभी जो इनफॉरमेशन मिली है, उसको लेकर ये सारे सवाल उठ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा हूं।

[अनुवाद]

आपकी सहायता के लिए नियम हैं। आप नियम खोजिए, देखिए, आपको इसका हल मिल जाएगा। परन्तु आप नियम नही खोज रहे हैं, आप अपनी मदद के लिए और लोगों से कह रहे हैं। जबकि माननीय सदस्य ने एक अतारांकित प्रश्न पूछकर वह सभी जानकारी ले ली जो उन्हें चाहिए थी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले ही दिन मैंने यही बात कही थी। यदि आपकी इसमें इतनी ही रूचि थी तो आपने प्रश्न क्यों नही उठाया। उन्होंने प्रश्न पूछा और जानकारी प्राप्त कर ली।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कहां इंफॉर्मेशन मिली? यह तो बताने का काम हुआ। इंफॉर्मेशन मिली होती तो सारा विवाद क्यों होता। मेरा इस मामले मे दूसरा पाइंट यह है कि कल एंटनी साहब का इस्तीफा हो गया। उसके बाद इस विषय को लेकर टीका–टिप्पणी होने लगी, उसमें हम देख रहे हैं कि भूतपूर्व केबिनेट सचिव सैफुल्लाह साहब ने अपनी तरफ से इस कमेटी को भेजे गये पत्रों की सार्वजनिक तौर पर चर्चा की है। उन्होंने चर्चा करते हुए दो–तीन बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने यह कही है कि इस समूचे मामले को लेकर उनके पास जो भी दस्तावेज थे, उन पर 6 मीमो बनाकर उनको उन्होंने ज्ञान प्रकाश के हाथों में देने का काम किया है।

दूसरा उन्होने यह कहा है कि केबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेज और [illegible] मीटिंग के मिनिटस उन्होंने प्रधान मंत्री [illegible] के नाम पर यानि प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव [illegible] मार्क [illegible] को देने का काम किया [illegible] में उन्होंने कहा है कि यह इसलिए किया था कि उनकी जो जिम्मेदारी है प्रधान मंत्री को सारी जानकारी देने की, उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है।

तीसरा उन्होंने कहा है कि इससे सम्बन्धित तमाम कागजातों को मैंने अपने पद पर रहते हुए यह विवाद शुरू होते ही प्रधान मंत्री के दफ्तर में उनके प्रधान सचिव के हाथों में भेजा है। अध्यक्षजी, आपने एक बात कही कि उस व्यक्ति का नाम यहां लिया जा रहा है, उस रिपोर्ट पर टिप्पणी हो रही है, जो अपने बचाव के लिए यहां मौजूंद नहीं है। अब एक और वजह है जिसके लिए यहां रिपोर्ट आनी चाहिए। क्योंकि एक भूतपूर्व केबिनेट सचिव जो अखबारों के जरिये बता रहा हो कि हमने अमुक–अमुक जानकारी श्री ज्ञान प्रकाश को दी थी, कल इस सदन में एक प्रश्न का जवाब आया, उसमें यह बात बताई जाती हो कि

[अनुवाद]

खाद्य मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा कैबिनेट सचिव इस मामले को मंत्रिमण्डल या प्रधान मंत्री के नोटिस में नहीं लाए।

[हिन्दी]

अध्यक्षजी, इससे बढ़कर और कितना बड़ा जुल्म हो सकता है? भूतपूर्व केबिनेट सचिव आज सार्वजनिक तौर पर कह रहा है, अखबारों में उसकी बात छप रही है कि ये सब चीजें हमने दे दी हैं, ज्ञान प्रकाशजी कह रहे हैं कि नहीं हमारी फाइंडिंग यह है कि केबिनेट को, प्रधान मंत्री को कमेटीज की कोई जानकारी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : यह कैसे हो सकता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार कैसे चल रही है, थोड़ा–बहुत हम लोग भी ज्ञान रखने वाले हैं, यह एक अलग बात है। जब यह बात रिपोर्ट के तौर पर आ जाती है, सदन गुमराह होता है, दो प्रकार की राय देश के सामने आ गई है। हम लोग यहां पर रिपोर्ट मिले, रिपोर्ट मिले इस बात को लेकर बहसें कर रहे हैं। सदन की अवहेलना हो रही है, देश के साथ मजाक हो रहा है।

सरकारी पार्टी खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई है, यह उनका हक है, उसको हम छीनना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बचाने के लिए सारी पार्टी को बर्बाद करना, यह संकल्प हो तो कुछ बड़े प्रश्न उठ जाते हैं। किसको ये लोग बचा रहे हैं? यह रिपोर्ट हमारे सामने आये या नहीं आये, यह विद्याचरण शुक्लजी तय करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप तो प्रधान मंत्री से आदेश लेकर अपनी बात को रख रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कई बार इस बात को साफ कर चुका हूं कि रिपोर्ट सदन के पटल पर इसलिए नहीं रखी जा रही है उसका केवल एक ही [illegible]रण है।

1.00 म.प.

कि इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्कवायरी होती है या एक्जीक्यूटिव इन्कवायरी होती है उसकी

रिपोर्ट सदन में कभी नहीं रखी जाती है। मेरा या प्रधान मंत्री का कोई मतलब नहीं है। यहां तो पुरानी परम्परा चली आ रही है। उसके अनुरूप इस बात को कह रहा हूं। इसके अलावा और दूसरी बात नहीं है। आप इस बात को जानने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह कोई प्रशासनिक जांच नहीं है। कृपया इस रिपोर्ट को एक साधारण रिपोर्ट मत समझिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है कि श्री शुक्ल जी ने कहा कि हमारी पुरानी परम्परा रही है कि इस प्रकार की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी जाती है। तो आप अभी उठिये और प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर इसको सार्वजनिक करिये और हम इसको अथंटिकेट करके यहां रखेंगे। आपकी हर समस्या के हल का उपाय है। मैं आपके शब्दों पर जा रहा हूं, इसलिये इस प्रकार के शाब्दिक तर्कों में क्यों फंस जाते हैं? आप जाइये और प्रेस कांफ्रेंस बुलाइये और हमें अपना काम यहां पर शुरू करने दीजिये। आप क्यों सदन के काम को रोक रहे हैं, क्या आप लोगों का इरादा है कि हाऊस काम नहीं करे? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो भूमिका इस सदन में हमको दिखाई दे रही है, इसके पीछे प्रधान मंत्री का अपना फैसला है, हम इसलिये जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह गलत है, जो कुछ भी यहां पर, सभा में हो रहा है, उससे प्रधान मंत्री का कोई संबंध नहीं है। मैंने एक घटना, एक परम्परा का उदाहरण दिया है जिसका सतत हमारी सभा में अनुपालन किया जाता है। मैं बार-बार इसे दोहराता रहा हूं और इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। हम केवल एक परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं जो कि 1952 से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, कृपया नियम 370 को देखें। उसके अनुसार

"यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो साधारणतया उस राय या परामर्श वाले संगत दस्तावेज या दस्तावेज के भाग या उसके संक्षेप को वह पटल पर रखेगा।"

यह है नियम 370 जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। श्री भुवनेश चतुर्वेदी द्वारा दिया गया उत्तर, श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा दी गई रिपोर्ट-जो ज्ञान प्रकाश समिति प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, पर आधारित थी। नियम के अन्तर्गत मंत्री महोदय को प्रतिवेदन साधारणतया सभा-पटल पर रखना होता है। यदि कोई असाधारण स्थिति हो, तो केवल अध्यक्ष महोदय ही यह कह सकते हैं कि स्थिति असाधारण है जिसके अन्तर्गत मंत्री महोदय रिपोर्ट का रहस्योद्घाटन नहीं कर सकते। इसलिए, अध्यक्ष महोदय निर्णय आपको करना है। मैं नियमों को कभी नहीं पढ़ता। परन्तु मुझे पिछला थोड़ा बहुत याद है। मैंने सोचा कि कुछ इसी प्रकार का नियम है। अब सामान्यतः मंत्री महोदय को रिपोर्ट सभा को देनी होती है। यदि कोई असाधारण स्थिति हो तो यह पीठासीन अधिकारी, अर्थात यह कहना आप पर निर्भर करता है कि उससे देश की सुरक्षा या अन्य कोई गंभीर मामला जुड़ा है। परन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बचाना कोई तो असाधारण स्थिति नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने से इन्कार करे। यही मेरा कहना है। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप साधारण शब्द से क्या तात्पर्य ले रहे हैं?

श्री चन्द्र शेखर : 'साधारणतया' शब्द से मेरा अभिप्राय है कि यदि कुछ भी 'असामान्य' न हो।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह कहां पढ़ा है कि अध्यक्ष मंत्री को बाध्य कर सकता है।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने यह नहीं कहा कि आप मंत्री महोदय को बाध्य करें। स्थिति चाहे सामान्य हो या असामान्य, निर्णय किसको लेना है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह पढ़कर सुना दिया है कि यदि किसी मंत्री द्वारा कोई दस्तावेज सभापटल पर नहीं रखा जा रहा तो अध्यक्ष उसे वैसा करने पर बाध्य नहीं करेगा। यदि आपने मुझे नियम पढ़कर सुनाया है तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि उस नियम के किस भाग में यह लिखा है कि अध्यक्ष सरकार को प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है। आपने नियम के किस भाग का उद्धरण दिया?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष सरकार को इस नियम का अनुपालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि वे इसका अनुपालन नहीं कर रहे तो वह ऐसी कौन सी असाधारण स्थिति है जिसके कारण वे इस नियम का पालन नहीं कर रहे? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसका कारण बताएं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने बड़ी सावधानीपूर्वक यह बात कही है। और आप यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष द्वारा सरकार को ऐसा करने के लिए कहा जाना चाहिए। मैं इसको पढ़ूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने आपको सभा को यह बताने के लिए कहा था कि ऐसी कौन सी असाधारण स्थिति है जिसके कारण वे ऐसा नहीं कर रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें स्पष्ट करने के लिए पूछिए।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। मैं सीधे उनसे नहीं पूछ सकता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि मैं अपनी सीमाओं को बहुत भलीभांति जानता हूं। मैं उन्हें नहीं पूछ सकता। यदि मेरे पास उन्हें पूछने का

अधिकार होता, तो मैंने अभी तक उन्हें बर्खास्त कर दिया होता। यह मेरा प्राधिकार नहीं है। ..... **(व्यवधान)**

मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि यह नियम है।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न मान लिया गया है कि आप मेरे द्वारा पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं या श्री जार्ज फर्नांडीज भी पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से इनसे जानना चाहते हैं कि क्या वह विशेष परिस्थिति है कि जिसको लेकर वह इस रिपोर्ट को यहां पर नहीं रख सकते हैं? हमारी बात पूरी होने से पहले ये बीच में जवाब दे दें तो आसान हो जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं बार-बार इस बात को कहा चुका हूं और कारण कई बार बता चुका हूं कि किस कारण से यह रिपोर्ट सभापटल पर नहीं आ सकती। मैंने यह नहीं कहा कि इस रिपोर्ट को हम लोग गुप्त रखना चाहते हैं या माननीय सदस्यों को नहीं दिखाना चाहते हैं। केवल यही बात मैं कह रहा हूं कि यह रिपोर्ट सभापटल पर नहीं आ सकती और इसके अलावा इस रिपोर्ट को गुप्त रखने का कोई सवाल नहीं है और जैसा कि कहा गया, कल लोक सभा में जो एक लिखित उत्तर था, उसके आधार पर इस रिपोर्ट का सारांश दे दिया गया है और माननीय सदस्यों को यह पूरी स्वतंत्रता है कि जब चाहे या तो मेरे कमरे में या आपके चैम्बर में आकर इसको देखें। इससे बहस में सफाई हो जाएगी। सरकार की तरफ से एक विस्तृत वक्तव्य आएगा। हम चाहते हैं कि देश की जनता इस बात को पूरी तरह समझ ले कि तरह-तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह स्थिति दूर करना आवश्यक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जल्दी इस मामले पर सदन में बहस होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे इतना कहना है कि मंत्री जी के उत्तर का कोई मतलब नहीं है। ये उसी बात को कह रहे हैं, इसलिये मैं विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर भ्रम फैल रहा है तो भ्रम आप लोगों ने फैलाया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : मैं इसको मजाक में नहीं कह रहा हूं। यदि कोई नियम है और सरकार द्वारा उसका पालन किया जाना है तो यह उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है। आप यह नहीं कह सकते कि "आपको मंत्री महोदय से पूछना चाहिए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही आपको पूछा है। मैंने यह पूछा कि इस रूल का कौन सा अंश बताता है कि स्पीकर यह कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : नियम यह कहता है कि सरकार को इस नियम का अनुपालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः।

श्री चन्द्र शेखर : यदि सरकार उसका अनुपालन नहीं करती, तो क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः यदि वे उसका पालन नहीं करते तो यह उनके स्वविवेक की बात है। ठीक यही मैंने कल पढ़कर सुनाया था। मैं फिर से आपको पढकर सुना देता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। कल मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया था।

"अधिकांश दस्तावेज सांविधिक या संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत अथवा प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में सभा पटल पर रखे जाने आवश्यक हैं। अन्य दस्तावेजों के मामले में मंत्रियों को अपने विवेक का उपयोग करना होता है कि दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाए अथवा नहीं या सरकार को यह विनिश्चय करना होता है कि किसी विभागीय या किसी विशिष्ट समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाए या नहीं। जब भी सदस्यों द्वारा ऐसे किसी प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का सुझाव दिया गया अध्यक्ष ने सरकार का कोई भी निर्देश देने से इन्कार कर दिया है। और फिर, यदि कोई मंत्री इस आधार पर इसे सभा पटल में रखने से इन्कार करता है कि इसका प्रस्तुत किया जाना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो सकता है, तो अध्यक्ष उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वह संविधान के तथा नियमों के अनुसार है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कल मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। यदि कोई दस्तावेज है तो संविधान के अनुसार उसे सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है। मैं उन्हें यह कह सकता हूं कि यह संवैधानिक प्रावधान है तथा आप ऐसा कीजिए। यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जिसे सांविधिक तौर पर सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है तो मैं उन्हें उसके लिए बाध्य कर सकता हूं। अब यदि कोई दस्तावेज नियमों के अनुसार है तो मैं उन्हें बाध्य कर सकता हूं और यदि सरकार को यह निर्णय लेने के लिए उन्हें स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है कि उसे सभा पटल पर रखा जाए या नहीं, तो मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नहीं, महोदय। परन्तु नियमों के अन्तर्गत ऐसा है।

अध्यक्ष महोदय : "सामान्य" शब्द दिया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अन्तिम पंक्ति में यह कहा गया है कि यदि मंत्री महोदय इस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से इन्कार कर देते हैं कि ऐसा करना जनहित में नहीं है, तो आप उन्हें सभा पटल पर रखवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए। कृपया आप बैठ जाईए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अन्तिम पंक्ति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा हूं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। कृपया आप समझने की कोशिश कीजिए। नियमों के बिना भी यदि अध्यक्ष समझता है कि ऐसा किया जाना चाहिए तो वह वैसा निदेश दे सकता है। परन्तु मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रावधान ऐसा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया यदि आप अन्तिम पंक्ति देखें ...

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझसे पूछ–ताछ कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको स्थिति स्पष्ट करूंगा। सरकार द्वारा लिया गया निर्णय यह है कि प्रतिवेदन नेताओं को दिखाया जाएगा; संसदों को दिखाया जाएगा और उस पर वाद–विवाद होगा। जबकि वाद–विवाद होगा तथा सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाना है और यदि वह रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, तो सदस्यों ने उसको देखा है वे इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि रिपोर्ट में ऐसा है और ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, तब सरकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा है कि जो वे कह रहे हैं, वह सही है। अब हम तो परछाईं से लड़ रहे हैं। अब यह प्रतिवेदन सभी नेताओं को उपलब्ध हो जाएगा, सभी सदस्यों को यह उपलब्ध हो जाएगा। आपको यह मिलने वाला है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभी सदस्यों तथा सभी नेताओं को रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। वे वक्तव्य देने जा रहे हैं। इस पर वाद–विवाद होगा। आप किसलिए झगड़ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस सभा में यह प्रचलन होता जा रहा है कि जब आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, आप अध्यक्ष की सहायता लेने का प्रयास करते हैं। आपको स्वयं यह करना चाहिए। आप पुस्तकों की मदद से स्वयं ही तर्क कीजिए। आप अध्यक्ष से इसमें हस्तक्षेप करने को क्यों कह रहे हैं? जब अध्यक्ष स्वयं हस्तक्षेप करने की जरूरत समझेगा, वह हस्तक्षेप करेगा। परन्तु, आप मुझसे क्यों कहते हैं। आप स्वयं अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आपने अभी जो बात कही कि

[अनुवाद]

प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा...

[हिन्दी]

... अगर मंत्री जी रिपोर्ट को सभी सदस्यों को देने के लिये तैयार हों तो आप मामले को आगे मत बढ़ाइये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब का जो कहना है, उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

यह सभी को उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : रिपोर्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, चूंकि आपने कहा है कि

[अनुवाद]

रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ...

[हिन्दी]

यदि सभी सदस्यों को रिपोर्ट देने के लिये मंत्री जी तैयार हैं. ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप 'सीन' और 'मेड अवेलेबल' इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लें, दोनों में बहुत अंतर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह बात ठीक है लेकिन, अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार की नियत पर सीधी शंका है। सरकार के इसमें जो इरादे हैं, वे गलत हैं और मेरा यह आरोप है कि प्रधान मंत्री के आदेश पर इस रिपोर्ट को आज सदन को देने में आप हरकत कर रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बिल्कुल गलत है।

[अनुवाद]

मैं इसका जोरदार खण्डन करता हूं।

[हिन्दी]

मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रधान मंत्री सदन के नेता हैं, प्रधान मंत्री सरकार के सबसे बड़े आदमी हैं, उनकी मर्जी पर सारी कैबिनेट चलती है और आप मुझे कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप यहां नियमों के आधार पर हाउस को चलाना चाहते हैं, दो दिन से सदन बंद है और आज इस विषय पर बहस यहां चल रही है।

सारे देश के सामने अलग–अलग बातें आ रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि ये रिपोर्ट दें और रिपोर्ट के बारे में इस तरह की हरकत हो, तो हम मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री हटें, ताकि उनकी सरकार भले ही न बचे, लेकिन उनकी पार्टी बची रहे। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : हां, आपको हमारी पार्टी को बचाने की बड़ी चिन्ता है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : क्या प्रधान मंत्री के आदेश पर इस रिपोर्ट को सदन को नहीं बताया जा रहा है? **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, मैंने पचास बार यह बात कही है कि हमारी परम्परा है, उसको हम नही तोड़ना चाहते ।

मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं आप जरा ध्यान से सुन लें। मैं इस बात को बार–बार नहीं कहना चाहता हूं। यह जो परम्परा रही है, यह उस वक्त भी थी जब माननीय मोरारजी भाई देसाई इस देश के प्रधान मंत्री थे। यह परम्परा उस समय भी रही है जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधान मंत्री थे और यह परम्परा उस समय भी रही है जब माननीय विश्वनाथ सिंह जी प्रधान मंत्री थे। यह परम्परा किसी भी सरकार द्वारा, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, कभी नहीं तोड़ी गई है और मैं नहीं चाहता कि यह परम्परा अब तोड़ी जाए। इस परम्परा को, स्वस्थ परम्परा के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वस्थ परंम्परा के रूप में बनाकर रखा गया है। इसलिए इस परम्परा को तोड़ने का काई प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग इस परम्परा को तोड़ने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है विपक्ष किस बारे में भयभीत है। वे ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन पढ़ने से डरते क्यों हैं? भारत सरकार ने पूरा प्रतिवेदन बिना किसी संशोधन के, बिना कांट–छांट के, यहां तक कि सम्बन्धित अधिकारियों के नाम प्रकट करने के लिए किसी प्रतिबंध के बिना प्रथम, इस सभा के प्रत्येक सदस्य को और दूसरे, इस सभा में दलों के नेताओं को, जिनके जरिए, मुझे पक्का विश्वास है, समूची प्रेस तथा पूरे देश को यह ठीक–ठीक मालूम हो जाएगा कि उस प्रतिवेदन में क्या लिखा है, उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

हम इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने को आमन्त्रित कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर यहां चर्चा कराने का हमारा सारा प्रयास श्री इंद्रजीत गुप्त तथा उनके मित्रों के खैये के कारण दो दिन तक असफल रहा। विपक्ष की इस जिद के कारण कि जब तक उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया, जो कि इस सभा की परम्पराओं के विरूद्ध है, का पालन नहीं किया जाता है, तब तक वे आपके कक्ष में जाने तथा उस रिपोर्ट को पढ़ने को भी तैयार नहीं है जो उन्हें उपलब्ध करायी जाएगी। ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने में संसद सदस्य के रूप में अपने अधिकारों को कम करने का मैं पुरेजोर विरोध करता हूं। यहां हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस पर चर्चा करना चाहता है। हमें इसपर सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं करने दी जा रही है क्योंकि विपक्ष प्रतिवेदन प्रस्ताव प्राप्त करने की उस प्रक्रिया पर जोर दे रहा है जो, जैसा कि श्री इंद्रजीत गुप्त ने कल कहा था, वास्तव में उस प्रक्रिया से कतई भिन्न नहीं है जिसकी हम सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए मैं विपक्ष के अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे हमें इस प्रतिवेदन को देखने तथा इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज हमारी दो मांगें हैं। पहली यह है कि रिपोर्ट को इस प्रकार रखा जाए कि जनता ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यदि इसे कक्ष में रखा गया तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि इसे ग्रन्थालय में रखा जाए या यदि आप इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं, जैसाकि नीतितः किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रतिवेदन के आधार पर एक कैबिनेट मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और संकट उत्पन्न हो गया है तथा अन्य अनेक मंत्री त्यागपत्र देने की पेशकश कर रहे हैं– मुझे नहीं पता किस आधार पर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, यह एक सार्वजनिक मामला है तथा पूरी सरकार घोटाले में फंसी है। प्रतिवेदन के आधार पर ..... **(व्यवधान)** हां, इसकी एक झलक मिल गई है। यह केवल वित्तीय घोटाला नहीं है। यह पूर्णतया एक प्रशासनिक घोटाला है। कल दिए गए वक्तव्य के तथ्यों के आधार पर यही सिद्ध होता है। अब, यह रिपोर्ट जैसा हमें बताया गया था कि इसमें जैसा कि पूरी सच्चाई है, यह उसके विपरीत है, इसमें केवल आधी सच्चाई है। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : प्रतिवेदन को देखे बिना वह इस पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकता जो इस सभा का सदस्य नहीं है, जिसका इस देश में कोई प्राधिकार नहीं है, जो कि भूतपूर्व पदधारी है। मुझे दूसरी सभा के सदस्य का विश्वास है जो सरकार में रह चुके हैं। वह कहते हैं कि उनपर गलत आरोप लगाए गए हैं और हमें जानने का अधिकार है। अब, आज वह रिपोर्ट इस सभा में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। श्री एन्टनी को अवश्य आना चाहिए तथा वक्तव्य देना चाहिए। दोनों ही काम किए जाने चाहिए, उसे पढ़ा भी जाना चाहिए तथा सुना भी जाना चाहिए और तब हम निर्णय लेंगे। आगे और किसी समिति की भी आवश्यकता नहीं है। मामले की गहराई में जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समझ है। एक षडयन्त्र चल रहा है। मैं श्री ज्ञान प्रकाश का चयन कैसे किया गया तथा क्यों किया गया, इस सम्बन्ध में इसके बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहा या इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। परन्तु हमें यह देखकर आश्चर्य है कि आप भयभीत हैं और हमें भी भयभीत हैं कि जब श्री शरद यादव कतिपय बातें कहतें हैं तो कोई मंत्री उत्तेजित हो जाएगा। श्री एन्टनी के इस अच्छे कार्य से अनेक व्यक्ति प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं जिन पर कई समितियों ने आरोप लगाये हैं? वे अपने स्थान से चिपके हुए हैं .....**(व्यवधान)** यदि श्री एन्टनी ने कोई अच्छा काम किया है हम उसकी प्रसंशा करते हैं और यदि अन्य लोग जिनका अनेक रिपोर्टों में तथा ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट में भी नाम लिया गया है। वे लोग उनका अनुसरण यदि नहीं करते हैं तो उन्हें निकाल बाहर किया जाना चाहिए। यदि हम लोकतन्त्र तथा राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो उन्हें निकाल बाहर करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, श्री एन्टनी के त्याग–पत्र से एक नई और गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। श्री एन्टनी ने प्रेस के समक्ष कहा है कि उन्होंने अपने अन्तःकरण के अनुसार कार्य किया है..... **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि इससे श्री एन्टनी का सम्मान और बढ़ गया है, लेकिन मंत्री महोदय जो कि इस मामले में सीधे संबद्ध हैं उन्हें स्वरूथ संसदीय परम्पराओं के हित में ऐसा अवश्य करना चाहिए। रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखने का कोई वैध कारण नहीं है। ..... **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : सावधान रहिए। आप अपनी विधान सभा में क्या करते हैं? आप अपने मुख्य मंत्री से पता लगाएं कि आपकी विधान–सभा में क्या किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : सरकार प्रशासनिक रिपोर्ट के अन्तर्गत इसका सहारा नहीं ले सकती। ..... **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : हमें अवश्य ..... **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, वह इस मामले से अलग जा रहे हैं। .....**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : हम चाहते हैं कि यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो कि अपनाई गई थी। .....**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, इस सभा में इस प्रकार की मांग नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, तमिलनाडु विधान सभा के किसी भी प्रकार से उल्लेख को निकाल दिया जाना चाहिए। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा वहां किया जा सकता है, लेकिन यहां नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी.जी. नारायणन : इसे प्रशासनिक रिपोर्ट मानकर सरकार इसमें बच नहीं सकती क्योंकि मेरा निवेदन है कि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट कदाचित प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं है क्योंकि विभागीय जांच अथवा प्रशासनिक जांच का अभिप्राय है कि यह एक वर्तमान सरकारी कर्मचारी के अधीन गठित की जानी चाहिए। लेकिन ज्ञान प्रकाश समिति का मामला बिलकुल भिन्न है। उन्हें बाहर से लाया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति का गठन सभा में सरकार द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन पर किया गया है। अतः इस मामले में, यह सभा की सम्पत्ति बन गया है। जब यह सभा की सम्पत्ति बन गया है, तो सरकार को रिपोर्ट को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इसे सभा के अवलोकनार्थ सभा पटल पर अवश्य रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट चाहता हूं। आपने कल कहा था कि संक्षेप में बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके गले का ख्याल कर रहा था।

श्री हरि किशोर सिंह : मैंने कल सुझाव दिया था और मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की याददाश्त को ताजा कर रहा था कि 20 साल पहले लाईसैंस स्कैन्डल हुआ था और इसी तरह की स्थिति आ गई थी। उस समय सी. बी. आई. की इन्क्वारी की रिपोर्ट लाईब्रेरी में रखी गई थी। पता नहीं उस संबंध में उनकी यादगार ताजा क्यों नहीं हो रही है।

लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत गौर से सुन रहा था जब इंद्रजीत गुप्त जी के संबंध में लायक दोस्त मणि शंकर अय्यर कुछ कह रहे थे। अध्यक्ष जी, हम इस सदन में इसलिए नहीं आए हैं कि जो इस देश का, इस संसद का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुना गया है, उसको.....*

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बिल्कुल गलत बात है।

[अनुवाद]

ये ऐसे नहीं कह सकते। इस सभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी एक सदस्य को किसी अन्य सदस्य के प्रति अपशब्द कहने की अनुमति नहीं दूंगा। अन्यथा वह भी इसी तरह अपशब्द कहना शुरू कर देंगे.....**(व्यवधान)**

वह वक्तव्य कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : *

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, वह एक माननीय सदस्य को बुरा–भला कह रहे हैं। वह यहां अपशब्द बोल रहे हैं। यह किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : आप संसदीय परम्परा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप पहले मंत्री हैं जो ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे? एक मिनट! यह बहुत अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय मेरा विनम्र निवेदन है कि उसे केवल कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करना ही पर्याप्त नहीं है माननीय सदस्य जिन्होंने यहां एक वर्तमान सहयोगी के प्रति अपशब्द बोले और भला–बुरा कहा है उन्हें सभा से और सदस्य से क्षमा मांगनी चाहिए ..... **(व्यवधान)** यह आवश्यक है। अन्यथा इस प्रकार की बात चलती रहेगी। यह उचित नहीं है। महोदय, मेरा आपसे ऐसा करने के लिए अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : आप हमको परम्परा सिखा रहे हैं .....**(व्यवधान)**

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर जी, कृपया इसे और अधिक नहीं खींचिए। यदि आप किसी अन्य सदस्य को बुरा-भला कहते हैं तो यह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है। इस बारे में सावधान रहिए। मैंने इस संबंध में ठीक ढंग से निपटने का प्रयास किया है।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : मैं इसके परिणामों को झेलने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, वह यह कह रहे हैं कि यह परिणामों को झेलने के लिए तैयार हैं। महोदय, हम एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह कोई तरीका नहीं है जिसमें वह सभा को कुछ समझते ही नहीं। यह कोई तरीका नहीं है ..... (व्यवधान) यह एक बहुत ही गलत तरीका है जिसमें एक सदस्य सभा में जो व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें क्षमा मांगनी होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने क्षमा की मांग की है और हमारी मांग है कि उन्हें सभा से क्षमा मांगनी चाहिए। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह परिणामों को झेलने को तैयार हैं और हम यह देखने को तैयार हैं कि उन्हें परिणाम झेलने पड़े। सभा में इस प्रकार का व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है। सदस्यों से बात करने का यह तरीका नहीं है। .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर जी, कृपया आपको अपने बोलने के तरीके में कुछ परिवर्तन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : संसदीय परम्परा के गौरव की रक्षा के लिए आप जो भी आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर जी, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए, यही काफी है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : यदि सर्वश्रेष्ठ सांसद की मर्यादा पर आघात किया जाता है तो .... (व्यवधान) यह मैं भीतर से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा नहीं करिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मणि शंकर अय्यर जी को भी समझा दीजिए कि बार बार इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें।

[अनुवाद]

कांग्रेस पार्टी में, अन्य माननीय सदस्य भी हैं। श्री मणि शंकर अय्यर ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे और नहीं खीचिए। श्री हरि किशोर जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे शब्द सुनिए –आपको अपनी ओर से खेद व्यक्त करना चाहिए।

अन्यथा, उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर सिंह, आप कुछ कहने से पहले, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे खेद व्यक्त करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से चुनकर यहां उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूं। जनता मुझसे अपेक्षा रखती है कि इस तरह की बात इस सदन में होगी तो भावना को ठेस पहुंचेगी। मैं अपने विचारों को प्रकट करते समय कभी-कभी आवेश में आ जाता हूं। अध्यक्ष जी, आवेश में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, न किसी सम्मानित सदस्य की भावना को ठेस पहुंचाने का है, इसलिए उन लोगों को समझा दीजिए कि यह बात आगे न बढ़े। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है, मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। ...(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए या आप सुनना भी नहीं चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि सदन में काफी गर्म बहस भी हो सकती है, बातों में कटुता भी आ सकती है, मगर कोई ऐसा शब्द किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जाय तो उससे न केवल उस सदस्य को चोट लगती है, बल्कि सदन की गरिमा भी घटती है। मैं समझता हूं कि हरि किशोर जी को यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। मेरी राय में यह शब्द असंसदीय है। ......(व्यवधान)

... आप चुप रहिये न, मैं बोल रहा हूं न।

मेरी राय में किसी सदस्य को .... * कहना असंसदीय है इसलिए मैं यह कह रहा हूं .....(व्यवधान) आप क्या बात करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

........(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री चन्द्रजीत यादव ने बहुत ही शालीनता से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है चूंकि वह सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और दल के नेता हैं, श्री हरि किशोर सिंह जी के लिए यह उचित होगा कि वह यहां खेद व्यक्त करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैं समझता हूं वह ठीक नहीं कर रहे है। मैं श्री हरि किशोर जी को चेतावनी देता रहा हूं कि वह भविष्य में इस सभा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करें। वह दो बार ऐसा कर चुके हैं। तीसरी बार, उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : मेरी चेतावनी देना ही पर्याप्त है। यह एक प्रकार का दंड है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, जब सदस्य सभा में उपस्थित हैं, उनकी ओर से इस प्रकार खेद व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब माननीय सदस्य, जिसने इस सभा की पवित्रता का उल्लंघन किया है, यहां उपस्थित हैं, तब उनके नेता खेद व्यक्त नहीं कर सकते। .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी चेतावनी एक प्रकार का दंड है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक अन्य बात है। उनके दल के माननीय नेता ने अपने विवेक से स्वयं अपशब्द दोहराया था। उसे भी कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री हरि किशोर ने जो भाषा प्रयोग की है उसे भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह कह दिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, आपकी दयालुता में, यदि आप इस बात को समाप्त करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बात पुनः नहीं होनी चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यदि श्री मणि शंकर अय्यर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर ने एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया।

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : इन्होंने 'आब्स्टिनेसी' शब्द का प्रयोग किया है। कृपया रिकार्ड देखिए। वह इसे दूसरे ढंग से कह सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। वह प्रक्रिया संबंधी मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये महत्वहीन मुद्दे हैं। आप इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं?

श्री शोभानद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कुछ ही मिनट पूर्व भी 'कौल और शकधर' से उद्धरण देकर बहुत अच्छा किया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अपनी व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं चाहता। यदि प्रत्येक सदस्य मेरे द्वारा दी गई व्यवस्था पर दर समय टिप्पणी करेगा, तो मैं सभा में अपनी व्यवस्था नहीं दे सकूंगा।

श्री शोभानद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस दस्तावेज पर वह नियम लागू नहीं होता जिसके अन्तर्गत, मंत्री महोदय के अनुसार, उसका प्रकटीकरण सार्वजनिक हित में नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक हित में यही है कि इसे जनता को बताया जाए क्योंकि इससे अब सार्वजनिक हितों को ताक पर नहीं रखा जा रहा। यह कोई ऐसा गुप्त दस्तावेज नहीं है। यह तो इस सभा द्वारा जांच की मांग किए जाने पर तैयार किया गया दस्तावेज है।

दूसरा मुद्दा जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि दो दिन पूर्व भी सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि नियम इसकी अनुमति नहीं देता। परन्तु माननीय चन्द्र शेखर जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नियम किसी भी तरह हमारे रास्ते में अवरोध नहीं पैदा करते।

अन्त में, कल दिए अपने त्यागपत्र में श्री ए.के. एन्टनी ने कहा कि अतारांकित प्रश्न के लिए दिये गए उत्तर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी और उन्होंने चीनी की संभावित कमी तथा चीनी के आयात की आवश्यकता के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय को अनेक बार सूचित किया था।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम यह निश्चित रूप से मांग करते हैं कि इस प्रतिवेदन को कम से कम संसदीय ग्रन्थालय में तो अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि हम सभी सदस्य उसको पढ़ सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपके नेता को बोलने की अनुमति दे दी है। हर बार आप अपनी मर्जी चला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : कहां हम इम्पोज कर रहे हैं? एक दिन तक तो हंगामा ही चलता रहा।

अध्यक्ष महोदय : क्यों हंगामा शुरू किया?

श्री राम विलास पासवान : हंगामा इतना चला कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, हर सदस्य को आपके बार–बार खड़ा होने पर आपत्ति है। मैने अभी तक यह बात नहीं कही थी। परन्तु आज आप मुझे यह कहने पर बाध्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : क्या कम्पैल कर रहा हूं? मैं आपके सामने डाकुमैंट रख रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। आप क्यों डांट रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप मुझे इसके लिए नोटिस दें।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कब?

श्री राम विलास पासवान : 10 बजे से पहले।

अध्यक्ष महोदय : मुझे वह नहीं मिला।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : आपके सैक्रेटर की गलंती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया है तो मुझे खेद है। यदि आपने नोटिस नहीं दिया तो मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, पहले आप देखिए कि आपको मेरा नोटिस मिला है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात कहनी चाहिए थी। यह शून्य काल के बारे में है, दस्तावेज के बारे में नहीं।

श्री राम विलास पासवान : यह शून्य काल ही चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री पासवान, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप कभी-कभी टैम्पर लूज कर जाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे गुस्सा करना ही पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं वही नहीं करता रह सकता। प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है। प्रत्येक सदस्य को आपके बार-बार खड़ा होने पर आपत्ति होती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कोई ऑब्जैक्ट नहीं करता है। आपके कहने का क्या मतलब है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, अपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने नोटिस दिया है। शून्य-काल चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आपने दस्तावेज को सभापटल पर रखने के लिए नोटिस नहीं दिया है।

.....:(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री रावले की भी चिन्ता है। आपने दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने के लिए नोटिस नहीं दिया है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह कोई दलगत मामला नहीं है। यह भ्रष्टाचार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आज, मैं इसकी अनुमति नहीं देने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : निकालिए। कोई मजाक है। करप्शन का सवाल है, आप दूसरा इशु ले रहे हैं, एक मिनट का समय नहीं दे सकते हैं। .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा है कि दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिए आपने नोटिस दिया है। क्या यह सही है?

श्री राम विलास पासवान : जी हां महोदय, मैंने सुबह नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहां है?

श्री राम विलास पासवान : कृपया यह कार्यालय से पता कराईये।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिस आपने दिया है यह शून्य-काल के बारे में है। यह दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने के लिए अनुमति मांगने के बारे में नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, कृपया इसकी जांच कराइये। मैं भी प्रक्रिया जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ज्यादती है। ऐसे लगता है जैसे केवल श्री पासवान को ही हर विषय पर बोलना चाहिए और अन्य किसी व्यक्ति को किसी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : क्या बात करते हैं, करप्शन के सवाल पर हम किसी भी दूरी तक जाएंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हम यह मामला लोगों तक ले जाएंगे। केवल संसद ही सर्वोपरि नहीं है। हम भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं देंगे। **(व्यवधान)** महोदय, आप कृपया मेरा नोटिस क्यों नही पढ़ते?

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं पढ़ रहा हूं। इनके नोटिस में लिखा है :

[हिन्दी]

"नागरिक पूर्ति मंत्री श्री ए. के. एंटनी के इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि चीनी आयात में बड़े पैमाने पर घेटाला हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार सदन में ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट नहीं रख रही है।, अतः इस संबंध में शून्य काल के दौरान मामला उठाने की इजाजत दी जाए।"

[अनुवाद]

यह दस्तावेज को सभा–पटल पर रखने की अनुमति के लिए नोटिस नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसके बावजूद भी सरकार सदन के पटल पर रिपोर्ट नहीं रख रही है–यह क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल शून्य काल के दौरान मामला उठाने के लिए नोटिस है। यह बहुत ज्यादती है। श्री पासवान, आप हद से बढ़ते जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पासवान जी, ऐसा नहीं है। हर वक्त जो ऐसा करते हैं, ठीक बात नहीं है। आपने अभी कहा, सदन के सामने कहा–आप टेबल पर डाक्युमेंट रखना चाहते हैं और उसके लिए नोटिस दिया है–यह नोटिस है।

श्री राम विलास पासवान : आप अंग्रेजी में समझा नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

मैंने हिन्दी में लिखा है।

[हिन्दी]

मैने हिन्दी में लिखा है और आप अंग्रेजी में .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इसे हिन्दी में पढ़ा। मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा।

[हिन्दी]

"नागरिक पूर्ति मंत्री, श्री ए.के. एंटनी, के इस्तीफे ने साफ कर दिया है कि चीनी के आयात में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार सदन के पटल पर ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट नहीं रख रही है। अतः इस संबंध में शून्य काल के दौरान मामला उठाने की इजाजत दी जाए।"

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन्होंने शून्य–काल के दौरान मामला उठाने की अनुमति मांगी थी। इन्होंने दस्तावेज सभा पटल पर रखने की अनुमति के लिए नोटिस नहीं दिया था। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कभी आप बोलने का समय नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस है कि जितनी बार भी आप बोलने के लिए खड़े होते हैं, मैं आपको समय दे देता हूं। परन्तु आपको जो सौम्यता दी गई उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप समझते हैं कि सदन में आप ही एक मात्र ऐसे सदस्य हैं जिनको अपनी कुछ बात कहनी है और किसी सदस्य के पास कुछ भी कहने को नहीं है। श्री रावले बहुत गुस्से में मेरे पास आए थे। मैंने उनको बैठने को कहा। आप अन्य सदस्यों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। यह घटना कल हुई थी। आज फिर वही हो रहा है। आपने मुझे बताया कि आप दस्तावेज को सभापटल पर रखना चाहते हैं और आपने इसके लिए नोटिस दिया है। आपने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है। आपका नोटिस शून्य काल के दौरान आपको मामला उठाने की अनुमति देने के बारे में है। अब आप उसके लिए बहस कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमें उठाने की अनुमति दीजिए, तभी टेबल पर रखेंगे।.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी कीजिए और बैठ जाइये।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा कि एक मिनट का समय लूंगा, एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका हाउस है, आपके सिवाय दूसरा हाउस में कोई नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : हमारा हाउस नहीं है। ... **(व्यवधान)** मैं दो लाइन कहना चाहता हूं। पहली–श्री ए.के एंटनी के इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि इस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और दूसरी–रिपोर्ट में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि. कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर और कैबिनेट सैक्रेटरी ने यह मामला कैबिनेट और प्रधान मंत्री के नॉलेज में नहीं लाया था– मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यह गलत है, असत्य है। अतः आप चाहें, मेरे पास पूरा का पूरा डाक्यूमेंट है, जिसमें पूरा का पूरा कैबिनेट सैक्रेटरी की हैसियत से मामला प्रधान मंत्री के पास गया था। यह मेरे पास पूरी की पूरी फाइल है। मैं इसको ऑथेटिकेट करता हूं। यदि आपका आदेश हो, तो सभा पटल पर रख सकता हूं। यही मैंने

कहा, कैबिनेट सैक्रेटरी ने दिया था, प्रधान मंत्री जी की नॉलेज में लाया था। कैबिनेट कमेटी का नोट मेरे पास है। सीसीपी का नोट मेरे पास है.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : आपको यह कहां से मिला?

श्री राम विलास पासवान : आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यदि आप कहें, तो मैं आथेंटिकेट करने को तैयार हूं। इसलिए जो रिपोर्ट के हवाले से प्रधान मंत्री जी ने कहा है वह बिल्कुल असत्य है और सदन को गुमराह करने वाला है, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को यदि ठीक से देखेंगे तो प्रधान मंत्री कटघरे में हैं। यदि किसी एक आदमी को इस्तीफा देना चाहिए तों प्रधान मंत्री को देना चाहिए या प्रधान मंत्री को हटना चाहिए, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।... **(व्यवधान)** यदि आप कहें तो मैं इसको रख दूं और नहीं कहें तो मैं अपने पास में रख लूं।

[अनुवाद]

आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। नियम में यह व्यवस्था है कि नोटिस देना होगा।

श्री राम विलास पासवान : दस्तावेज रखने के लिए मैंने पहले नहीं लिखा, यह मैं जानता हूं।

1-46 ½ म. प.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन मुम्बई स्थित कपड़ा मिलों के कामगारों को मजूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल में सदन की 15 मिनट की जो बर्बादी की उसके लिए मैं आपके जरिए सदन से माफी मांगना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : *मुझे आपके साथ सहानुभूति है; कृपया आप* अपना समय लीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय इंदिरा जी ने मिल का राष्ट्रीयकरण किया था और इसलिए किया था कि मिल के मजदूरों का रोजगार सुरक्षित रहे और टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सभी मिलें घाटे में *जा रही हैं। आज मुंबई शहर में ज्यूपिटर, मुंबई* टैक्सटाइल, न्यूहिंद मिल, दिग्विजय, भारत टैक्सटाइल, एलफिशन, मधुसूदन, पोदार फ़ेब्रिक्स, कोहीनूर और सीताराम, ये 10 मिलें है। आज मुंबई शहर के सभी अखबारों में छपा हुआ है कि 10 हजार मजदूरों को नवम्बर महीने का वेतन नहीं मिला है। हमारे यहां बहस हुई थी, मैंने एनटीसी की प्रोब्लम्स के बारे में अनशन किया था। इसी सदन में बहस हुई थी और दो घंटे तक बहस हुई थी। हमारे माननीय शरद दिघे जी, सूर्यकांता पाटिल तथा शास्त्री जी भी उसमें शामिल हुए थे। तभी उन्होंने कहा था, वैंकट स्वामी जी ने कहा था अकार्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट सात दिन में पेमेंट करना चाहिए लेकिन अभी तक नवम्बर महीने का वेतन नहीं मिला है। आज यहां इंटक, ऐटक, सिटू, एचएमएस, बीएमएस और एनएलओ, इन सब ओर्गनाइजेशंस ने यहां मोर्चा लाया हुआ है। आज यह सरकार 120 मिलों के लिए सिर्फ एक करोड़ रुपए देना चाहती है, जो एनटीसी की मिले हैं वे सिर्फ एक करोड़ रुपए देती हैं, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए, वी आर एस के लिए तीन सौ करोड़ रुपए सरकार देती रही है।

महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने इसी सदन में कहा था कि अभी जो आधुनिकीकरण करने के लिए जा रहे हैं उससे हमें विरोध नहीं है लेकिन उसके लिए जो प्रस्ताव लाने वाले हैं उसके लिए राष्ट्रीयकरण करने की बहुत आवश्यकता है। अभी अशोक गहलौत जी यहां बैठे थे लेकिन अब वह चले गए हैं। मेरी उनसे मांग है कि जो एनटीसी की मिले हैं उनका आप राष्ट्रीयकरण कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा कानून या रूल है कि अगर 15 वर्ष के अंदर उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो मिल मालिकों को वह मिल वापस करनी पड़ेगी। इसी सदन में वेंकट स्वामी जी ने आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को लाने के लिए कहा था, लेकिन अभी उन्होंने नो प्राइवेटाइजेशन, नो रिट्रेंचमेंट कहा, जबकि उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाएंगे। अभी जो मिल्स बंद हो रही हैं उनक मिलो को कच्चा माल चाहिए और जो वर्किंग केपिटल है वह दे देंगे तो वे मिलें बंद होने से बच सकती हैं। अभी तक पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इस संसद में हम वह प्रस्ताव लाएंगे, बिल लाएंगे। उन्होंने इस संसद में टैक्सटाइल नेशनलाइजेशन करने के लिए मैं बिल लाने वाला हूं ऐसा कहा था, *तो वह बिल कहां है हम वह मांगते हैं।*

महोदय, आज मिल–मजदूर भूखे मर रहे हैं। जो पांच करोड़ का घोटाला हुआ उस पैसे को सरकार वापस वसूल नहीं कर सकती और क्या आज वह मिल–मजदूरों को वेतन नहीं दे सकती। साढे चार हजार करोड़ रुपए का बिल हुआ था, जो इलैक्ट्रीसिटी का बिल था, जो बिल इस सरकार ने नहीं दिया था इसलिए वह बिजली कटने वाली थी। वह मिल बंद होने वाली थी, लेकिन हमने आवाज *उठाई उसके ऊपर सरकार ने कार्यवाही की फिर बिजली देना शुरू* किया। मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार की तरफ से जो बैंक वेजिज़ और बैंक ड्यूस है वह मिलने के लिए राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाना चाहिए और जो मिलें घाटे में जा रही हैं उनको दो सौ करोड़ रुपया देना चाहिए ताकि वे मिलें ठीक से चल सकें। यह सरकार इस सदन में बोल रही है, वैंकट स्वामी जी ने जबाव दिया है कि मुझे पता है सभी जनरल मैनेजर करप्शन कर रहे हैं उन्होंने इसी सदन में मान लिया था, इसी वजह से ये मिलें घाटे में जा रही हैं, इसको मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरी खाली एक ही मांग है कि आप बैक वेजिज और बैक ड्यूस देने के लिए इसको इस सदन में लाते हैं या नहीं लाते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री इस सदन से चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे आज यहां पर डिक्लेअर कर दें कि इस सत्र में यह बिल इस सदन में लाएंगे या नहीं लाएंगे। आज 1000 मजदूर बेकार हो रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, इस सवाल को मैं यहां पर उठा रहा हूं और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आर्गनाइज्ड सेक्टर तथा अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में, पावरलूम में बनने वाले कपड़े के रेट्स में ढाई–तीन रुपए का अंतर होता है, जबकि अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों को आर्गनाइज्ड सेक्टर के मुकाबले में आधा वेतन मिलता है, वह भी उनको ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता है, इस बात को सरकार अच्छी तरह से समझ ले। इस अंतर को कैसे दूर करना है, इसका रास्ता सरकार को निकालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि कल तक इन मजदूरों को वेतन नहीं मिला और इस सत्र में बिल लाने का आश्वासन नहीं दिया गया* आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): अध्यक्ष महोदय, क्या यह रिकार्ड पर जायगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कपड़ा मजदूरों, विशेषकर मुम्बई के कपड़ा मजदूरों की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज, देश भर में फैले हुए कपड़ा केन्द्रों से लगभग 10,000 मजदूर दिल्ली जाने के लिए "मोर्चों" में आए हैं। उनकी यहां बैठक हुई थी। उनका एक प्रतिनिधि मण्डल भी था जिसे प्रधान मंत्री के पास ले जाया गया। इस संबंध में मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

प्रथम यह कि अधिगृहीत की गई लगभग 13 मिलों को अभी तक *राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। संबंधित मंत्री द्वारा संसद के पिछले* सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि पिछले सत्र में ही एक विधेयक लाया जाएगा। परन्तु, पिछले सत्र में कोई विधेयक नहीं लाया गया। यहां तक कि इस संबंध में कोई भी विधेयक आज तक इस सभा के समक्ष नहीं लाया गया है। इन मिलों का आधुनिकी–करण पूरी तरह उनके राष्ट्रीयकरण पर निर्भर है और उसके बाद *ही ये मिलें कार्य कर सकेंगी। राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) की* मिलें भी बंद होने वाली हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के मजदूर को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें कोई कच्चा माल नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कोई पूंजी नहीं दी जा रही है और इसलिए अधिगृहीत की गई ये मिलें भारी कठिनाई में पड़ गई हैं।

जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, एक त्रिपक्षीय समिति थी तथा 9 अप्रैल, 1994 को इस विशेष त्रिपक्षीय समिति की सर्वसम्मति से एक आठ–सूत्री करार किया गया था। सरकार ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। इन मिलों का आधुनिकीकरण तभी हो सकता है जब इसे कार्यान्वित किया जाएगा और केवल तभी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ये मिलें अथवा अधिगृहीत की गई अन्य मिलें चल सकती हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है लोग बेरोजगार नहीं होंगे।

अन्त में, महोदय, निजी तथा गैरसरकारी मिलें भी हैं जो बन्द होने के कगार पर हैं। वास्तव में कुछ पहले ही बंद हो चुकी हैं। सरकार ने उन्हें पुनः चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मुम्बई में श्रीनिवास काटन मिल केवल इसलिए बंद हो गई क्योंकि उसके मालिक ने बिजली तथा पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया था। सभी बेरोजगार हो गए परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार उन सभी मिलों को कोई सहायता देना या उनके लिए कुछ भी करना बन्द कर देती है जिनके मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेज दिये जाते हैं। इसलिए, समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। सैकड़ों–हजारों मजदूर पहले ही बेसेजगार हो चुके हैं। और यदि सरकार ने शीघ्र ही कदम नहीं उठाए तो अधिक मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तथा यह उद्योग नष्ट हो जाएगा। सरकार को कम से कम अपने आश्वासनों का तथा सर्वसम्मति से हुए त्रिपक्षीय करार का पालन करना चाहिए और इसे कार्यान्वित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किये जाने पर सारा कपड़ा उद्योग बंद हो जाएगा और इस देश से उसका नामोनिशान मिट जाएगा। मुझे यही कहना है।

महोदय, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्षजी, टैक्सटाइल मजदूरों को सरकार द्वारा धोखा दिया गया है। इसलिए देश की सभी मजदूर यूनियंस के साथ बड़ी संख्या में मजदूर लोक सभा के बाहर प्रदर्शन के लिए आए हैं। उनकी जो मांग हैं, उनमें से प्रमुख मांग यह है कि सरकार को मजदूर संगठनों के साथ चर्चा करके एक टैक्सटाइल पालिसी बनानी चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार कल सबसे पहले मीटिंग बुलाकर उनके साथ चर्चा करे और इस पर विचार करे।

मेरी दूसरी बात यह है कि मुम्बई में 10 राष्ट्रीय कपड़ा मिल्स के मजदूरों को अब तक नवम्बर का वेतन नहीं दिया गया है। बिजली के बिल नहीं देने के कारण मिल्स बंद होने के कगार पर आ गई थीं, जब हमने इस मामले को उठाया था तो आपने भी उसमें कहा था तो वे मिल्स शुरू हो गई थी। इन 10 टैक्सटाइल मिल्स *के मजदूरों को कल वेतन दिया जाए और ऐसा आश्वासन सरकार* को आज देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो मजदूरों का उग्र आंदोलन होगा और फिर यहां की सरकार की आहुति भी लोगों को देनी पड़ेगी। मेरी मांग है कि इन दोनों विषयों के बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पूरे भारत से 10,000 से भी अधिक मजदूर आए हैं तथा धरना दे रहे हैं। लगभग सभी दलों के संसद सदस्यों तथा वस्त्र उद्योग और राष्ट्रीय कपड़ा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा उनमें कार्यरत सभी केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि मण्डल वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल आज प्रधान

* अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार कार्यवाही–वृतान्त से निकाल दिया गया।

मंत्री से मिला। हमने त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें आठ–सूत्री मांगों पर सहमति हुई थी, में हुए समझौते को अन्तिम रूप देने तथा स्वीकृति देने, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों का तत्काल आधुनिकीकरण करने तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की अधिगृहीत की गई आठ मिलों का भी राष्ट्रीयकरण करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए उन पर जोर दिया।

हमने यह मांग भी की कि जब तक इन सभी मुद्दों पर अन्तिम निर्णय नहीं होता, तब तक वेतन के भुगतान हेतु, जो अक्तूबर, 1994 से बकाया है, धनराशि प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। केवल राष्ट्रीय कपड़ा निगम, मुम्बई के मजदूरों को ही नहीं बल्कि मद्रास तथा पाण्डिचेरी को छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के राष्ट्रीय कपड़ा निगमों के मजदूरों को भी अक्तूबर या नवम्बर, 1994 से उनका वेतन नहीं मिल रहा हैं। इसलिए, धनराशि प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भूख से मर रहे हजारों मजदूरों को उनका वेतन मिल सके। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण तथा अधिगृहीत की गई मिलों के राष्ट्रीयकरण हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। यह हमारे देश के हजारों मजदूरों की मांग है और हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, इस उद्योग में कई लाख मजदूर काम करते हैं। जैसा कि आपने सुना हजारों मजदूरों को कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है। मेरे पास ऐसी भी खबरें हैं जिनमें यह कहा गया है कि कई मजदूर भूख से मर भी गए।

2.00 म.प

उन्होंने आत्महत्या कर ली है।

महोदय, मैं उनके कष्टों का वर्णन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। परन्तु तीन महत्वपूर्ण मुद्दे यह हैं : (1) बकाया मजदूरी का भुगतान निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना चाहिए; (2) अधिगृहीत की गई मिलों का राष्ट्रीयकारण होना चाहिए; तथा (3) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य रूप से तथा ठीक ढंग से कार्य कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें कही गई हैं मैं उनको रिपीट तो नहीं करना चाहती हूं लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहूंगी कि टेक्सटाईल मजदूरों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। आज हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 32 मिले हैं जिनमें से 13 पूर्ण रूप से बंद हैं। उन मजदूरों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। यह मामला महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उन हजारों मजदूरों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में बंद मिलों के इन मजदूरों में से करीब 7–8 हजार मजदूर ऐसे हैं जिनके परिवार की महिलाओं को परिवार पालने में ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। उन महिलाओं को कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं ताकि परिवार में बच्चों को पाल सकें। यह सब सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। वी आर एस पर पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इनमें 35–40 साल के ऐसे व्यक्ति हैं जो 15–20 साल तक और काम कर सकते हैं लेकिन सरकार हजारों रुपया वी आर एस में बांटकर इन मजदूरों को घर बैठा रही है। इससे तो देश की श्रम शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। मिल बंद होने पर मशीनों को तो जंग लगता ही है लेकिन इस नीति से श्रम को जंग लग रहा है। इसलिए यह मामला महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करती हूं। यह सत्य है कि मुम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में विशेषकर राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में कार्य करने वाले लोगों को अनेक परेशानियां हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री से कई बार मिला हूं। समस्या यह है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों के कर्मचारियों को अक्तूबर से वेतन नहीं मिला है। यहां तक कि कभी–कभी निजी मिल–मालिक अन्य लोगों को अपनी मिलें बेच देते हैं जो भविष्य निधि तथा उपादान का भुगतान नहीं करते परिणामतः मजदूरों को सर्वाधिक कष्ट होता है।

पिछली बार जब मैं माननीय मंत्री से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है जो कि सत्य नहीं है। माननीय मंत्री सभा में उपस्थिति हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वक्तव्य दें ताकि यह समस्या यथासंभव शीघ्र हल की जा सके।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, केरल छूट गया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, देशभर में कपड़ा मिलों और कपड़ा मजदूरों का नई कपडा नीति आने के बाद ह्रास हुआ है। मैं चाहता हूं कि कपड़ा मजदूरों के जीवन यापन के लिये रोजी छिन गयी है, उसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार सारी की सारी बात से बेखबर है। मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। कपड़ा मिलें खत्म होती जा रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र उज्जैन में विमल मिलें और विनोद मिलें अच्छी हैं जिनको बचाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिन मजदूरों का भविष्य निधि का पैसा जमा है, वह उनको नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवदेन करना चाहता हूं कि इन मिलों और मिल मजदूरों को बचाने के लिए और इनका पुनर्वास करने के लिए उपाय किए जायें और जो मिलें चल सकती हैं, उनको चालू प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : मैं समझता हूं सभी मिलों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें तथा एक वक्तव्य दें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां भी संघर्ष जारी है।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सभा को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी दल इस पर पहले ही सहमत हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा सुझाव नहीं दे सकते हैं। आपको सूचना देनी होगी।

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, पहले आप रास्ता निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही नियमों का उल्लंघन करते हैं और तत्पश्चात मुझसे कहते हैं कि कोई रास्ता निकालिए। मैं समझता हूं कि मंत्रिमण्डल में कहीं यह रूका पड़ा है। इसलिए, सभा की यह मांग है, हम सबकी यह मांग है कि मंत्रालय इसे शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ब्यावर में दो कपड़ा मिलें–ऐडवार्ड और महालक्ष्मी मिल जो एन. टी.सी. की हैं, दोनों को बंद होने से बचाया जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि यहां से बड़े बड़े आश्वासन दिये गए कि मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। अतः मैं मांग करता हूं कि मजदूरों का ले ऑफ बंद कराया जाए और मिलों को अधिक से अधिक पूंजी दी जाए ताकि मजदूरों को काम मिले। अगर उनको काम नहीं मिला तो हजारों परिवारों की रोजी–रोटी इससे प्रभावित हो जाएगी और उनके परिवार के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ब्यावर की मिलों को चालू कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, एक मिनट। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जोड़ना चाहते हैं? आपको कह सकते हैं उत्तर नहीं पा सकते।

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, महिन्द्रा मिल्स, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए 12 दिसम्बर, 1994 से आमरण अनशन किया गया था।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि वजेज़ के बारे में तकलीफ है। मगर मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एनटीसी मिल्स का मोडर्नाइजेशन प्लान हमने बनाया है और सैक्शन के लिए कैबिनेट को भेजा है। वह आते ही मोडर्नाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा तो सिस्टेमेटिकली 122 मिल्स का मोडर्नाइजेशन हो जाएगा।... **(व्यवधान)** माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तीन महीने से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली। आप एक भी मिल ऐसी बता दें।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं। बार–बार मुझे आवाज बढ़ाने के लिए मत कहिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट आ गई है। हमने उसके आधार पर रेकमेण्डेशन भेजा है। सारी मिलों का मोडर्नाइजेशन करने का काम शुरू हो गया है। बीच में थोड़ा गैप आया है। इसके लिए थोड़ा लेट हुआ है। हमने वित्त मंत्रालय को भी बार–बार लिखा है कि मोडर्नाइजेशन के लिए जो तकलीफ हो रही है, कुछ पैसा दीजिए। कल ही वित्त मंत्री ने कहा कि आप मुझे लिखिए। मैं सदन को ऐश्योर करता हूं कि जहां–जहां मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली वह मिल जाएगी।.... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कब तक मिलेगी? इस साल के अंत तक मिलेगी?... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : मुम्बई में दस मिलों की सैलेरी नहीं मिली है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप ऐसे नहीं बोलें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : वेजेज के बारे में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक जल्दी से जल्दी हो सकेगा, जो एक महीने के वेतन की बात आप कह रहे हैं, उनको पेमेण्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जहां आप मिलों का मोडर्नाइजेशन कर रहे हैं, क्या सरकार टैक्सटाईल मिलों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित बिल भी इसी सत्र में ला रही है या नहीं, इसे वे स्पष्ट कर दें।

श्री बसुदेव आचार्य : नेशनेलाईजेशन ऑफ टैक्सटाईल मिल्स बिल आप सदन में कब ला रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : यदि एक–एक करके माननीय सदस्य पूछें तो मैं सभी के प्रश्नों का जबाव दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : इस सत्र के खत्म होने से पहले क्या मिलों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित बिल सदन में लाया जायेगा क्योंकि वित्त मंत्री जी का कहना है कि हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं आया है। सही क्या है, कुछ पता नहीं चलता।

श्री जी वेंकट स्वामी : आप मिलों का मोडर्नाइजेशन चाहते हैं, हम मोडर्नाइजेशन के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसे भी जल्दी कीजिये।

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुर्भाय की बात है कि पिछली 28 तारीख को अलीगढ़ के नगला परसी में 17 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद 4 तारीख तक किसी को उसके बारे में पता नहीं चल सका कि वहां कोई कांड हुआ था या नहीं। बड़ी मुश्किल से, किसी तरह 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र के माध्यम से उसकी जानकारी मिली। सूचना मिलते ही, राजमाता के नेतृत्व में यहां से 7 सांसद वहां गए जिसमें भावना जी, रावल जी, सत्यदेव जी, चिन्मयानन्द स्वामी, राजमाता और मैं शामिल थे। वहां जाने पर जो दृश्य हमें देखने और सुनने को मिला वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वहां हमें पता चला कि हमारे आने की जानकारी मिलते ही वहां के डी.एम. ने एक ट्रक बुलाकर उन सभी मजदूर महिलाओं को सामान सहित उसमें लादकर

बदायूं जिले में भेज दिया। वहां उन लोगों का आटा सना पड़ा था, चूल्हा जल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : यहां आटा और चूल्हा कहां से आ गया?

श्रीमती शीला गौतम : आटे और चूल्हे से हमारा मतलब यही है कि वहां से पीड़ित महिलाओं को जबर्दस्ती उठाकर और ट्रक में लादकर अन्यत्र भेज दिया गया था। आप पूरी बात तो पहले सुन लें। उसके बाद डी.एम. ने सभी महिलाओं को 50–50 हजार रुपये दिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं क्या हर अपराध के बाद....

अध्यक्ष महोदय : देखिये, 50 हजार रुपये देने वाली बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहनी पड़ेगी। अन्यथा यह काफी गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला गौतम : मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि हर पीड़ित महिला को 50 हजार रुपये देकर वहां से ट्रक से लादकर भेज दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम आपको कौशन करना है।

अध्यक्ष शीला गौतम : मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूं अन्यथा आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजियेगा लेकिन हर महिला को 50 हजार रुपये दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : इसे आपको साबित करना पड़ेगा।

श्रीमती शीला गौतम : मैं साबित कर दूंगी। अगर साबित न कर सकी तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : अध्यक्ष जी, वहां के डी.एम. ने हमें बताया कि हर ऐसी महिला को 50 हजार रुपये दिए जिनपर बलात्कार स्वीकार किया गया। स्वयं जिला अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक और हम सब लोगों के सामने इस बात को कहा। यह हमारा कहना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या एक ही विषय पर दो–दो लोग बोलेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं स्वयं वहां गया था इसलिये आपको बता रहा हूं।

श्रीमती शीला गौतम : माननीय सदस्य सिर्फ मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए इतनी ही मांग करना चाहती हूं कि जिस तरह से सामूहिक बलात्कार के बाद 50–50 हजार रुपये उन्हें दिये गये, क्या हर अपराध के बदले उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम बना लिया है कि इतनी राशि देकर मामला रफा–दफा कर दिया जाये। मेरी मांग है कि पूरे मामले की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिये।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : उसमें मुस्लिम महिलाएं और हरिजन महिलाएं भी थीं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कितने लोग खड़े होकर बोलेंगे। एक ही सदस्य को बोलने दीजिए।

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : उस कांड में हरिजन, मुस्लिम और दलित सभी वर्गों की महिलाएं शामिल हैं। चूंकि मेरे क्षेत्र अलीगढ का मामला है इसलिये मैं आपके और सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं। जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के कांड हो रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर पायेगा। मेरी मांग है कि इस कांड की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करने की मांग मैं यहां करना चाहती हूं।

डा. लाल बहादुर रावल (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, यह 28 नवम्बर को हाथरस लोक सभा क्षेत्र में नगला परसी में भट्टे पर काम करने वाली 17 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना है। यह अपराध पहला नहीं है। ये अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में अबाध गति से चल रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश ही अपराध और अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। यह घटना 28 को हुई और 4 तारीख को इस घटना का पर्दाफाश वहां के स्थानीय पत्र "दैनिक जागरण" ने किया। उसके बाद जैसे ही पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है, वे घटना स्थल पर गए और वहां जाने के बाद उस जिले अलीगढ़ के एस.एस.पी. को उन्होंने बुलाया और उनको पूरी स्थिति से अवगत करवाया। वहां के एस.एस.पी. ने जादों थाने के एस.एच.ओ. वगैरह से सम्पर्क किया और घटना को उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की घटना हुई है। उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया।

उसके बाद रिपोर्ट 30 तारीख को जो वहां पर लिखाई गई है। उसमें भी एस.एच.ओ. ने दबाव में आकर ऐसी रिपोर्ट लिखी है कि जिससे बलात्कार की घटना साबित नहीं होती, सामूहिक अपराध को वह रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती है। चार तारीख के बाद वहां पर सभी नेताओं का आना–जाना शुरू हुआ है। वहां पर 5 और 6 तारीख को बहुजन समाजवादी पार्टी की महासचिव मायावती गईं और उन्होंने सभी अपराधियों के इंटरव्यू लिए और मैं समझता हूं कि सभी अपराधी ब.स.पा. और स.पा. के हैं। इस घटना को छिपाया जा रहा है और उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बहुत गम्भीर है। जिन लोगों ने अपराध किया है वे स.पा. के हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं। वहां के जिलाध्यक्ष स.पा के हैं। उनके एक भाई अतर सिंह ...**(व्यवधान)**

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसे मामले यहां पर उठाने में दिक्कत होती है। उसके बाद भी आपको इसे उठाने दिया गया है। आप उसको अच्छे ढंग से नहीं रख रहे हैं। आप एट्रोसिटीज पर यदि डिसकशन मांगते हैं, तो मैं देने के मूड में हूं, लेकिन वह बात आप नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री अभय प्रताप सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।..... **(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें नही सुन रहे हैं। आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप तो सलिप्त लोगों को प्रोटैक्शन दे रहे हैं।.. **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप काफी कड़ा वक्तव्य दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अभय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पूरी सूचना देना चाहता हूं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बैठेंगे। हम लोग भी सदन के सदस्य हैं। हम लोगों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप हमें बोलने का समय दीजिए।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइए। मैने उन्हें बोलने की अनुमति दी हैं ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता। श्री वाजपेयी जी आपको अपने सदस्यों को समझाना होगा।

[हिन्दी]

श्री अभय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पूरी सूचना देना चाहता हूं। यह घटना बड़ी दुखदाई है और इस घटना से कोई खुश नहीं है। यह पाश्विक घटना है, लेकिन ये लोग उस घटना से यहां राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस घटना का दूसरा पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद वाजपेयी जी।

श्री अभय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, असली स्थिति को मैं सदन में बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहां हूं कि इस घटना का जैसे ही पता चला सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है और एस.पी. से लेकर नीचे से नीचे के दीवान तक को सस्पेंड किया है और एस. पी. को ट्रांसफर कर दिया गया है।

"जजबाए आफताब पर कुर्बान जाईए

मुर्दे से पूछते हैं कि कातिल किधर गए"

अध्यक्ष महोदय : आप कविता वगैरह मत कीजिए। इसे सुनने का समय नहीं है।... **(व्यवधान)**

श्री अभय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की गुणवत्ता इसी से मालूम होती है कि जैसे ही सरकार को इसका पता चला सरकार तुरन्त हरकत में आई है। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस घटना को गम्भीरता से लिया है।

पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बी.जे.पी. के जमाने में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अयोध्या में हुई हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह कोण : ऐसी कोई घटना बी.जे.पी. शासन काल में नहीं घटी। ...**(व्यवधान)**

श्री अभय प्रताप सिंह : अयोध्या में घटी है और उसको दबाने का प्रयास किया गया। इन लोगो ने उसको दबाने की कोशिश की है। ....**(व्यवधान)** आज जो यह दुर्घटना घटी, उस पर सबको चिन्ता है, सब दुखी हैं लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि किसी पार्टी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह कृपया संक्षेप के बोलें। मुद्दे पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिह : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। यह घटना बहुत गंभीर है और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। यह घटना कोई पहली घटना नहीं हैं और न ही अंतिम। जब से उत्तर प्रदेश में यह नयी सरकार आयी है तब से इन घटनाओं का सिलसिला होना इलाहाबाद से लेकर यहां तक पहुंच गया है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैंने एक अन्य मुद्दे पर नोटिस दिया।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के अंदर जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनको वहां से जबरन हटाया गया। दूसरी बात यह है कि वहां जो भी पुलिस अधीक्षक थे, वे शेड्यूल्ड कास्ट के थे।..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लेजीस्लेटिव असेम्बेली में इस मामले को उठाने के लिए आपके भी मेम्बर होंगे।.... **(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। ....**(व्यवधान)** वहां के पुराने पुलिस अधीक्षक जो इस समय निलंम्बित कर दिये गये हैं, वे मौके पर गये थे। मौके पर जाने से उन्हें सत्य का पता चल गया कि इसके पीछे भट्टी को बंद कराने साजिश है। जिस गांव में भट्टी चलती है, उस गांव के अध्यक्ष उस गांव के निवासी सभा के अध्यक्ष हैं। उनका सीधा–सीधा हाथ इस पूरे कांड में इसलिए किया गया कि वहां से उनका उद्योग बंद कराया जा सके। वे दोनों स्वजाति हैं। जिनका भट्टा चलता है, वे भी उसी जाति के हैं जिस जाति के लोगों ने यह अपराध किया था। इस अपराधिक प्रवृत्ति को जानने के बाद वही के एस.एस.पी. को इसलिए निलम्बित कर दिया गया ताकि सारी सच्चाई सामने न आने पाये। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अलीगढ़ के डी.एम. यह कहते हैं कि जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनको हमने 50 हजार रुपये दिये हैं और जिनके मारपीट हुई, उनको भी हमने 15 हजार रुपये दिये और जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनको हमने 10 हजार रुपये दे दिये। उनको क्यों 10 हजार रुपये दिये गये? सिर्फ इसलिए दिये गये कि पैसे के लालच से और उनके प्रशासनिक दवाब से सत्य पर पर्दा डाला जा सके।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ खासकर दलित वर्ग की महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं और सरकार, सरकारी धन का अपव्यय करके अपराध की सीमा तय करती है कि बलात्कार हो जायेगा तो 50 हजार रुपये ले जाओ, हाथ पैर टूट जायेंगे तो 15 हजार ले जाओ और अगर आप घटना के चश्मदीद

गवाह हैं तो आपकी ज़बान बंद करने के लिए 15 हजार रुपये दे दिये जायें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उसकी कोई नियति नहीं रह गयी, उस पर कोई रोक नहीं रह गयी। मैं आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिन दलित महिलाओं के साथ यह उत्पीड़न हो रहा है, उनकी मर्यादा भंग की जा रही है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है, उसके विरुद्ध सदन में चर्चा की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अनुमति देने के पक्ष में हूं जो पूरे देश से संबंधित है। यह उचित रूप में आना चाहिए और सभा में इस तरह की चर्चा होने देकर आपको सहयोग देना चाहिए। यदि किसी और विषय में समय लग जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री अहमद, हम इस पर कल चर्चा करेंगे, आज नहीं।

(व्यवधान)

2.22 म.प.

इस समय श्री तेज नारायण सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद अर्थात सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेगें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

2.22½. म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचना आदि।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : मैं श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 13 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862 (अ) में प्रकाशित हुई थी, को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 13 दिसम्बर, 1994 की उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6636/94]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सख्या का.आ. 414 (अ), जो 28 जुलाई 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनिय, 1992 का 30 मई, 1994 से प्रवृत्त होना नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6637/94]

(3) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम, 1994, जो 30 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6638/94]

कोल इंडिया लि. कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन खंड एक और दो।

मानक संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री पी.ए. संगमा की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खण्ड I और II)

(2) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, (खण्ड I और II), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6639/94]

आयल इंडिया लि. और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मैं आयल इंडिया लि. और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6640/94]

जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्सड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1993-94 और इंडियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्राथालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्सड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्सड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6586/94]

(2) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए सं. एल.टी.–6587/94]

(3) (एक) नेशनल फैसिलिटी फार एनिमल टिश्यू एण्ड सेल कल्चर, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैसिलिटी फार एनिमल टिश्यू एण्ड सेल कल्चर, पूणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6588/94]

(4) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6589/94]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6590/94]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ ट्रॉपिकल मीटिओरोलाजी, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिओरोलाजी, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6591/94]

(7) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6592/94]

(8) (एक) टेक्नालॉजी इन्फर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नालॉजी इन्फर्मेशन एण्ड असेसमेंट काउन्सिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6593/94]

प्रोजक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि., नोएडा के वर्ष 1993-94 और बंगाल इम्यूनिटी लि., कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

मानव संसाधन मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6594/94]

(ख) (एक) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6595/94]

(ग) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6596/94]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6597/94]

(ङ) (एक) पाइराट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6598/94]

(च) (एक) मद्रास फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीखक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6599/94]

(छ) (एक) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, उद्योग मण्डल के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, उद्योगमण्डल का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6600/94]

(ज) (एक) नेशनल फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6601/94]

(झ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फटीलाइज़र्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6602/94]

(ञ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टीलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टीलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6031/94]

(ट) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6604/94]

(ठ) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6605/94]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाईड्स लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6606/94]

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6607/94]

(4) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं.एल.टी.–6608/94]

(5) (एक) सेन्टर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलेक्ट्रानिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्रालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6609/94]

(6) (एक) सेन्टर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्नालाजी, कालीकट के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्रालॉजी, कालीकट के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6610/94]

(7) (एक) सेंटर फार मेटीरियल्स फार इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मेटीरियल्स फार इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6611/94]

(8) (एक) सेंटर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्नालॉजी, गोरखपुर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एण्ड टेक्नालॉजी, गोरखपुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6612/94]

निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1994 विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज) : मैं निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1994 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 758(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र जो 22 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 833(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6613/94]

भारत लेदर कारपोरेशन लि., आगरा के वर्ष 1993-94 तथा नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि., कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 6614/94]

(ख) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6615/94]

(ग) (एक) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 6616/94]

(घ) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6617/94]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 6618/94]

(2) (एक) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6619/94]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6620/94]

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग (उद्योग मंत्रालय) के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6621/94]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6622/94]

(5) (एक) फल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फल्यूड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6623/94]

सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना तथा इण्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एम अरुणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरंण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6624/94]

(2) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6625/94]

(3) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6626/94]

(4) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6627/94]

(5) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6628/94]

(6) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6629/94]

मझगांव डॉक लि. तथा रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री मल्लिकार्जुन की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6630/94)

(2) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6631/94]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1994 जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 439(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1994 जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1994 जो 9 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6632/94]

वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंण्डिया) लि., नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मैं, श्री पी. के. थुंगन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सविसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6641/94]

(2) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए स. एल.टी. 6642/94]

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए। सं. एल.टी.–6643/94]

(4) (एक) बेतवा नदी बोर्ड के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी.–6644/94]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश में कतिपय संशोधन करने संबंधी अधिसूचना

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामलाल राही) : मैं श्री पी. एम. सईद की ओर से अधिसूचना संख्या एफ. सं. 11(66)/86–एल.एस. जी./पी.टी. 1/सं.यू. 14011/160/89–दिल्ली, जो 18 अगस्त, 1994 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 6 जनवरी, 1990 के आदेश संख्या यू–14011/160/89–दिल्ली (1) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6645/94]

[अनुवाद]

इण्डियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि., नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकाल की समीक्षा आदि

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6633/94]

(2) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6634/94]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : मैं हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने संबंधी कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी.–6646/94]

[अनुवाद]

2.23½ म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2.24 म.प.

विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं दो विधेयक राज्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1994 को यथापारित सभापटल पर रखता हूं।

1. केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1994
2. कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखीय सं. एल.टी. 6635/94]

2.25 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या (तुमकूर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छत्तीसवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.25½ म.प.

प्राक्कलन समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं जल भूतल परिवहन मंत्रालय–तटीय पोत परिवहन के बारे में प्राक्कलन समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.26 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

चौदहवां तथा पंद्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री एम. कृष्णस्वामी (वन्डावाशी) : मैं सभापटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के चौदहवें तथा पंद्रहवे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.26 ½ म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

आठवां तथा नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री के.एम. मैथ्यू (इदक्की) : मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के (एक) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 और (दो) संविधान (इक्यासिवां संशोधन) विधेयक, 1994 के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के आठवें और नौवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा इनसे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.27 म.प.

वित्त संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : वित्त संबंधी स्थायी समिति (1993–94) के 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकरण' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन पर–की–गई कार्यवाही के बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.27 ½ म.प.

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) "उर्वरकों का उत्पान, आयात, अनुसंधान और विकास संवर्धन और विपणन" से सम्बन्धित तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (दसवीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन।

(2) "पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण" के बारे में नौवां प्रतिवेदन और इससे संबंधित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

2.28 म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :–

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तथा तत्संबंधी मामलों के बारे में आठवां प्रतिवेदन और उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित फिल्म प्रभाग के बारे में नौवां प्रतिवेदन और उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

2.28 ½ म.प.

गृह कार्य संबंधी समिति

(एक) बारहवां, तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं गृह कार्य संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक,1992 संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संबंधी चौदवां प्रतिवेदन।

(दो) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

2.29 ¼ म.प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

महोदय,

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सदन में मैं यह कहना चाहता हूं कि :–

सरकार ने वर्धा में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय और हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

करने और संसद के विचारार्थ विधान तैयार करने और उसे प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव जनवरी, 1975 में नागपुर में सम्पन्न प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन की संस्तुति से विचाराधीन है। मारीशस में अगस्त, 1976 में हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में इसे पुनः दोहराया गया। वर्ष 1983 में तीसरे विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन किया। जुलाई, 1992 में डा. शिव मंगल सिंह "सुमन" की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के स्वरूप और उसकी अपेक्षाओं की सिफारिश करते हुए मई, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

देश में हिन्दी को राजभाषा और सम्पर्क भाषा का दर्जा प्राप्त है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्वयं का महत्व है। लगभग सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन किया जाता है और विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में इसका पठन–पाठन प्रचलित है। भारतीय मूल के अधिकांश लोग मारीशस, फिज़ी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद आदि में रहे हैं जिनकी हिन्दी में बहुत रूचि है। तथापि, फिलहाल ऐसा कोई वर्तमान केन्द्र नहीं है जो एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुयायी–गण द्वारा की गई हिन्दी की मांग को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का समन्वय, विकास और निर्देश दे सके। केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय ही इस रिक्तता को भर सकता है।

इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से मुख्य उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करना और भारत तथा विदेशों में हिन्दी के अध्यापन के लिए दूरस्थ पद्धति द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन करना होगा। इसकी संरचना एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पद्धति पर होगी जो अनुसंधान सम्बन्धी शैक्षिक कार्यकलाप पर केन्द्रित होगी। यह विज्ञान और सामाजिक–विज्ञानों में दैनिक पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा बल्कि "राइटर्स इन रेजिडेंस" इसकी अभिनव विशेषता होगी।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

इसके उद्गम से भारत उर्दू का अवलम्ब तथा अभिरक्षक रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 को कार्यान्वित करने के लिए कारवाई योजना में, पूर्व–सांसद श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए कार्यबल ने यह सिफारिश की कि उर्दू भाषी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उर्दू मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पूर्व–सांसद, श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में एक समिति सितम्बर, 1992 में प्रस्तावित उर्दू विश्वविद्यालय के स्वरूप और इसे स्थापित करने के लिए अपेक्षित निवेशों को मोटेतौर पर तैयार करने के लिए गठित की गई थी और समिति ने जून, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

उर्दू विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं कि यह एकल परिसर का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा और मूल रूप से यह उर्दू के प्रचार और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर केन्द्रित होगा ताकि उर्दू भाषी लोगों, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो सामाजिक कारणों के कारण पर्याप्त रूप से सामान्य संस्थाओं में भाग नहीं ले पाती हैं, के कौशलों को समुन्नत किया जा सके। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में व्यावसायिक/भाषा शिक्षा प्रदान करेगा और फिर देश के शेष भागों में इनका विस्तार किया जाएगा। यदि अनिवार्य हुआ तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विदेशों में व्यावसायिक/भाषा शिक्षा प्रदान करेगा। जहां तक सम्भव होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सामग्री और श्रव्य–दृश्य कार्यक्रमों तथा सुविधाओं का प्रयोग किया जाएगा।

महोदय, हमें पक्का विश्वास है कि ये दो विश्वविद्यालय इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यावश्यक अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और भविष्य में आगे के विकास की बुनियाद तैयार करेंगे। वे, हिन्दी और उर्दू भाषाओं तथा इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के विकास के निमित्त सतत योगदान देंगे।

(दो) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रालरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दिए जाने के विरोध मे मछुआरों का आन्दोलन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं सभी समुद्र तटीय राज्यों के 75 लाख मछुआरों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रालरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, के आन्दोलन के बारे में वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रालरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये दिए गए लाइसेंसों के विरोध में सभी राज्यों के मछुआरों द्वारा किए गए आन्दोलन के बारे में कल कुछ माननीय संसद सदस्यों ने कुछ मामले उठाए थे। मैं शुरू से ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिये कोई अनुमति नहीं दी है। मेरे मंत्रालय द्वारा 1991 में घोषित की गई नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अंतर्गत गहन समुद्र मत्स्यन प्रचालन के लिये हम भारतीय उद्यमियों को विदेशी मत्स्यन कंपनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। हम मत्स्यन जलयानों की लीजिंग के साथ–साथ इस नीति के तहत परीक्षण मत्स्यन को भी प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा भारतीय उद्यमियों को जलयान अधिग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये किया गया है क्योंकि चार्टर जिसमें लघु अवधि आधार पर करार किया जाता है, की तुलना में इसके परिणामस्वरूप स्थाई आधार पर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। इस नीति की घोषणा सरकार की चार्टर नीतियों को धीरे–धीरे समाप्त करने के लिये की गई थी। मेरे मंत्रालय ने 1981 की चार्टर नीति और 1989 की चार्टर नीति को खत्म कर दिया है। अब केवल 1986 की चार्टर नीति लागू है और उसे भी धीरे–धीरे समाप्त कर दिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में चल रहे विदेशी जलयानों की कुल संख्या जो कि 1990 में 75 थी, 1994 में घटकर केवल 16 रह गई है। इसके अलावा संयुक्त उद्यम के तहत भारतीय ध्वज वाले 14

जलयान चल रहे हैं। गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के चलने के बारे में पारम्परिक मछुआरों द्वारा व्यक्त की गई आशंका का कारण सम्भवतः एक अध्ययन दल की रिपोर्ट है जिसमें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 2630 जलयान चलाने का सुझाव दिया गया था। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय में इस दल द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया है और मैं सभी वर्गों के इस कारण हुए भय को दूर करना चाहूंगा। मेरे मंत्रालय का इतनी बड़ी संख्या में जलयान चलाने का कोई इरादा नहीं है। वस्तुतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य केवल 200 जलयानों का है।

भारत के 200 मील लम्बे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सालाना लगभग 3.9 मिलियन टन मछलियां होती हैं। उनमें से केवल 2.7 मिलियन टन का ही दोहन किया जा रहा है और इसमें से भी अधिकांश हिस्से का दोहन तटवर्ती जल में किया जाता है जो तट से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तटवर्ती जल केवल पारम्परिक मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिये आरक्षित है, लेकिन हाल ही में 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मशीनीकृत ट्रालर भी वहां आ गए जो तटवर्ती जल में उपलब्ध संसाधनों के दोहन में उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। मशीनीकृत ट्रालरों की संख्या जो कि 7वीं योजना में 24,272 थी, 1992–93 में बढ़कर 34,848 हो गई है। समुद्री मछली का उत्पादन जो कि 1988–89 में 18.17 लाख टन था, बढ़कर 27 लाख टन हो गया है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत मछलियों का शिकार मशीनीकृत ट्रालरों, लगभग 33 प्रतिशत का पारम्परिक मछुआरों और लगभग 2 प्रतिशत का ही गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा किया जाता है।

तटवर्ती जल की सीमा से बाहर वाले क्षेत्र को "गहन समुद्र" कहा जाता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 20 या उससे अधिक मीटर लम्बे ट्रालरों को इस क्षेत्र में प्रचालन के लिये लाइसेंस देता है। इसलिये ये तथ्य सही नहीं है कि कुल 2 प्रतिशत मछलियों का शिकार करने वाले ट्रालर 98 प्रतिशत मछलियों के शिकार के लिये किये जाने वाले तटवर्ती मत्स्यन प्रयासों के लिये खतरा बनेंगे। लेकिन पारम्परिक मछुआरे केवल 33 प्रतिशत मछलियों का ही शिकार कर पा रहे हैं। इसलिये बिना लाइसेंस के तटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाले मशीनीकृत ट्रालरों की संख्या में बेरोकटोक वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में वृद्धि से प्रति पारम्परिक मछुआरे द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा में कमी आई है।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने की जरूरत है क्योंकि समुद्री उत्पाद में भावी वृद्धि गहन समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के दोहन पर निर्भर करती है। भारत का एक गहन समुद्री मत्स्यन बेड़ा भी होना चाहिये क्योंकि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से तस्करी पर भी रोक लगेगी और पड़ोसी देशों के अनाधिकार शिकार करने वाले भी हतोत्साहित होंगे।

बहरहाल, गहन समुद्री मत्स्यन नीति के खिलाफ बड़े स्तर पर पारम्परिक मछुआरों द्वारा किए गए आन्दोलन को मद्देनजर रखते हुए मेरे मंत्रालय ने सारे मामले की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिये एक विशेषज्ञ दल का गठन किया । इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मेरे मंत्रालय ने इसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों और पारम्परिक मछुआरों के बीच टकराव का क्षेत्र खत्म करने के लिये हमने उत्तर–पूर्व में तटवर्ती जल के बाद 3 मील का गलियारा बनाने का निर्णय लिया है ताकि उत्तर–पूर्व तट पर गहन समुद्री मत्स्यन जलयान 12 के बजाय 15 समुद्री मील के बाद चलें। साथ ही गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के लिये कतिपय ट्रेकिंग उपकरण जरूरी करने का फैसला किया है ताकि तटवर्ती जल में उनके घुसने पर सही–सही पता लगाया जा सके कि वे कहां हैं। ऐसा इसलिये किया जा रहा है कि क्योंकि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को तटवर्ती जल में मछली पकड़ने की मनाही है पर पारम्परिक मछुआरों और मशीनीकृत ट्रालरों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर कोई रोक नहीं है। गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाएं स्थापित करने के लिये पारम्परिक मछुआरों को प्रोत्साहित करने के वास्ते मेरा प्रस्ताव है कि और प्रोत्साहन दिये जायें। मैंने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे पारम्परिक मछुआरों के हितों की रक्षा के लिये अपने तटवर्ती जल में चलने वाले मशीनीकृत ट्रालरों की संख्या निर्धारित करें। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि पूरे मामले की समीक्षा होने तक गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी किसी आवेदन पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

अन्त में मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार पारम्परिक मछुआरों के हितों की रक्षा के लिये वचनबद्ध है और इस विषय पर सरकार की नीति के बारे में उनसे हमेशा विचार–विमर्श करने के लिये तैयार है। पारम्परिक मछुआरों के कल्याण के बारे में सरकार पूरी तरह चिंतित है और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने और उनके हितों की रक्षा करने के लिये पूरी तरह वचनबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मध्यान्ह भोजन हेतु सभा 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

2.30 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.33 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.30 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री तारा सिंह **पीठासीन हुए**)

(व्यवधान)

इस समय डा. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कोई काम नहीं करने देंगे क्या?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लोक सभा 4.30 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

3.34 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.32 म.प.

लोक सभा 4.32 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री तारा सिंह **पीठासीन हुए**)

(व्यवधान)

4.32½ म.प.

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय : सभा कल 11.00 बजे म.पू. पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

4.33 म.प.

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 16 दिसम्बर 1994/ 25 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।